"झाँसी महानगर की सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजशास्त्रीय अध्ययन"

BUNDELKHAND UNIVERSITY
Central Library
Acc. No. t2757
Date 03/08/09
JHANSI

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
में समाजशास्त्र विषय में
पी-एच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

शोध-निर्देशक
डॉ0 एस0एस0 गुप्ता
रीडर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
पं0 जे0एन0पी0जी0 कालेज, बाँदा (उ0प्र0)

शोधकर्त्री
अभिलाषा
एम0ए0 समाजशास्त्र

"झाँसी महानगर की सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजशास्त्रीय अध्ययन"

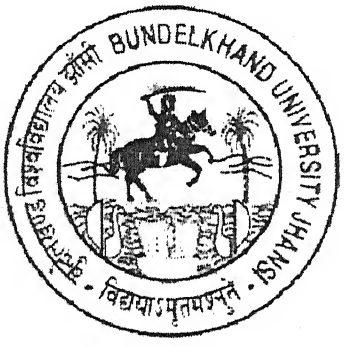

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
में समाजशास्त्र विषय में
पी-एच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

शोध-निर्देशक

डॉ0 एस0एस0 गुप्ता
रीडर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
पं0 जे0एन0पी0जी0 कालेज, बाँदा (उ0प्र0)

शोधकर्त्री

अभिलाषा
एम0ए0 समाजशास्त्र

शोध केन्द्र-पं0 जे0एन0पी0जी0कालेज, बाँदा (उ0प्र0)

डॉ0 एस0एस0 गुप्ता
रीडर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
पं0 जे0एन0पी0जी0 कालेज, बाँदा (उ0प्र0)

निवास :
सदर बाजार, गूलर नाका, बाँदा (उ0प्र0)
: 9415143360

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **अभिलाषा** द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध "**झाँसी महानगर की सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन**" मेरे निर्देशन में समाजशास्त्र विषय में शोध कार्य हेतु पंजीकृत हुई थी। इन्होंने मेरे निर्देशन में आर्डिनेन्स 7 द्वारा वांछित अवधि तक कार्य किया। मैं इस शोध प्रबन्ध को मूल्यांकन हेतु अग्रेसित करने की संस्तुति प्रदान करता हूँ।

(डॉ० एस० एस० गुप्ता)

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करती हूँ कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के अन्तर्गत समाजशास्त्र विषय में डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध ''झाँसी महानगर की सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन'', मेरा मौलिक कार्य है। मेरे अभिज्ञान से प्रस्तुत शोध का अल्पांश अथवा पूर्णांश किसी भी विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ फिलासफी अथवा अन्य किसी उपाधि के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Abhilasha
(अभिलाषा)

आभार

प्रस्तुत शोध कार्य को पूरा करने में अनेक महानुभावों ने अपना सहयोग दिया है, उनके प्रति आभार प्रकट करना मेरा पुनीत कर्तव्य है।

सर्वप्रथम मैं इस शोध प्रबन्ध के प्रणयन में निर्देशन करने वाले अपने शोध निर्देशक डॉ0 एस0एस0 गुप्ता के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने समय–समय पर शोध विषय के सम्बन्ध में न केवल शोध निर्देशक के रूप में प्रत्युत संरक्षक के रूप में भी यथेष्ट श्रम एवं समय देकर शोध प्रबन्ध की पूर्णता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इसके साथ ही मैं डॉ0 जे0पी0 नाग, रीडर एवं भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, पं0जे0एन0पी0जी0कालेज, बाँदा के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध के विषय में समय–समय पर निर्देश दिये।

डॉ0 संदीप वर्मा, डॉ0 (श्रीमती) शालू वर्मा, श्री वीरेन्द्र सिंह, निधि खरे के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने समसामयिक सहयोग एवं दिशा–निर्देशन प्रदान किया।

अन्त में मैं अपने पति नरेश जी एवं सास–ससुर श्रीमती इमरती एवं श्री रामसेवक को भी हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना अपना परम कर्तव्य समझती हूँ जिन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया और किसी प्रकार की कठिनाई नहीं महसूस होने दी।

शोध प्रबन्ध के टंकण के लिये श्री बिहारी शरण निगम भी बधाई के पात्र हैं जिनके योगदान से मेरा अभीष्ट कार्य पूर्ण हुआ। इन सबके अतिरिक्त मैं उन सभी जाने–अनजाने सुधिजनों की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यथासम्भव मदद प्रदान की।

अनुक्रमणिका

अध्याय क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय प्रथम	प्रस्तावना	1-22
अध्याय द्वितीय	पद्धतिशास्त्र	23-43
अध्याय तृतीय	झाँसी महानगर की ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि	44-64
अध्याय चतुर्थ	सरकारी सेवा और सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन	65-95
अध्याय पंचम	सरकारी सेवा और आर्थिक, राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन	96-120
अध्याय षष्टम	अनुसूचित जाति की सेवारत महिलाओं की समस्याएँ एवं निराकरण	121-153
अध्याय सप्तम	निष्कर्ष एवं सुझाव	154-170
परिशिष्ट	संदर्भ ग्रन्थ सूची	171-178
	साक्षात्कार अनुसूची	1-11

सारिणी सूची

क्र0सं0	सारिणी संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	4.1	उत्तरदात्रियों की आयु और शिक्षा में सम्बन्ध	78
2	4.2	उत्तरदात्रियों की आयु और जाति सम्बन्धी विवरण	80
3	4.3	उत्तरदात्रियों की जाति और शिक्षा सम्बन्धी विवरण	82
4	4.4	उत्तरदात्रियों की जाति और वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी विवरण	84
5	4.5	उत्तरदात्रियों की जाति एवं संयुक्त परिवार तथा एकाकी परिवार सम्बन्धी विवरण	86
6	4.6	उत्तरदात्रियों की जाति और कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित विवरण	88
7	4.7	उत्तरदात्रियों की जाति एवं मकान में रहने सम्बन्धी विवरण	90
8	4.8	उत्तरदात्रियों की जाति और मकान के स्वरूप सम्बन्धी विवरण	92
9	4.9	उत्तरदात्रियों की जाति एवं पारिवारिक स्तर सम्बन्धी विवरण	94
10	5.1	उत्तरदात्रियों की जाति एवं मासिक आय सम्बन्धी विवरण	103
11	5.2	उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी विवरण	105
12	5.3	उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं परिजनों के साथ रहने सम्बन्धी विवरण	107
13	5.4	उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं परिवार के सदस्यों का उनके प्रति दृष्टिकोण	109
14	5.5	उत्तरदात्रियों की जाति एवं राजनीतिक विषयक दृष्टिकोण	111
15	5.6	उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं मित्रवत मदद सम्बन्धी विवरण	113
16	5.7	उत्तरदात्रियों की जाति एवं जाति विषयक दृष्टिकोण	115
17	5.8	उत्तरदात्रियों की जाति एवं घरेलू बजट सम्बन्धी विवरण	117
18	5.9	उत्तरदात्रियों की जाति एवं प्रेरणा स्रोत सम्बन्धी विवरण	119

19	6.1	उत्तरदात्रियों की उम्र एवं अवकाश के उपयोग सम्बन्धी विवरण	132
20	6.2	उत्तरदात्रियों की जाति एवं नौकरी से पहले काम करने सम्बन्धी विवरण	134
21	6.3	उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं गृहणी और नौकरी में तालमेल सम्बन्धी विवरण	136
22	6.4	उत्तरदात्रियों की जाति एवं नौकरी हेतु संघर्ष सम्बन्धी विवरण	138
23	6.5	उत्तरदात्रियों की जाति एवं उनके साथ होने वाले बुरे व्यवहार सम्बन्धी विवरण	140
24	6.6	उत्तरदात्रियों की उम्र एवं अश्लील हरकत करने वालों के खिलाफ विचार सम्बन्धी विवरण	142
25	6.7	उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं अन्य सहकर्मियों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने सम्बन्धी दृष्टिकोण	144
26	6.8	उत्तरदात्रियों की उम्र और नारी स्वतन्त्रता सम्बन्धी विवरण	146
27	6.9	उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने सम्बन्धी विवरण	148
28	6.10	उत्तरदात्रियों की उम्र एवं महिलाओं का अपनी देखरेख के प्रति दृष्टिकोण सम्बन्धी विवरण	150
29	6.11	उत्तरदात्रियों की जाति एवं नौकरी में आरक्षण सम्बन्धी दृष्टिकोण	152

अध्याय प्रथम

प्रस्तावना

अध्याय प्रथम
प्रस्तावना

नारी का मनुष्य जाति की सृष्टि में ही महत्वपूर्ण योग नहीं है, अपितु समाज निर्माण में भी अपरिहार्य अंग है। "पत्नी और माता अपने लिए जैसा आदर्श निश्चित करती हैं, जिस रूप में वह अपने कर्तव्य और जीवन को समझती हैं, उसी से समग्र जाति का भाग्य निर्माण होता है। उसकी निष्ठा दाम्पत्य-प्रेम का उज्जवल तारा है और उसका प्रेम ही वह जीवनी शक्ति है जो उसके आत्मीय जनों के भविष्य का निर्माण करती है। स्त्री ही परिवार के उद्धार या विनाश का कारण है। परिवार के समस्त भाग्य को मानो वह अपनी ओढ़नी के छोर में बाँधे फिरती है।"[1]

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सुख, सम्पत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया है जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा की जाती है। स्त्री को पुरुष की "अर्द्धांगनी" के रूप में स्थान दिया गया है। जिसके बिना किसी कर्तव्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। "शतपथ ब्राह्मण" में कहा गया है कि पत्नी निश्चयपूर्वक पति का आधा हिस्सा है। जब तक वह पत्नी नहीं प्राप्त करता, जब तक वह संतान नहीं उत्पन्न करता, अपूर्ण रहता है। जब वह स्त्री को प्राप्त करता है, प्रजा (संतान) पैदा करता है तभी वह पूर्ण होता है।[2] महाभारत में भी पत्नी को पति का आधा अंग मानते हुए कहा गया है कि भार्या पति का आधा अंग, श्रेष्ठतम सखा और मित्रों में उत्तम होती है और वही धर्म, अर्थ और काम का मूल है।[3]

मनुस्मृति में भी स्त्री की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा गया है "जहाँ स्त्रियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता रमण करते है और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी धार्मिक क्रियाएँ निष्फल होती हैं।[4]

वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के पश्चात हमारे समाज की मौलिक व्यवस्थाएँ परम्पराओं एंव रूढ़ियों के रूप में परिवर्तित होने लगीं जिसके परिणामस्वरूप स्त्रियों में लज्जा, ममता और स्नेह के गुणों को उनकी दुर्बलता समझकर पुरुष ने उनका मनमाना शोषण करना प्रारम्भ कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियों को स्मृतिकारों और धर्मशास्त्रकारों का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण स्त्री धीरे-धीरे परतंत्र, निःसहाय और निर्बल बन गई।

मध्ययुग के संस्कृत साहित्य में स्त्रियों को परपुरुष को छलने, बहकाने, धोखा देने, अत्यधिक

---

1. त्रिपाठी, शंभूरत्न; भारतीय समाज व संस्कृति, वर्ष 1963, पृष्ठ 326
2. शतपथ ब्राहमण; 5/2/1/10-'हिन्दू परिवार मीमांसा' (लेखक : हरिदत्त वेदालंकार) द्वारा उदधृत.
3. महाभारत, आदिपर्व, 1/74/41.
4. मनुस्मृति, 3/46.

कुटिल,क्रूर तथा कामुक होने का दोषारोपण है। "पंचतन्त्र" के मत में झूठ, बिना सोचे काम (साहस), छल का व्यवहार, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता और निर्दयता स्त्रियों के स्वाभाविक गुण हैं।[1]

भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें सामवेद में नारी की चर्चा ही नहीं है। अथर्ववेद और यजुर्वेद में नारी का उल्लेख आता है, किन्तु बहुत कम। केवल ऋग्वेद ही एक ऐसा वेद है जिससे तत्कालीन नारी-समाज की अवस्था के संबंध में कुछ ज्ञान हो सकता है। ऋग्वेद में ऋषिकाओं और देवियों का बहुत उल्लेख मिलता है। जैसे-धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा, विद्या की सरस्वती तथा अदिति, उषा, इन्द्राणी, इला, भारती, होला, श्रद्धा आदि अन्य देवियाँ। वैदिक युग में पति-पत्नी का सामूहिक नाम 'दम्पति' था। इसका अर्थ है दम् अर्थात घर का पति-स्वामी। इससे सूचित होता है कि दोनों का घर पर समान रूप से स्वत्य था। मैकडानेल एंव कीथ ने "वैदिक इंडेक्स" में लिखा है "यह (दम्पति) शब्द ऋग्वेद के समय स्त्रियों की उच्च स्थिति का द्योतक है।"

स्त्रियों की अच्छी सामाजिक प्रस्थिति ऋग्वैदिक काल के अंत में बिगड़ने लगी थी। पुत्री को एक अभिशाप माना जाने लगा। महाभारत की रचना उत्तरवैदिक काल के आरम्भिक वर्षों में ही किसी समय हुई थी। महाभारत के अनेक उद्धरणों से पता चलता है कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में इस समय तक स्त्रियों का पूर्ण अधिकार बना हुआ था। महाभारत के "अनुशासन-पर्व" में स्त्रियों को पूज्यनीय बताया गया है। इसी काल से स्त्रियों के व्यवहारों पर यद्यपि कुछ नियन्त्रण लगना प्रारम्भ हो गया था लेकिन फिर भी इस काल में स्वयंबर प्रथा द्वारा स्त्रियों का विवाह होने और वेदों का अध्ययन करने के आधार पर उनकी उच्च सामाजिक प्रस्थिति को प्रमाणित किया जा सकता है। जैन एंव बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण इसी काल की भारतीय हिन्दू महिलाओं का इन धर्मों में प्रवेश प्रारम्भ हुआ। डॉ0 ए0एस0 अल्टेकर ने "भारतीय हिन्दू महिलाओं के पतन का काल 1000 ईसा-पूर्व से 500 ईसा पश्चात् माना है।"[2]

तीसरी शताब्दी के बाद याज्ञवल्क्य-संहिता, विष्णु संहिता और पाराशर संहिता की रचना हुई। यह काल सामाजिक एंव धार्मिक संकीर्णता का युग था, स्त्रियाँ भी इस संकीर्णता का शिकार बनीं। "स्त्री जो किसी समय अपने प्रबलतम व्यक्तित्व द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रमाणित करती थी अब परतन्त्र, पराधीन, निसहाय और निर्बल बन चुकी थी।"[3] मनुस्मृति में यहाँ तक कहा गया कि "स्त्री कभी भी स्वतन्त्र रहने योग्य नही है। अविवाहित होने पर पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र ही उसका संरक्षक है।"[4]

---

1. पंचतन्त्र, मित्रभेद/207 'हिन्दू परिवार मीमांसा' (लेखक : हरिदत्त वेदालंकार, पृष्ठ 16) द्वारा उद्धृत.
2. अल्टेकर, ए0 एस0; द पोजीशन आफ वोमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन पृष्ठ 245.
3. लखनपाल, चंद्रावती; स्त्रियों की स्थिति पृष्ठ 25.
4. मनुस्मृति, 9/3.

मध्यकाल का समय 16वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। यह सच कि 11वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारतीय समाज पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ा। इस काल में स्त्रियों को नियन्त्रित रखने के लिए कड़े नियम बनाये जाने लगे। यहाँ तक कि पुत्री जन्म को ही दुर्भाग्य समझा जाने लगा। ए0एस0 अल्टेकर के अनुसार "ईसा के 200 वर्ष पूर्व से 1800 वर्ष तक महिलाओं की स्थिति सतत् रूप से गिरती गयी।"[1] 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व के काल में भी स्त्रियाँ प्रायः उपेक्षित रहीं हैं। जनवरी 1927 में "अखिल भारतीय महिला सभा" की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य महिलाओं में शैक्षिक और सामाजिक कार्य करना था।

भारतीय समाज में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में स्त्रियों की स्थिति के बारे में अनेक सुधार हुए। इस युग में स्त्रियों की सामाजिक प्रस्थिति में सुधार कार्य करने वाले महान पुरुषों में राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महादेव गोविन्द रानाडे, स्वामी दयानन्द सरस्वती, डॉ0 कर्वे, एनी बेसेन्ट, महात्मा गाँधी आदि प्रमुख हैं। इन लोगों के सत्प्रयासों से सती प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या आदि का कुछ समाधान होना प्रारम्भ हुआ।

ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ पुरुषों की तरह ही शिक्षा ग्रहण करती थीं। घोषा, अपाल, विश्ववर आदि महिलाओं ने उच्चकोटि की भजनों की रचना की थी। उपनिषद काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिला ऋषि थीं। महाभारत में द्रौपदी को 'पंडित' कहा गया है। गुप्त काल में भी कुछ स्त्रियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों द्वारा समाज सुधार के अनेक प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कुछ चिन्तकों एंव बुद्धजीवियों का ध्यान स्त्री शिक्षा की ओर गया। इनमे ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का प्रयास विशेष सराहनीय रहा। पूना में प्रो0 कर्वे ने अनेक विधवा आश्रम खोलकर स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करना प्रारम्भ किया। इसी शताब्दी में अनेक प्रगतिशील महिलाओं जैसे दुर्गाबाई देशमुख, रमाबाई और रुखमाबाई ने भी पुरानी रूढ़ियों की चिन्ता न करते हुए स्त्रियों को अपने अधिकार मांगने के लिए प्रोत्साहित किया।[2] बीसवीं शताब्दी में अनेक महिला संगठनों ने भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सन् 1929 में विभिन्न महिला संगठनों ने एक होकर 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' का आयोजन किया। दिल्ली में 'लेडी इरविन कालेज' की स्थापना भी इसी संस्था के द्वारा की गई।

स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्री शिक्षा में व्यापक प्रगति हुई। सन् 1882 में भारत में केवल 2,054 स्त्रियाँ थीं जो कुछ पढ़ लिख सकती थीं जबकि 1971 की जनगणना के समय तक शिक्षित स्त्रियों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 93 लाख से भी अधिक हो गयी।[3] सन् 1883 में जहाँ पहली बार एक स्त्री ने

1. अल्टेकर, ए0एस0; द पोजीशन आफ वोमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन पृष्ठ246.
2. अग्रवाल, जी0के0 ; भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, शीर्षक भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पृष्ठ 283.
3. इण्डिया टुडे, 1975, पृष्ठ 6-53.

बी0ए0 पास किया वहीं सन् 1975 में लगभग 3 लाख से भी अधिक लड़कियाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातकीय एंव स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहीं थीं।[1] धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया परन्तु वैदिक काल से स्वातंत्रयोत्तर काल तक के स्त्रियों के सांपत्तिक अधिकार के भरण-पोषण की सुविधा प्राप्त थी। स्त्री धन के रूप में उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति भी होती थी परन्तु अन्ततः उनकी दशा पराश्रित ही थी। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा, औद्योगीकरण तथा नवीन विचारधारा ने स्त्रियों के लिए लाभकारी व्यवसायों में लगने के नवीन अवसर प्रदान किए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। "सन् 1937 के चुनाव में स्त्रियों के लिए 41 सीटें सुरक्षित होने पर भी केवल 10 स्त्रियाँ ही चुनाव में सामने आयी थीं। जबकि सन् 1957 के चुनाव तक स्त्रियों की राजनैतिक जागरुकता इतनी बढ़ चुकी थी कि केवल राज्यो की विधानसभाओं के लिए ही 342 स्त्रियाँ चुनाव के लिए खड़ी हुईं जिनमें से 195 निर्वाचित हो गयीं। सन् 1975 में केवल राज्यसभा और लोकसभा में ही स्त्रियों की संख्या 43 थी।[2]

श्री के0एम0 पणिक्कर का कहना है कि "जब स्वतन्त्रता ने पहली अंगड़ाई ली तब भारत के राजनैतिक जीवन में स्त्रियों को जो पद प्राप्त हुए उसे देखकर बाहरी दुनिया चौंक पड़ी क्योकि वह हिन्दु स्त्रियों को पिछड़ी हुई, अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई समझने की अभ्यस्थ थी।"[3] विभिन्न समाज सुधारकों ने समय-समय पर अनेक आन्दोलन चलाये। भारत वर्ष में विभिन्न जाति, धर्मों एंव वर्गों के लोग निवास करते हैं। प्रत्येक समाज में दो वर्ग मुख्य रुप से पाये जाते है। एक जिसे हम पूँजीपति वर्ग, उच्च वर्ग के नाम से जानते हैं तथा दूसरा गरीब वर्ग जिसे श्रमिक वर्ग, दुर्बल वर्ग, पिछड़े वर्ग के नाम से जानते हैं। संवैधानिक दृष्टि से कमजोर, दुर्बल या दलित वर्ग के अर्न्तगत अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े हुए समूह आते हैं। अनुसूचित जातियों के उद्भव, जातीय संस्करण में इनकी निम्न स्थिति–प्रस्थिति, आरोपित सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा आर्थिक निषेधों, निर्योग्यताओं के परिप्रेक्ष्य में इन्हे अन्त्यज्य, अस्पृश्य तथा चाण्डाल दलित मृतक नाम से सम्बोधित इस पंचम वर्ण की स्थिति अति दयनीय थी। इन पर उत्तर वैदिक काल से ही अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध थे। उन्हें यज्ञशाला में जाने की अनुमति नहीं थीं। खाती, लोहार और धोबी के बर्तनों को साफ करके दूसरे लोग इस्तेमाल मे ला सकते थे। किन्तु दलितों के द्वारा उपयोग किए गए बर्तनों को कोई दूसरा प्रयोग में नहीं ला सकता था।

---

1. अग्रवाल, जी0 के0; भारतीय सामाजिक संस्थायें, पृष्ठ 283.
2. इण्डिया टुडे, 1975, पृष्ठ 375-87.
3. पणिक्कर, के0 एम0 ; हिन्दू समाज निर्णय के द्वार पर, पृष्ठ 37.

साधारणतः उन जातियों को अस्पृश्य जातियाँ माना जाता है जो घृणित पेशों द्वारा अपनी जीविका अर्जित करती हैं। अस्पृश्यता समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अर्न्तगत अस्पृश्य समझें जाने वाली जातियों के व्यक्ति सवर्ण हिन्दुओं को स्पर्श नहीं कर सकते।[1] अस्पृश्यता का तात्पर्य है ''जो छूने योग्य नहीं है।'' अस्पृश्यता उत्पत्ति के सन्दर्भ में कुछ विद्वानों के विचार निम्नवत हैं :–

1. डॉ0 जी0एस0 घुरिये के अनुसार इण्डोआर्यन लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों को घृणा की दृष्टि से देखा और 'दास' के नाम से सम्बोधित करते हुए उन्हें समाज में सबसें नीचा स्थान दिया और अपनी धार्मिक पूजा संस्कार आदि से उन्हें बिल्कुल अलग रखा।
2. डॉ0 डी0एन0 मजूमदार के अनुसार दलित जातियों की निर्योग्यतायें संस्कार से सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि इसका आधार सम्भवतः प्रजातीय और सांस्कृतिक भिन्नताएँ है।[2]
3. नेस्फील्ड ने पेशे के आधार पर अरपृश्यता को समझाने का प्रयत्न किया है। इनके अनुसार घृणित या गंदे पेशे ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से गन्दे या अपवित्र हैं, उनसे छुआ-छूत मानी जाती है।

सामान्यतः समाज ने कुछ पेशों को गंदा माना है और अपराध पेशा तो घृणित है ही, इन सब बातों ने भी कुछ जातियों को दलित बनाने और इनकी व्यवस्था को दृढ़ करने में मदद की।[3] इन भिन्नताओं के कारण पृथकता की धारणा धीरे-धीरे इतनी कटु हो गयी कि कुछ लोगों को छूना भी उचित न समझा गया जिसके फलस्वरुप वे 'अछूत' कहलाये।

श्री के0एम0 पणिक्कर के अनुसार ''जाति प्रथा जब अपनी चरम सीमा में थी तब इस पंचम वर्ण की दशा कई प्रकार से दासता से भी बुरी थी..... दास केवल एक व्यक्ति के अधीन होता था, अछूतों के परिवारों पर तो गाँव भर की दासता का भार होता था।''[4] चाण्डालों अथवा अछूतों का विवाह और सम्पर्क अपने बराबर वालों के साथ ही हो सकता था तथा रात्रि के समय इन्हें गाँव अथवा नगर में विचरण करने का अधिकार न दिया गया था।[5]

वस्त्राभूषणों के धारण पर प्रतिबन्ध के अनुरूप भाषा पर भी प्रतिबन्ध थे। ऐसे प्रतिबन्ध मालावार के कुछ भागों में सम्भवतः अभी तक चले आ रहे हैं। सभी अछूतों को समान सामाजिक स्तर प्राप्त नही थे। के0एम0 पणिक्कर का कथन है कि ''विचित्र बात यह है कि स्वंय अछूतो के भीतर एक पृथक जाति के समान संगठन था सवर्ण हिन्दुओं के समान उनमें भी उच्च और निम्न स्थिति वाली

---

1. डॉ0 के0 एन0 शर्मा; भारतीय समाज और संस्कृति, पृष्ठ 262.
2. मनुस्मृति, 10/53,54.
3. हट्टन, जे0एच0; सेंसस आफ इण्डिया, 1931, दिल्ली 1933, पृष्ठ 485.
4. हट्टन जे0एच0; भारत में जाति प्रथा, 1983, पृष्ठ 82.
5. मनुस्मृति-10/52/4, यंग इण्डिया, 27 अप्रैल, 1921.

उपजातियों का संस्तरण था जो एक-दूसरे से श्रेष्ठ होने के दावा करती थी।"[1]अस्पृश्य जातियों को अपने पेशों को छोड़कर ऊँची जातियों के पेशों को अपनाने की कोई स्वतन्त्रता नहीं थी। अछूतों के लिए वे व्यवसाय ही छोड़ दिए गए जो निकृष्टतम और सभी के द्वारा त्याज्य थे। अस्पृश्यता का सम्बन्ध अपवित्रता की धारणा से जोड़कर अछूतों के लिए सभी प्रकार के धार्मिक आचरण वर्जित कर दिए गए।

दलितों के उद्धार एंव उत्थान में होने वाले प्रयासों को मार्क-गैलेण्टर ने दो वर्गों में रखा है– (1) धर्म धारित (2) लौकिक (धर्म निरपेक्ष)। 19वीं शताब्दी में प्रथम का प्रतिनिधि गैलेण्टर ने आर्य समाज को और दूसरे का महात्मा ज्योतिबा फुले को बतलाया है। इस शताब्दी के तीसरे दशक में दलितों या अस्पृश्यों के हित में कार्यरत महात्मा गाँधी और डॉ0 भीमराव अम्बेडकर को क्रमशः इन दो अभिगमों का प्रतिनिधि कह सकते हैं।

गाँधी जी 1920 के पश्चात् दलितोद्धार सुधार कार्यक्रम से जुड़ गये। 1915 में गाँधी जी ने अपने व्याख्यान में सच्चे हिन्दू धर्म में किसी ऐसे समुदाय के अस्तित्व को अस्वीकार किया "जिसे मैं अछूत कह सकता हूँ।" यंग इण्डिया के 19 जनवरी 1921 अंक में "अस्पृश्यता के कलंक" के विरुद्ध महात्मा गाँधी का लेख प्रकाशित हुआ। 13-14 अप्रैल 1921 में अहमदाबाद में आयोजित दलित वर्ग सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने अस्पृश्यता को "हिन्दूओं का सबसे बड़ा कलंक" बतलाते हुए उसी वर्ष अस्पृश्यता उन्मूलन की अनिवार्यता पर जोर दिया। 9 दिसम्बर 1924 मे अस्पृश्यता को ही "स्वराज्य की दूसरी अड़चन" बताया। 17 दिसम्बर 1934 को वर्धा में अपने भाषण में उन्होंने अस्पृश्यता को "एक अत्यन्त गम्भीर धार्मिक एंव नैतिक" मुद्दा बताया। अप्रैल 1925 में "यंग इण्डिया" में महात्मा गाँधी जी ने लिखा है कि "सुधार की सीढ़ी में मार्गों की उन्मुक्ति पहला पायदान है। मंदिर, सार्वजनिक कुएँ (जलाशय) और विद्यालय सवर्ण हिन्दुओं के साथ ही अस्पृश्यों के लिए भी उन्मुक्त होने चाहिए।" 27 सितम्बर से 2 अक्टूबर 1932 तक अस्पृश्यता निवारण सप्ताह का आयोजन तथा अक्टूबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की सीापना की गई। 14 अगस्त 1931 को महात्मा गाँधी जी और डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की भेंट हुई। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गाँधी जी से आग्रह किया कि वे कांग्रेस की सदस्यता के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन की शर्त आवश्यक कर दें जिस प्रकार खादी धारण करने की शर्त थी। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि "भारत में अनेक महात्मा हुए जिनका एकमात्र उद्देश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन और दलित वर्ग का उत्थान तथा सात्मीकरण था परन्तु हर कोई अपने ध्येय में विफल रहा। कई महात्मा आए और चले गए किन्तु अस्पृश्य, अस्पृश्य ही बने रहे।"[2]

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने साम्प्रदायिक निर्णय के अन्तर्गत प्रदत्त 71 सीटों के स्थान पर 197

1. मजूमदार, डी0 एन0; रेसस एण्ड कल्चर आफ इण्डिया, 1958, पृष्ठ 288.
2. आल इण्डिया कांग्रेस कमिटि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस, 1930-34, विइंग द रिज्योल्यूशन पास्ड वाई द कांग्रेस, यूरिंग द पिरीयड बिट्वीन जनवरी 1930 टू सितम्बर 1934, पृष्ठ 66.

सीटों की मांग की। अतः 148 सीटों पर सहमति हुयी। यही विख्यात पूना या वर्धा समझौता था। अप्रैल 1947 में संविधान के तीसरे सत्र में घोषित किया गया कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है और इसके आधार पर किसी भी प्रकार की निर्योग्यता का आरोपण अपराध होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतन्त्र हो गया। इस समय तक जाति प्रथा पर्याप्त क्षीण हो चली थी। निम्नतम जातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध मानवतावादी भावनाएँ उमड़ रही थी। 1950 में स्वतन्त्र भारत का संविधान लागू हुआ जिसके निर्माण में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने अग्रणी भूमिका निभायी जो पं0 जवाहरलाल नेहरू द्वारा विधि मंत्री के रूप में मंत्रिमण्डल में शामिल किए गए और संविधान निर्मात्री सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गये। 1950 मे लागू स्वतन्त्र भारत के संविधान में मूलभूत अधिकारों, विभिन्न अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षा कवच तथा राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धान्तों का समावेश था। संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया जिसके फलस्वरूप दलितों को अन्य नागरिकों के समकक्ष वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए। मताधिकार के माध्यम से 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया गया जिसका उल्लंघन दण्डनीय था। संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की दशाओं के अध्ययन और तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निमित्त समय-समय पर 'आयोग' गठित करने के अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान कर दिए गए।

1930 के बाद डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आदि के सम्बन्धित प्रयास त्याग दिए और अपना ध्यान समुदाय के शैक्षणिक उत्थान एंव राजनीतिक प्रस्थिति के उन्नयन पर केन्द्रित किया। दलितों की जीवन शैली में सुधार के प्रयास किए। 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष उन्होंने वयस्क मताधिकार के साथ सामान्य निर्वाचक मण्डल को स्वीकार किया और व्यवस्थापिका सभाओं में अस्पृश्यों, दलितों के लिए आरक्षित स्थानों, शिक्षा सम्बन्धी विशेष सुविधाओं और सरकारी सेवाओं में भर्ती आदि की मांग की। विभिन्न दलों द्वारा विभिन्न कारणों से साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अस्वीकार किए जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवम्बर 1930 मे लन्दन में प्रथम गोलमेल सम्मेलन आहूत किया।

पूना समझौते के बाद 1932-1933 में दलितों के लिए थोड़े से मन्दिर खोले गए। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की सम्मति में वर्ण व्यवस्था ही अस्पृश्यता को जड़ थी और अस्पृश्यों को हिन्दू समुदाय में आत्मसात करने के लिए वर्ण व्यवस्था का परित्याग अनिवार्य था। 1941 में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के प्रयास से महार बटालियन का गठन किया गया जो आगे भी भारतीय सेना का प्रमुख अंग बनी रही। 1942 में जब वाइसराय ने कतिपय भारतीयों को प्रमुख कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिया तो डॉ0 भीमराव अम्बेडकर को श्रम विभाग सौंपा गया। डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर ने 1945 में 'What

Congress and Gandhi have in to the Untouchables' नामक पुस्तक लिखीं तथा अस्पृश्यों को सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म गृहण करने के लिए आन्दोलन को प्रेरित किया।

'आधुनिक भारत के महानतम शूद्र'[1] और 'सामाजिक लोकतन्त्र के निर्भीक प्रणेता',[2] दलितों में शिक्षा एंव चेतना की किरणें बिखरने वाले[3] बाबू जगजीवन राम के शब्दों में "दलित चेतना की दिशा में ज्योति पुरुष" ज्योतिबा फुले (1827-90) एक अग्रणी शिक्षाविद एंव सुधारवादी और एक सक्रिय समाज सुधारक थे जिनके द्वारा महाराष्ट्र में सामाजिक समानता के लिए जन आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। ज्योतिबा फुले ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक हर स्तर पर शोषणकारी व्यवस्था पर प्रहार किए। धर्म द्वारा आयोजित दासता की शिकार स्त्रियाँ पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में निरन्तर गुलाम बनाकर रखी गयीं थी। "नर्क का द्वार", "माया मोहिनी", "पाप का मूल" तथा भोग का महाद्वार बताकर उसकी स्वतन्त्रता छीन ली गई थी। महाराष्ट्र में इस ओर ध्यान देने वाले व्यक्तियों मे ज्योतिबा का नाम अग्रणी है। स्त्रियों पर अत्याचार करने वाली बाल विवाह, बहु विवाह, केश कर्तन, नियोग, वेश्यागमन जैसी कुरीतियों-प्रथाओं का उन्होंने उग्र विरोध किया। शिक्षा को ज्योतिबा फुले नये समाज के निर्माण का प्रभावी साधन मानते थे। जाति के विरुद्ध लड़ाकू ढंग के आन्दोलन का सूत्रपात सन् 1873 में पूना के ज्योतिबा राव फुले ने किया, वे माली जाति के कम शिक्षित व्यक्ति थे। इन्होंने 'सत्यशोधक समाज' नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के वास्तविक महत्व पर बल देना था चाहे उसकी जाति कुछ भी हो।

श्री माटेग्यू तथा श्री चेम्स फोर्ड ने भारतीय सुधारों की घोषणा के अवसर पर उन्होंने कहा था –"यदि जातियाँ जैसी हैं वैसे ही बनी रहीं तो स्वराज्य का जो अर्थ किया जाता है उस अर्थ में इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा।" इसी क्रम में सर्व श्री बी0 आर0 शिन्दे तथा ए0 वी0 ठक्कर आदि कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से न केवल अस्पृश्यता के अन्यायपूर्ण सिद्धान्त के विरुद्ध उच्च जातियों के हिन्दू की भावना को उत्तेजित करने के लिए ही बहुत कुछ किया।

भारत में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार करीब 13,80 करोड़ थी जिन्हें अछूत माना जाता रहा है। इस देश में इन्हें छुआछूत के नाम पर मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया और इन्हें निम्न से निम्न जीवन बिताने के लिए मजबूर किया गया।

अस्पृश्यता जाति व्यवस्था के इतिहास से जुड़ी हुई है। वैदिक काल में अन्तिम वर्षों में ऐसे लोगों के लिए चाण्डाल, डोम एंव अन्त्यज आदि शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा लेकिन तब इनके

1. डॉ0 अम्बेडकर, बी0 आर0; "शूद्र कौन थे"।
2. काम्बले, जे0 आर0; राइज एण्ड अवेकेनिंग आफ डिप्रेस्ड क्लासेज इन इण्डिया, पृष्ठ 51-52.
3. कन्हैयालाल चंचरीक, महात्मा ज्योतिबा फुले, पृष्ठ 2.

प्रति सामाजिक भेदभाव और घृणा की भावना अधिक कटु नहीं थी। स्मृतिकाल में छुआछूत की भावना में तेजी से वृद्धि होने लगी। मनुस्मृति में चाण्डालों को सबसे अधम कार्य करने आदि सौंपे गये। ऐसे लोगों से बचने की बात कही गयी और यहाँ तक बतलाया गया कि इनका मुँह देखना भी अपवित्रता लाने वाला है। इस वर्ग की स्थिति शूद्रों से भी निम्न समझी गयी। भारत में मुस्लिमों के आगमन के पश्चात् अस्पृश्यों में और भी गिरावट आयी। ब्रिटिश काल में अछूतों या अस्पृश्यों को दलित वर्ग के नाम से पुकारा गया। अस्पृश्य जातियों के नामकरण के सम्बन्ध मे शुरु से काफी विवाद रहा है। इन्हें अछूत, दलित, बाहरी जातियाँ, हरिजन एंव अनुसूचित जाति आदि नामों से सम्बोधित किया जाता रहा है। इनकी आर्थिक स्थिति के अत्यन्त दयनीय होने के कारण इनके लिए अछूत शब्द के स्थान पर 'दलित वर्ग' शब्द का प्रयोग किया गया। आर्य समाज की मान्यता थी कि ये अछूत न होकर दलित हैं क्योंकि इन्हें समाज ने दबाकर और सब प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा है। इनकी निम्न दशा के लिए ये स्वंय उत्तरदायी न होकर समाज उत्तरदायी हैं। सन् 1931 की जनगणना के पूर्व तक इनके लिए दलित शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। इस जनगणना के समय जनगणना अधीक्षक ने दलित शब्द के स्थान पर बाहरी जातियाँ शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द के प्रयोग का कारण यह था कि इन जातियों का भारतीय संरचना में कोई स्थान नहीं था। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने इंग्लैण्ड में गोलमेज कान्फ्रेन्स में सुझाव रखा कि हिन्दू समाज से पृथक होने के कारण इन बाहरी जातियों अर्थात् अछूतों को पृथक रूप से मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। सन् 1931 की गोलमेज कान्फ्रेन्स के बाद ब्रिटिश सरकार ने अस्पृश्य जातियों को हिन्दुओं से अलग घोषित कर दिया और उन्हें अलग निर्वाचन का अधिकार दिया। महात्मा गाँधी ने इनके लिए 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया और इनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न किया। सन् 1935 के विधान में इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से एक अनुसूची तैयार की गयी जिसमें विभिन्न अस्पृश्य जातियों को सम्मिलित किया गया। इस अनुसूची के आधार पर वैधानिक दृष्टिकोण से इन जातियों के लिए 'अनुसूचित जाति' शब्द को काम में लिया गया। वर्तमान में सरकारी प्रयोग में उनके लिए "अनुसूचित जाति" शब्द को ही काम में लिया जाता है। इनके लिए तैयार की गई सूची में जिन अस्पृश्य जातियों को रखा गया उन्हें "अनुसूचित जातियाँ" कहा गया।

साधारणतः उन जातियों को अस्पृश्य जातियाँ माना जाता है जो घृणित पेशों के द्वारा अपनी जीविका अर्जित करती हैं परन्तु छुआछूत के निर्धारण का यह सर्वमान्य आधार नहीं है। इस सम्बन्ध में जे0एच0 हट्टन ने अनुसूचित जातियों के निर्माण के निम्न आधारों का उल्लेख किया है[1] :–

---

1. हट्टन, जे0 एच0; कास्ट इन इण्डिया, पृष्ठ 195.

1. आपने उन लोगों को अस्पृश्य माना जो उच्च स्थिति के ब्राहमणों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य हों।
2. सवर्ण हिन्दुओं की सेवा प्राप्त करने वाले नाइयों, कहारों तथा दर्जियों की सेवा पाने के अयोग्य हों।
3. सार्वजनिक सुविधओं को उपयोग में लाने के अयोग्य हों।
4. हिन्दू मंदिरों में प्रवेश प्राप्त करने के अयोग्य हों।

1991 की जनगणना के अनुसार काम/व्यवसायों मे कार्यरत अनुसूचित जातियों की 1,362 लाख जनसंख्या मे 574.76 लाख व्यक्ति (42.2 प्रतिशत) श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। सम्पूर्ण श्रमिकों मे से 53.8 प्रतिशत चमड़े केश्रमिक हैं, 12.4 प्रतिशत जुलाहे है, 7.9 प्रतिशत मछुआरे है, 6.8 प्रतिशत ताड़ी निकालने वाले है, 5.2 प्रतिशत छबड़श्री और रस्से बनाने वाले, 4.6 प्रतिशत धोबी है, 3.7 प्रतिशत सफाई वाले है, 1.3 प्रतिशत दस्तकार है, 1.3 प्रतिशत किसान दूसरे व्यवसायों में लगे है, 1.3 प्रतिशत सब्जी फल बेचने वाले है और 0.1 प्रतिशत खाती और लोहार है। बंधुआ मजदूरों मे से लगभग दो तिहाई अनुसूचित जातियों मे से है। अनुसूचित जाति के लोगों मे साक्षरता बहुत ही कम है। यह 1981 मे केवल 12.4 प्रतिशत थी। इनमे से अधिकांश निर्धन रेखा के नीचे रहते है और यह सामाजिक एंव आर्थिक शोषण के शिकार हैं। सैद्धान्तिक रुप से अस्पृश्यता को भले ही समाप्त कर दिया हो लेकिन व्यवहार में अनुसूचित जाति के लोग अभी भी भेदभाव के शिकार हैं। 1935 में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 277 थी और जनसंख्या 5.01 करोड़ थी। 1981 में उनकी जनसंख्या 10.475 करोड़ हो गई जो कि 1991 में बढ़कर 10.623 करोड़ हो गई।[1] 1981 में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या समूचे देश की 15.7 प्रतिशत थी जो कि 1991 में बढ़कर 16.73 प्रतिशत हो गई।[2] अनुसूचित जातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 22.5 प्रतिशत (समूचे देश की अनुसूचित जाति की संख्या का) पूर्वी बंगाल में 11.4 प्रतिशत बिहार मे 9.6 प्रतिशत ।

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में एक व्यापक त्रिकोणीय रणनीति तैयार की गई थी। यह तीन परियोजनाओं का सम्मिश्रण थी :–

1. केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के विशेष उपादान योजनायें।
2. राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष उपादान योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता।
3. राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम।

विशेष उपादान योजनायें (एस0 सी0 पी0 एस0) विकास की ऐसी परियोजनाओं की पहचान पर

1. The Hindustan Times, April 12,1991.
2. Census Report Paper, 10/1992.

विचार करती है जो अनुसूचित जाति को लाभ पहुँचायेगी। इसका व्यापक रूप से यह उद्देश्य है कि अनुसूचित जातियों की आय में वृद्धि हो। मूल सेवाओं और सुविधाओं का प्रावधान, सामाजिक शैक्षणिक विकास के अवसरों की प्राप्ति भी एस0 सी0 पी0 एस0 के दायरे मे लानी है। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) की अवधि मे 4,481 करोड़ रुपये एस0 सी0 पी0 एस0 के लिए निर्धारित किए गये थे। 1990 तक केवल आठ मंत्रालयों ने ही अनुसूचित जातियों के लिए एस0 सी0 पी0 बनाये। अनुसूचित जाति विकास निगम, राज्यों में अनुसूचित परिवारों एंव वित्तीय संस्थाओं के बीच आर्थिक विकास सम्बन्धी बैंक योग्य योजनाओं के बीच तालमेल बैठाने का कार्य करती हैं। निगम तीन केन्द्रीय प्रदेशों एंव 18 राज्यों मे स्थापित किए गए हैं। परम्परागत व्यवसायों एंव घरेलू उद्योगों और अन्य व्यवसायों के लिए निगम 12,000 रुपये तक ऋण उपलब्ध करवाती है। अनेक राज्यों में शौचालयों को बदलने के लिए सुलभ शौचालय योजना चलायी गयी ताकि सफाई कर्मचारियों को मैला ढोने से मुक्ति मिल सके।

अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध

अनुसूचित जातियों एंव अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन निरन्तर अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों की संख्या में वृद्धि का विवरण देते रहे हैं। अधिकतर अनुसूचित जाति की स्त्रियाँ उच्च वर्ग के पुरुषों के द्वारा किए गये बलात्कार का शिकार होती हैं। अनुसूचित जाति के पुरुषों कां भी विभिन्न प्रकार से शोषण होता है, उनकी भूमि हड़प ली जाती है और उनका उपयोग बंधुवा मजदूर की तरह किया जाता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाये गये।

अनुसूचित जातियों के विरुद्ध दर्ज किए गये मामलों में सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में है। जैसे – सन् 1987 में, 29.9 प्रतिशत उत्तरप्रदेश में, 27.8 प्रतिशत मध्यप्रदेश में, 15.5 प्रतिशत बिहार में, 6.4 प्रतिशत केरल में, 5.5 प्रतिशत राजस्थान में थे। इनमें से भी 10.1 प्रतिशत मामले हिंसा के 7.5 प्रतिशत आगजनी के 3.1 प्रतिशत बलात्कार के और 2.8 प्रतिशत हत्या के थे। मई 1977 में बिहार के एक गाँव बेलछी की घटना अविस्मरणीय हैं। 1978 और 1992 के बीच इसी प्रकार के प्रकरण उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश में दर्ज किए गए थे। अत्याचारों के कारण इन जातियों का इस्लाम व ईसाई धर्म ग्रहण करने का उदाहरण फरवरी 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में हुआ जिसमें लगभग 1000 हरिजनों ने इस्लाम धर्म स्वीकारा। "रिपोर्ट आन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्युल्ड कास्ट्स" नामक दस्तावेज से आज भारत में अनुसूचित जातियों की दुर्गति साफ तौर पर उभरकर आती है। इस बात का विशेष महत्व है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी एक प्रमुख संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट

हमारे सभ्य समाज और लोकतान्त्रिक राज की असलियत से हमें अवगत कराती है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए0 एस0 आनन्द कहते हैं कि "संविधान में पर्याप्त प्रावधानों और अन्य कानूनों के बावजूद यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि सामाजिक अन्याय और अनुसूचित जातियों, जनजातियों एंव कमजोर तबकों का शोषण जारी है। भारत द्वारा अपने को एक गणतन्त्र घोषित करने के आधी सदी से अधिक समय बाद भी सामान्यतः तमाम अनुसूचित जातियों के लोगों एंव खासकर दलितों को जिस अपमान से गुजरना पड़ता है वह एक शर्म की बात है।" पूरी रिपोर्ट में इस 'शर्म की बात' के कारणों की शिनाख्त की कोशिश की गयी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लगभग 300 पृष्ठों की यह रिपोर्ट आंकड़ों के आधार पर पूरे देश में अनुसूचित जातियों दलितों की प्रताड़ना के आधार पर पूरे देश में अनुसूचित जातियों, दलितों की प्रताड़ना एंव पीडा को व्यापकता एंव गहराई से प्रस्तुत करती हैं। इसमें बताया गया है कि दलितों के नागरिक अधिकारों की रक्षा और उनके विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए बने कानूनों के तहत सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और बिहार व अन्य राज्य हैं। रिपोर्ट में कहा गया है "अनुसूचित जाति की औरतों पर अत्याचारों की सबसे कड़ी मार पड़ती है। सामूहिक बलात्कार का इस्तेमाल पूरे समुदाय के मनोबल को तोड़ने के एक हथियार के रूप मे होता है। औरतों के छोटे-मोटे झगड़ों के मामले में बाल मुंडवाकर निर्वस्त्र कर पूरे गाँव में घुमाने जैसी जिल्लत से गुजरना पड़ता है। मजहब के नाम पर देवदासी जैसी घृणित वेश्यावृत्ति प्रथा में धकेल दिया जाता है जिसमें ज्यादातर अछूतों की 6-8 वर्ष की लड़कियाँ ईश्वर को समर्पित कर दी जाती हैं। अन्ततः इन लड़कियों को शहरी चकलाघरों में बेंच दिया जाता है।" दुःखद तथ्य यह भी है कि तथाकथित सभ्य समाज की नई पीढ़ी भी वर्णवादी विचारधारा की सोच से उबर नहीं पाई है। अनुसूचित जातियों की स्थिति के प्रति एक गहरी उदासीनता है।

अनुसूचित जातियों के लिए सुधारवादी एंव कल्याणकारी कार्यक्रम

1924 से ही महात्मा गाँधी जी ने हरिजनों की समस्याओं को उठाना शुरू कर दिया था किन्तु उससे पहले भी कुछ प्रयत्न किए गए थे। उनमें से एक प्रमुख प्रयत्न था, 1916-1922 के बीच दलित वर्ग में शिक्षा को प्रोत्साहन देना। 1932 में अनुसूचित जाति की सामाजिक निर्योग्यताओं के निवारण हेतु 'हरिजन सेवक संघ' संगठित किया गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान में भी अनुसूचित जातियों की सामाजिक निर्योग्यताओं के निवारण हेतु कुछ प्रावधान किए गए थे। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने इन कार्यो को राजनैतिक दान की संज्ञा दी।

अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए "अनुसूचित जाति एंव जनजाति राष्ट्रीय आयोग" के रूप में एक कार्य व्यवस्था का निर्माण किया गया है। यह आयोग अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिए नीतियों एंव प्रकरणों पर कार्य करने हेतु सलाहकार समिति के रूप में गठित किया गया है। उसमें सामाजिक मानवशास्त्र, सामाजिक कार्य तथा अन्य समाज के विज्ञानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :–

1. अस्पृश्यता की सीमा तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के प्रति किए गये अपराधों एंव सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जातियों में अस्पृश्यता तथा उससे उत्पन्न सामाजिक भेदभाव एंव वर्तमान उपायों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

आयोग में एक अध्यक्ष तथा ग्यारह सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। हरिजन सेवक संघ, नई दिल्ली; हिन्दू भंगी सेवक संघ, नई दिल्ली; भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली इत्यादि अखिल भारतीय स्तर के कुछ प्रमुख संगठन हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक योजना में विशेष कार्यक्रमों के आकार पर निवेश में वृद्धि होती जा रही है। प्रथम योजना (1951-56) का व्यय 30.04 करोड़ रुपये से बढ़कर द्वितीय योजना (1956-61) 79.41 करोड़ रुपया हो गया। तृतीय योजना (1962-66) में 100.40 करोड़, चौथी योजना (1969-74) में 172.70 करोड़, पांचवीं योजना (1974-79) में 296.19 करोड़, छठीं योजना (1980-85) में 1337.21 करोड़ तथा सातवीं योजना (1985-90) में 1521.42 करोड़ रुपया हो गया। इन जातियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार ने भी अच्छी धनराशि व्यय की। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में से इनके कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में से कुछ इस प्रकार हैं :–

1. विविध सेवाओं में अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाओं (I.A.S.,I.P.S.) के लिए ट्रेनिंग एंव कोचिंग।
2. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मैट्रिक परीक्षा के उपरान्त आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान करना।
3. स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।
4. चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग, पाठ्यक्रमों के लिए इन्हें विशिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान करना।
5. विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए यात्रा खर्च तथा वजीफा प्रदान करना।

उपर्युक्त के अलावा शिक्षण संस्थाओं में इनके प्रवेश में सीटें आरक्षित हैं। इन्हें भर्ती तथा प्रमोशन में भी आरक्षण मिलता है। इनके लिए नौकरियों तथा शैक्षणिक क्षेत्र में पात्रता, आयु, योग्यता, अनुभव आदि में भी छूट देने का प्रावधान है। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक जाति-व्यवस्था की संरचना जारी रहेगी अस्पृश्यों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा। अनुसूचित जातियाँ एक न एक आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से प्रबल जातियों को स्वीकार करके (जो उच्च संस्कारिक स्थिति भी धारण किए रहती हैं) स्वंय के संस्कृतिकरण में अपनी शक्ति लगाती हैं और उसको आदर्श मानकर अपनी जीवन शैली को भी ऊँचा उठाने का प्रयत्न करती हैं। 1948 में सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के बावजूद भी अस्पृश्यों की दशा में सुधार नहीं हुआ। 1964 में सरकार द्वारा अस्पृश्यता से सम्बन्धित अध्ययन के लिए 'इरापापेरुमल कमेटी' गठित की गई। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन जातियों की आर्थिक एंव शैक्षणिक स्थिति अति दयनीय है।

नौकरियों में (1जनवरी 1980) भारतीय प्रशानिक सेवा में सेवारत कुल व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 9.9 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा (I.P.S.) में 9.8 प्रतिशत, भारतीय विदेश सेवा (I.F.S.) में 16.48 प्रतिशत, केन्द्रीय अधीनस्थ सेवा मे 13.1 प्रतिशत, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में, 13.29 प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्र में, 18.71 प्रतिशत निजी क्षेत्र संस्थानों के कार्यालय तथा घरेलू उद्योगों व हस्त शिल्प क्षेत्रों में 19.7 प्रतिशत था।[1]

शिक्षा में कुल अनुसूचित जाति के बच्चों की 20 प्रतिशत जनसंख्या में प्राइमरी स्तर पर उनकी प्रवेश संख्या 12.5 प्रतिशत थी। सेकेण्डरी स्तर पर 13.89 प्रतिशत हाईस्कूल स्तर पर 16.0 प्रतिशत तथा उच्च सेकेण्डरी स्तर पर 6.75 प्रतिशत थी। स्नातक स्तर पर कुल छात्रों में से 6.91 प्रतिशत अनुसूचित जाति के थे तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 7.64 प्रतिशत थे। उनका उत्तीर्ण प्रतिशत उच्च सेकेण्डरी स्तर पर 52.58 प्रतिशत था जबकि औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 61.88 प्रतिशत था। स्नातक स्तर पर सामान्य 57.1 प्रतिशत के विपरीत यह 35.01 प्रतिशत था। स्नातकोत्तर स्तर पर 75.85 प्रतिशत सामान्य औसत के विपरीत इनका प्रतिशत 69.8 प्रतिशत था। व्यावसायिक स्नातक कोर्सों में अनुसूचित जाति के छात्रों की कार्यशीलता और भागीदारी कमजोर नहीं थी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल छात्रों में से बी0 ई0 में अनुसूचित जाति के छात्र 14.4 प्रतिशत तथा एम0 बी0 बी0 एस0 मे 11.24 प्रतिशत थे। उनका एम0 बी0 बी0 एस0 में उत्तीर्ण प्रतिशत 35.0 प्रतिशत था जबकि औसत सामान्य प्रतिशत 62.0 प्रतिशत था और बी0 ई0 में सामान्य औसत 59.42 प्रतिशत के विपरीत 33.44 प्रतिशत था। ग्रामीण उद्योगों के कुल मालिकों मे से 20.3 प्रतिशत अनुसूचित जाति के थे। कुल शिल्पियों में उनका प्रतिशत

1. The Illustrated weekly of India, Jan 2-8 1993.

20.25 प्रतिशत था। गृह आवासीय योजना में भी 7.65 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जातियाँ ही थी। इन सबसे यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जातियों के सदस्य सामान्य शिक्षा एंव रोजगार सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं।

समय परिवर्तन के साथ-साथ समाज सुधरकों तथा मनीषियों ने नारी की शक्ति को स्वीकार किया। उनका मानना है कि "नारी परिवार की आधारशिला है और देश एंव समाज की प्रगति बहुत कुछ उसी के प्रयत्नों पर निर्भर करती है।" वर्तमान में स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक एंव राजनैतिक क्षेत्र में पुरुषों के सामान अधिकार प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि कोई भी राष्ट्र तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक वहाँ का समाज समर्थ न हो। समाज को समर्थ बनाने के लिए उसमें रहने वाले पुरुष ही नहीं बल्कि महिलायें भी समर्थ समाज का निर्माण कर सकती हैं एंव जब समाज समर्थ होगा तभी सशक्त होगा।

आज महिलायें सक्षम होते हुए भी सशक्त नहीं हैं। महिलाओं को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पुरुषों पर आश्रित रहना पड़ता है। महिलाओं से सहानुभूति रखने वाले लोग भी बदले में कुछ पाने की हसरत अपने मन में लिए घूमते रहते हैं,। ऐसे स्वार्थी लोग प्रतिभाशाली महिलाओं की तरक्की में आये दिन कोई न कोई बाधा खड़ी करते हैं। आज महिलायें हर मोर्चे पर परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। हर मोर्चे पर महिलाओं ने अपने वर्चस्व को साबित कर दिखाया है। सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, सैनिक आदि क्षेत्रों में महिलाओं ने प्रशंसनीय उपलब्धि अर्जित की है। आज स्त्री शिक्षा के महत्व को लोग भलीभांति समझने लगे हैं और विवाह में स्त्री-शिक्षा को प्राथमिकता दी जाने लगी है। यही कारण है कि "अधिकांश स्त्रियों की शिक्षा का उद्देश्य विवाह के लिए योग्यता बढ़ाना होता है न कि सुसंस्कृत बनाना।"[1] चूँकि स्त्री-शिक्षा पर खर्च किया गया धन प्रायः अनुत्पादक होता है इसलिए लोग इस ओर कम ध्यान देते है। फिर भी स्त्रियो की शिक्षा-व्यवस्था में व्यापक प्रगति हुई है जिसे देखते हुए श्री के0 एम0 पणिक्कर ने यह निष्कर्ष दिया है कि "स्त्री-शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाडी की धार तेज कर दी है जिससे हिन्दू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना संभव हो गया है।"[2] महिलाओं ने नए जमाने के अनुसार अपनी मानसिकता को बदलकर खुद में जो आत्मविश्वास पैदा किया है उसका नतीजा यह कि आज नारी की पहचान अबला नहीं बल्कि सबला के रूप में बन रही है।

महिलाओं में शिक्षा के प्रति एंव नौकरी करने के प्रति रुचि बढ़ी है, उससे प्रगति के नये द्वार खुले हैं। अगर हम बीते वर्षों पर एक निगाह डाले तो तस्वीर बहुत स्पष्ट नजर आती है। यह तस्वीर

1. Margaret Cormack; The Hindu Women, P. 51.
2. Pannikar, K.M; Hindu Society at Cross Road, P. 37.

बताती है कि महिलाओं ने देश-विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। कई ने तो पुरुष प्रधान क्षेत्रों में सफलता का परचम लहराया है। इसे देखते हुए एक बात और याद आती है कि 21वीं सदी को मेघा शक्ति की शताब्दी करार दिया गया है। महिलाओं के विकास का सबसे बड़ा परिचायक है लड़कों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्रों में उनका लगातार बेहतर और निखरता प्रदर्शन।

संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अध्ययन में पाया गया है कि अब सम्पूर्ण विश्व में 69 फीसदी लड़कियाँ माध्यमिक स्तर और 58 फीसदी परास्नातक स्तर की डिग्रियाँ हासिल कर रही हैं। शादी के बाद भी अधिसंख्य महिलायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में रुचि दिखा रही हैं। भारत सरीखे देश में ही विज्ञान और इंजीनियरिंग स्नातकों में महिलाओं की भागीदारी 45 फीसदी से अधिक है। इस आधार पर कह सकते हैं कि 2020 में महिलाओं के सापेक्ष पुरुषों को अच्छे वेतन वाले रोजगार हासिल करने में परेशानी आ सकती है। आर्थिक परिदृश्य में सिद्धान्त सीधा एंव सरल है। अगर महिलाओं को सशक्तिकरण हासिल करना है तो उन्हें आर्थिक मामलों में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। रोजगार के क्षेत्र में महिला भागीदारी पर एम0 एण्ड जे0 द्वारा कराया गया सर्वेक्षण चौंकाने वाला है। इनके मुताबिक वैश्विक श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 43 फीसदी बढ़ी है। इस क्रम में ह्यूमन इंडेक्स स्टडी के अनुसार 15 वर्ष से ऊपर की उम्र वाली 51 फीसदी महिलायें आर्थिक स्तर पर सक्षम हैं। पहले की तुलना में महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ी है। इसके लिए आधुनिक तकनीक और महिलाओं की विशिष्ट प्रबन्धकीय क्षमतायें जिम्मेदार हैं।

आज की महिलायें पुरुष आधिपत्य वाले क्षेत्रों में भी अपना स्थान तेजी से बनाने लगी हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि आज की महिलायें भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं बल्कि इसलिए भी कि अब यह एक अध्ययन से सिद्ध हो चुका है कि वाक्पटुता, आंकलन और तार्किक क्षमता से महिलायें भी पुरुषों से कम नहीं हैं। यही वजह है कि कामकाजी महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। इससे सामाजिक ढाँचे में व्यापक बदलाव आ रहा है। अब आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने से महिलायें और अधिक अधिकार मांगने लगी हैं। यही नहीं अपनी जरूरतों के न पूरे होने या पति द्वारा बराबरी का सम्मान न मिलने पर वह अलग होने से भी गुरेज नहीं कर रही है। अधिसंख्य महिलायें आज अपनी शर्तों पर एकल जीवन व्यतीत कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज इन्हें स्वीकार भी कर रहा है। सूचना तकनीकी के इस दौर में महिलाओं की अपने अधिकारों और उपलब्ध अवसरों के प्रति जागरुकता बढ़ी है और इसका प्रभाव समाज पर स्पष्ट देखा जा सकता है। इन सब आधारों पर हम कह सकते हैं कि मध्य-पूर्व में महिलाओं को आने वाले समय में और सम्मान प्राप्त होगा।

अफगानिस्तान में बलियान प्रान्त के गर्वनर के तौर पर पहली महिला हबीबा सारबी की नियुक्ति, कुवैत में महिलाओं को मतदान और चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी की इजाजत राजनैतिक

परिदृश्य में एक शुभ संकेत माना जा सकता है। इन संकेतों के आधार पर कह सकते हैं कि आने वाले कल में विश्व की महिलाओं के साथ-साथ छोटे-छोटे विकसित एंव विकासशील नगरों की महिलाओं का भविष्य भी सुनहरा होता चला जायेगा। आज की हर महिला अपने घर के कार्यों के साथ-साथ अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रही है। पढ़ी-लिखी महिलायें दूसरों की खुशियों, इच्छाओं और जरुरतों के आगे उस तरह समर्पण नहीं करतीं जिसकी उम्मीद हमारे समाज में की जाती हैं। वे अपनी समझ एंव सूझ-बूझ से काम लेती है वे समानता का हक चाहती हैं एंव ज्यादतियों का विरोध करती हैं। मददगार संस्थाये जैसे – सुमैत्री, विमहंस, संजीवनी तथा अहसास के आँकड़ों के अनुसार अनपढ़ महिलाओं की तुलना में पढ़ी-लिखी महिलायें अवसाद की ज्यादा शिकार होती हैं।

वर्तमान समय में स्त्रियों को हर प्रकार शिक्षा, साहित्यक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक और औद्यागिक कार्य प्राप्त होने की सुविधायें दी गयी हैं। आज की स्त्री घर की दासी नहीं बल्कि घर की स्वामिनी मानी जाती है। घर में उनका दायित्व केवल चूल्हे तक नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका संरक्षण तथा नियन्त्रण है। कभी-कभी स्त्रियों को गृहमंत्री के नाम से भी सुशोभित किया जाता है।

सदियों से स्त्रियाँ आर्थिक प्रवृत्ति में किसी न किसी रुप में अपना योगदान देती रही हैं परन्तु भारत में प्रायः स्त्रियों का घर से बाहर कार्य करने में पाबन्दी रही है। लेकिन 19वीं सदी की समाप्ति के बाद सभी देशों में श्रमजीवी वर्ग मे स्त्रियों के स्थान का महत्व बढ़ता गया। अमरीका में 33 प्रतिशत, जर्मन फेडरल रिपब्लिक मे 36 प्रतिशत, पालैण्ड में 44.8 प्रतिशत, सोवियत संघ में 45 प्रतिशत तथा भारत में 27 प्रतिशत स्त्रियाँ किसी न किसी रुप मे कार्यरत हैं।[1] भारत में निम्न वर्ग या अनुसूचित जाति की स्त्रियाँ तो बहुत पहले से घर के बाहर कार्य करती आ रही हैं परन्तु ये स्त्रियाँ प्रायः मजदूरी, कृषि श्रमिक जैसे कार्यो में संलग्न थीं। 19वीं सदी में इनसे खेतों में जोतने-निराने का कार्य और पत्थर की खानों तथा चाय के बगानों में कार्य करवाया जाता था। यह स्थिति वर्षों बाद भी बनी रही। 1971 की जनगणना के अनुसार देश की कुल कार्यशक्ति (Work Force) में 13% महिला श्रमिक थी यह प्रतिशत 1981 में 25.89 और 1991 में 28.57 हो गया।[2] इन महिला श्रमिकों में अधिकांशतः निम्न वर्ग की महिलायें हैं। अधिकांश अनुसूचित जातियाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित रखी गुई हैं। भारतीय संविधान में इनके लिए विशिष्ट व्यवस्था की गई तथा सरकार ने शिक्षण संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में इनके पदों के आरक्षण की नीति का अनुसरण किया है फिर भी इनमें से अधिकांशतः इन उपधाराओं से लाभ नहीं उठा सकी हैं। इन समूहों में महिलायें अधिक वंचित रखी गई है। इसका प्रमुख कारण है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रतिबन्ध। अधिसंख्या अनुसूचित जाति

1. Women's International Democratic Federation, 4th Congress Qeoted Form Report, P 13.
2. The Hindustan Times, April 6,1993, New Delhi.

की महिलायें पर्यावरणीय प्रतिबन्ध के कारण सरकारी सेवाओं से वंचित हैं। जहाँ तक नौकरियों का सम्बन्ध है महिलाओं पर इनके वेतन में कोई भेदभाव नहीं है परन्तु अधिकतर महिलायें अध्यापिका, नर्स, टाइपिस्ट और आशुलिपिक जैसी सरकारी सेवाओं तक ही संकेन्द्रित हैं। बहुत कम महिलायें ऐसी हैं जो प्रशानिक, तकनीकी कार्यों में उच्च स्थान प्राप्त कर पाती है। शहरी क्षेत्रों में यद्यपि शिक्षित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है तथापि नौकरियों में पुरुषों और महिलाओं के बीच खाई बहुत अधिक है। इसके कुछ प्रमुख कारण निम्न है :–

1. अपनी घरेलू भूमिका के लिए लड़कियाँ सामान्यतया सामाजिक बनायी जाती हैं।
2. लड़कियों के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए कम निवेश करना और पुरुष एंव महिला की जमी जमाई धारणाओं द्वारा उद्यम की अभिरुचि निर्धारित करना और लड़कियों की शिक्षा से निम्न प्रत्याशायें करना जिसे भविष्य के लिए निवेश के रूप मे देखा जाता है।
3. लड़कियों द्वारा ज्यादातर संकेन्द्रण व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यकमों की बजाय मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में होता है।
4. विवाह के पश्चात् महिलाओं की शारीरिक गतिशीलता का कम हो जाना।

आज विकसित समाज में महिलायें अपनी प्रस्थिति के उत्थान में लगी हैं जबकि विकासशील देशों में आज भी उनके अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। महिला उत्थान के लिए महिला दशक में सयुक्त राष्ट्र संघ ने तीन मुख्य उद्देश्य रखे थे :–

1. समानता
2. विकास
3. शान्ति

भारत में अधिकांश सरकारी सेवारत अनुसूचित जाति की महिलायें समूह 'ग' तथा 'घ' वर्ग की सेवाओं में कार्यरत है। वे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षिकायें,सरकारी कार्यालयों मे क्लर्क, टाइपिस्ट, आशुलिपिक या फिर नर्स या दाई आदि पदों पर कार्यरत हैं। भारत में 152 स्त्रियों के सर्वेक्षण से पता चला है कि 67 प्रतिशत स्त्रियाँ आर्थिक तंगी के कारण नौकरी करने को बाध्य होती हैं। 5 प्रतिशत चूँकि उन्हें काम करना पसन्द है, इसलिए काम करती हैं। 4 प्रतिशत का मानना है कि नौकरी करने से स्त्री शक्ति में वृद्धि होती है। 5 प्रतिशत स्त्रियाँ समय का सदुप्रयोग करने के लिए तथा 2 प्रतिशत नौकरी की इच्छा से तथा 1 प्रतिशत आर्थिक स्वाधीनता के लिए बढ़ते हुए दैनिक परिवारिक खर्च को पूरा करने के लिए ही नौकरी करती हैं। काम के लिए बाहर जाना या घर में रहना उनकी इच्छा तथा मर्जी पर निर्भर नहीं रहता। नौकरी के लिए घर से बाहर निकलना उनके लिए एक व्यवस्था है। आज भी अनुसूचित जाति के प्रति समाज का उच्च वर्ग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वे अनुसूचित जाति के सदस्यों

को उपेक्षा एंव हीन दृष्टि से देखते हैं। उनकी क्षमताओं को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। आज जबकि सभी सरकारी सेवाओं मे अनुसूचित जाति के सदस्य कार्यरत हैं, विशेषकर जहाँ-तहाँ अनुसूचित जाति की महिलायें कार्यरत हैं वहाँ इन महिलाओं के सम्मुख दो तरह की समस्यायें हैं :–

1. वे समस्यायें जो सभी सेवारत महिलाओं की हैं।
2. वे समस्यायें जो इन महिलाओं का अनुसूचित जाति से संबधित होने के कारण हैं।

दूसरी समस्या से सम्बधित होने के कारण इन्हें निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है :–

1. साथी कर्मचारियों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार
2. इनकी योग्यताओं पर संदेह
3. जाति सूचक टिप्पणियाँ
4. यौन उत्पीड़न

परन्तु इन सबके अतिरिक्त सरकारी सेवाओ में जाने से इन महिलाओं में आर्थिक सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है। इनका सामाजिक स्तर बढ़ा है। इन महिलाओं की सोंच में परिवर्तन आया है। साथ ही साथ इनके प्रति समाज के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। अधिकतर अनुसूचित जातियों के परिवार भूमिहीन या छोटे कृषक होते हैं वे प्रायः कृषि श्रमिक या शहरों में मजदूरी करके पेट पालते हैं। उच्च शिक्षा न मिलने के कारण इनके बच्चे भी दैनिक मजदूरी जैसे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इनकी जीवन दशा प्रायः निम्न स्तर की होती है, जिनके कारण इनमें विसंगतियाँ पैदा हो जाती हैं। ये लोग आर्थिक तंगी के कारण ये अधिक से अधिक कर्ज से ग्रसित रहते है, जिसके कारण संतुलित आहार न मिलने के कारण इनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं।

वर्तमान समय में अनुसूचित जाति की महिलाओं के सरकारी सेवाओं में कार्यरत होने से इनकी परिवारिक आय में वृद्धि हुई है। ऐसे परिवारों का जीवन स्तर ऊँचा उठा है जो कर्जमुक्त हैं। इनके बच्चे भी सुदृढ़ होकर शिक्षा गृहण कर रहे हैं। इनके पद और प्रस्थिति में परिवर्तन आया है। इनको अन्य सेवारत महिलाओं की तरह आफिस एंव परिवार के बीच दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। इन महिलाओं के धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन आया है। अनुसूचित जाति की सेवारत महिलाओं ने कर्मकाण्डों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों एंव परम्पराओं का त्याग लगभग पूरी तरह से कर रही हैं। साथ ही कुछ महिलायें अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु चलाये जा रहे आन्दोलनों में भाग लेती दिखाई पड़ जाती हैं। इस प्रकार देखने में यह आया है कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत महिलाओं की राजनीतिक चेतना एंव सहभागिता में वृद्धि हुई है।

समतावादी एंव तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि होने के कारण आज उपेक्षित एंव सुविधाओं से वंचित महिलाओं के नजरिये में परिवर्तन आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 को अन्तराष्ट्रीय महिला

वर्ष घोषित किया एंव उनके उत्थान की दिशा में अनेक प्रयास किए। 1980 में कोपेनहेंगेन में हुए ''संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन'' में यह स्वीकार किया गया कि विश्व की आधी आबादी स्त्रियों की है। इसी समय में ही भारत सरकार ने 1975 में 'टू वार्ड इक्विलिटी' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित कर भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति एंव भूमिका सम्बन्धी जानकारी प्रदान कराने में सफल रूप से सहायता पहुँचायी है। यह रिपोर्ट महिलाओं के उत्थान की दिशा में होने वाले प्रयत्नों उनके वर्तमान स्वरूप की चर्चा करने में सहायक ही नहीं हुई है बल्कि उनके सम्बन्ध में नई सोच एंव अन्वेषण की दिशा मे बढ़ते हुए प्रयासों में मार्गदर्शक भी प्रमाणित हो सकती है।

अब समाजशास्त्री तक मानने लगे हैं कि आज की महिलायें पहले की तुलना में विविध कार्यों को अंजाम देने लगी हैं। इस नई पीढ़ी की महिलाओं को उन अनजान क्षेत्रों में कदम रखने में भी कोई भय नहीं है जो अब तक उनके लिए वर्जित माने जाते थे। अतः हम कह सकते है कि आज की नारी सकारात्मक सामाजिक विकास के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ और अपने द्वारा अर्जित सफलता के बलबूते बदलाव का खाका तैयार कर रही है। हारवर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष लारेंस एवं समर्स कि विज्ञान और गणित के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी क्रमिक विकास की कमी के क्रम में एक प्रमुख कारण लिंगानुपात है। भारत में कई क्षेत्रों समेत अन्य देश में भी भ्रूण हत्या बदस्तूर जारी है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिलों में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। 2001 की जनगणना के भयावह आँकड़े जब सामने आए थे तो स्त्री पुरुष अनुपात के गिरते स्तर पर गैर सरकारी संगठनो समेत तमाम लोगों ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से आवश्यक कदम उठाने को कहा था। 1981 में लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 900 लड़कियों का था। इसके बाद के दो दशकों में यह अनुपात तेजी से गिरा और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 800 तक आ गई। लिंग अनुपात के इस भारी अन्तर में अन्य राज्य भी पीछे नही है। सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में भी स्त्री-पुरुष अनुपात में जबरर्दस्त अन्तर प्रति 1000 पुरुषों पर 900 महिलायें देखने में आया है। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने संयुक्त रूप से यह पाया कि 'मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेन्सी एक्ट' की आड़ में कन्या भ्रूण हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। अधिकांश भारतीय परिवार आज भी पुत्र मोह से उबर नहीं पाये हैं। ऐसे परिवारों मे उनके ही घर की महिलाओं का दर्जा इससे तय होता है कि वह एक बेटे की माँ है या बेटी की।[1] परन्तु इन सबके बावजूद भी लड़कियाँ एंव महिलायें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ओहदों पर अपने वजूद को आज भी कायम किए हुए हैं।

1. दैनिक जागरण, 15 जुलाई 2006, कानपुर संस्करण।

भारत के माहौल में खुलापन आने और लड़के-लड़कियों की शिक्षा मे विभेद कम होने के बावजूद विज्ञान, तकनीकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। इन दिनों कामकाजी महिलायें दो भूमिकायें एक साथ अदा कर रही हैं। आफिस के लिए उनके शब्दकोश में प्रेमपूर्वक शब्दों की भरमार है पर घर पर आकर उनकी भाषा तल्ख हो जाती है। पूरी दुनिया में महिलाओं की पारिवारिक एंव सामाजिक स्थिति आंकने का मौका मिला है और वह मौका दिया है 'विश्व महिला दिवस' ने। बदलते दौर में आज लगभग हर गाँवों और शहरी इलाकों में अनुसूचित जाति की महिलाओं ने अपनी स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया है। इन सबके बावजूद यह कड़वा सच कई बार बहुत सोचने को मजबूर करता है कि क्या सही मायने में महिलायें खुद को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकती हैं ? कई स्थानों पर तो महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी तक नहीं होती। जब समाज द्वारा किसी पहलू पर 'फोकस' डाला जाता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्या तो हल हो ही जाती है। महिलाओं की वर्तमान स्थिति, अपेक्षाएँ, विचारधारा सरीखे बिन्दुओं पर जानकारी भी समाज के एक अंग द्वारा जुटाई जा सकती है। बदलते दौर में अपने पैरों पर खड़ी महिला को सफल माना जा सकता है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं ने आज परिवार में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही अपनी भूमिका निभायी और जरूरत पड़ने पर मिल जुलकर मेहनत और संघर्ष के साथ हर मुश्किल का सामना बड़ी दिलेरी के साथ किया। अनुसूचित जाति की महिलाओं ने तमाम मोर्चों पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभायी। इनकी भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। केवल दफ्तर में खुद को साबित करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि घर से लेकर सामाजिक परिवेश तक भी महिलाओं को अपनी भूमिका गंभीरता से निभानी चाहिए और यही इन महिलाओं ने आज साबित भी कर दिया है। वर्तमान समय में महिला संगठनों से बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए महिलाओं को स्वयं आगे आकर अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। स्त्री असुरक्षा की भावना से मुक्त होकर अपनी पहचान बनायें तभी उसे कामयाबी का शिखर मिल सकता है।

स्त्री पुरुष की बदलती भूमिकाओं और उनकी बढ़ती स्वीकार्यता के सन्दर्भ में अब सफल महिलाओं के लिए कहा जाने लगा है कि प्रत्येक सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। आधुनिक पुरुष ने महिलाओं को प्रोत्साहित ही नहीं किया बल्कि उन्हें अपना एक अलग मुकाम बनाने मे हर संभव मदद भी कर रहा है। भारत में इस तरह का बदलाव धीर-धीरे हो रहा है जो अभी सिर्फ महानगरों तक ही सीमित है। परिवार के प्रोत्साहन का ही यह कमाल है कि लड़कियाँ अब प्रतिस्पर्धा में लड़कों से बाजी मार रही हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं ने हर क्षेत्र में विकास किया है। स्त्रियों ने अपने जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र और पहलू को व्यापक बना लिया है। कड़ी प्रतिस्पर्धा भरे इस माहौल

में स्त्रियाँ अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ करके स्वयं को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है और अपनी सम्पूर्ण छवि को बुद्धिमान और परिश्रमी नारी के रूप में स्थापित किया है। आज इन्होंने व्यावसायिक, व्यक्तिगत, शारीरिक और भावनात्मक स्तर में खुद बदलाव लाने का भरसक प्रयास किया है और स्त्री अपनी ऐसी गतिविधियों में सफल भी हुयी है। आमतौर पर जब तक कोई लड़की अध्ययन, खेल, प्रशिक्षण या अन्य किसी कार्य में व्यस्त है तब तक गृहस्थी के बोझ से मुक्त है। तमाम अवरोधों के दूर होने के बावजूद कुछ ऐसा है जिससे अभी भी महिलायें विशेष रूप से लड़कियाँ मुक्त उड़ान नहीं भर पा रही हैं।

इण्डियन साइंस एकेडमी द्वारा पिछले वर्ष कराये गये एक अध्ययन में पाया गया कि विज्ञान, तकनीकी और इंजीनियरिंग में अच्छी खासी संख्या में महिलाओं के स्नातक करने के बावजूद परम्परागत भूमिकाओं के फेर में बहुत ही कम बतौर कैरियर अपने-अपने क्षेत्र को अपना सकीं। इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उन्हें घर-परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाली महिला के तौर पर ही देखा जाता है। इन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की कम भागीदारी ही शायद सबसे बड़ी और प्रमुख वजह है।

इस प्रकार 21वीं सदी की नारी दोयम दर्जे की है। महिलाओं के प्रति जब तक संकीर्ण मनोवृत्ति का त्याग नहीं किया जाएगा तब तक उनको उच्च स्थान पर आसीन नहीं किया जा सकेगा। आधुनिक नारी की प्रेरणा पश्चिमी नारी न होकर प्राचीन भारतीय नारी है। जिन प्राचीन नारियों का नाम भारतीय इतिहास मे अमर है आवश्यकता है अपने अतीत के गौरव को पुनः प्राप्त करने की, उससे प्रेरणा लेने कि भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके।

अध्याय द्वितीय

पद्धतिशास्त्र

अध्याय द्वितीय
पद्धतिशास्त्र

मानव एक सामाजिक प्राणी है और शुरू से ही वह एक जिज्ञासु प्राणी रहा है क्योंकि उसने सदैव प्रकृति को समझने एवं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव सतत् प्रयास किया है। वास्तव में सभ्यता एवं संस्कृति का विकास मानव की इसी जिज्ञासा द्वारा प्रेरित अपने पर्यावरण को निरन्तर रूप से समझने के प्रयासों का ही परिणाम है। आज प्रकृति को समझने तथा सामाजिक जीवन के बारे मे नवीन ज्ञान प्राप्त करने के प्रयासों को ही अनुसंधान कहा जाता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन व घटनाओं के बारे में अधिक से अधिक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में सामाजिक अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक पद्वति के प्रयोग से सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और मानव व्यवहार के बारे में प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्य सिद्वान्तों का निगमन करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन और घटनाओं के कारणों, अन्तः क्रियाओं आदि का वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक पद्वति है जिसका उद्देश्य सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के बारे में क्रमबद्ध तथा तार्किक पद्वतियों के द्वारा शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है और इस प्राप्त ज्ञान के आधार पर सामाजिक घटनाओं में पाये जाने वाले स्वाभाविक नियमों का पता लगाना है। अब यह माना जाता है कि सामाजिक घटनाओं के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भौतिक घटनाओं के अध्ययन की भाँति निरीक्षण, परीक्षण की विधियों को अपनाना होगा। यही कारण है कि सामाजिक घटनाओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्वतियों का अनुसरण करना आवश्यक है क्योंकि "विज्ञान का सम्बन्ध वैज्ञानिक पद्वति से है न कि अध्ययन वस्तु से"।[1] प्रायः वैज्ञानिक पद्वति के अन्तर्गत सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित एवं निष्पक्ष निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण को सम्मिलित किया जाता है। किसी भी शोध के आयोजन के कुछ प्रमुख चरण होते है जो इस प्रकार है –

1. **समस्या का चुनाव**– प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान की शुरुआत किसी समस्या या प्रश्न से प्रारम्भ होती है। अतः अध्ययन कार्य प्रारम्भ करने से पहले अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले समस्या से सम्बन्धित विषय का सावधानीपूर्वक चयन कर लेना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को समस्या तथा विषय के

---

1. Pearson, Karl; The Grammer of Science.

चुनाव में गवेषक अभिरुचि, अध्ययन क्षेत्र और उसकी परिस्थिति का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए। प्रस्तुत शोध विषय "झाँसी महानगर की सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन" है।

2. **अनुसंधान पद्धति**– अनुसंधान पद्वतिशास्त्र की दृष्टि से तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है, जब तक कि वह किसी शास्त्र की दृष्टि से विशिष्ट प्रारूप में अभिव्यक्त न हो। इस दृष्टि से इस शोध कार्य को "एक्सप्लेनेटरी अनुसंधान प्रारूप" के अन्तर्गत रखा जा सकता है। यह प्रारूप प्रायः प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के तथ्यों में प्रयुक्त किया जाता है।

3. **अध्ययन साधनों एवं विधियों का चुनाव**– दूसरे चरण में अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध साधनों एवं समय को ध्यान में रखकर अध्ययन की दृष्टि से सामग्री संकलन के लिए यंत्रो व उपकरणों का चुनाव करना पड़ता है। इन्हीं साधनों के द्वारा उपकल्पना की सत्यता एवं असत्यता की परख की जाती है। साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची आदि प्राथमिक सामग्री संकलन की प्रमुख विधियाँ हैं। प्रस्तुत अध्ययन मे शोधकर्त्री ने प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है। इतना ही नहीं शोधकर्त्री ने द्वितीयक सामग्री के रूप में प्रकाशित एवं अप्रकाशित, सरकारी एवं गैर सरकारी रिकार्डों का भी संकलन किया है।

4. **अवलोकन**– अध्ययन क्षेत्र में साधनों एवं विधियों का चुनाव हो जाने के बाद अनुसंधानकर्ता समस्त मानवीय ज्ञानेन्द्रियों का यथाशक्ति परिस्थितियों और समय के अनुसार उपयोग करके तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन करता है। आगस्ट काम्ट ने अनुभव किया कि यदि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधारों का विषय बनाना है तो निरीक्षण प्रविधि द्वारा उसकी विषय-वस्तु का अध्ययन होना चाहिए। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन पर बल दिया। अवलोकन या प्रेक्षण प्राथमिक संकलन की वह प्रविधि है जिसमें आँखों द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक स्रोतों का विचारपूर्वक संकलन किया जाता है। साथ ही साथ इस विधि में शोधकर्ता अध्ययन के अन्तर्गत आये समूह के दैनिक जीवन में भाग लेते हुए अथवा उनसे दूर रहकर उनके सामाजिक व्यवहारों का अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा निरीक्षण करता है।

5. **वर्गीकरण एवं विश्लेषण**–यह वैज्ञानिक पद्वति का महत्वपूर्ण चरण है। वर्गीकरण का अभिप्राय बिखरे पड़े तथ्यों को समानताओं अथवा भिन्नताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में उनके क्रमानुसार रख देना होता है। वर्गीकरण के पश्चात् सामग्री का विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न सारणियों, संकेतन तथा छायाचित्रों के माध्यम से सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है वह गुणात्मक होती है।

6. **सामान्यीकरण**– विश्लेषण के बाद वैज्ञानिक पद्वति का अन्तिम चरण सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अभिप्राय वर्गीकृत सामग्री को ऐसे छोटे से छोटे रूप में प्रस्तुत करना होता है। सामान्यीकरण में निम्न रूप से मुख्य विधियों का सहारा लिया जाता है –

1. **तार्किक विधि** – इस विधि में तर्कसंगत आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते है।
2. **सांख्यिकीय विधि** – जब सामग्री की गणनात्मक विवेचना की जाती है तो सांख्यिकीय प्रक्रियाओं द्वारा सामान्यीकरण किया जाता है।
3. **आगमन एवं निगमन पद्धति** – आगमन विधि का तात्पर्य यह है कि एक इकाई को उस जैसे समस्त समूह पर लागू करना। किसी सामान्य नियम को किसी विशिष्ट इकाई पर लागू करके देखा जाता है तो वह निगमन पद्वति कहलाती है।

सामाजिक सर्वेक्षण

सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के Survey शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। अंग्रेजी शब्द Survey फ्रेंच भाषा के Sur और Veeir दो शब्दों से मिलकर बना है। Sur का अर्थ ऊपर (Over) तथा Veeir का अर्थ देखना (To see) है। इस प्रकार सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ है "ऊपरी तौर पर देखना"। परन्तु वर्तमान में सामाजिक विज्ञानों में आज सर्वेक्षण का तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन से सम्बन्धित इकाइयों का स्वयं अवलोकन करता है और पक्षपात रहित ढंग से तथ्यों को एकत्रित करके समान्य निष्कर्ष निकालता है। इसी आधार पर यह कहा गया है कि "एक समुदाय के सम्पूर्ण जीवन अथवा इसके विशेष पक्ष जैसे – स्वास्थ, शिक्षा, मनोरंजन आदि से सम्बन्धित व्यवस्थित एवं पूर्ण रूप से तथ्य-विश्लेषण को ही सर्वेक्षण कहा जाता है।"[1]

सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकिया को ध्यान में रखते हुए इसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। ये परिभाषायें तीन दृष्टिकोणों पर आधारित हैं :–

1. **वैज्ञानिक पद्धति के रूप में** – इस श्रेणी के अन्तर्गत वे विद्वान आते हैं जो कि सामाजिक सर्वेक्षण की विवेचना एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में करते हैं। जैसे एच0एन0 मोर्स ने लिखा है कि सामाजिक सर्वेक्षण कुछ परिभाषित उद्देश्यों के हेतु किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति अथवा समस्या अथवा जनसंख्या का वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप में विश्लेषण करने की केवल एक पद्धति है।[2]

---

1. फेयरचाइल्ड, एच0पी0; डिक्शनरी आफ सोशियोलाजी, 1956 ।
2. मोर्स, एच0 एन0; सोशल सर्वे इन टाउन एण्ड कन्ट्री एरियाज, 1924।

2. **सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओं के अध्ययन के रूप मे** – इस श्रेणी में वे विद्वान आते हैं जो कि अपनी परिभाषा में इस बात पर बल देते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन है। ए0एफ0 वेल्स के अनुसार साधारणतौर पर सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं व क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।[1]

3. **सामाजिक प्रगति एवं सुधार के अध्ययन के रूप में** – इस श्रेणी में वे विद्वान आते हैं जो कि इस बात पर बल देते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक घटनाओं का अध्ययन समाज सुधार के उद्देश्य से करता है। ई0डब्ल्यू0 बर्जेस के अनुसार "किसी समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास का रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु उसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है।"[2]

सामाजिक अनुसंधान का अर्थ

जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक जटिलताओं से सम्बन्धित होता है तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक शोध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके लिए आनुभविक या अनुभव सिद्व तथ्यों (Empirical Facts) का पता लगाया जाता है। निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण और सत्यापन के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कारणों को जाना जाता है। इसके साथ ही साथ मानव-व्यवहार से सम्बन्धित सामान्य नियमों का पता लगाया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्वति का सहारा लेते हुए अवलोकन तथा सत्यापन को विशेष रूप से काम में लाते हैं। सामाजिक अनुसंधान में सबसे पहले किसी व्यवहार, घटना या समस्या से सम्बन्धित मूलभूत तथ्यों का अवलोकन किया जाता है ताकि उसकी सामान्य प्रकृति को भलीभाँति समझा जा सके। इसके बाद उन सामाजिक नियमों का पता लगाया जाता है जो एक विशेष घटना व्यवहार और समस्या के पीछे छिपे कारणों का पता कर सकें। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान एक व्यवस्थित पद्वति है जिसमें सामाजिक तथ्यों की वास्तविकता, उनके कार्य-कारण सम्बन्धों एवं प्रक्रियाओं के बारे में क्रमबद्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न–भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है :–

फिशर के अनुसार "किसी समस्या को हल करने या एक उपकल्पना की परीक्षा करने या नये घटना क्रम या उससे नये सम्बन्धों को खोजने के उद्देश्य से उपयुक्त पद्वतियों का सामाजिक परिस्थितियों मे जो प्रयोग किया जाता है उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं।"

1. Wells, A.F; The Local Social Survey in Britain, 1960, P. 7.
2. Burgess, E.W; 'Social Survey – A Field for Constructive Survice' by Department of Sociology, American Journal of Sociology, XXI (January, 1916), P. 492

रैडमैन एवं मोरी के अनुसार "नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं।"

सी० ए० मोजर के अनुसार "सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गयी व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है।"[1] .

श्रीमती पी०वी० यंग के अनुसार "सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षण एवं उनमें पाये जाने वाले अनुक्रमों, अन्तःसम्बन्धों, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।"[2]

इस प्रकार इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक अनुसंधान खोज की ऐसी पद्धति है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के सन्दर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन की समस्या के सम्बन्ध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने और जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण द्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाता है और वस्तुस्थिति की तार्किक ढंग से विवेचना की जाती है।

सामाजिक अनुसंधान के चरण – सामाजिक शोध की प्रक्रिया को अधिक गहराई के साथ समझने की दृष्टि से शोध प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों का उल्लेख करना आवश्यक है :–

1. समस्या या विषय का चुनाव
2. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन
3. इकाइयों का निर्धारण
4. प्राक्कल्पना का निर्माण
5. अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण
6. सूचनादाताओं का चुनाव
7. सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण
8. उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण
9. तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन
10. तथ्यों का सम्पादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन

---

1. Moser, C.A; Survey Methods in Social Investigation, Heinemann, London, 1961, P. 3.
2. Young, P.V; Scientific Social Survey and Research, Asia Publishing House, Bombay, 1960, P. 44.

11. तथ्यों का विश्लेषण व विवेचना

12. सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिवेदन ।

अनुसंधान प्रारूप

सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन के लिए समस्या के चुनाव के बाद प्रारूप (अभिकल्प) के निर्धारण का प्रश्न उपस्थित होता है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक अनुसंधान का एक ऐसा प्रकार अपनाया जाये जो समस्या के अध्ययन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त एवं सुविधाजनक हो। अनुसंधान अभिकल्प सामग्री के संकलन की त्रुटियों को कम करके मानव श्रम की बचत करता है।

आर0एल0 एकाफ के अनुसार "निश्चयों को क्रियान्वित करने की दिशा में उस परिस्थिति की उत्पत्ति से पूर्व निश्चयों के निर्धारण का एक प्रक्रम है। यह एक संभावित स्थिति को नियन्त्रण में लाने की दिशा में एक निश्चयपूर्ण प्रक्रिया है।"[1] सामाजिक अनुसंधान हेतु किस प्रकार की प्ररचना को अपनाया जाए, इसका निश्चय अध्ययन हेतु चुनी गयी समस्या और उससे सम्बन्धित उपलब्ध ज्ञान के द्वारा होता है। सामाजिक अनुसंधान की प्ररचनायें तीन प्रकार की होती हैं :–

1. अन्वेषणात्मक या निरुपणात्मक शोध प्ररचना

2. वर्णनात्मक शोध प्ररचना

3. परीक्षणात्मक शोध प्ररचना।

1. अन्वेषणात्मक या निरुपणात्मक शोध प्ररचना – सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का आरम्भ समस्या के चुनाव से होता है। समस्या का चुनाव करते समय उसके सामाजिक महत्व, प्रमाणिक तथ्यों की उपलब्धता को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ऐसी समस्या का चुनाव ज़िसके सम्बन्ध में यह सभी सुविधायें उपलब्ध हो सकें यह केवल अन्वेषणात्मक या निरुपणात्मक अध्ययन के द्वारा ही सम्भव है। समाज विज्ञान के लिए किसी क्षेत्र में जहाँ शोधकार्य द्वारा अवर्णित ज्ञान सीमित है और जहाँ सिद्धान्त का परीक्षणात्मक अनुसंधान के निर्देशन की दृष्टि से सीमित व संक्षिप्त है वहाँ एक उपयोगी प्राक्कल्पना के निर्माण के लिए अन्वेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अन्वेषणात्मक अध्ययन में किसी सामाजिक घटना के कारणों की खोज तथा प्राक्कल्पना के निर्धारण से सम्बन्धित होता है। अतः सैल्टिज, जहोदा आदि का कहना ठीक ही है कि "अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो अधिक निश्चित अध्ययन प्ररचना या प्राक्कल्पना के निरूपण में सहायक होता है।"[2] अन्वेषणात्मक शोध में तीन विधियाँ सहायक होती हैं :–

---

1. Ackoff, R.L; Design of Social Research, P. 5.
2. Selltiz, Jahoda, Deutsch, Cook; Research Methods in Social Relations, P. 33.

1. सामाजिक विज्ञान या अन्य सम्बन्धित साहित्य का पुनरीक्षण।
2. अध्ययन समस्या से सम्बन्धित अनुभवी व्यक्तियों का सर्वेक्षण।
3. अर्न्तदृष्टि-प्रेरक उदाहरणों का विश्लेषण।

2. विवरणात्मक और निदानात्मक शोध प्ररचना – सामाजिक शोध मूलरूप से दो प्रकार की समस्याओं से सम्बन्धित होते हैं। पहला समस्या के सामान्य नियमों की खोज करना और द्वितीय विशिष्ट परिस्थितियों के निदान से सम्बन्धित होती है। एक विवेकशील एवं स्वस्थ सामाजिक क्रिया की यह विशेषता होती है कि वह अनुसंधान से सम्बन्धित दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। इसके लिए वर्णनात्मक और निदानात्मक शोध अध्ययनों की आवश्यकता होती है। वर्णनात्मक अध्ययनों का प्रमुख उद्देश्य चुनी गयी समस्या के सम्बन्ध में पूर्ण एवं यथार्थ सूचनाएँ प्राप्त करना होता है। इसके लिए पक्षपात या अभिनति से बचाव एवं अनुसंधान के प्रयासों की मितव्ययता आवश्यक है। इस प्रकार वर्णनात्मक और निदानात्मक शोध में सामाजिक घटना का विवरण देने और उसके उपचार के लिए प्रमापना की उपयुक्त विधि को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। विवरणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सम्पूर्ण घटना का चित्र प्रस्तुत करना होता है।

3. परीक्षणात्मक या प्रायोगिक शोध प्ररचना – यह शोध अध्ययन प्रयोगशाला में प्रयोग की भाँति दो व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध का अध्ययन करने में विशेष बल देता है। भौतिक विज्ञानों की भाँति यथार्थ, निश्चित एवं स्पष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए सामाजशास्त्री आगस्ट कॉम्टे के समय से प्रयत्न करते रहे हैं। परीक्षणात्मक पद्वति इन्हीं प्रयत्नों का फल है। सामान्य अर्थ में एक परीक्षण के प्रमाण के संकलन को व्यवस्थित करने की पद्वति माना जा सकता है जिसमें किसी उपकल्पना की सार्थकता के विषय में निष्कर्ष निकाला जा सके। परीक्षणात्मक शोध अध्ययन के तीन प्रकार के होते है –

1. केवल पश्चात् परीक्षण (After only Experiment)
2. पूर्व-पश्चात् परीक्षण (Befor-After Experiment)
3. कार्योत्तर अथवा कार्यान्तर तथ्य परीक्षण (Ex-Past-Facto Experiment)

अध्ययन पद्वति

आज तक सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं से सम्बन्धित अध्ययन अभी ज्यादा प्रकाश मे नहीं आये। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन को अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप के अन्तर्गत

रखा जा सकता है। इस प्रारुप के अन्तर्गत उपकल्पनाओं का निर्माण एक दुरुह कार्य है। फिर भी उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर प्रस्तृत अध्ययन की कुछ सामान्य उपकल्पनायें बनायी गयी हैं। प्रस्तुत अध्ययन में अर्द्ध सहभागी निरीक्षण के माध्यम से व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया गया है जिसमें साक्षात्कार अनुसूची विधि का प्रयोग किया गया है। उत्तरदात्रियों के चुनाव के लिए झाँसी महानगर में सरकारी सेवाओं में कार्यरत सभी स्थायी एवं अस्थायी 200 महिलाओं को चुना गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत कर उपकल्पनाओं की सत्यता को प्रमाणित किया गया है। प्रस्तुत शोध "झाँसी महानगर की सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन" में अन्वेषणात्मक शोध अध्ययन का प्रयोग किया गया है। प्रो0 जान वेस्ट के अनुसार "अनुसंधान संगठित ज्ञान की खोज एवं विकास के लिए किया गया व्यवस्थित कार्य है। प्रोफेसर वेस्ट ने शोध या अनुसंधान के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया है :–

1. अनुसंधान किसी समस्या के हल का बोध कराती है। यह किसी प्रश्न का उत्तर अथवा दो या दो से अधिक चरों के मध्य का निर्धारण कर सकता है।
2. अनुसंधान उन सामान्य सिद्धान्तों के मुख्य तत्वों के विकास पर विशेष बल देता है, जो भविष्यगत घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सहायक सिद्व होंगे।
3. अनुसंधान निरीक्षत अनुभव या मौलिक घटनाओं पर आधारित होता है।
4. अनुसंधान पूर्णतः निरीक्षण एवं घटनाओं पर आधारित होता है।
5. अनुसंधान के अन्तर्गत प्राथमिक स्रोतों से समंकों का संकलन किया जाता है अथवा नवीन उद्देश्यों के लिये प्रचलित समंकों का प्रयोग किया जाता है।
6. अनुसंधान में वैज्ञानिकता आवश्यक होती है। अनुसंधान की समस्या के पूर्व ज्ञान तथा अनुसंधान कैसे किया जाये के विषय मे जानकारी होनी चाहिए।
7. अनुसंधान बोधात्मक और तार्किक होना चाहिए जिस पर प्रयुक्त प्रक्रियाओं की वैधता समंक संकलन एवं निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए प्रत्येक संभावित परीक्षण किए जा सके।
8. अनुसंधान का कार्य धैर्यतापूर्वक और बिना किसी जल्दबाजी के किया जाना चाहिए।
9. अनुसंधान कार्य में साहस महत्वपूर्ण होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नवीन तथ्यों तथा सिद्वान्तों की खोज करना होता है। अनुसंधान कार्य तभी वैज्ञानिक हो सकता है जब वह पूर्णरूप से नियोजित हो, सैद्वान्तिक मान्यताओं से सम्बन्धित हो तथा उसका व्यवस्थित ढंग से उपयोग किया जा सके।

अवलोकन विधि – अवलोकन अनुसंधान की एक प्रविधि है जिसका प्रयोग सामाजिक.अनुसंधान में सामग्री या आँकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सामाजिक व्यवहार, घटनाओं

एवं परिस्थितियों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिन्हें हम घटित होते हुए देखते हैं। किसी घटना, परिस्थिति अथवा व्यवहार का क्रमबद्ध रूप से आँखों से देखकर किया जाने वाला अध्ययन ही अवलोकन कहलाता है। यह एक विश्वसनीय प्रविधि मानी गयी है। समाजशास्त्र में अवलोकन का अर्थ केवल देखना या निरीक्षण करना भर नहीं है बल्कि तटस्थ रूप से देखकर आँकड़े एकत्रित करना तथा उन्हे लेखबद्ध करना है।

पी0 बी0 यंग के अनुसार "अवलोकन आँखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की एक प्रविधि है जिससे सामूहिक व्यवहार और जटिल समस्याओं, संस्थाओं एवं समग्र की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है।"[1]

डॉलार्ड के अनुसार "अवलोकन अनुसंधान के एक प्राथमिक यन्त्र के रूप में मानव बुद्वि के प्रेक्षण तथा अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है।"[2]

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि अवलोकन एक ऐसी अनुसंधान प्रविधि है जिसमें नेत्रों द्वारा आँकड़ें संकलित करके उन्हें लेखबद्ध किया जाता है।

अवलोकन का महत्व– अवलोकन प्रविधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षणों में इसका प्रयोग अत्यधिक बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका प्रयोग आनुभविक अध्ययनों में ही संभव है और इसमें सूचनायें भी प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा इकठ्ठा की जाती हैं। अतः यह सामग्री को व्यवस्थित करने की अधिक विश्वसनीय प्रविधि है। अवलोकन एक पूरक पद्वति भी है क्योंकि इसका प्रयोग साक्षात्कार तथा अनुसूची पद्वतियों में भी किया जाता है। गुडे एवं हैट के अनुसार "विज्ञान अवलोकन से प्रारम्भ होता है तथा अंतिम प्रामाणिकता के लिए अवलोकन की ओर ही लौटता है।"[3] अतः अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में आँकड़े संकलन करने की एक महत्वपूर्ण पद्वति है जो कि वास्तविक व्यवहार अनुभवों, अध्ययनों तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय सूचनायें संकलन में सहायक होता है।

अवलोकन की विशेषतायें– अवलोकन की कुछ प्रमुख विशेषतायें निम्नवत् हैं :–

1. अवलोकन प्द्वति में ज्ञानेन्द्रियों जैसे नेत्रों, कान एवं वाणी विशेष रूप से नेत्रों का प्रयोग करके अनुसंधान समस्या से सम्बन्धित आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मोजर तथा कैल्टन का विचार है कि नेत्रों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है।

---

1 Young, P.V; Scientific Social Surveys and Research. P. 99-
2. Dollard. J; Quoted in John Made, The Tools of Social Science. P.117.
3. William, J. Goode and Paul, K. Hatt; Methods in Social Research, Mcgraw-Hill Book Co. Inc., New York, 1952, P. 119.

2. अवलोकन विधि प्रत्यक्ष अध्ययन में बल देती है क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता स्वयं सामग्री स्रोत अथवा अध्ययन क्षेत्र से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करके नेत्रों द्वारा आँकड़े संकलित करके उन्हें लेखबद्व करता है।

3. अवलोकन लिखित अथवा अन्य द्वितीयक स्रोत से आँकड़े एकत्रित करने की विधि न होकर प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं में व्यवहार के अध्ययन पर बल देकर प्राथमिक सामग्री संकलन में सहायक है।

4. यह पद्वति अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप आँकड़े एकत्रित करने का एक प्रमुख यंत्र है। उद्देश्यों के अनुकूल होने के कारण इस विधि द्वारा घटनाओं की प्रकृति, तथ्यों के परस्पर सम्बन्धों एवं व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन संभव हो जाता है।

5. अवलोकन एक वैज्ञानिक प्रविधि है क्योंकि इसके द्वारा स्वयं निरीक्षण करके घटनाओं का ज्यों का त्यों तटस्थ रूप में निरीक्षण किया जाता है।

6. वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन द्वारा अनुसंधानकर्ता अनेक कारणों अर्थात् किसी घटना एवं परिणाम में सह-सम्बन्ध का पता करने का प्रयत्न करता है।

अवलोकन के प्रकार- अवलोकन के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नवत हैं :-

1. ***अनियन्त्रित अवलोकन***– अनियन्त्रित अवलोकन ऐसे निरीक्षण को कहा जा सकता है जिसमें निरीक्षणकर्ता का स्वयं पर या अवलोकित घटना पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण न रहे।

2. ***नियन्त्रित अवलोकन***– इस पद्धति में अनेक साधनों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। नियन्त्रित अवलोकन की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें निरीक्षणकर्ता पर नियन्त्रण तो रहता ही है साथ ही निरीक्षण करने वाली सामाजिक घटना पर भी नियन्त्रण किया जाता है। इसमें पहले अवलोकन की सम्पूर्ण योजना तैयार की जाती है और तब निरीक्षण किया जाता है।

3. ***सहभागी अवलोकन***– इसमे अवलोकनकर्ता को स्वयं समूह का सदस्य बनना एवं घुल-मिल जाना आवश्यक है। अध्ययनकर्ता जब अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है तो वह समूह की गुप्त एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं से परिचित होता है। पी० वी० यंग ने लिखा है कि "सामान्य रूप से अनियन्त्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है।"

4. **असहभागी अवलोकन**– असहभागी अवलोकन में निरीक्षणकर्ता स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से एक तटस्थ व्यक्ति की भाँति समूह या समुदाय के सामाजिक सम्बन्धों का निरीक्षण करता है।

5. **अर्द्धसहभागी अवलोकन**–इस अवलोकन के अन्तर्गत शोधकर्ता एक लम्बी अवधि के लिए अध्ययन किए जाने वाले समूह के सदस्य के रूप में नहीं रहता बल्कि कुछ विशेष अवसरों पर तथ्यों का संकलन करने के लिए वह समूह के निकट जाता है और अवलोकन बाद पुनः अपने आप को समूह से अलग कर लेता है।

6. **सामूहिक अवलोकन**– यह नियन्त्रित एवं अनियन्त्रित अवलोकन का सम्मिश्रण होता है। इसमें कई व्यक्ति मिलकर सामग्री एकत्र करते हैं और एक केन्द्रीय व्यक्ति द्वारा उन सबकी देन का संकलन एवं उससे निष्कर्ष निकाला जाता है।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्री स्वयं झांसी की है जिससे उसे सरकारी सेवाओ में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं की मदद मिली और इसी कारण अर्द्वसहभागी अवलोकन पूर्णरूप से शोध में सहायक सिद्व हुआ है।

निदर्शन पद्वति– समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। निदर्शन का प्रयोग प्राचीन काल से होता चला आया है। दैनिक जीवन में हम निदर्शन का प्रयोग करते हैं। जब हम चावल, गेहूँ या अन्य कोई वस्तु खरीदने बाजार जाते हैं तो पहले इनका नमूना देखते हैं। नमूना ही निदर्शन कहलाता है। गृहणियाँ चावल पके हैं या नहीं यह जानने के लिए कुछ चावलों का परीक्षण करके देखती हैं। केवल एक बूँद रक्त परीक्षण करके डॉक्टर रोगी के रक्त के बारे में निर्णय लेते हैं। व्यापारी लोग गुड़, शक्कर, मिर्च, धनिया, रुई, कपड़ा एवं हजारों चीजो की परख के लिए ढेर में से कुछ नमूना लेकर निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार निदर्शन का प्रयोग दैनिक जीवन में आम-आदमी द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। स्टीफन का मत है कि नियमित जनगणनाओं का आयोजन करने से पूर्व सदैव ही निदर्शन का प्रयोग किया जाता रहा है। सन् 1900 से पहले सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन का प्रयोग बहुत कम हुआ है। बाउले ने लंदन में सर्वप्रथम घरों के अध्ययन के लिए दैनिक निदर्शन पद्वति का प्रयोग किया था। आज तो अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में निदर्शन का प्रयोग एक आवश्यक चरण बन गया है। निदर्शन की परिभाषाओं को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है :–

एच0पी0 फेयरचाइल्ड के अनुसार "निदर्शन वह प्रकिया अथवा पद्वति है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों अथवा निरीक्षणों को निकाला जा सकता है।"[1]

गुडे एवं हैट के अनुसार "एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है।"[2]

पी0 वी0 यंग के अनुसार "एक सांख्यिकीय निदर्शन उस सम्पूर्ण समूह के योग का अति लघुरूप है जिसमें से कि निदर्शन लिया गया है।[3]

सिन पायो यंग के अनुसार "एक सांख्यिकीय निदर्शन समग्र का वह अंश है जिसका यह समूह जनसंख्या समग्र अथवा पूर्ति स्रोत के नाम से जाना जाता है।"[4]

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि निदर्शन किसी विशाल समूह समग्र का एक अंश है जो कि समग्र का प्रतिनिधि है जिसमें समूह के समस्त लक्षण मौजूद हैं। प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समस्त समग्र या समूह पर लागू किया जाता है।

निदर्शन के आधार– प्रश्न यह आता है कि निदर्शन को थोड़ी सी इकाइयों को बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधि कैसे मान लिया जाता ह इसके मूल आधार निम्न प्रकार हैं :–

1. **समग्र की सजातीयता**– बाहरी तौर पर हमें व्यक्तियों एवं तथ्यों में बहुत अधिक असमानतायें दिखाई देती हैं। यहाँ तक की कारखाने में बनने वाली कोई दो वस्तुएँ भी पूर्णतया समान नहीं होती और दो जुड़वा भाई भी समान नहीं होते फिर भी यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह ज्ञात होगा कि ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाली इस विविधता में भी अर्न्तनिहित एकता अथवा समानता है। उदाहरण के लिए सभी मनुष्यों की शारीरिक बनावट में ऊपरी ढाँचे पर अनेक विभिन्नतायें दृष्टिगोचर होती हैं फिर भी शारीरिक दृष्टि से उनमें कई तरह से समानतायें रहती हैं। यही कारण है कि निदर्शन को समग्र का प्रतिनिधि मान लिया जाता है। इसके बारे में लुण्डवर्ग ने लिखा है कि "यदि तथ्यों मे अत्यधिक एकरूपता पायी जाती है अर्थात् सम्पूर्ण तथ्यों की विभिन्न इकाइयों में अन्तर बहुत कम है तो सम्पूर्ण में से कुछ या कोई इकाई समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करेगी।" इस प्रकार निदर्शन विधि इस मान्यता पर आधारित है कि विविधिताओं में भी समानतायें अर्न्तनिहित होती हैं जिन्हें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में खोजा जा सकता है।

---

1. Fairchild H.P; Dictionary of Sociology P. 265.
2. William, J. Goode and Paul, K. Hatt; Methads in Social Research, Mcgraw-Hill Book Co. Inc. New York, 1952, P. 209.
3. Young P.V; Scientific Social Survey and Research, Asia Publishing House, Bombay, 1960, P. 302.
4. Yang Hsin Pao, Fact Finding with Rural People, P.35-

2. **प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना**– निदर्शन इस मान्यता पर आधारित है कि सम्पूर्ण समूह में से थोड़ी सी इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जा सकता है कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकें किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन की इकाइयों में वे सभी विशेषतायें हों जो मूल समग्र में हों।

3. **उचित परिशुद्धता**– कोई भी निदर्शन शत प्रतिशत रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि निदर्शन में इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो ताकि वह प्रतिनिधित्वपूर्ण हो सके और उनके अध्ययन से निकाले गये निष्कर्ष वास्तविक स्थिति का सही चित्रण कर सकें।

निदर्शन पद्धति के प्रकार- निर्दशन के प्रमुख प्रकार निम्नवत हैं :-

1. दैव निदर्शन
2. उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन
3. संस्तरित या वर्गीकृत निदर्शन
4. बहुस्तरीय निदर्शन
5. सुविधाजनक निदर्शन
6. स्वयं निर्वाचित निदर्शन
7. निर्दिष्टांक निदर्शन
8. क्षेत्रीय या गुच्छ निदर्शन

जब अनुसंधानकर्ता किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर जान-बूँझकर समग्र में से कुछ इकादयों का चुनाव करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण सा सविचार निदर्शन कहते हैं। श्री एडोल्फ जेन्सन लिखा है कि "सविचार निदर्शन का अर्थ है इकाइयों के समूहों की एक संख्या को इस प्रकार चुनना कि चुने हुए समूह मिलकर उन विशेषताओं के सम्बन्ध में यथासंभव वही औसत अथवा अनुपात प्रदान करें जो कि समग्र में है और जिनकी सांख्यिकीय जानकारी पहले से ही हो।" प्रस्तुत शोध में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का प्रयोग किया गया है।

अनुसूची

अनुसूची सामाजिक अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित ऑकड़ें एकत्रित करने का एक उपकरण है। यह प्रश्नों की एक सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास लेकर जाता है तथा

उससे प्रश्नों के उत्तर पूछकर उन्हें अनुसूची में अंकित करता है। इसमें अनुसंधानकर्ता को प्रत्येक सूचनादाता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है।

ई0एस0 बोगार्डस के अनुसार "अनुसूची तथ्यों को एकत्रित करने के लिए एक औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वस्तुनिष्ठ रूप में है एवं आसानी से प्रत्यक्ष अनुभव किए जाने योग्य है। अनुसूची स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा भरी जाती है।"[1]

गुडे एवं हैट के अनुसार "अनुसूची प्रायः ऐसे प्रश्नों के समूह का नाम है जिन्हें साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति से आमने-सामने की स्थिति में पूछता है और उनके उत्तर स्वयं भरता है।"[2]

मैककोर्मिक के अनुसार "अनुसूची प्रश्नों की एक सूची से अधिक कुछ भी नहीं है जिनका उपकल्पनाओं की जाँच के लिए उत्तर देना आवश्यक प्रतीत होता है।"[3]

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूची एक ऐसा उपकरण या फार्म है जिस पर अनुसंधानकर्ता की समस्या से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों को निश्चित क्रम में लिखा जाता है और औपचारिक साक्षात्कार द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है। इस उपकरण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह साक्षात्कार और अवलोकन पर नियन्त्रण रखता है। इसके माध्यम से वैयक्तिक अधिकारों, अभिवृत्तियों, विश्वासों, विचारों, व्यवहारों, प्रतिमानों, समूहों तथा आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए आज अनुसूची का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इसके द्वारा संग्रहित विषय में एकरूपता लाकर मात्रात्मक और संख्यात्मक मापन करना सम्भव है।

अनुसूची की विशेषतायें– एक अच्छी अनुसूची की निम्नलिखित विशेषतायें होती हैं :–

1. एक अच्छी अनुसूची की पहली विशेषता प्रश्नों का उचित क्रम है। प्रश्न एक-दूसरे से जुड़े होते हैं जिससे कि सूचनादाता को यह अनुभव हो कि समस्या से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त की जा रही है।
2. अच्छी अनुसूची की दूसरी प्रमुख विशेषता है। प्रश्नों की इस प्रकार से रचना करनी होती है कि वे सरल होने के साथ-साथ स्पष्ट भी हों ताकि उन्हें सूचनादाता अच्छी तरह से समझ सके।
3. प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए यद्यपि यह समाज की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर भी एक अच्छी अनुसूची का आकार सीमित होना चाहिए।
4. एक अच्छी अनुसूची में प्रश्नों की रचना इस प्रकार करना अनिवार्य है जिसमें सूचनादाता मन में किसी प्रकार की गलत धारणा न बनायें और वह सही शब्दों में प्रश्नों को समझ सके।

1. Bogardus, E.S; Introduction to Social Research, 1936, P. 45.
2. William, J. Goode and Paul, K. Hatt; Methods in Social Research, Mcgraw-Hill Book Co. Inc. New York, 1952, P. 133.
3. McCromic, Carson Thomas; Elementary Social Statistics, 1941, P. 37.

अनुसूची के उद्देश्य- अनुसूची के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं :-

1. अनुसूची का उद्देश्य अवलोकनकर्ता की अवलोकन क्षमता को बढ़ाना तथा अवलोकन को अधिक वैज्ञानिक बनाना है।
2. अनुसूची क्योंकि अवलोकन एवं साक्षात्कार प्रविधियों को भी अपने में सन्निहित करती हैं। अतः यह अध्ययन को अन्य प्रविधियों की अपेक्षा अधिक गहन एवं महत्वपूर्ण बनाने मे सहायक हैं।
3. इससे हम सूचनादाताओं के मतों, रुचियों, मनोवृत्तियों तथा विचारों मे पाये जाने वाली भिन्नताओं एवं समानताओं का पता लगा सकते हैं। प्रस्तुत शोध में तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।
4. साक्षात्कार आज एक सर्वाधिक प्रचलित एवं सर्वोपरि प्रविधि है। अवलोकन द्वारा हम अनेक प्रकार के अध्ययन नहीं कर सकते परन्तु साक्षात्कार विधि द्वारा सूचनादाता के सामने बैठकर वार्तालाप किया जा सकता है जिससे उसके मनोभावों, मनोवृत्तियों तथा दृष्टिकोणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है।

साक्षात्कार

साक्षात्कार विधि द्वारा अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के बाहरी एवं आन्तरिक जीवन का अध्ययन कर सकता है। साक्षात्कार अनुसंधान में आँकड़े एकत्रित करने की एक बहुचर्चित एवं प्राचीन पद्वति है। साक्षात्कार सूचना अध्ययन में विशेष रूप से उपयोगी है।

गुडे एवं हैट के अनुसार "साक्षात्कार मौलिक रुप से सामाजिक अन्तःकिया की एक प्रकिया है।"[1]

वी0एम0 पामर के अनुसार "साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति की रचना करता है तथा इसमें प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत दोनों को परस्पर प्रयुत्तर देने पड़ते हैं।"[2]

सिन पायो यंग के अनुसार "साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध पद्वति माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य ऐसे व्यक्ति जो सामान्यतः उसके लिए तुलनात्मक रूप से अजनबी होता है, के आन्तरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है।"[3]

उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े संकलन करने की एक प्रविधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता के बाहरी एवं आन्तरिक जीवन से सम्बन्धित तथ्यों का पता लगता है।

1. William, J. Goode and Paul, K. Hatt; Methods in Socil Research, P. 186.
2. Palmer V.M; Field Studies in Sociology, 1928, P. 170.
3. Yang, Pao Hsin; Fact Finding with Rural People, P. 38.

साक्षात्कार का उद्देश्य– साक्षात्कार केवल दो व्यक्तियों में ऐसे ही वार्तालाप करने की प्रक्रिया नहीं है अपितु इसके अनेक उद्देश्य होते हैं अर्थात् साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता में वार्तालाप किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

1. साक्षात्कार का पहला उद्देश्य अनुसंधानकर्ता को सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष या आमन-सामने का सम्पर्क स्थापित करके उनसे आंकड़े संकलन करने में सहायता प्रदान करना है। आमने-सामने बैठकर केवल शोधकर्ता सूचनादाताओं से खुलकर बातचीत ही नहीं करता बल्कि उनके चेहरे पर आने वाले मनोभावों को जानने का भी प्रयत्न करता है।
2. साक्षात्कार उपकल्पनाओं का निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक चरों के परस्पर सम्बन्धों को जानने के लिए अर्थात् अन्वेषणात्मक ढंग से सूचना प्राप्त करके उपकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है।
3. साक्षात्कार का उद्देश्य सूचनादाताओं के आन्तरिक जीवन में झाँकना भी है। इसका उद्देश्य उत्तरदाता के व्यक्तित्व का एक चित्र बनाना है। आँकड़े एकत्रित करने में यह सहायक प्रविधि है।
4. साक्षात्कार द्वारा सूचनादाताओं के दोनों आन्तरिक एवं बाहरी जीवन के अध्ययन करने का अवसर मिलता है।

साक्षात्कार प्रक्रिया के चरण– साक्षात्कार की प्रक्रिया को सरल एवं नियोजित ढंग से नियमानुसार चलाने के लिए उसके कुछ प्रमुख चरण होते हैं जो इस प्रकार हैं :–

1. **साक्षात्कार की प्रारम्भिक तैयारी**– साक्षात्कार की तैयारी के लिए साक्षात्कारकर्ता को निम्न बातों का स्पष्ट ज्ञान होना अनिवार्य होता है :–
    1. समस्या का ज्ञान
    2. साक्षात्कार यन्त्र का निर्माण
    3. उत्तरदाताओं का चयन
    4. साक्षात्कार के लिए समय एवं स्थान का निर्धारण
    5. साक्षात्कारदाताओं के बारे में जानकारी।
2. **साक्षात्कार की मुख्य प्रक्रिया**– साक्षात्कार की मुख्य प्रक्रिया निम्न प्रकार प्रारम्भ की जाती है :–
    1. सूचनादाताओं से सम्पर्क स्थापित करना
    2. साक्षात्कार का उद्देश्य स्पष्टीकरण
    3. सहयोग की याचना

4. प्रश्न पूछना

5. उत्साहवर्धन एवं पुनःस्मरण

6. साक्षात्कार का नियन्त्रण एवं प्रमाणीकरण।

3. **साक्षात्कार का समापन एवं प्रतिवेदन**– प्रतिवेदन तैयार करने में अनुसंधानकर्ता को निष्पक्ष होकर तथा साक्षात्कार के तुरन्त बाद प्रतिवेदन तैयार कर लेना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण बातें रह जाने की कम संभावना होती है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

नौकरी करने वाली स्त्रियों के विषय में भारत तथा अन्य देशों में किए गए अध्ययनों से मालूम पड़ता है कि अधिकांश स्त्रियाँ नौकरी आर्थिक तंगी के कारण करती हैं। लेकिन वर्तमान में स्त्रियाँ महत्वाकांक्षा एवं पद की लालसा के कारण भी सरकारी सेवाओं की तरफ उन्मुख हुई हैं। भारत में कुछ वर्गों को नौकरी के कारण आर्थिक सम्पन्नता ही नहीं प्राप्त हुई वरन् उनका जीवन स्तर भी ऊँचा उठा है। भारत के निम्न वर्ग या अनुसूचित जाति के लोगों का सरकारी सेवाओं के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर ऊँचा उठा है। उन्हें समाज में सरकारी सेवाओं के कारण महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इन वर्गों की महिलाओं का सरकारी सेवाओं में आने से इनकी आर्थिक परिस्थिति तो मजबूत ही हुई साथ ही इन महिलाओं ने अपने आपको समाज की मुख्य धारा से जोड़ लिया। सरकारी सेवाओं में जाने से समाज की इन महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ है। साथ ही इन महिलाओं की सोच भी समाज के प्रति बदली है। अतः ऐसी सरकारी सेवा में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं के अध्ययन की वर्तमान में नितान्त आवश्यकता है। इन महिलाओं के सरकारी सेवा में जाने से सामाजिक प्रथाएँ प्रभावित हो रही हैं क्योंकि विभिन्न सामाजिक इकाई जैसे – परिवार, जातीय संगठन आदि भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन महिलाओं की जीवन पद्धति, जीवन मूल्यों, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आ रहा है। अतः इस सामाजिक परिवर्तन को जानने के लिए इन महिलाओं का अध्ययन आवश्यक है।

साहित्य का पुनरावलोकन

पूर्व के अध्ययनों पर दृष्टिपात करने पर हम पाते है कि सेवारत या कार्योजन में आने वाली महिलाओं से सम्बन्धित अध्ययनों की प्रचुरता है। ऐसे अध्ययनों मे टी0 एस0 पपोला (1982), के0 सारादामिनी (1985), एन0 बूर्रा (1989), ई0 भट्ट (1989) आदि प्रमुख हैं जिनमें उन्होंने कार्योजन में आने वाली महिलाओं के कार्योजन में आने से सम्बन्धित कारकों तथा कामकाजी महिलाओं की

समस्याओं सम्बन्धी विवरण दिया है। एल0 दुबे एवं आर0 पटरीवाला (1990) ने कार्यरत महिलाओं के परिवार की संरचना तथा परिवार का इन महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण से सम्बन्धित विश्लेषण प्रस्तुत किया है। परिवार की भूमिका से सम्बन्धित अन्य अध्ययनों में दीपा माथुर (1992), कैरेनफनिस्टनि (1979) आदि के अध्ययन भी महत्वपूर्ण हैं। कार्योजन में आने वाली महिलाओं को दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। ऐसे अध्ययन में मिरडल तथा कनि (1968) महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि देखा जाये तो अनुसूचित जाति की महिलाओं पर अनेकों शोध कार्य हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययनों में अनुसूचित जाति के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया है। डॉ0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने ''महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका'' नामक अपने अध्ययन में बताया कि महिलायें तभी सशक्त हो सकती हैं जबकि शिक्षा के माध्यम से उनमें जागरूकता लायी जाय। डॉ0 निरपेन्द्र कुमार सिन्हा ने 'पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता' नामक अपने अध्ययन में यह बताया कि महिलाओं की पंचायती राज में सहभागिता मात्र कानून से सम्भव नहीं है। ए0आर0एन0 श्रीवास्तव ने अपने अध्ययन 'उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की वर्तमान स्थिति' में यह बताने का प्रयास किया कि जब तक जनमानस के विचारों व मनोवृत्तियों में अपेक्षित बदलाव नहीं आयेगा तब तक अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की समस्या का स्थायी समाधान सम्भव नहीं है। डॉ0 उमारानी गुप्ता ने अपने अध्ययन 'पंचायत राज एवं दलित महिलाएँ' में कहा कि दलित समुदाय के नेतृत्व के अभाव में पंचायत राज के माध्यम से ग्रामीण विकास का स्वप्न अधूरा ही रहेगा। प्रतिमा गोण्ड ने अपने अध्ययन में 'दलित महिलाओं की वर्तमान स्थिति' में कहा कि दलित महिलाओं की समस्याओं का समाधान तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह नहीं जोड़ा जाता। इसके लिये दलित महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने की आवश्यकता है। डॉ0 मीनाक्षी व्यास ने अपने अध्ययन 'मध्यम एवं निम्न वर्गीय स्त्रियों की पारिवारिक स्थिति' में बताया कि महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में लिंग सम्बन्धी अड़चनें दूर करना और लोकतंत्र में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। उपरोक्त सभी अध्ययन महिलाओं से सम्बन्धित हैं। परन्तु निम्न वर्ग या अनुसूचित जाति की ऐसी महिलायें जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं से सम्बन्धित अध्ययन अभी प्रकाश में नहीं आये हैं जबकि ऐसे अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज का निम्न तबका जो वर्षों से शोषित और गुलाम रहा है उनकी महिलायें यदि सरकारी सेवाओं मे जा रही है तो उसके दूरगामी प्रभाव परिलक्षित होंगे। इसलिए वर्तमान में इन वर्गों की सेवारत महिलाओं से सम्बन्धित अध्ययनों की महती आवश्यकता है।

आज हमारा भारतीय समाज सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो अस्पृश्य जातियाँ थीं आज वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ रही हैं। ये सारे

परिवर्तन विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत उद्घाटित हुए हैं। उनमें इन वर्गों की महिलाओं का सरकारी सेवाओं में जाना भी महत्वपूर्ण है। अतः ऐसी महिलाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। साथ ही यह जानना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या ये महिलायें सामाजिक परिवर्तन में अपना स्थान निरुपित कर पा रही हैं या नहीं। कहीं ये अपने एवं मुख्य समाज के बीच त्रिशंकु की स्थिति में तो नहीं हैं। साथ ही सरकारी सेवाओं में जाने के उपरान्त उनके दृष्टिकोणों में क्या परिवर्तन आया, यह जानना भी महत्वपूर्ण है तथा समाज की इन महिलाओं के प्रति सोच में कितना अन्तर आया यह भी इस प्रकार के अध्ययनों से स्पष्ट हो सकेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के कुछ सामान्य उद्देश्य निरूपित किए गए हैं जो निम्न हैं :–

1. सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि को जानना प्रस्तुत अध्ययन का प्रथम उद्देश्य है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी सेवा में आने मे इनकी पृष्ठभूमि का कितना प्रभाव पड़ा।
2. पर्याप्त शिक्षा एवं जनसंचार के साधनों की सुविधाओं की प्राप्ति क्या कार्य पाने में सहायक सिद्व हुई, यह जानना प्रस्तुत अध्ययन का द्विती उद्देश्य है।
3. सेवाओं में जाने से इन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए, यह जानना प्रस्तुत अध्ययन का तृतीय उद्देश्य है।
4. सेवाओं में जाने से इन महिलाओं का समाज के प्रति तथा समाज का इन महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन हुआ, यह जानना प्रस्तुत अध्ययन का चतुर्थ उद्देश्य है।
5. इन महिलाओं की मनोसामाजिक दशाओं को जानना प्रस्तुत अध्ययन का पंचम् उद्देश्य है।
6. अनुसूचित जाति की ऐसी कार्यरत महिलाओं के भूमिका समायोजन की स्थिति को जानना प्रस्तुत अध्ययन का षष्ठम् उद्देश्य है।

उपरोक्त उद्देश्यों के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन की कुछ सामान्य उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है जो इस प्रकार हैं :–

1. आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न अनुसूचित जाति की महिलाओं को सरकारी नौकरियाँ शीघ्र प्राप्त होती हैं।
2. अनुसूचित जाति की सेवारत महिलाओं पर उच्च शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है।
3. शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से जागरुक अनुसूचित जाति के परिवारों की महिलाओं को संचार के संज्ञान के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक नौकरी प्राप्त होती हैं।

4. सेवारत अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक स्तर शनैः - शनैः परिवर्तित हो रहा है।

5. कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा अन्य वर्ग की कार्यरत महिलाओं में सामाजिक समायोजन अपेक्षाकृत अधिक होता है।

6. अनुसूचित जाति की कार्यरत महिलाओं की दोहरी भूमिका के प्रति उनके परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है।

अध्ययन का सन्दर्भ क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन "सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजशास्त्रीय अध्ययन" का सन्दर्भ क्षेत्र झाँसी महानगर है। झाँसी उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सबसे विकसित नगर है। इस महानगर में कुल 35 वार्ड है। यह शहर अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्व है। यद्यपि यहाँ उद्योगों का विकास देर से हुआ परन्तु शनैः - शनैः यह महानगर भी औद्योगीकृत होता जा रहा है। रेलवे लाइन से यह शहर देश की चारों दिशाओं को जोड़ता है। जनपद के रूप में झाँसी, जालौन, बाँदा, ललितपुर, ग्वालियर, दतिया आदि जनपद की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। इस जनपद में पाँच तहसीलें तथा आठ विकासखण्ड हैं।

सरकारी सेवाओं में सेवारत महिलाएँ नौकरी से पूर्व प्रायः ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित है। परन्तु सरकारी सेवाओं में आने के उपरान्त वे महानगरों की मुख्य बस्तियों में निवास करने लगी हैं। इन महिलाओं पर महानगरीय जीवन का क्या प्रभाव पड़ा ? यह जानने हेतु प्रस्तुत अध्ययन को नवविकसित महानगर झाँसी में आयोजित किया गया है। झाँसी महानगर की कुल जनसंख्या लगभग दस लाख है।

यहाँ से प्राप्त आँकड़ो के अनुसार यहाँ लगभग 50 सरकारी विभागों के कुल 237 कार्यालय हैं जहाँ पर लगभग 61 स्थायी एवं 68 अस्थायी अनुसूचित जाति की महिलायें कार्यरत है तथा 71 अनुसूचित जाति की महिलायें शिक्षिकायें हैं। इस महानगर में लगभग 200 अनुसूचित जाति की महिलायें सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। 31 मार्च 2002 तक जिन विभागों में अनुसूचित जाति की महिलायें कार्यरत हैं उन विभागों में अनुसूचित जाति की महिलाओं का विवरण स्थायी और अस्थाई के क्रम में निम्नवत् है :–

क्र0सं0	विभाग	स्थाई	अस्थाई	कुल अनुसूचित जाति की महिलायें
1.	कृषि	–	02	02
2.	सिंचाई	01	14	15
3.	चिकित्सा	29	12	41
4.	शिक्षा	08	14	22
5.	वन	–	01	01
6.	पशुपालन	–	01	01
7.	समाज कल्याण	02	12	14
8.	नियोजन एवं विकास	–	01	01
9.	पुलिस	04	07	11
10.	खाद्य	01	–	01
11.	सामान्य प्रशासन	04	02	06
12.	ग्राम पंचायत	02	–	02
13.	जेल एवं अपराध	03	–	03
14.	आबकारी	03	–	03
15.	बिक्रीकर	02	01	03
16.	औद्योगिक एवं प्रशिक्षण संस्थान	01	02	03
17.	नियोजन एवं संस्थान	01	–	01
18.	शिक्षिकाएँ	71	–	71
योग		132	69	201

स्रोत : सांख्यिकी विभाग झाँसी 31 मार्च 2002 तक

इस प्रकार कुल 200 महिलाओं को अध्ययन की इकाईयों के रूप में चुना गया है। अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। साथ ही अर्द्धसहभागी अवलोकन को भी काम में लाया गया है।

अध्याय तृतीय

झाँसी महानगर की ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि

अध्याय तृतीय
झाँसी महानगर की ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि

देश को उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम से जोड़ने वाला झाँसी महानगर वीरों की भूमि बुन्देलखण्ड की राजधानी जैसा है। बुन्देलखण्ड एवं देश की ऐतिहासिक घटनाओं का केन्द्र रहे झाँसी की स्थापना ओरछा के बुन्देला राजा वीरसिंह द्वारा की गई जिसे मुगल सम्राट जहाँगीर ने 1611 में अकबर के प्रसिद्व मंत्री अबुल फजल की हत्या किए जाने के उपलक्ष्य में इनाम स्वरूप ओरछा का राजा बना दिया था। ओरछा के अतिरिक्त इससे छः मील पश्चिम में स्थित बलवन्त नगर नामक क्षेत्र पर भी वीरसिंह का अधिकार था। इसके पास ही स्थित पहाड़ी पर वीरसिंह ने एक किला सन् 1613 में बनवाया जो झाँसी के नाम से विख्यात हुआ। यह किला राजा वीरसिंह जू देव द्वारा निर्मित 52 किलों में से एक था। वीरसिंह की मृत्यु 1627 में हुई। उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र जुझारसिंह हुआ। वीरसिंह के समय मुगलों और बुन्देलों के जिस मधुर सम्बन्ध का सूत्रपात हुआ था वह अब समाप्त हुआ तथा मुगलों और बुन्देलों के बीच संघर्ष प्रारम्भ हुआ।

औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगा। ऐसी परिस्थिति में पन्ना नरेश छत्रसाल बुन्देला ने बुन्देलखण्ड को मुगलों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अभियान प्रारम्भ किया। छत्रसाल की गतिविधियों से मुगल सम्राट फर्रुखशियर (1713-1719) ने अपने दरबार के महान सेनानायक मुहम्मद खान बंगश की एक विशाल सेना के साथ छत्रसाल का दमन करने के लिए भेजा। 1729 में छत्रसाल को जैतपुर के किले में घेर लिया गया किन्तु उसी समय पेशवा बाजीराव ने छत्रसाल की सहायता से मुगलों को परास्त किया। इस सहायता से द्रवीभूत होकर छत्रसाल ने बाजीराव का सम्मान किया तथा अपने साम्राज्य का 1/3 भाग बाजीराव को दे दिया। झाँसी भी मराठों के हिस्सों में आया। शीघ्र ही इस क्षेत्र को केन्द्र बनाकर मराठों ने अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया।

1742 में नारोशंकर नामक एक मराठा ब्राहमण को पेशवा झाँसी का सूबेदार नियुक्त किया। अनेक इमारतों का भी निर्माण किया। झाँसी नगर की स्थापना कर एक स्वतन्त्र शासक की भाँति वह दरबार करने लगा। नारोशंकर के बाद महादजी गोविन्द काकिरदे, बाबूराव कोल्हातकर, विश्वास राव लक्ष्मण तथा रघुनाथ हरिनेवालकर ने झाँसी के सूबेदार का पद सम्भाला। बाद में नेवालकर परिवार सूबेदार का पद वंशानुगत हो गया। इसकी अन्तिम शासक महारानी लक्ष्मीबाई थी।

सन् 1803 में मराठों और अंग्रेजों मे बेसिन की सन्धि हुई जिससे मराठों ने बुन्देलखण्ड में अपना हिस्सा अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिया। इस समय झाँसी का सूबेदार शिव राव भाऊ था।

1815 में इसकी मृत्यु हुई तथा उसका उत्तराधिकारी उसका पौत्र रामचन्द्र राव हुआ। 1835 में निःसन्तान रामचन्द्र राव की मृत्यु हो गई। अतः उसका उत्तराधिकारी उसका चाचा रघुनाथ राव हुआ। ये भी निःसन्तान थे। अतः 1838 में मृत्यु के बाद इनके छोटे भाई गंगाधर राव को अंग्रेजों ने राजा की गद्दी दी। गंगाधर राव ने 1842 मे झाँसी की गद्दी प्राप्त की किन्तु 1843 में अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए यहाँ की रियासत का प्रबन्ध वापस अपने हाथ मे ले लिया था। 1803 में जब अंग्रेजों का पदार्पण हुआ तभी से झाँसी के जो भी सूबेदार हुए सभी निःसन्तान थे। यद्यपि लक्ष्मीबाई को 1851 में एक पुत्र पैदा हुआ था किन्तु तीन महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव इस घटना से अत्यन्त दुखी हुए तथा 21 नवम्बर 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया तथा लक्ष्मीबाई को झाँसी रियासत का एजेन्ट नियुक्त कर दिया, किन्तु लार्ड डलहौजी की अपहरण नीति के अर्न्तगत झाँसी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर ली गई।

सन् 1857 के विस्फोट और अंग्रेजों के आधिपत्य से उत्पन्न आक्रोश में निरन्तर वृद्वि हो रही थी। अंग्रेजों ने अनेक मराठों तथा बुन्देलों की जागीरों को जब्त कर जन अशान्ति को और विकसित किया। देश के अन्य भागों में कारतूस वाली घटना ने तो असन्तोष और भी बढ़ा दिया था। ऐसी परिस्थिति में महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में जनता ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। 1857 के विद्रोह के समय झाँसी घटनाओं का मुख्य केन्द्र था। महारानी लक्ष्मीबाई, बाँदा के नवाब अलीबहादुर बानपुर के राजा मर्दन सिंह आदि क्रान्तिकारियों के सहयोग से तथा जनता की सक्रिय भागीदारी से अंग्रेजों के हौसले परास्त हो रहे थे। अतः इस क्षेत्र में विद्रोह दमन का कार्य अंग्रेजों ने अपने प्रसिद्व सेनानायक ह्यूरोज को सौंपा जिसने 1854 के क्रीमिया युद्व में लड़ने का अनुभव प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने दमन का जो रास्ता अपनाया वह अत्यन्त बर्बर था। महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इनके कार्यों से लोगों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना जागृत हुई।

राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद सन् 1854 में अंग्रेजों द्वारा राजस्व प्रशासन की एक अलग इकाई के रूप में झाँसी जिले की स्थापना की गई जिसमे नौ परगना क्रमशः झाँसी, पिछोर, करैरा, मऊ, पण्डवाहा, विजयगढ़, मोंठ, भाण्डेर और गरौठा को शामिल किया गया। सन् 1856 में विजयगढ़ परगना को दो भागों में पण्डवाहा और गरौंठा मे विभक्त किया गया तथा 1861 में पिछोर और करैरा को ग्वालियर राज्य में स्थानान्तरित कर दिया गया जिसके बाद जनपद में केवल छः परगना शेष रह गये जिन्हें पाँच तहसीलों में बदल दिया गया। परगना भाण्डेर को झाँसी तहसील में मिला दिया गया। इस प्रकार चार तहसीलें शेष रह गईं। सन् 1871 में 15 गाँव झाँसी तहसील के और पाँच गाँव मोठ तहसील के ग्वालियर स्टेट में विलय कर दिए गए। सन् 1886 में 27 गाँव तहसील झाँसी से तथा साढ़े चार गाँव तहसील मोठ से ग्वालियर को दे दिए गए। झाँसी तहसील के उत्तर पश्चिम और पश्चिम के

जो 58 गाँव झाँसी नगर और किले सहित जो कि 1861 में ग्वालियर स्टेट को दे दिए गये थे, को पुनः 1886 में जिले के रुप में बहाल कर दिया। ललितपुर सन् 1860 में ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ जिसमें बानपुर और मड़ावरा दो तहसीलें शामिल थी। सन् 1861 में चंदेरी एक अलग तहसील के रूप में अस्तित्व में आया जिसका मुख्यालय ललितपुर था। 1866 में बानपुर तथा मड़ावरा तहसीलें समाप्त कर दी गईं तथा महरौनी नई तहसील सृजित की गई। ललितपुर सन् 1891 तक एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में रहा तत्पश्चात् इसे झाँसी जनपद के सब डिवीजन के रूप मे स्थापित किया गया। इस प्रकार नये जिले में झाँसी, मोठ, गरौठा, मऊरानीपुर, ललितपुर और महरौनी छः तहसीलें हो गयीं। सन् 1950 में केन्द्रीय सरकार के प्रॉवेशिन्स एण्ड स्टेट (अपोजीशन आफ इन्कलेव) आदेश दिनाँक 30 जनवरी के द्वारा टोड़ी फतेहपुर स्टेट के दो गाँव तथा ओरछा स्टेट के चार गाँवों को जिले में विलय कर दिया गया जो कि झाँसी तहसील में सम्मिलित कर लिए गये। तहसील मऊरानीपुर के चार गाँव टीकमगढ़ स्टेट से तथा पाँच गाँव बिजावर स्टेट से मिले। मोठ तहसील में 114 गाँव समथर स्टेट के तथा 33 गाँव ओरछा स्टेट के मिला दिए गए। टोड़ी फतेहपुर ढुरवई व बंका पहाड़ी को तहसील गरौठा मे मिला दिया गया। सन् 1951-52 में जालौन जनपद के पाँच गाँवों को झाँसी जिले मे स्थानान्तरित कर दिया गया जिन्हें मोंठ तहसील में मिला दिया गया।

राजस्व व सामान्य प्रशासन के दृष्टिकोण से जनपद झाँसी को छः सब डिवीजन में विभाजित किया गया जो इस प्रकार हैं झाँसी, मोंठ, मऊ, गरौठा, ललितपुर और महरौनी। प्रत्येक सब डिवीजन में दो तहसीलें थीं। प्रत्येक तहसील, तहसीलदार के अधीन थी। तहसील झाँसी का क्षेत्रफल 463.8 वर्ग मील, तहसील मोंठ का क्षेत्रफल 470.3 वर्ग मील, गरौठा तहसील का क्षेत्रफल 617.3 वर्ग मील, तहसील मऊरानीपुर का क्षेत्रफल 424.9 वर्ग मील, ललितपुर तहसील का क्षेत्रफल 1163.2 मील तथा महरौनी तहसील का क्षेत्रफल 830.4 वर्ग मील था।

पुलिस प्रशासन के दृष्टिकोण से जनपद को 30 पुलिस थानो में विभक्त किया गया। झाँसी, मोंठ सब डिवीजन को दस, मऊ, गरौठा सब डिवीजन को आठ, ललितपुर, महरौनी सब डिवीजन को बारह थानों में विभक्त किया गया। सन्1974 में ललितपुर जनपद पुनः स्थापित किया गया जिसमें ललितपुर,महरौनी और तालबेहट तहसील सम्मिलित की गई हैं। झाँसी जनपद में झाँसी, मोंठ, मऊ, गरौठा तहसीलें शेष रह गई। वर्ष 1997 में टहरौली नई तहसील सृजित की गई। इस तरह वर्तमान में झाँसी जिले में पाँच तहसीलें कमशः झाँसी, मोंठ, मऊरानीपुर, गरौठा, एवं टहरौली हैं।

1857 के भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात् अंग्रेजों के अत्याचारों और दमन के कारण आजादी के संघर्ष के लिए देशवासियों की भावनायें जो ऊपरी तौर पर दबी हुई सी प्रतीत हो रही थीं, अन्दर ही अन्दर बलवती हो रही थीं जो समय आने पर संघर्ष के रूप में उबल पड़ी। तिलक के

आहवान ने "स्वराज हमारा जन्म सिद्व अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे", इसने देशवासियों के अन्दर नयी चेतना और स्वतन्त्रता के लिए अपने को होम करने की भावना को जाग्रत कर दिया। सन् 1914 को प्रथम विश्व युद्व में भारत ने यह सोंचकर अंग्रेजों का साथ दिया था कि युद्वोपरान्त उन्हें स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जायेगी। अंग्रेज शासन की बर्बरता, हण्टर कमेटी की रिपोर्ट और तुर्किश शान्ति ट्रीटी पर विचार कर असहयोग आन्दोलन करने का निश्चय कियेा गया। आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन हेतु 30 नवम्बर 1920 को गाँधी जी आये। इनके साथ शौकत अली भी थे। गाँधी जी के स्वागतार्थ झाँसी कांग्रेस के जनक रघुनाथ विनायक धुलेकर के नेतृत्व में झाँसी नगर और हार्डीगंज को खूब सजाया गया। दूसरी बार 22 नवम्बर 1929 को पुनः झाँसी उनके सीमान्त गाँधी, अब्दुल गफ्फार खान भी थे। 20 नवम्बर 1921 को गाँधी ने अपने पुत्र देवदास गाँधी को झाँसी से पत्र लिखा "चिरंजीव देवदास हम लोग झाँसी अभी-अभी पहुँचे हैं।" झाँसीवासियों को स्वतन्त्रता युद्व में सक्रिय भाग लेने के लिए यहाँ समय-समय पर देश के महान नेता आते रहे हैं। गाँधी जी के अतिरिक्त पण्डित जवाहर लाल नेहरु, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के नाम उल्लेखनीय हैं। ललितपुर सब डिवीजन में श्री नंदकिशोर किलेदार के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन ग्रामीण अंचलों तक फैल गया।

झाँसी में नमक सत्यागृह 12 अप्रैल 1930 को प्रारम्भ हुआ। प्रथम रघुनाथ विनायक धुलेकर के नेतृत्व में झाँसी से मऊरानीपुर गुरसराय होता हुआ बेतवा पारकर औपारा पहुँचा। इस जत्थे में 150 स्वयं सेवक थे। दूसरा जत्था सीताराम भास्कर भागवत के नेतृत्व में झाँसी, बबीना, वेदौरा, रक्सा, लहरगिर्द, अम्बावाय होता हुआ औपारा पहुँचा। तीसरा जत्था कुंजबिहारी शिवानी के नेतृत्व में बड़ागांव, बराठा, पारोछा, गुलारा, पहाड़ी, चिरगाँव होता हुआ औपारा पहुँचा। इसमें आठ स्वयं सेवक थे। चौथा जत्था श्री लक्ष्मण राव कदम के नेतृत्व में कौछाभांवर, पालर, मुडई, विरथरी, अतपेयी, समथर, छिरौना होता हुआ औपारा पहुँच गया। चारों जत्थों ने एक साथ निश्चित तिथि को हजारों व्यक्तियों के सम्मुख नमक बनाकर कानून को भंग कर सरकार के खिलाफ असहयोग और विरोध व्यक्त किया। इस आन्दोलन में चिरगाँव क्षेत्र के भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। नमक सत्यागृह के बाद झण्डा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। स्वयं सेवक ग्राम-ग्राम जाकर तिरंगा झण्डा गाड़कर लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आन्दोलन के लिए प्रोत्साहित करते थे। मऊरानीपुर क्षेत्र में झण्डा आन्दोलन का बहुत जोर रहा। सन् 1930 और 1932 को असहयोग समाप्ति के बाद कांग्रेस संगठन का कार्य निरन्तर चलता रहा। पुलिस दमन के बाद यहाँ के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का लेशमात्र भी जोश कम नहीं हुआ। कांग्रेस के माध्यम से जनता पर होने वाले अत्याचारों के निराकरण के लिए झाँसी कांग्रेस कमेटियाँ पूर्ण रूप से सक्रिय रहीं।

झाँसी मे मजदूर संगठन ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय सहयोग दिया। यहाँ रेलवे मजदूरों की ट्रेड यूनियन बनी हुई थी। ललितपुर उप क्षेत्र में कामरेड चन्दन सिंह और मनीराम कंचन ने किसान सभाओं का संगठन कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 सितम्बर सन् 1939 में द्वितीय विश्व युद्व में भारतीय जन भावनाओं की उपेक्षा कर अंग्रेज सरकार ने जर्मनी के विरुद्व भारत को सम्मिलित कर दिया। 27 अप्रैल 1942 को भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में घोषणा की गई कि अंग्रेजों के बाद सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से स्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। 8 अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद देश गाँधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता के अन्तिम आन्दोलन में कूद पड़ा। सम्पूर्ण झाँसी जिले में जनता ने जगह-जगह हड़ताले, प्रदर्शन और जुलूसों का आयोजन कर विरोध प्रकट किया। सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई रेल की पटरियाँ उखाड़ी गईं, तार काटे गए, डाकखानों मे आग लगा दी गई और पुलिस चौकियों पर भी हमले किए गए। झाँसी के सर्राफा बाजार के दुकानदारों और उसके निवासियों की इस आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। शहर के अतिरिक्त ग्रामीण अंचलों में भी "करो या मरो" आन्दोलन का व्यापक प्रसार हुआ। आजादी के आन्दोलन के समय ललितपुर सब डिवीजन भी झाँसी जनपद के अन्तर्गत था। इस क्षेत्र में ब्रजनन्दन शर्मा ने राष्ट्रीय पुस्तकालय और खादी भण्डार खोलकर स्थानीय नौजवानों को आन्दोलनों की ओर आकर्षित किया।

झाँसी जनपद की ऐतिहासिक धरोहरें

बलवन्त नगर नाम से चर्चित रहे नगर में बंगरा नामक पहाड़ी पर 15 एकड़ में बना झाँसी का किला ओरछा के कला प्रेमी बुन्देला शासक वीरसिंह देव प्रथम (1606-27 ई0) की कलाप्रियता के नाम पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1613 ई0 में किले के प्रथम निर्माण पर इसका नाम 'मंजमहल' रखा गया जो बाद में किदवन्ती के अनुसार "झाइसी" दिखने पर "झाँसी" नाम दे दिया गया। झाँसी का किला पर्यटन स्थल होने के साथ–साथ सामयिक दृष्टिकोण एवं विशेषतः महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य व पराक्रम तथा स्वातन्त्रय भावना से जुड़े होने के कारण यह किला ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस किले के निर्माण-परम्परा में बुन्देली तथा मराठो और अंग्रेजों के स्थापत्य कला के तीन अलग-अलग चरण हैं। किले का मूल भाग महाराजा वीरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित हुआ। तत्पश्चात् दूसरा चरण मराठा सूबेदार नारुशंकर व रघुनाथ नेवालकर एवं शिवराज भाऊ के समय का है जिसके साक्ष्य उत्तरी भाग में प्रतिष्ठापित गणेश मंदिर एवं विशाल प्रांगण में बनी हुई बारादरी तथा अन्य भवनों के अवशेष तथा सतमंजिला महल तथा विशाल भव्य व अलंकृत महल जिसे अंग्रेजों ने अपने अधिकार में आने के बाद धूल-धूसरित करके नामो-निशां तक मिटा दिया एवं शंकरगढ़ वाला भाग तथा नगर कोटे की ऊँची व मोटी दीवार है जिसमें आठ दरवाजे व चार खिड़कियाँ हैं।

मराठी इतिहासकार विष्णु गोड़शे ने लिखा है कि उत्तर हिन्दुस्तान में झाँसी नगर बड़ा ही सुन्दर और रमणीक है। शहर के पश्चिमी भाग में एक छोटे से पहाड़ पर किला बना है। इसके चारों ओर पानी से भरी दृढ़ खाई है। अन्दर जाने का रास्ता केवल एक ओर से है। किले के अन्दर चार हजार मनुष्यों के रहने के लिए स्थान है। किले में स्थित मुख्य महल सबसे ऊँचा है और उसमें आठ चौकियाँ हैं जिन्हें अंग्रेजों ने पूर्णतः नष्ट कर दिया है। बाकी सब छोट-छोटे बंगले हैं जिनमें राज्य का कार्य होता है। किले में अनेक वृक्ष हैं। किनारे की दीवारें मोटी और मजबूत हैं। बीच-बीच में टोलेजंग बुर्ज बने हुए हैं। खाश महल कलायुक्त प्राचीन और बड़ी सुन्दर है। गलीचे और गद्दे बिछे हुए हैं। महल का दक्षिणी भाग का बंगला सतमंजिला है। उत्तर भाग में पच्चीस सीढ़ियों के बाद सपाट जगह है जिस पर होकर पानी सदा बहता हुआ नीचे की ढाल से गिरा करता है। हौज के आस–पास एक बड़ा ही रमणीय फूल बाग है। अंगूर, आम आदि के पेड़ हैं। बाग में एक छोटा सा बंगला बना हुआ है जो शंकरगढ़ किले के नाम से प्रसिद्व है। किले के नीचे उत्तर-पूर्व की ओर किले से आधे फलांग की दूरी पर ही दुमंजिला विशाल पीला राजभवन है जो रानीमहल के नाम से विख्यात है। रानीमहल के पीछे के भाग की ओर महाराजा की नाट्यशाला थी जहाँ आज सिंधी धर्मशाला बनी हुई है जो 2 अप्रैल 1858 ई0 के दिन ओरछा द्वार के खुल जाने पर शहर में प्रवेश पा जाने पर अंग्रेजी सेना द्वारा लगाई गई आग से बिल्कुल नष्ट हो गया।

झाँसी का नाम विश्व के इतिहास में जो स्वर्णाक्षरों में अंकित है उसका मूल आधार वस्तुतः वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई है जिन्होंने अपने शौर्य व पराक्रम से प्रथम स्वतन्त्रता की प्रज्ज्वलित दीपशिखा बनकर अपने बलिदान के रक्त की स्याही से एक ऐसा अमिट व अमर इतिहास लिखा। 1851 में महारानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ लेकिन चार माह के पश्चात् ही नवजात शिशु की मृत्यु ने वही सुख रौंद दिया एवं महाराज बिल्कुल टूट गये। वे बीमार रहने लगे और 21 नवम्बर 1853 ई0 का दुर्भाग्यशाली दिन ऐसा भी आया जब महाराजा इस दुनिया से ही चल बसे। निःसन्तान महाराजा ने मरने के एक दिन पूर्व ही आनन्द राव (दामोदर राव) को दत्तक पुत्र लिया ताकि झाँसी के राजवंश की परम्परा चलती रहे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने अपनी अपहरण नीति के अन्तर्गत दत्तक पुत्र की मान्यता को स्वीकार नहीं किया और मार्च 1854 ई0 में झाँसी की महारानी को साठ हजार वार्षिक पेन्शन देकर तथा उन्हें दुर्ग छोड़ने का आदेश देकर झाँसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लेने की घोषणा कर दी। यह घोषणा जैसे ही तत्कालीन एजेन्ट मि0 एलिस ने भरे दरबार में सुनाई तो महारानी के मुख से ओजस्वी स्वर में निकले शब्द मेरी झाँसी नही दूँगीं और इन शब्दों के पालन करने में ही उन्होंने अपना भविष्य तय कर लिया।

सर्वप्रथम 1857 में बंगाल प्रान्त के अन्तर्गत बरहामपुर की 16वीं काली पलटन में सैनिक विद्रोह की ज्वाला सर्वप्रथम प्रज्ज्वलित हुई और उस क्रांति की लपटें सारे देश में फैल गईं। 3 जून तक झाँसी में कमिश्नर मि0 स्कीन के भेजे गये पत्रों के अनुसार शान्ति ही रही लेकिन अचानक ही 5 जून 1857 ई0 के दिन मध्यान्ह में स्टार फोर्ट में गुरुबख्श के नेतृत्व में 12वीं बंगाल इन्फेन्ट्री व 14वीं इर्रेग्यवर तथा कैवलरी में विद्रोह भड़क उठा। अंग्रेज अधिकारी तथा उनके परिवार जन मार डाले गये और विद्रोहियों ने 7 जून को महारानी लक्ष्मीबाई को दुर्ग में ले जाकर पुनः झाँसी की महारानी घोषित कर दिया। महारानी बने तीन माह हुए थे कि समीपवर्ती ओरछा की महारानी लड़ई सरकार के दीवान नत्थे खॉ मऊरानीपुर व बरुआसागर को लूटता हुआ झाँसी पर 14 सितम्बर 1857 ई0 में आक्रमण कर बैठा। कीमिया जैसे युद्व का विजेता सर हयूरोज बम्बई आकर और बीच में हैदराबाद व भोपाल आदि नवाबों आदि से मदद लेता हुआ व शाहगढ़, नारहट आदि को रौंदता हुआ 20 मार्च 1858 को झाँसी में छावनी के पास सैन्य दल के साथ आ पहुँचा। आते ही उसने महारानी को स्वयं आकर उपस्थित होने तथा गुलाम गौस खॉ, खुदाबख्श, मोतीबाई, रघुनाथ सिंह, जवाहर सिंह लाला, भाऊ बख्शी, नरसिंहराव (मंत्री) व मोरोपन्त ताम्बे इन आठ मुख्य सभासदों को समर्पण करने अथवा युद्व के लिए तैयार रहने की सूचना पहुँचाई। महारानी रक्तरंजित अवस्था में घोड़े पर ही गिर पड़ी। उन्हें समीपवर्ती गंगादास की झोपड़ी के पास ले जाया गया। उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को अपने परमप्रिय विश्वासपात्र रामचन्द्र देशमुख को सौंपते हुए तथा गले से कंठा उतार कर उन्हें देते हुए अवरुद्व कण्ठ से कहा दामोदर अब तुम्हारे हाथ है और उपस्थित सबकी ओर पूजपूर्ण आँखों से देखते हुए कहा मेरी जीवित या मृतक देह अंग्रेजों के अपवित्र हाथों में न पड़ पाये। कुछ समय प्श्चात् ही प्राण पखेरु उड़ गये। जिस दिन महारानी के बलिदान के साथ उनके जीवन के इतिहास का अन्तिम पृष्ठ बन्द हुआ वह दिन 18 जून 1858 ई0 का इतिहास प्रसिद्व दिन बन गया।

झाँसी जनपद के चिरगाँव नामक ग्राम में अपने समय के सुप्रसिद्व व्यवसायी एवं काव्य प्रेमी रामभक्त श्री रामचरण के यहाँ 1886 में जन्मे मैथिलीशरण गुप्त ने काव्यशास्त्र क्षेत्र में अपनी कृतियों से जो झाँसी जनपद के साथ-साथ बुन्देलखण्ड का गौरव सम्पूर्ण देश में बढ़ाया है, वह सबके लिए गर्व की बात है भारत-भारती, साकेत, यशोधरा इत्यादि कृतियाँ इनकी अमर लेखनी से लिंखी गयी। सर वाल्टर स्कॉट कहे जाने वाले ऐतिहासिक उपन्यास सम्राट के रूप में देश-विदेश मे ख्याति प्राप्त और बाबू नाम से सम्बोधित डॉ0 वृन्दावन लाल वर्मा भी श्री गुप्त की तरह हमारे झाँसी के यशोदीप है। मऊरानीपुर (झाँसी जनपद) में सन् 1889 में जन्मे बाबू की साहित्यिक प्रतिमा के प्रस्फुटन नाटककार के रूप में सन् 1908-09 में उनके प्रथम नाटक 'सेनापति ऊदल' के रूप में हुआ जो अंग्रेजी शासनकाल में जब्त कर लिया गया लेकिन दूसरा प्रसिद्ध नाटक 'राखी की लाज' सन् 1943-44 में प्रकाशित हुआ।

आपके उपन्यासों के माध्यम से पता चलता है कि वे बुन्देलखण्ड की संस्कृति के साथ-साथ प्रकृति प्रेमी, संगीत कला-प्रेमी अपने देश को प्राचीन गौरव के रक्षक के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है।

साहित्य जगत में जहाँ राष्ट्रकवि एवं उपन्यास सम्राट जैसी महान विभूतियों ने झाँसी का गौरव बढ़ाया है उसी प्रकार हॉकी के जादूगर के नाम से अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेजर ध्यानचन्द्र भी हमारी झाँसी की महान विभूति के रूप में 'दद्दा' जैसे प्यारे शब्द के रूप में एक गौरव एवं सौभाग्य है। सन् 1905 में इलाहाबाद के समीपवर्ती ग्राम में जन्मे और झाँसी में आकर बसे और यहीं के तत्कालीन मैकडोनल हाईस्कूल से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करके आजीविका के नाम पर फौज में नौकरी कर ली। ईश्वर की कृपा से बचपन से ही हॉकी में विशेष रुचि थी। परिणामस्वरू आप 21 वर्ष की आयु में सर्वप्रथम सेना का प्रतिनिधित्व कर आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड गये। तत्पश्चात् सन् 1928 में वे कप्तान जयपाल सिंह के नेतृत्व में एक्सटर्डम (हालैण्ड) ओलम्पिक में चुन लिए गये एवं 1932 ई0 में उन्होंने लांस एंजिल्स में ओलम्पिक में भाग लिया। सन् 1936 में बर्लिन में होने वाले ओलम्पिक में कप्तान के रूप में जो चमत्कार दिखाया उससे ही आपको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। 20 नवम्बर 1979 को 'दद्दा' अचानक बीमार पड़ गये और उन्हें दिल्ली ले जाना पड़ा। काफी उपचार के बाद दद्दा 3 दिसम्बर 1979 को दिल्ली में चल बसे।

विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों एवं समय–समय पर यहाँ पर अनेक महान विभूतियाँ हुईं जिन्होंने झाँसी का नाम भारत में शीर्ष स्थान पर रखा। वर्तमान समय में झाँसी जनपद उत्तर प्रदेश की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा पर 25.30 देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में जिला जालौन, पूर्वी सीमा में हमीरपुर व महोबा जनपद, दक्षिण में ललितपुर जनपद तथा सम्पूर्ण पश्चिमी-भाग और दक्षिण का कुछ भाग मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। जनपद में 760 आबाद ग्राम, 440 ग्राम पंचायतें, 65 न्याय पंचायतें, 6 नगर पालिकायें, 7 नगर पंचायतें, 2 छावनी क्षेत्र तथा 1 नोटीफाइड एरिया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से झाँसी जनपद 4 तहसीलों क्रमशः झाँसी, मोठ, मऊरानीपुर एवं गरौठा में विभाजित है। विकास की दृष्टि से जनपद को 8 विकासखण्डों में विभक्त किया गया है। झाँसी तहसील में बबीना, बड़ागाँव, मऊरानीपुर, गुरसराय तथा मोंठ- तहसील में चिरगाँव, मोंठ विकासखण्ड हैं। झाँसी जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग किलोमीटर है जिसे दो पृथक भौतिक इकाइयों में बाँटा जा सकता है। उत्तर में निचला स्तर एवं उपजाऊ भूमि का भूभाग और दक्षिण में पठारी भूभाग है। उत्तरी भूभाग की अधिकांश भूमि समतल मैदानी है जिसमें कहीं-कहीं छोटी-छोटी पहाड़ियाँ फैली हैं। इस क्षेत्र में झाँसी, मोंठ, गरौठा तथा मऊरानीपुर तहसील का उत्तरी भाग आता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ पतराई तथा छेद्र है जो अपनी सहायक नदियों के साथ मऊरानीपुर तथा गरौठा तहसीलों की भूमि सिंचाई

करती हुई धसान नदी में मिल जाती है। इस क्षेत्र में मात्र काबर एवं पडुवा किस्म की मिट्टी पायी जाती है जो कि कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है। मोठ तहसील में कई छोटी-छोटी धारायें बेतवा नदी में मिलती हैं। मोंठ एवं गरौठा तहसीलों में फैली छिटकी पहाड़ियों के अलावा दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाये हैं। इसमें से एक श्रृंखला बरुआसागर के पास से शुरु होकर झाँसी-मोंठ तहसीलों से होती हुई उत्तर पूर्व की ओर जाती है तथा दूसरी मऊरानीपुर तहसील के बिल्कुल दक्षिण में स्थित कटेरा ग्राम से प्रारम्भ होकर कचनेव, मगरवारा झीलों से होती हुई उत्तर की ओर जाती है। इस भाग की समुद्र तल से ऊँचाई गढ़मऊ में 677 फीट, मोंठ में 575 फीट और पूँछ में 540 फीट है। भू–भाग में बेतवा नदी के किनारे की भूमि टूटी चट्टानों से युक्त है जिसमें खेती करना संभव नहीं हो पाता। बेतवा और धसान नदियों के संगम के कारण भारी मात्रा में कटाव हुआ है। भू–भाग की सामान्य ढलान उत्तर-पूर्व की ओर है। बेतवा नदी का पूर्वी भाग उसके पश्चिमी भू–भाग की अपेक्षा नीचा है। दक्षिणी भू–भाग में झाँसी और मऊरानीपुर का दक्षिणी भाग सम्मिलित है जिसमें उपलब्ध चट्टानी पहाड़ियाँ अपने आप में विविधता उत्पन्न करती हैं। इन पहाड़ियों का झुकाव उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। पहाड़ियों पर कोई वनस्पति आदि नहीं उगती है। उत्तर भू भाग की मिट्टी चिकनी-काली है जिसमें पानी सूखने के पश्चात् दरारें पड़ जाती हैं। दक्षिणी भू–भाग में मिट्टी मोटी किस्म की है जो प्रायः रंग में लाल और कम उपजाऊ है।

जनपद में मुख्यतः तीन नदियाँ बेतवा, धसान और पहूज बहती हैं जिनका बहाव पूर्वोत्तर की ओर है। बेतवा जनपद की सबसे लम्बी नदी है तथा राजघाट, माताटीला, पारीक्षा होते हुए जनपद जालौन में प्रवेश करती है। पहूज नदी विकासखण्ड बबीना के मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है तथा जनपद के पश्चिमी भाग में बहती हुई मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। धसान नदी जनपद झाँसी एवं हमीरपुर के मध्य सीमा निर्धारित करती है। बेतवा नदी पर तीन बाँध हैं। पारीक्षा सिंचाई बाँध है जिससे पारीक्षा एवं गुरसराय नहरें निकाली गई हैं तथा दूसरा बाँध सुमवा-ढुकवाँ है। यह पारीक्षा की फीडिंग रिजर्वायर है। बेतवा नदी पर सबसे बड़ा बाँध माताटीला है जो इस समय ललितपुर जनपद में स्थित है। धसान नदी पर पहाड़ी बाँध मऊरानीपुर-नौगाँव सड़क पर स्थित है। लहचूरा बाँध जिससे धसान नहर निकली है। सपरार नदी पर कमला सागर बाँध है जिससे रानीपुर नहर निकाली गई है। जनपद की मिट्टी मुख्यतः लाल काली का मिश्रण है जिसे मार, पडुवा एवं काबर के नाम से जाना जाता है। जनपद के प्रथम खण्ड जिसमे विकासखण्ड चिरगाँव, मोंठ, बामौर एवं मऊरानीपुर हैं 50 प्रतिशत भाग में मार, 30 प्रतिशत भाग में काबर एवं शेष 20 प्रतिशत में पडुवा मिट्टी पायी जाती है। जनपद झाँसी की भूमि पथरीली और कम गहराई वाली है। यहाँ गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और वर्षा ऋतु में कम वर्षा होती है। थोड़े समय के लिए अधिक जाड़ा पड़ता है जो वनों के विस्तार के लिए अत्यन्त उपयोगी

है। धसान नदी के किनारे सागौन वृक्ष पाये जाते हैं। महुवा इस जनपद के वनों में काफी पाया जाता है। जनपद के 327.7367 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन हैं जो कि कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.5 प्रतिशत हैं। वन विभाग के अर्न्तगत 257.9624 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्रफल है। यहाँ के जंगलों में बबूल, महुवा, तेन्दू, सलाई तथा ढाक बहुत पाया जाता है। तेन्दू की पत्ती बीड़ी बनाने में प्रयोग की जाती है। जंगल की 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा ईधन की लकड़ी वाले वृक्षों की है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है जिसके कारण ग्रीष्म काल में काफी गर्मी एवं शीतकाल में काफी ठंडक रहती है। मध्य नवम्बर से जनवरी तक अधिक ठण्ड पड़ती है। गर्मियों में आद्रता 20 प्रतिशत से कम हो जाती है और गर्म हवायें चलती हैं। जिले में वर्षा का सामान्य औसत 850 मि0मी0 है परन्तु वास्तविक रूप से वर्षा किसी वर्ष काफी अधिक और किसी वर्ष बहुत कम होती है। वर्षा की असमानता प्रायः 600 मि0मी0 से 1300 मि0मी0 के मध्य रहती है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जून के तीसरे सप्ताह से प्रारम्भ होकर सितम्बर के अन्त तक रहता है तथा जुलाई माह में वर्षा की सघनता सबसे अधिक होती है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 19 प्रतिशत क्षेत्र बंजर एवं अकृषि योग्य है। यहाँ शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल शीघ्र प्रारम्भ होकर देर तक रहती है परन्तु ग्रीष्मकाल में रातें ठण्डी रहती हैं। जनपद का न्यूनतम औसत तापमान 13.86 डिग्री सेल्सियस तथा अधितम तापमान 32.84 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तथा न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल आबादी 14.30 लाख है जिसमें 7.68 लाख पुरुष एवं 6.62 लाख महिलायें हैं। जनपद में 8.60 लाख व्यक्ति गाँव में तथा 5.67 व्यक्ति नगरों में निवास करते हैं जो कि कुल जनसंख्या का क्रमशः 60-34 अब 39.66 प्रतिशत हैं। वर्ष 1981-1991 के दशक में झाँसी जिले की जनसंख्या में 20.48 की वृद्धि हुई है। जनपद में आबादी घनत्व 284.63 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इस जनपद का सबसे अधिक घनत्व वाला खण्ड बड़ागाँव तथा सबसे कम घनत्व वाला क्षेत्र बबीना तथा बामौर विकासखण्ड हैं। जनपद में प्रति हजार पुरुषों में 845 स्त्रियाँ हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की 3.25 अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं जो कि कुल आबादी का 25 प्रतिशत हैं। जनपद में कुल 6.07 लाख व्यक्ति साक्षर हैं जिसमें से 4.23 लाख पुरुष एवं 1.84 लाख स्त्रियाँ हैं। जिले में 55.32 प्रतिशत पुरुष एवं 27.84 प्रतिशत महिला साक्षर हैं। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार झाँसी जनपद की कुल जनसंख्या 1744931 है जिसमें पुरुष 932818 हैं एवं स्त्रियाँ 182113 हैं। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 489763 है जिसमें पुरुष 261406 तथा महिलायें 228357 हैं। जनपद के कुल परिवारों की संख्या 289863 है जिसमें ग्रामीण परिवार 173905 तथा नगरीय परिवार 115958 हैं। जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 1033171 तथा जनपद की कुल नगरीय जनसंख्या 711760 है। सन् 2001 के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता 985079 है

जिसमें पुरुष 633803 (67.94 प्रतिशत) एवं स्त्रियों की 351276 (43.25 प्रतिशत) है। यहाँ निर्वाचन क्षेत्रों की 06 जिसमें लोकसभा-02 (A) झाँसी–ललितपुर (B) गरौठा-जालौन हैं तथा विधानसभा-04 (A) बबीना (B) गरौठा (C) मऊ (D) झाँसी हैं। तहसीलों की संख्या 05 है- (1) झाँसी (2) मोंठ (3) टहरौली (4) गरौठा (5) मऊ। जनपद में विकासखण्डों की संख्या आठ है। जनपद में थानों की संख्या 26 है तथा नगर निगम एक झाँसी है। नगर पालिका परिषद 5 हैं – 1. चिरगाँव 2. समथर 3. गुरसराय 4. मऊरानीपुर 5. बरुवासागर। जनपद में नगर पंचायत- 7 हैं – 1. मोठ 2. टोड़ीफतेपुर 3. एरच 4. कटैरा 5. बड़ागाँव 6. गरौठा 7. रानीपुर। जिला चिकित्सालय–1, महिला चिकित्सालय-1, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–3, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र 50, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र/उपकेन्द्र 251 आदि हैं। जनपद में प्राथमिक विद्यालय–1253, उच्च प्राथमिक विद्यालय–390, माध्यमिक विद्यालय–124, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र–60, महाविद्यालय–12, स्नातकोत्तर महाविद्यालय–5, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पुरुष/महिला–2, बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज–1, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय–1, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज–1, ऑगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या–912, प्राविधिक शिक्षण संस्थान पुरुष/महिला–2, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बरुवासागर–1 में है। राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें–76, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक–23, सहकारी बैंक–18, आदि जनपद में स्थित हैं।

वर्तमान समय में इन सब उपलब्धियों के बावजूद यहाँ पर अत्यन्त पिछड़ापन है। यहाँ पर अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर से पिछड़े हैं। समाज में उन्हें सबके बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। आज भी पिछड़े/दलित/अनुसूचित वर्ग के लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। पुरुषों की उपेक्षा इनकी महिलायें ज्यादा प्रताड़ित होती हैं। समाज में हमें विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विविधतायें देखने को मिलती हैं। "भारतीय सामाजिक संरचना एवं सांस्कृकि प्रतिमान विविधता एवं एकता के द्वारा ही जाने जाते है।"[1]

नारी एवं पुरुष मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। अनेक परिवारों से समुदाय और अनेक समुदायों से मिलकर एक समाज निर्मित होता है। "स्त्री के अनेक स्वरूप हैं और सामान्यीकरण करना प्रायः असम्भव है क्योकि विभिन्न क्षेत्रों मे, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न धर्मों और जाति समूहों में नारी की सामाजिक प्रस्थिति और उससे जनित समस्यायें बहुत भिन्नतायें रखती हैं। इनके आदर्श और व्यवहार में भी बहुत अन्तर है। एक ओर यदि नारी को 'गृहस्वामिनी', 'अर्द्धांगिनी' या 'देवी' कहा जाता है तो दूसरी ओर वह सदैव ही पर-निर्भरता की स्थिति में बताई जाती है।"[2]

---

1. Srinivas, M.N; India: Social Structure . P.1.
2. Srinivas, M.N; The Changing Position of Indian Women P. 7.

सामाजिक संरचना, लोक परम्परा और आदर्श सभी मिलकर पुरुषों एवं महिलाओं के व्यवहारों से सम्बन्धित सामाजिक अपेक्षाओं को प्रभावित करते हैं और समाज में महिलाओं की प्रस्थिति तथा भूमिका को भी सुनिश्चित करते हैं। महिलाओं की प्रस्थिति, संस्कृति, क्षेत्र और आयु जैसे विशेष कारकों से निर्धारित होती है। संवैधानिक और कानूनी तौर पर महिलाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका तथा सामाजिक परम्पराओं द्वारा थोपी गई प्रस्थितियों और भूमिका में अन्तर का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे देश की महिलाओं में देखने को मिलता है। पितृसत्तात्मक मूल्यों एवं संस्थाओं पर आधारित होने के कारण महिलाओं की 'अच्छी', 'आज्ञाकारी', 'त्याग' करने वाली बहू बेटी और पत्नी के रूप में ही समाजिक स्वीकार्यता है। उन्हें हमारे समाज में सामाजिक रीति-रिवाज व सामाजीकरण के माध्यम से इस प्रकार ढाला जाता है कि सामाजिक ढांचे के अर्न्तगत होने वाली असमानताओं, अधीनता और शोषण आदि का विरोध न करें। पुरुषों के संरक्षकत्व और आश्रय प्रवृत्ति की अधिकता बहुधा उनके व्यक्तित्व और निजता के विकास को अवरुद्व कर देती है। "महिलाओं की परिवार और समाज में स्थिति मुख्यतया देश के विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक और भौगोलिक कारकों से निर्धारित होती है।"[1]

औद्योगीकरण, शहरीकरण और आधुनिकता के प्रभाव के कारण रहन–सहन में काफी परिवर्तन हुआ है परन्तु संयुक्त परिवार की मान्यतायें आज भी काफी हद तक प्रचलित हैं। इस प्रकार के पारिवारिक ढांचे में महिलायें कठोर प्रतिबन्धों के अधीन होती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका नहीं के बराबर अथवा बिल्कुल नहीं होती और वह अपने सास के सीधे अधीन होती हैं। सांस्कृतिक स्वायत्तता और महिलाओं की प्रस्थिति हमेशा से जाति व्यवस्था से नियन्त्रित होती रही है। परिवार की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण निम्न जातियों और अधिकांश आदिवासी या अनुसूचित समाज की महिलाओं को घूमने फिरने, पर्दे से बाहर रहने, जीवन साथी के चुनाव में स्वतन्त्रता और यदि विवाह सफल न हो तो उसे भंग करने का अपेक्षाकृत बेहतर अधिकार है। संस्कृतिकरण के माध्यम से अधिकांश निम्न जातियाँ, उच्च जातियों के किया-कलापों, रहन-सहन तथा मान्यताओं का अनुकरण करके अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हैं। परिणामस्वरूप महिलाओं की स्वायत्तता भी घट रही है।

"पुरुष ही वंश चलाते हैं" परिवार के ढांचे की इस मान्यता से भारतीय समाज के अनुसूचित जाति के तबकों में बेटों की चाहत कुछ ज्यादा बढ़ी है। The National Family Health Survey (1992-93) ने निम्नांकित पहलुओं जैसे– प्रतिरक्षण दर, स्तनपान की अवधि, तीन सामान्य शैशवकालीन रोगों की स्थिति और उनके उपचार की संभावना, चार वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की

1- National Profile on Women, Health and Development, 2000.

समस्या और नवजात शिशुओं तथा बच्चों के जीवित रहने की दर इत्यादि के आधार पर 19 सर्वाधिक जपसंख्या वाले राज्यों में बेटे को प्राथमिकता दिए जाने का अनुमान लगाया था। लगभग सभी मापदण्डों पर अधिकांश राज्यों में लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक लाभकारी स्थिति में है। बेटों की चाह उत्तरी भारत और मध्य भारत में विशेष रूप से ज्यादा है तथा दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम है। आदिवासी जनसंख्या में महिलाओं के प्रति भेदभाव अधिक नहीं है। जन्मोपरांत कन्या शिशु की हत्या तथा कन्या भ्रूण की हत्या जैसी प्रथाएँ भी महिलाओं की स्थिति पर बुरा प्रभाव डालती हैं। समाज के अधिकांश हिस्सों में विधवा होना भी एक सामाजिक अभिशाप है और उच्च जाति के हिन्दुओं में तो यह विशेष रूप से प्रभावी है। निम्न जातियों, आदिवासी, अनुसूचित जनसंख्या तथा मुस्लिमों में विधवाओं का पुर्नविवाह काफी प्रचलित है। भारतवर्ष में महिलाओं की प्रस्थिति पर राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट 1988 के अनुसार विधवाओं के प्रति समाज की सोच, विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्मरों पर भिन्न-भिन्न है।

आजादी के बाद के दौर में समानता और लिंग न्याय में आशातीत वृद्वि हुई है। शहरी महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए जन-जागृति प्रदर्शित की है। शासन भी भेदमूलक प्रथाओं के विरुद्व आगे आने के लिए बाध्य हुआ है। महिला साक्षरता भी तेजी से बढ़ी है। स्त्रियों का सभी व्यवसायों में प्रवेश स्वीकार्य हुआ है। लैंगिक मुद्दे तेज़ी से उभर रहे हैं। वर्तमान समय में भारत में महिलायें विविध भूमिकायें घर, आफिस, राजनीति आदि में निभा रही हैं। वे पुनः संघर्षरत हैं। वे राजनीतिक क्षेत्र में भी धीरे-धीरे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। संविधान में 72वाँ और 73वाँ संशोधन महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जारी संघर्ष का परिणाम है। वे परिवार और बड़े सामाजिक दायरों में भी अपनी भूमिकाओं को नये सिरे से परिभाषित करती हैं। वे शनैः–शनैः ऐसे सभी रिवाजों और धारणाओं को नकार रही हैं जो लिंग भेद को प्रोत्साहित करती हैं। पुरुष प्रधान समाज ने ईश्वर और धर्मरूपी अपने आखरी दांव का प्रयोग कर लिया है। महिलाओं के समाधान के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है। महिलाओं के प्रति समाज की सोंच में बदलाव आया है, अब उनको शिक्षा की ओर अग्रसर किया जा रहा है एवं विभिन्न महिलायें आज विभिन्न पदों पर कार्यरत भी हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए जातीय व्यवस्था भी जिम्मेदार है। सदियों पुरानी शोषणोन्मुखी जातीय व्यवस्था द्वारा उत्पन्न सामाजिक दशाओं के कारण अनुसूचित जाति की महिलायें उच्च जातीय पुरुषों द्वारा शारीरिक रूप से, सामूहिक रूप से पीड़ित किए जाने के भय से ग्रस्त रहती हैं। इस प्रकार उन्हें लिंग और जाति की दोहरी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन पहलुओं के अतिरिक्त भी महिलायें विशेष परिस्थितियों का शिकार बनती हैं। जेलों या

संरक्षण गृहों में स्थित महिलाओं, विधवाओं, अकेली महिलाओं, मानसिक महिला रोगियों, विकलांग महिलाओं, विस्थापित और शरणार्थी महिलाओं के विरुद्व अत्याचार कम नजर आने वाले पहलू हैं। भारत में महिलाओं के विरुद्व अपराध सर्वाधिक दर्दनाक और राजनैतिक बहस के मुद्दे हैं यद्यपि ये सीधे-सीधे विकास के मुद्दे नहीं हैं परन्तु इससे महिलाओं का विकास प्रभावित होता है। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता और भेदभाव से बचाव के लिए कई धाराओं की रचना की गई है उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :–

1. कानून की निगाह में बराबरी और कानूनों की बराबर रक्षा (अनुच्छेद–14)।
2. अन्य वस्तुओं के साथ–साथ लिंग के आधार पर भेदभाव, हीनता विशेषतया सार्वजनिक स्थलों पर पहुँच की मुक्त उपलब्धता और राज्यों को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के अधिकार (अनुच्छेद–15)।
3. सेवायोजन और रोजगार के अवसरों की समानता (अनुच्छेद–16)।
4. राज्य द्वारा स्त्री–पुरुषों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सार्वजनिक नीति का निर्धारण (अनुच्छेद–39 E एवं F)।
5. राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता बनाने के प्रयास (अनुच्छेद–44)।
6. महिलाओं के सम्मान के विपरीत प्रथाओं को त्यागना प्रत्येक नागरिक का मूलभूत कर्तव्य (अनुच्छेद–51 A-E)।

संवैधानिक प्रावधानों की अनुरूपता में सरकार ने महिलाओं की रक्षा और उनकी प्रस्थिति में सुधार के लिए विशेष कानूनों को लागू किया है। महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है एवं आज महिला सशक्तीकरण का जमाना है। 'शक्ति' किसी कार्य को कर सकने की क्षमता को माना जाता है। सामाजिक सन्दर्भों में शक्ति का अर्थ अधिकार, हुक्म देने का हक, शासन करने या नियन्त्रित करने की ताकत या प्रभावित करने की क्षमता इत्यादि है। इस प्रकार सशक्तीकरण का सामान्य अर्थ है जहाँ शक्ति न हो या जहाँ कम हो वहाँ पर शक्ति को और बढ़ावा देना। सशक्तीकरण का अर्थ अधिकार और शक्ति का विकेन्द्रीकरण है। इसका उद्देश्य वंचित वर्गों के लोगों को निर्णय लेने की प्रकिया में भागीदार बनाना है। बालिकाओं और महिलाओं की 'विशेष समूह' के रूप में पहचान तथा महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता का मिलना अपने आप में एक सशक्त कदम है। अर्न्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सामाजिक एवं पारिवारिक विकास तथा प्रगति के लिए महिला सशक्तीकरण के अपरिहार्य माने जाने की समझ और अनुभूति बढ़ी है। आज वर्तमान समय में महिला सशक्तीकरण को स्थापित करने के लिए सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिला को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना है ताकि वे कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम हो और विकास कार्यों में भी उनकी भागीदारी हो सके। एक सशक्त महिला को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए समर्थ होना चाहिए। शिक्षा इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेगी। क्रर्यशील महिलाओं के लिए हास्टल की सुविधाएँ और उनके बच्चों की देखभाल के लिए डे केयर केन्द्र और पारिवारिक समयाग्रस्त महिलाओं और लड़कियों के लिए लघु अवधि आवास की योजनायें महिला कल्याणोन्मुखी थीं। स्पोर्ट फार ट्रेनिंग-कम-एम्प्लायमेंट (STEP) कार्यक्रम जो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु बनाया गया था जिसमें सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम, रोजगारपरक प्रशिक्षण, जागृति उत्पन्न करना, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास जैसी सुविधाएँ बनाना, पारिवारिक परामर्श आदि मुख्य गतिविधियों को शामिल किया गया। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी महिला स्तरीकरण के कार्यक्रम बनाये गये हैं। इसमें महिलाओं को पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और इन सबसे ऊपर उनका हिंसामुक्त जीवन जीने का मानवीय अधिकार सार्वजनिक नीति का हिस्सा होना चाहिए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कार्य में भागीदारी काफी कम है परन्तु कालांतर में उनकी भागीदारी की दर पुरुषों की दर से ज्यादा तेजी से बढ़ी है। 1991 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कार्य में भागीदारी 22.27 प्रतिशत थी। अधिकांश महिलाओं के रोजगार संगठित क्षेत्र में हैं। 1970 से 2000 के दौरान कई स्वायत्त महिला संगठन उभर कर सामने आये। विभिन्न विचारधाराओं की दृष्टि से ऐसी संस्थाओं की सदस्यता केवल महिलाओं तक ही सीमित रहनी चाहिए और इन मुद्दों पर उन्हें पुरुषों के हस्तक्षेप तथा संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ संस्थाओं में दलित महिलाओं के दमन विरुद्व फोरम, दिल्ली में सहेली, हैदराबाद में अस्मिता, बैंगलौर में विमोचना, चेन्नई में पेनोरम्माइयक्कम और अन्य कई संगठनों ने एक नया आत्मविश्वास और नयी चेतना प्राप्ति का संकेत दिया। कुछ अन्य महिला संगठन जिनकी संगठन क्षमता और संगठन संजाल मजबूत है वे राजनीतिक दलों से सम्बद्व हैं।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या 49.87 करोड़ है जो देश की कुल आबादी का 48.2 प्रतिशत है। स्वतन्त्रता के बाद से ही महिलाओं की उन्नति विकास योजनाओं का केन्द्र बिंदु रही है। वर्ष 2001–02 के दौरान कामकाजी महिलाओं को रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त हॉस्टलों को मंजूरी दी गई। महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए मदद देने का कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कृषि, पशुपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर और ग्राम उद्योग तथा रेशम कीट-पालन, सामाजिक वानिकी और बंजर भूमि विकास जैसे महिलाओं की प्रधनता वाले परम्परागत कार्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनके हुनर में और सुधार करना है। इस

कार्यक्रम में साधनविहीन और सीमान्त मजदूरों, निर्धन वर्गों तथा ऐसे परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनकी मुखिया महिलायें हैं। अब तक 6,63,983 महिलाओं को 131 परियोजनाओं के जरिये इससे लाभ हुआ है। जरूरतमंद महिलाओं को बुनियादी शिक्षा और हुनर प्रदान करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने शिक्षा की सघन योजना 1958 में शुरू की। इस योजना के अर्न्तगत स्वयंसेवी संगठनों को प्राथमिक, माध्यमिक और मैट्रिक स्तर तक की परीक्षाओं के लिए महिलाओं को तैयार करने के लिए दो वर्षीय पाठ्यक्रम और मैट्रिक अनुत्तीर्ण महिलाओं के लिए एक वर्ष का पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2001-02 के दौरान वर्ष में 9,665 महिलाओं के लिए 381 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और उनके हुनर को बढ़ाने के लिए 1975 और 1997 में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। स्वयंसेवी संगठनों के जरिए ग्रामीण, जनजातीय, पिछड़े और शहरी झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनके अर्न्तगत कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सामुदायिक स्वास्थ कार्यकर्ता, अर्द्ध–चिकित्सा व्यवसायों, टाइपिंग, शार्टहैण्ड जैसे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे रोजगार प्राप्त करने मे समर्थ हो सकें। सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के जरिए इन संगठनों की पहचान की जाती है। वर्ष 2001–02 के दौरान 556 स्वयंसेवी संगठनों के जरिए 1,772.22 लाख रुपये मंजूर किए गए जिससे 24,830 महिलाओं को लाभ पहुँचा। राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में महिलाओं का उचित स्थान है उसके बारे में व्यापक स्तर पर लोगों में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 को "महिला अधिकारिता वर्ष" के रूप में मनाया गया। इस दौरान एक ऐतिहासिक दस्तावेज 'महिला अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय नीति' पारित किया गया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कार्य-दल ने महिलाओं के जीवन से सम्बन्धित करीब 22 कानूनों की समीक्षा का काम अपने हाथ में लिया।

मार्च और अप्रैल 2002 में साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान विशेषकर गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय की निर्दोष औरतों को हिंसा के लिए याद किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार 2000 मौत के शिकार हुए लोगों में बहुत सी औरतें थीं। भारत में औरतों को घर के बाहर भी लगातार हिंसा का सामना करना पड़ता है। लिंग और समाज के अध्ययन में इण्डिया बुक वर्ष 2003 इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और 'द हिन्दू' के संयुक्त उपक्रम की रिपोर्ट बताती है कि प्रत्येक 26 मिनट पर एक औरत सतायी जाती है, प्रत्येक 34 मिनट में एक औरत बलात्कार का शिकार होती है प्रत्येक 42 मिनट में यौन-शोषण की एक घटना होती है, प्रत्येक 43 मिनट में एक औरत का अपहरण होता है और प्रत्येक 93 मिनट में एक औरत दहेज के लिए जलाकर मार दी जाती है। भारतीय समाज में बढ़ती साक्षरता

और अन्य परिवर्तनों के बावजूद भी नर बालक की वरीयता आज भी अपरिवर्तित है। एक गरीब महिला द्वारा पारिवारिक आय में घण्टों श्रम के रूप में किया योगदान पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा है। पारम्परिक रूप में महिलायें सबसे बाद में खाती हैं और सबसे कम खाती हैं। एक अनुमान के अनुसार 50 से 70 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में खून की कमी पायी जाती है। महिला साक्षरता की दर अब लगभग 45.4 प्रतिशत है और शिक्षा के बारे में आँकड़ें सुधार की ओर इशारा करते हैं फिर भी देश के अन्दर इनमें काफी विविधता है। आने वाले समय में जितनी ज्यादा महिलायें शिक्षित होंगी उससे प्रजनन दर भी प्रभावित होगी। अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों ने महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार देश में रोजगाररत लोगों में 27.54 करोड़ पुरुष और 12. 70 करोड़ यानी एक तिहाई से भी कम महिलायें थीं। संगठित क्षेत्र पर नजर डाले तो सरकारी आँकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2002 तक दोनो तरह के प्रतिष्ठानों में कार्यरत थीं। यह संगठित क्षेत्र में उपलब्ध कुल रोजगार का 18.1 प्रतिशत है। इन सभी आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। साक्षरता और शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ रोजगार पाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था के नये क्षेत्र खुलने के साथ ही उनकी संख्या और बढ़ेगी। सेना, पुलिस, व्यापार, प्रबन्धन, ड्राइविंग जैसे कठिन और अधिक समय व कठोर श्रम की मांग करने वाले व्यवसायों में भी महिलायें खुलकर भाग लेने लगी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 56 प्रतिशत हो गई है। सूचना, प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक और वित्तीय सेवायें, पर्यटन, मनोरंजन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ, होटल, मीडिया, काल सेंटर, सलाहकार और उपभोक्ता सेवायें, कानूनी गतिविधियाँ जैसे क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है जिनमें महिलाओं को वरीयता दी जाती है। बहुत सी महिलायें शीर्ष स्तर पर कार्यरत हैं। सेवा क्षेत्र में रोजगार के ऐसे अवसर उभर रहे हैं जिनमें औरते अधिक दक्षता के साथ काम कर सकती हैं। सर्वेक्षण के दौरान महिलाओं से बातचीत की गई तथा वे अपने कामकाज से संतुष्ट दिखीं एवं यह भी तथ्य सामने आया कि उन्हें और उनकी बात को पहले से ज्यादा महत्व दिया जाता है और फैसले लेने की प्रकिया में भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है। सुपरवाइजर या मध्यम दर्जे के पदों पर केवल 14.1 प्रतिशत और अधिकारी स्तर पर केवल 4.3 प्रतिशत महिलायें हैं। एक अन्य औद्योगिक संगठन सी0आई0आई0 द्वारा कराये गए सर्वेक्षण से भी यही सिद्व हुआ है कि कारोबारी क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर महिलाओं की संख्या मात्र चार फीसदी है। जहाँ तक महिलाओं की जिम्मेदारी के पद पर नियुक्ति का मामला है सभी क्षेत्रों में भेदभाव देखा जा सकता है। यहाँ तक की सारी दुनिया को खबर देने और खबर लेने वाली पत्रकारिता में भी स्त्रियों के प्रति भेदभाव की सामाजिक सोच अपना काम करती रहती है और दो चार अपवादों को छोड़कर किसी भी पत्र, पत्रिका या मीडिया संस्थान के शीर्ष स्थान पर महिलायें दिखाई नहीं देती। विज्ञान के क्षेत्र में शोध

करने वाली महिलाओं के एक सर्वेक्षण से मालुम हुआ है कि विभिन्न शोध संस्थानो में कार्यरत वैज्ञानिको में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में काफी अन्तर है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुल 193 वैज्ञानिको में 147 (76.2 प्रतिशत) पुरुष हैं। इसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इम्यूनोलॉजी में 70 वैज्ञानिकों में से 48 पुरुष (68.6 प्रतिशत) और महिलायें 22 (31.4 प्रतिशत) है। महिला वैज्ञानिको का कहना है कि उन्हें नौकरी पाने में भी दिक्कत होती है क्योंकि यह माना जाता है कि शादी और फिर उसके बाद माँ बनने की स्थिति में वे पूरी लगन से काम नहीं कर पायेंगी। निजी क्षेत्र के अन्य कार्यालयों, विशेषकर आई0टी0 और काल सेंटरों में भी विवाहित महिलाओं को काम देने में संकोच किया जाता है। यह भेदभाव नौकरी देने तक सीमित नहीं है बल्कि वेतन के मामले में भी लड़कियों के साथ अन्याय होता है। शिक्षा के प्रसार के कारण भी रोजगार में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी हो रही है। जिन-जिन राज्यों में साक्षरता की दर ऊँची है वहाँ कामकाजी महिलाओं की संख्या अधिक है। निरक्षर होने के कारण पंहले लड़कियाँ वही काम करना पसन्द करती थीं जहाँ उन्हें केवल लड़कियों के बीच काम करना हो। परन्तु अब हालात बदल रहे हैं और वे पुरुषों के बीच भी निःसंकोच काम कर सकती है।

वर्तमान समय में बुन्देलखण्ड की गौरवमयी, ऐतिहासिक नगरी झाँसी में इस समय साक्षरता एवं शिक्षा अनुसूचित जाति की महिलाओं में निरन्तर बढ़ रही है। झाँसी जैसे महानगर में शिक्षा की निरन्तर वृद्वि के कारण मध्यम वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति की महिलायें भी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। सरकारी सेवा के अलावा महिलायें विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। पिछली जनगणना में जहाँ 1000 पुरुषों पर 865 स्त्रियाँ थीं वहीं वर्ष 2001 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर 870 थीं। इस प्रकार प्रति एक हजार पुरुषों पर 05 स्त्रियों की वृद्वि हुई है जो कि एक सुखद संकेत है। ग्रामीण जनसंख्या कुल आबादी का 59 प्रतिशत है जो कि पिछली जनगणना से कम है। इससे स्पष्ट है कि नगरीय आबादी में वृद्वि हुई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में 19.77 एवं नगरीय जनसंख्या में 26.44 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। पुरुषों की जनसंख्या में 22.10 प्रतिशत तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 22.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 489763 है। पुरूष की जनसंख्या 261406 एवं अनुसूचित जाति की स्त्रियों की जनसंख्या 228357 है। अनुसूचित जाति की महिलाओं का शिक्षा स्तर एवं साक्षरता प्रतिशत बढ़ा है। इसी वृद्वि के कारण आज बुन्देलखण्ड के अत्यन्त पिछड़े नगर में महिलाओं की कार्यों की अनुसूची विभिन्न क्षेत्रों में पायी जाती है। कृषि, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा, वन, पशुपालन इत्यादि विभागों में अनुसूचित जाति की महिलायें कार्यरत हैं। नगर निगम के चुनाव की रणभेरी बजते ही निगम के कुल 60 वार्डो में चुनाव के बाद विभिन्न प्रकार के परिणाम सामने आये। निगम के वार्डों के मतदाताओं के आँकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि वार्डो में अनुसूचित जाति के

मतदाता निर्णायक साबित होंगे। 60 वार्डों में से कई वार्डों में अनुसूचित जाति की महिलाओं ने ही बागडोर संभाली है। वार्ड नं0 11 नई बस्ती प्रथम, वार्ड नं0 12 तालपुरा द्वितीय, वार्ड नं0 13 गढ़ियागाँव, वार्ड नं0 14 खुशीपुरा द्वितीय आदि वार्डों की कमान अनुसूचित जाति की महिलाओं के हाथ में है। विभिन्न वार्डों में पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की महिलायें भी चुनाव में अपना नामांकन कराया। साक्षरता एवं शिक्षा की निरन्तर वृद्वि के कारण आज महिलायें सभासद एवं मेयर के चुनावों में भी अग्रणी रही हैं।

मध्यवर्ग का उभरना भी कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्वि के लिए जिम्मेदार है। मध्यवर्ग की महत्वाकांक्षायें दिनों–दिन बढ़ रही हैं जिससे परिवार की आय बढ़ाने के लिए महिलायें काम करने के लिए घर से बाहर आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने का एक मुख्य कारण है कि गाँवों से पलायन के कारण पुरुष शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पलायन में महिलायें भी शामिल हैं जो शहरों में जाकर घरेलू कामकाज, भवन निर्माण या अन्य छोटे-मोटे कार्य करती हैं। श्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ताजा आँकड़े बताते हैं कि कम से कम 11 करोड़ 80 लाख महिलायें असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं जिनमें खेतिहर मजदूरी, दिहाड़ी, खोमचे लगाना, घरेलू नौकरी इत्यादि कार्य शामिल हैं। कुल महिला कर्मियों का 96 प्रतिशत इसी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। सकल घरेलू उत्पाद में इन महिलाओं का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है। इनमें 77 फीसदी से अधिक औरतें कृषि क्षेत्र में लगी हुई हैं और निर्माण क्षेत्र में काम करती महिलाओं की संख्या केवल 10 प्रतिशत है।

इस प्रकार लगता है कि पांचवी आर्थिक गणना में जो तस्वीर सामने आयी है वह और गहरी होगी तथा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की आबादी बढ़ेगी। निश्चय ही रोजगार में औरतों की भागीदारी बढ़ने से देश की आर्थिक प्रगति का चक्का और तेजी से घूमेगा। साथ ही साथ महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ने से समाज में उनकी स्थिति बेहतर होगी। स्त्री–पुरुष समानता का सपना जल्दी साकार होगा। महिलाओं को उपलब्ध अवसर बढ़ाने होंगे ताकि वे अर्थोपार्जन कर स्वावलम्बी बन सकें। महिला सशक्तीकरण के लिए उनके स्वास्थ की समुचित देखभाल जरूरी शर्त है। समय आ गया है कि पितृसत्तात्मक मूल्य बदल दिए जाएँ और लोगों को इस तथ्य के प्रति जागरूक बनाया जाए कि राष्ट्र तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता जब तक उसकी स्त्रियाँ स्वस्थ न हों। स्त्री–पुरुष समानता के द्वारा समस्त आर्थिक क्षेत्रों की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। इस सद्प्रयास की सफलता के लिए हमें सभी स्तरों पर सतत प्रयास करते रहना होगा।

महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनायें अमल में हैं लेकिन महिलाओं पर होने वाली हिंसा और उत्पीड़न की घटनायें उनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप हैं।

हिंसा की गिरफ्त में सभी जाति वर्ग की महिलायें हैं परन्तु अनुसूचित जाति की महिलायें ज्यादा हिंसा से प्रताड़ित होती हैं। बहुत से अध्ययनों से निश्चित हो गया है कि औरतें पुरुष प्रतिभागी की अपेक्षा विकास मे अधिक सकारात्मक सहयोग दे रही हैं। कुल मिलाकर यद्यपि कुछ सफलतायें मिली हैं और सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों के कुछ परिणाम मिले हैं लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति मूलभूत सोच में अधिक बदलाव नहीं आया है। लेकिन भूमण्डलीकरण को निर्बाध रूप से बढ़ने दिया गया तो ये महिलाओं के लिए प्रतिगामी सिद्व हो सकता है। समस्त सरकारी प्रयास व कानून तभी सफल हो सकते है जब परिवार व समाज का हर व्यक्ति पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और महिलाओं के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनायें। शिक्षा के माध्यम से समानता देना चाहिए ताकि परम्परागत शैक्षिक असमानता के स्थान पर समानता के मूल्य स्थापित किए जा सकें। हमे अपनी मानसिकता को बदलना होगा और जो हमारे संस्कार, परम्परायें और सोंच के दायरें हैं उनसे निकलकर एक नयी सोंच पर अमल करना होगा तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पायेंगे।

वास्तव में स्त्री की समाज में या जीवन में कुछ भूमिकायें नकारात्मक, पलायनवादी, विवेकहीन और कोरी भावुकतापूर्ण रही हैं। इसी कारण स्त्री पर गर्व करने की भावना परिपक्व नहीं हो पायी है। आज समाज में ऐसी स्त्रियों की संख्या कम है जो आन्तरिक विकास पर ध्यान देती हैं। स्त्री ने सदैव अपने आपको इस्तेमाल की वस्तु माना। स्त्री-स्त्री के प्रति ईर्ष्या का भाव छोड़ना होगा। सेक्स कमान स्वयं स्त्री को संभालनी होगी। वास्तव में स्त्री की आजादी की जो पुकार है उसमे स्वतन्त्रता से तात्पर्य सहभागिता से है जहाँ स्त्री-पुरुष पति-पत्नी होने के बजाय एक–दूसरे के मित्र हों। एक-दूसरे की इच्छाओं को सम्मान देने वाले हों, परिवार में बराबरी का दर्जा रखते हों, हर कार्य में एक-दूसरे की भावनाओं का आदर हों – सच्ची आजादी यही है।

झाँसी महानगर में धीरे-धीरे बदलाव आया है। यहाँ के निरन्तर प्रयास ने महिलाओं के प्रति रुचि दिखाई है। वैश्वीकरण के प्रभाव ने यहाँ पर किसी को अछूता नहीं रखा है। विभिन्न सरकारी पदों पर कार्यरत महिलायें अपना कार्य सुनियोजित तरीके से कर रही हैं। अत्यन्त पिछड़ी अनुसूचित जाति की महिलायें आज जहाँ एक ओर शासन की बागडोर सम्भाल रही हैं तो वहीं पर दूसरी ओर अपने घर को भी देखती हैं। वर्तमान समाज में महिलायें दो प्रकार की जिन्दगी जी रही हैं। घर का एवं बाहर का कार्य देखती हैं। घर में परिवार, बच्चे, जिम्मेदारियों एवं उनके प्रति कर्तव्य का निर्वाह पूरे मन से करती हैं वहीं दूसरी ओर अपनी नौकरी, आफिस का कार्य भी पूरी लगन एवं मेहनत से करती हैं। पहले तमाम वर्जनाओं के चलते अनुसूचित जाति की महिलायें सरकारी सेवाओं से वंचित थी परन्तु वर्तमान समय में नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं रह गया है। परन्तु अधिकतर महिलायें अध्यापिका, नर्स, टाइपिस्ट और क्लर्क जैसी सरकारी सेवाओं तक ही सकेन्द्रित हैं। कुछ महिलायें ही ऐसी है जो

प्रशासनिक, तकनीकी कार्यो में उच्च स्थान प्राप्त कर पाती हैं। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित महिलाओं में वृद्धि हुई है। विवाह के पश्चात् महिलाओं की शारीरिक गतिशीलता एवं सामाजिक गतिशीलता कम हो जाती है जिसके कारण वे नौकरी में बहुत कम जा पाती हैं। अधिकांश सरकारी सेवारत अनुसूचित जाति की महिलायें समूह 'ग' या 'घ' वर्ग की सेवाओं में कार्यरत हैं। वे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षिकायें सरकारी कार्यालयों में क्लर्क, टाइपिस्ट, आशुलिपिक या फिर नर्स आदि के पदों पर कार्यरत हैं। अधिकांश महिलायें बढ़ते हुए दैनिक खर्चे को पूरा करने के लिए ही नौकरी करती है। काम के लिए बाहर जाना या घर में रहना उनकी इच्छा तथा मर्जी पर निर्भर नहीं करता। नौकरी के लिए घर से बाहर निकलना उनके लिए एक विवशता भी है। जहाँ पर महिलायें कार्यरत हैं वहाँ अनुसूचित जाति की महिलाओं के सम्मुख दो तरह की समस्यायें हैं। अनुसूचित जाति की होने के कारण इनके बड़ी उपेक्षा एवं हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है। इनके साथ आफिस एवं आफिस के बाहर विभिन्न प्रकार का उत्पीड़न होता है। इनका ज्यादा से ज्यादा शोषण होता है। सरकारी सेवा में जाने के लिए इनके शिक्षा का स्तर बढ़ा है जो इनका सामाजिक स्तर बढ़ाता है तथा इन महिलाओं की सोंच में परिवर्तन हुआ है। साथ ही इनके प्रति समाज का नजरिया भी बदला है। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति की महिलाओं का सरकारी सेवाओं में कार्यरत होने से इनकी परिवारिक आय में वृद्वि हुई है। ऐसे परिवार प्रायः कर्जमुक्त है तथा इनका जीवन स्तर ऊँचा उठा है। इनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन महिलाओं को आफिस एवं परिवार के मध्य भूमिका समायोजन एक चुनौती पूर्ण कार्य है। अनुसूचित जाति की सेवारत महिलायें अन्धविश्वासों, रूढ़ियों आदि परम्पराओं का त्याग कर रही हैं। साथ ही उत्थान हेतु चलाये जा रहे आन्दोलनों में भी भाग लेती दिखलाई पड़ रही हैं। आज अनुसूचित जाति की महिलायें हर क्षेत्र मे अपना परचम लहरा रही हैं। अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं ने अपने आपको एकजुट होकर महिला संगठन बनाने के लिए कहा कि जब तक पुरुष महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव नहीं लायेंगे तब तक समाज में उनको अपना उचित अधिकार नहीं मिल सकेगा। जब तक समाज में स्त्री एवं पुरुष दोनों की सोच में खुलापन नहीं होगा तब तक सही मायनों में समाज उन्नति नहीं कर सकता।

स्त्री बहुत महान है। उसे स्वयं अपना असली कद समझना चाहिए। वह पुरुष की ओछी हरकतो से तंग आकर उसके विरुद्व प्रतिशोध के लिए उठे हाथ रोके और अपने समूचे विवेक और समूची सृजनशक्ति, अपनी संवेदनशीलता, ममता और करुणा को एक साथ एकत्रित कर अपने लिए, पुरुष के लिए और सम्पूर्ण मानव सभ्यता के लिए सही दिशा की घोषणा करे।

अध्याय चतुर्थ

सरकारी सेवा और सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन

अध्याय चतुर्थ
सरकारी सेवा और सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति विशेष रूप से हिन्दू समाज में काफी ऊँची रही है। उन्हें शक्ति, ज्ञान और सम्पत्ति का प्रतीक माना गया है और इसी कारण दुर्गा एवं लक्ष्मी के रूप नारी की पूजा होती रही है। भारतीय संस्कृति में ऐसी अनेक नारियों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपनी चारित्रिक दृढ़ता, साहसिकता व अनुपम संस्कारों के बल पर असाधारण कार्यों को भी सहज कर दिखाया। सभ्यता काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान रही है। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त रहे हैं। धीरे-धीरे पुरुषों में अधिकार प्राप्ति की लालसा बढ़ती गयी। परिणामस्वरूप स्मृतिकाल, धर्मशास्त्र तथा मध्यकाल में नारी के अधिकार छिनते चले गये। स्त्रियों को निःसहाय तथा निर्बल मान लिया गया। समाज-सुधारकों एवं नेताओ का ध्यान स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की ओर गया और सभी ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया और स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया। विभिन्न समाज-सुधारकों, चिन्तकों तथा मनीषियों ने नारी की शक्ति को स्वीकार किया। उनका मानना है कि "नारी परिवार की आधारशिला है और देश एवं समाज की प्रगति बहुत कुछ उसी के सर्वप्रयत्नों पर निर्भर करती है।" डॉ0 राधाकृष्णन ने जीवन में नारी के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया है कि "जब आकाश बादलों से काला पड़ जाता है, जब हम अंधकार में बिल्कुल अकेले होते हैं, प्रकाश की एक भी किरण नहीं दिखाई पड़ती अर्थात् जब सब ओर कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ होती है तब हम अपने आपको किसी प्रेममयी नारी के हाथ में छोड़ देते हैं।" भारतीय समाज में माता के रूप में नारी का विशेष सम्मान रहा है। आदर्श रूप में स्त्रियों को उच्च स्थिति प्राप्त रही है, व्यवहार रूप में विशेषतः मध्यकाल में उनकी स्थिति अवश्य दयनीय हो गयी थी। वर्तमान में स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। उल्लेखनीय है कि कोई भी राष्ट्र तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता है जब तक वहाँ का समाज समर्थ न हो। समाज को समर्थ बनाने के लिए उसमें रहने वाले पुरुष ही नहीं बल्कि महिलायें भी समर्थ समाज का निर्माण कर सकती हैं और जब समाज समर्थ होगा तभी सशक्त होगा।

काफी वर्षों से कुछ समाजशास्त्री एवं गैर-समाजशास्त्री हमारे समाज में स्त्रियों की समस्याओं के मूल्यांकन एवं उनकी प्रस्थिति में आ रहे परिवर्तनों के अध्ययन में प्रयत्नशील रहे हैं। कुछ लेखकों ने जब स्त्रियों के उत्तराधिकार, सार्वजनिक कार्यों में उनकी भागीदारी एवं विवाह में उनके कानूनी

अधिकारों के सन्दर्भ में बहुत कुछ लिखा है, कुछ अन्य लेखकों ने पुरुषों द्वारा उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवस्था तथा विद्यमान रीति-रिवाजों के बारे में अनेक विचार प्रस्तुत किए हैं। कानूनी दृष्टि से उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया तथा उनका तिरस्कार, अपमान एवं प्रताड़ना अभी भी दर्शायी जाती है और न ही उन्हें पुरुषों के समान समझा जाता है और न उनको उचित सम्मान ही दिया जाता है। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर वरिष्ठ अफसरों द्वारा कनिष्ठ कामकाजी महिला लिपिकों, टाइपिस्टों आदि के साथ बहुत ही बुरा दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे तमाम प्रकरण भी सामान्य रूप से मिलतें रहते हैं जिनमें पुरुष अपने अधीन कार्यरत महिलाओं के साथ टेलीफोन एक्सचेन्जों में, सचिवालयों में, समाचार-पत्र कार्यालयों में, पंचतारा होटलों में, दूरदर्शन केन्द्रों में, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में तथा तकनीकी संस्थानों आदि में संसूचक प्रस्ताव रखते हैं और कामुक रूप से परेशान और हैरान करते हैं।

स्त्री–पुरुषों के सम्बन्धों में सबल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही प्रभावशाली स्थिति प्राप्त करता है। सामान्य तौर पर पुरुषों का एक वर्ग अधिकारिक रूप से अधिकार, आज्ञा देने के लिए समझता है जबकि कुछ मसलों पर महिलायें भी पुरुष के ऊपर नियन्त्रण रखने की स्थिति में रहती हैं। भारतीय संस्कृति में प्रारम्भ से ही एक समूह के रूप में स्त्रियों पर पुरुषों ने प्रभुत्व जमाया है और समाज एवं परिवार में उनकी स्थिति को निम्न रखा है। 1901 और 1951 के दशकों में सामाजिक, राजनैतिक नेताओं की समानता के लिए प्रतिबद्वता ने भारतीय महिलाओं के उदार समतावादी मूल्य के लिए आन्दोलन को प्रभावित किया। अनेक प्रकार के सामाजिक आन्दोलनों के चलाने का एक लाभ महत्वपूर्ण रहा जिससे स्त्रियाँ समान अधिकारों एवं सामाजिक चेतना की सफलता को प्राप्त कर सकी। मेहनत और श्रम के इस बाजार में कामकाजी महिलाओं को हानि ही उठानी पड़ती है। यह हानि उनकी अशिक्षा, दक्षता की कमी, समाज व्यवस्था में हीन स्थिति तथा निर्णय करने तथा शक्ति की संरचना से उन्हें बाहर रखने जैसी स्थितियों का ही प्रतिफल है।

1991 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार शहरों व गाँवों दोनों में ही घर की चारदीवारी से बाहर आकर काम करने वाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है। 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल कार्यशक्ति में 13 प्रतिशत महिला श्रमिक थीं। यह प्रतिशत 1981 में 25.89 और 1991 में 28.57 हो गया (The Hindustan Times, April 1993)। लगभग 80 प्रतिशत महिलायें कृषि कार्यों में लगी हैं। केवल 12.0 प्रतिशत स्त्रियाँ ही केन्द्रीय व राज्य प्रशासनिक सेवाओं में और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में लगी हैं। 1979 में फैक्ट्रियों में रोजगार प्राप्त स्त्रियों की संख्या 5.14 लाख थी तथा बागानों में 4.18 लाख थी। भारत में कुल कामकाजी महिलाओं में से प्रत्येक 100 सेवायुक्त महिलाओं में से 52.59 अशिक्षित हैं। 28.56 प्राइमरी तथा मिडिल स्तर तक शिक्षित, 13.78 सेकेण्डरी स्तर तक शिक्षित और 5.07 स्नातक और इससे ऊपर शिक्षित हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 100

सेवायुक्त महिलाओं में से 25.83 अशिक्षित, 35.49 प्राइमरी और मिडिल तक, 25.71 सेकेण्डरी तक और 12.97 स्नातक और इससे अधिक शिक्षित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 100 सेवायुक्त महिलाओं में से 88. 11 अशिक्षित, 10.68 प्राइमरी व मिडिल तक तथा 1.21 मिडिल से ऊपर शिक्षित हैं।

स्त्रियों में नौकरी के लिए प्रेरणा जो होती है वह पुरुषों से कुछ अलग होती है। इसका एक कारण स्पष्ट रूप से सामने आता है वह है धन की आवश्यकता परन्तु यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि सभी महिलायें धन के लिए ही नौकरी करती हैं। 728 कामकाजी महिलाओं के एक अध्ययन में नौकरी करने के मुख्य कारण इस प्रकार पाये गये – पति के अपर्याप्त वेतन के कारण, पति की मृत्यु, पति की बीमारी, पति के सहारा न देने के कारण, पति द्वारा छोड़ने के कारण और घर से बाहर काम करने को वरीयता देने के कारण। मोटे तौर पर कहा जाये तो 89 प्रतिशत महिलायें आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ही नौकरी करती हैं। दीपा माथुर (1992–93) के जयपुर में 225 कामकाजी महिलाओं के अध्ययन से महिलाओं के कार्योजित होने के 6 कारक पता चलते हैं आर्थिक आवश्यकता या परिवार की आय में सहयोग के लिए (22.7 प्रतिशत), भावी कुसमय से सुरक्षा (20 प्रतिशत), रहन–सहन के स्तर को ऊपर ऊँचा उठाने के लिए (20.4प्रतिशत), मन बदलाव व सामाजिक सम्पर्कों के कारण (17.3 प्रतिशत), व्यक्तिगत सम्मान और आकांक्षाओं के कारण (12.4 प्रतिशत), स्वाभिमान की पूर्ति के लिए (7.2 प्रतिशत)। इस प्रकार 63.0 प्रतिशत स्त्रियाँ आर्थिक आवश्यकताओं के कारण कार्य करती थीं और 37.0 प्रतिशत अनार्थिक कारणों से। जब उन स्त्रियों से पूछा गया कि यदि उन्हें स्वेच्छा प्रदान की जाये कि वे पूर्ण कालिक सेवायुक्त बनना पसन्द करेंगी या पूर्ण कालिक गृहिणी तो 52 प्रतिशत ने केवल घर के कार्यों को पसन्द किया और 48 प्रतिशत ने गृहकार्य तथा नौकरी दोनों को। इस प्रकार आधी से कुछ कम महिलाओं ने काम करने की उत्सुकता दर्शायी और आधी से कुछ अधिक ने काम के लिए अनिच्छा दर्शायी। प्रेरक स्तर के मापन से पता चला कि 47.6 प्रतिशत महिलाओं का प्रेरक स्तर बहुत ऊँचा था। 35.1 प्रतिशत मध्यम, 17.3 प्रतिशत का निम्न था। उच्च प्रेरणा स्तर का सम्बन्ध उच्च शिक्षा स्तर से, नौकरी के उच्च संतोष से और कम आयु से था। 29.0 प्रतिशत मामलों में प्रेरणा का स्रोत था जनक परिवार (माता, पिता, भाई, बहन), 23.0 प्रतिशत मामलों में स्रोत था जनन परिवार 9.0 प्रतिशत मामलों में मित्र व अध्यापक थे और 39 प्रतिशत मामलों में स्रोत स्वप्रेरणा थी। कार्य की प्रेरणा की बढ़ोत्तरी में वृद्धि करने वाले कारकों की तरह कुछ ऐसे कारक भी हैं जो इस प्रकार की प्रवृत्ति को कम करते हैं। प्रेरणा कम करने के लिए मुख्य कारक उत्तरदायी होते हैं उपयुक्त नौकरियों का उपलब्ध न होना (49 प्रतिशत), दक्षता में कमी (20 प्रतिशत), काम करने की इच्छा में कमी (18 प्रतिशत), पति से प्रोत्साहन न मिलना (8 प्रतिशत) और पति की नौकरी की आवश्यकताओं के साथ असंगत (5 प्रतिशत)। कामकाजी महिलाओं को दोहनी भूमिका निभानी पड़ती है। कितनी महिलायें

अपनी दोहरी भूमिका से संतुष्ट हैं, यदि पैसा कमाने वाली महिला माँ और पत्नी की भूमिका में खुद को विलीन करने के प्रयत्न में सफल होती है तो वह महिला अपनी दोहरी भूमिका से पूरी तरह संतुष्ट मानी जाएगी। मध्यम संतोष का अर्थ है कि दोनों भूमिकाओं में सीमान्त असन्तुलन तथा निम्न–संतोष में एक या दोनों भूमिकाओं में असन्तोष निहित है। एक अध्ययन में 53 प्रतिशत महिलायें अपनी दोहरी भूमिकाओं से उच्च संतुष्ट, 18 प्रतिशत मध्यम संतुष्ट व 29 प्रतिशत असन्तुष्ट पायी गयीं। दोहरी भूमिकाओं के साथ सन्तोष और असन्तोष कामकाजी महिलाओं के आत्म प्रतिबिम्ब अथवा स्वयं के विषय में की गयी कल्पनाओं को प्रभावित करता है। स्वयं के विषय में ऊँचे प्रतिबिम्ब बनाने का अर्थ है कि महिला स्वयं यह अनुभव करती है कि काम करने के कारण उसके व्यक्तित्व में सुधार हुआ है जबकि निम्न प्रतिबिम्ब का अर्थ है कि महिला यह अनुभव करे कि काम/नौकरी ने उसके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव नहीं डाला है। निम्न स्वप्रतिबिम्ब और दोहरी भूमिकाएँ कामकाजी महिलाओं के लिए भूमिका संघर्ष जैसी समाजशास्त्रीय समस्या पैदा कर देती हैं जिसका प्रभाव पारिवारिक सम्बन्धों, बच्चों की देखभाल तथा सक्रिय और निष्क्रिय रूप में भूमिकाओं के निर्वाह करने पर पड़ता है। संकोचशील और नम्र स्वभाव की महिलाओं को प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली स्त्रियों की अपेक्षा दोहरी भूमिका निभाने में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक अध्ययन में यह देखा गया है कि 21.8 प्रतिशत स्त्रियाँ उच्चकोटि के भूमिका संघर्ष की हालत में थी। 44.4 प्रतिशत निम्नकोटि के और 33.8 प्रतिशत किसी भी प्रकार की भूमिका संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थीं। काम करने के प्रेरणात्मक स्तर, पत्नी के रोजगार के प्रति पति का दृष्टिकोण, कार्य के स्थान पर अर्न्तव्यक्तिगत सम्बन्ध और महिलाओं के व्यक्तित्व के प्रकार आदि विभिन्नताओं तथा भूमिका संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण मध्यम तथा कमजोर सम्बन्ध पाये गये। रामू (1989) का मत है कि नयी आर्थिक व घरेलू भूमिकाओं के बीच संघर्ष का फल महिलाओं के कार्यकलापों के विभागीकरण के रूप में होता है परन्तु यह अस्थायी ही होता है क्योंकि व्यवसाय और गृहस्थ जीवन के बीच स्पर्द्धा की मांग होती है कि वे साथ–साथ समन्वय करें किन्तु अनेक महिलाओं के लिए यह असम्भव सा ही मालूम पड़ता है। कुछ समय के बाद वे यह भी अनुभव करती हैं कि या तो वे अपनी व्यावसायिक इच्छाओं, आकांक्षाओं को नीचे लाये या फिर अपने घरेलू दायित्वों में कुछ कटौती करें।

कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार और कार्यों के बीच अपने आप को समायोजित करना पड़ता है। समायोजन का अर्थ है एक प्रस्थिति से दूसरी प्रस्थिति पर चले जाना। भूमिकाओं का दूसरों के परिप्रेक्ष्य से अवलोकन तथा विविध भूमिकाओं को कुशलता तथा संतोषपूर्ण ढंग से निभाना पड़ता है। सरल शब्दों में भूमिका समायोजन भूमिका की मांग तथा व्यक्ति की भूमिका को करने पर निर्भर करता है। एक कामकाजी महिला को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर के जीवन का

समायोजन दफ्तर की दिनचर्या से करना होता है। घर के कामकाज को परम्परागत तरीके से व्यवस्थित करना पड़ता है। कैरियर के क्रम में सफलता के नित नये पायदान चढ़ती महिलाओं की इस स्थिति के लिए उनके घर की भूमिका सर्वोपरि है। कामकाजी महिलाओं के विषय में आमतौर पर यह देखा गया है कि नौकरी समायोजन, घर समायोजन की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च कोटि का होता है। एक अनुसंधान से यह पता चलता है कि अध्ययन की गई 225 कामकाजी में से 38 प्रतिशत के घर का समायोजन उच्चकोटि का, 2.3 प्रतिशत के मध्यम का, 10 प्रतिशत के निम्न स्तर का था। नौकरी के समायोजन में 44 प्रतिशत ने उच्च 30 प्रतिशत ने मध्यम तथा 26 प्रतिशत ने निम्न कोटि का समायोजन दर्शाया। नौकरी के साथ सामन्जस्य का स्तर, नौकरी की प्रकृति, सेवा अवधि तथा भावी योजना के साथ बिल्कुल अलग पाया गया। दूसरी ओर घर का समायोजन परिवार संरचना, आकार, मायके एवं ससुराल वालों से सहयोग तथा स्वमूल्यांकन पर निर्भर करता है। इन दोनों ही स्थिति को साथ में रखकर कहा जा सकता है कि कामकाजी महिलायें सामान्य रूप से घर की जिम्मेदारियों तथा अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस तरह से योजना बना लेती है कि सामन्जस्य करने में कठिनाई नहीं आती। हॉलाकि महिलायें अपनी आय को अधिकतर जीवन-स्तर ऊँचा उठाने में ही खर्च करती हैं तथा उन पर घमण्डी, लापरवाह, आत्मकेन्द्रित होने का आरोप लगाया जाता है फिर भी वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर तथा राष्ट्र और मानवता के सबसे बड़े दायरे में अपनी भागीदारी का निर्वहन कर रही हैं।

स्त्री–पुरुष की बदलती भूमिकाओं और उनकी बढ़ती स्वीकार्यता के सन्दर्भ में अब सफल महिलाओं के लिए कहा जाने लगा है कि प्रत्येक सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। कारण है आज का आधुनिक पुरुष अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में महिलाओं को न सिर्फ प्रोत्साहित कर रहा है बल्कि उन्हें अपना एक अलग मकाम बनाने में हर सम्भव मदद उपलब्ध कर रहा है। साथ ही साथ इस फेर में उनके साथ सामन्जस्य भी बैठा रहा है। हॉलाकि भारत में इस बदलाव की गति बहुत ज्यादा नहीं है और सिर्फ महानगरों तक ही सीमित है लेकिन यह जरूर स्पष्ट है कि आधुनिक पुरुष महिलाओं को एक अलग नजरिये से देखने लगा है। इस बदलते नजरिये का ही कमाल है कि वह अपनी माँ, बहन, समेत पत्नी को भी आगे बढ़ने का भरपूर अवसर और संबल प्रदान कर रहा है। आँकड़े यह भी बताते हैं कि अब पुरुष कामकाजी महिलाओं को अधिक तरजीह दे रहे हैं।

वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के लिए विशेष रूप से कुछ सामान्य कारण उत्तरदायी हैं जो निम्नवत् हैं :– :–

1. **पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव** – वर्तमान समय में स्त्रियों में जो परिवर्तन हुए हैं उसके लिए पाश्चात्य संस्कृति सबसे अधिक प्रभावशाली एवं उत्तरदायी कारक है। पाश्चात्य संस्कृति एक ऐसी

संस्कृति है जो प्रगतिशील विचारधाराओं एवं प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों पर आधारित है। परिणामस्वरूप इसके सम्पर्क में आने से अनेक कुप्रथाओं, कुसंस्कारों तथा अन्धविश्वासों से छुटकारा मिलने लगता है। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर भारतीय नारियाँ प्राचीन परिस्थितियों को तिलांजलि देने लगीं अपनी स्थिति और अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझने लगीं, पुरुषों की दासी के रूप में नहीं बल्कि जीवनसंगिनी और जीवनसाथी के रूप में अपनी स्थिति की कल्पना करने लगीं, घर की चहारदीवारी से निकलकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर पुरुषों की भांति कार्यों को अपनाने लगीं। इतना ही नहीं वे पाश्चात्य नारी समाजों के सम्पर्क में आकर नारी सुधार आन्दोलन में भाग लेने लगीं।

2. ***औद्योगीकरण एवं नगरीकरण*** – हिन्दू जाति की अनुसूचित जाति की महिलाओं में परिवर्तन लाने अर्थात उनकी स्थित को ऊँचा करने में औद्योगीकरण और नगरीकरण अत्यधिक सहायक हुए हैं। औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप पुरुषों की भांति हजारों स्त्रियाँ घर से बाहर निकलकर विभिन्न उद्योगों में कार्य करने लगीं। धन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया जिसके कारण धन कमाने वाली महिलाओं की परिवार तथा समाज में स्थिति ऊँची होने लगी। औद्योगीकरण के साथ-साथ बड़े-बड़े नगरों का निर्माण एवं विकास हुआ जिसमें विभिन्न जातियों, वर्गों और सम्प्रदायों के स्त्री–पुरुष एक साथ काम करने, शिक्षा ग्रहण करने तथा सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने लगे।

3. ***स्त्री-शिक्षा का प्रसार*** – जब से ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तब से स्त्री शिक्षा की शुरुआत हुई। इस सिलसिले में ईसाई मिशनरियों ने सराहनीय कदम बढ़ाये। स्वतन्त्रता मिलने के बाद स्त्री शिक्षा की गति में और तीव्र परिवर्तन हुआ। शिक्षा द्वारा महिलाओं के व्यक्तित्व तथा चरित्र का विकास हुआ। उन्होनें परम्पराओं, विश्वासों तथा कुसंस्कारों पर वैज्ञानिक ढंग से विचार करना प्रारम्भ कर दिया और अब वे अपने को अत्यधिक सतर्कता से इन बुराइयों से खुद को मुक्त करनें में समर्थ हो गयी हैं।

4. ***प्रेस तथा संदेशवाहन और यातायात के साधनों में प्रगति*** – महिलाओं की स्थिति को ऊँचा उठाने में प्रेस, यातायात और संदेशवाहन के साधनों ने पर्याप्त सहयोग दिया। आधुनिक समय में प्रेस ने इतनी उन्नति की कि अखिल भारतीय स्तर पर अनेक प्रकार की पुस्तकों, पुस्तिकाओं, समाचार पत्र-पत्रिकाओं इत्यादि का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण संभव हो गया। उन्होंनें नारी सुधार आन्दोलन को सुसंगठित कर आगे बढ़ाने में काफी हाथ बटाया। इन सभी साधनों और उनसे उत्पन्न सुविधाओं ने नारी आन्दोलन को चलाने में पर्याप्त मदद की जिससे स्वभावतः भारतीय स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आये।

5. *अर्न्तजातीय विवाह* – भारत में अर्न्तजातीय विवाहों का प्रचलन न केवल स्त्रियों की स्थिति को ऊँचा उठाने का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है बल्कि यह स्त्रियों की स्वतन्त्रता, जागरुकता तथा प्रगति का महत्वपूर्ण साधन है। अर्न्तजातीय विवाहों ने विधवा पुर्नविवाहों को सरल तथा स्वाभाविक बना दिया। इस प्रकार अर्न्तजातीय विवाहों ने स्त्री को पुरुष की दासी की स्थिति से ऊँचा उठाकर साथी की स्थिति में परिवर्तित कर दिया।

6. **संयुक्त परिवार प्रणाली** – एक समय था जबकि स्त्रियाँ संयुक्त परिवार प्रणाली के दोषों से ग्रसित थीं। संयुक्त परिवारों में वे गुलामी की जिन्दगी बिता रही थीं। वे अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जी रही थीं। किन्तु औद्योगीकरण, नगरीकरण तथा उनके सामाजिक, आर्थिक कारणों ने इस संयुक्त परिवार प्रणाली की जड़ें कमजोर कर दीं जिससे महिलाएँ अपने आप निर्योग्यताओं से मुक्त होने लगीं जिनके लिए संयुक्त परिवार प्रणाली उत्तरदायी थी। संयुक्त परिवार के विघटन से सबसे प्रमुख बात यह हुई कि बाल विवाहों का अन्त होने लगा। बाल विवाहों का अन्त होने से स्त्रियों की स्थिति में अपने आप सुधार आने लगा।

7. **दहेज प्रथा का अभिशाप** – हिन्दू जाति की महिलाओं को नीचे गिराने में दहेज प्रथा सबसे अधिक उत्तरदायी रही है। किन्तु आज इस प्रथा ने जो उग्र रूप धारण कर लिया है उसकी एक विपरीत प्रक्रिया होने लगी जिसने कि हिन्दू जाति की स्त्रियों की स्थिति पर पर्याप्त प्रभाव डाला। कई माता–पिता मुह मांगा दहेज न दे पाने के कारण जल्दी अपनी लड़कियों का विवाह नहीं कर पाते। अब अधिकतर ऐसी स्थिति में माता-पिता यह समझने लगे कि क्यों न हम इस बीच अपनी लड़कियों को कालेज भेजकर शिक्षा प्रदान करायें। इससे एक तो शिक्षित लड़कियों को वधू के रूप में जल्दी स्वीकार कर लिया जाएगा और वर–मूल्य भी कम लगेगा।

8. *राष्ट्रीय आन्दोलन* – देश को गुलामी की जन्जीरों से मुक्त कराने के लिए महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ हुआ उसमें कितनी ही स्त्रियों ने पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन्होंने पुरुषों के साथ आजादी का नारा बुलन्द किया। अंग्रेजों के अत्याचारों का सामना किया और जेल भी गयीं। इन सबसे महिलाओं में एक नयी चेतना तथा एक नयी जागृति उत्पन्न हुई जिससे आगे चलकर उनकी स्थिति में अति महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

9. **प्रजातान्त्रिक आदर्श का महत्व** – आधुनिक युग प्रजातन्त्र का युग है। स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व ये तीन प्रजातन्त्र के आधारभूत स्तम्भ या सिद्वान्त है। इन प्रजातान्त्रिक सिद्वान्तों से प्रभावित होकर महिलाओं तथा पुरुषों की समान स्थिति समझी जाने लगी। स्त्रियाँ भी अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को समझने लगीं और धीरे-धीरे उनकी स्थिति में सुधार हुआ।

10. **वैधानिक सुविधायें** – महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने अनेक विधानों को पारित किया जिनसे न केवल उनकी समस्याओं की समाप्ति हुई बल्कि उन्हें पुरुषों की तरह अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। सन् 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम (शारदा एक्ट) पारित किया गया जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के लड़के तथा 15 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह निषेध किया गया। अब इसे और विस्तारित कर आयु में वृद्धि कर दी गई है। इसी प्रकार सन् 1955 में हिन्दू विवाह तथा तलाक अधिनियम पारित किया गया। इसी प्रकार सन् 1956 में पारित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुरुषों के समान स्त्रियों को सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। सन् 1950 में भारत के नवीन संविधान के अर्न्तगत महिलाओं को पुरुषों के समान नागरिक अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार वैधानिक सुविधाओं के कारण स्त्रियों की स्थिति में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

ऐसे समाज को जहाँ आधी जनसंख्या अशिक्षित हो ऐसे रूढ़िवादी परम्पराओं एवं विश्वासों तथा प्रथाओं में जकड़े हुए समाज को रातोंरात नहीं बदला जा सकता है और न ही इनके विरुद्व जोरदार जनमत तैयार करना सरल है। विधानों का कुछ प्रभाव होता है लेकिन इनको बड़ी सावधानी से चरणों में लागू करना होता है। विधान की पुस्तकों में महिलाओं से सम्बन्धित कितने विधान है ? हिन्दू समाज को इन कानूनों ने किस हद तक आन्दोलित किया है ? किस सीमा तक उन विधानों से समाज में सामाजिक परिवर्तन आया है ? इन बनाये गये कानूनों के अर्न्तगत प्राप्त महिला अधिकारों का विवरण निम्नवत् है :–

1. समानता का अधिकार अर्थात् अवसरों की समानता, कानून के समक्ष समानता, कानूनों का समान संरक्षण तथा नौकरियों आदि में लिंग के आधार पर भेदभाव न समझा जाना।
2. शोषण के विरुद्व स्वतन्त्रता अर्थात् बेगार में वृद्वि।
3. धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार।
4. सम्पत्ति का अधिकार अर्थात् सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने का अधिकार।
5. स्वतन्त्रता का अधिकार अर्थात् भाषण की स्वतन्त्रता, निवास की स्वतन्त्रता एवं व्यवसाय व गतिशीलता की स्वतन्त्रता।
6. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अर्थात् संस्कृति का संरक्षण तथा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार।
7. संवैधानिक उपचार का अधिकार अर्थात् मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार।

इन मूल अधिकारों के आश्वासन के अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी यह अधिकार दिए गये कि वे समय-समय पर ऐसे विधान लागू करें जो स्त्रियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करें और स्त्रियों के साथ व्यवहार में उन्हें प्रधानता दी जाए। इस आधार पर सरकार समय-समय पर ऐसे वैधानिक उपाय करती रही है जिनसे सामाजिक व्यवस्था एवं न्याय बना रहे। गत तीन या चार दशकों में काफी संख्या में कानून लागू किए गये हैं जिनसे महिलाओं के लिए सामान्य अवसरों को निर्धारित एवं सुनिश्चित किया है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक आधार पर इन विधानों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :–

सामाजिक विधान – महिलाओं से सम्बन्धित और सामाजिक कानूनों से सम्बन्धित चार प्रमुख मामले हैं – विवाह (Marriage), गोद लेना (Adoptation), संरक्षकता (Guardianship) एवं गर्भपात (Abortion)। विवाह से सम्बन्धित प्रमुख समस्यायें हैं – जीवनसाथी का चुनाव, विवाह की आयु, बहुपत्नी विवाह, निर्योग्य विवाह, निष्प्रभावी विवाह, विवाह-विच्छेद, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना, गुजारा भत्ता, बच्चे का संरक्षण, दहेज, पुर्नविवाह। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 1954 में विशेष विवाह अधिनियम एवं 1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम लागू किया गया। बच्चों को गोद लेने से सम्बन्धित नियम 1956 में पारित किया गया जिसे हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम नाम दिया गया। न केवल विवाहित स्त्रियों को बल्कि विधवा स्त्री तथा तलाकशुदा स्त्री के बच्चों को भी दत्तक अभिग्रहण का अधिकार दिया गया। केवल अविवाहित तथा पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बच्चों का ही दत्तक ग्रहण किया जा सकता है।

1970 तक गर्भपात को वैधानिक दृष्टि से अपराध माना जाता है। 1971 में चिकित्सा गर्भ अधिनियम (Medical Termination of Pregnency Act) पारित किया गया। गर्भपात को केवल विषम परिस्थितियों में ही समाज द्वारा अनुमति दी गयी है। परन्तु यदि गर्भवती महिला के जीवन को जोखिम हो और दूसरा ऐसे मामलों में भी गर्भपात स्वीकृत होता है जहाँ गर्भ बलात्कार के कारण हो।

आर्थिक विधान – आर्थिक विधानों से सम्बन्धित विषय है सम्पत्ति का अधिकार, समान पारिश्रमिक, कार्य करने की दशायें, प्रसूति लाभ और कार्य सुरक्षा। एक महिला के सम्पत्ति अधिकार का अर्थ है उसकी पुत्री,विधवा तथा माँ के रूप में सम्पत्ति अधिकार। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार न केवल पुत्री को ही उसके भाई के समान बराबर का भाग पिता की सम्पत्ति में मिलता है

बल्कि एक विधवा को भी अपने मृत पति की सम्पत्ति में से उसके पुत्रों और पुत्रियों के बराबर भाग मिलता है। इस कानून ने 'स्त्रीधन' एवं 'गैर स्त्रीधन' के बीच का अन्तर भी समाप्त कर दिया है। जहाँ तक समान पारिश्रमिक का सम्बन्ध है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (Equal Remuneration Act 1976) महिला एवं पुरुष कर्मियों के पारिश्रमिक में भेद करने की अनुमति नही देता जो मालिक इन विधानों का पालन नहीं करते उनके लिए सजा या दण्ड का प्रावधान है। कार्य अवधि में कार्य दशाओं का नियन्त्रण फैक्ट्री अधिनियम 1948 से होता है। फिर कार्य घण्टे, साप्ताहिक विश्राम, गृह सफाई का स्तर, प्रकाश व्यवस्था, तापमान, मशीनों की सीमा बन्दी, प्राथमिक उपचार की सुविधा आदि प्रावधानों के अतिरिक्त इस विधान में बच्चों के शिशु गृह स्थापित करने की तथा महिलाओं के लिए अलग से प्रसाधन-स्थापित करने का प्रावधान है। महिलाओं के लिए एक दिन में अधिकतम नौ घण्टे का एवं रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे के बीच कोई भी कार्य न करने देने का प्रावधान भी इस कानून में है।

राजनैतिक अधिकार – भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं को दो प्रमुख अधिकार हैं। महिलाओं को मताधिकार और विधान मण्डल के लिए योग्यता। महिला मताधिकार की मांग सर्वप्रथम 1917 में की गई थीं किन्तु साउथ बरो फ्रेन्चाइज कमेटी ने 1918 में इस मांग को अस्वीकार कर दिया। 1919 में सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया कि वे स्त्री मताधिकार के सम्बन्ध में अपने अलग विधान लागू करें। इस प्रकार के विधान राजकोट में 1923 में, ट्रावनकोर कोचीन में 1924 में, मद्रास व उत्तर प्रदेश में 1926 में तथा बिहार और उड़ीसा में 1929 में पारित किए गये। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में शैक्षिक योग्यता के आधार पर स्त्री मताधिकार प्रदान किया गया है। परिणामस्वरूप 1937 में 56 महिलाओं ने चुनाव के माध्यम से विधान मण्डलों मे प्रवेश किया। स्वतन्त्रता के बाद स्त्री मतदाताओं की संख्या तथा राज्य विधान मण्डलों तथा लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में पर्याप्त वृद्वि हुई है।

चूँकि भारत में महिलाओं को अन्य देशों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं लेकिन क्या हमारे देश की महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति चेतना प्राप्त है ? किसी विशेष क्षेत्र में (जैसे-सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व धार्मिक) महिलाओं की अधिकार चेतना का स्तर चार बातों पर निर्भर करता है। स्त्री की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि (शैक्षिक स्तर, आकांक्षाओं का स्तर और व्यक्तिगत आवश्यकता), उनकी सामाजिक परिस्थितियाँ (रिश्तेदारों की अपेक्षाएँ, पति के आदर्श तथा परिवार के सदस्यों के दृष्टिकोण), उसका अपना दृष्टिकोण (अपने स्तर तथा भूमिका के प्रति) तथा उसका आर्थिक आधार (वर्ग-सदस्यता का स्तर)।

महिलाओं को विवाह सम्बन्धी कानूनों की जानकारी बहुत कम है। हमारे सर्वेक्षण में केवल दस में से एक महिला को ही अपने जीवनसाथी के चुनाव के अधिकार की जानकारी थी। लगभग 50 में से एक को विवाह की सही आयु की जानकारी थी। पाँच में से एक को तलाक के अधिकार का ज्ञान था। इसमें से कम से कम एक को तलाक के बाद गुजारे भत्ते के अधिकार का ज्ञान था। पाँच में से एक को विधवा पुर्नविवाह अधिकार का ज्ञान था। पाँच में से एक से भी कम को दहेज कानून का ज्ञान था। इससे यह ज्ञात होता है दस में से एक महिला को ही विवाह सम्बन्धी कानूनों की कुछ जानकारी थी। परिवार में निर्णय लेने के विषय में महिलाओं की भूमिका किनारे की होती है। पत्नी के साथ पति महत्वहीन विषयों में ही सलाह करते है। महिलाओं की परिवार में स्थिति कुण्ठाग्रस्त न होकर जीवन अनुभवों के बीच संतोष की होती है। लगभग दो तिहाई महिलायें अपने वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन से संतुष्ट होती हैं। घर के काम से सन्तुष्टि का स्तर, आयु शिक्षा तथा आय के साथ-साथ बदलता रहता है। माना कि बहुत कम महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में से भाग लेने के अधिकार के सम्बन्ध में ज्ञान है परन्तु अपने पति की सम्पत्ति में से अपने भाग के अधिकार का ज्ञान अधिक संख्या में स्त्रियों को है। गाँवों में से केवल कुछ महिलाएँ ही कामकाजी हैं और आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र हैं। कामकाजी महिलायें भी गृहकार्य तथा गृहस्थी कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का मूल्यांकन उतनी ही सापेक्षता से करती है जितनी की घरेलू महिलायें। कामकाजी महिलाओं में से नौ अपनी आमदनी से असंतुष्ट होती है। यह असन्तोष कार्य के विचार से उतना नहीं होता जितना कि कार्य दशाओं या पारिश्रमिक से। जो महिलायें अपने परिवार की अर्थव्यवस्था में सहयोग करती है वे अपनी आय को अपनी इच्छा से व्यय करने के लिए स्वतन्त्र नहीं होती है। महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों का भी बहुत कम ज्ञान है। महिलाओं का मत देने का व्यवहार न तो राजनैतिक गतिशीलता से और न ही राजनैतिक समाजीकरण से जुड़ा होता है बल्कि अपने पति के राजनैतिक विश्वास और पसन्द से जुड़ा होता है। मताधिकार प्राप्त महिलाओं में से लगभग तीन-चौथाई ही उसका प्रयोग करती हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह महिलायें राजनीति से प्रेरित होकर वोट देने नही जाती बल्कि घूमने के उद्देश्य से जाती हैं। आमतौर पर महिलायें किसी भी राजनैतिक दल की सक्रिय सदस्य नहीं होती हैं। कुछ महिलायें किसी राजनैतिक दल की समर्थक अवश्य होती हैं।

कार्य योजना

यदि परिवार में पुरुष महिलाओं को उनके देय अधिकार प्रदान न करें तो पुरुषों को महिलाओं के प्रति अन्याय के इस कुचक्र को कैसे समाप्त किया जाये, भले ही वह यह मानते हैं कि यह सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त है या फिर क्योंकि उन्हें दण्ड नहीं मिलता या क्योंकि महिलायें इस प्रकार के

अन्याय को सहन करती रहती हैं और इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाती क्योंकि अधिकारों की वंचना से जो लाभ पुरुष को मिलते हैं उनका मूल्य कहीं अधिक होता है आदि ? महिलाओं के हितों की रक्षा किस प्रकार की जाये ? कौन सी नीतियाँ तथा कार्यक्रम पुरुष को न्यायी व उदार बना सकते हैं ? इसका उपचार या निदान सामाजिक, वैधानिक व आर्थिक हो सकते हैं।

सामाजिक उपचारों में महिला कल्याण सेवायें, ऐच्छिक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन तथा जनसंचार माध्यमों द्वारा महिलाओं को कानूनों प्रशिक्षण इत्यादि शामिल हैं। ऐच्छिक संगठनों को ऐसी महिलाओं का पता लगाने का काम करना चाहिए जिन महिलाओं को ऐसी अनेक प्रकार की सेवाओं की अहम जरुरत है। पड़ोसियों को यह जरूर करना चाहिए कि वे महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के मसलों को ऐच्छिक संगठनों एवं सेवा संस्थाओं को सूचना देकर सहयोग प्रदान करें। जन शिक्षा एवं जागृति कार्यक्रम स्त्रियों की सहायता अन्याय के विरुद्व खड़े होने के उद्देश्य से कर सकते हैं और सेवा-संस्थाओं का सहयोग उनके अधिकारों के दिलाने के लिए किया जा सकता है। महिला कल्याण संस्थाओं के लिए अनुकूल स्थिति यही है कि वे महिलाओं के प्रति किए गए अन्यायों की समस्याओं को शीघ्र एवं प्रभावपूर्ण ढंग से दूर करने का प्रयत्न करें तथा समस्याओं के कारणों को हल्के रूप में न ले बल्कि गहराई से सोंचे। पुरुषों को भी यह महसूस कराना होगा कि बदलते परिवेश में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए और परिवारों के जीवन तथा घर के कार्य में उनके योगदान की आवश्यकता बहुत जरुरी है।

महिलाओं के प्रति न्याय के लिए लोगों का समर्थन चाहिए ताकि मानव सेवा में लगे व्यावसायिक जन जरूरी कार्यवाही कर सकें। स्वतन्त्रता के बाद प्रथम दशक में लिंग समानता को एक अहम और महत्वपूर्ण समस्या के रूप में माना गया तथा इस ओर किए गये तमाम प्रयत्नों का अधिकतर भाग यह विश्वास दिलाने में लगाया गया कि महिलाओं के शोषण के मामलों को जाना जायेगा और कठोर एवं जरूरी कार्यवाही की जायेगी। 1952 तथा 1962 के बीच अनेक कानून स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने के सम्बन्ध में कई राज्यों में कानून जारी किए गये लेकिन सोच के विपरीत, सामाजिक कानूनों को ठीक से लागू नहीं किया गया। कुछ विधानों को सुधारना होगा ताकि पुलिस को महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों को पकड़ने और सजा दिलाने के लिए अनावश्यक प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।

शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण महिलाओं को कार्य ढूँढ़ने के योग्य बना सकती है जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बन सकेंगी। आर्थिक स्वतन्त्रता से स्त्रियों का तनाव कम होगा। उनके आदर्शों में मूलरूप से परिवर्तन आयेगा और वे अपने अधिकारों तथा माँगों के लिए अधिक साहस एवं विश्वास के साथ खड़ी हो सकेंगी। महिलाओं को अपने परिवार की जीवन दशाओं को अच्छा बनाने के लिए

सहायता तथा संसाधनों की आवश्यकता है। बूलडिग के अनुसार महिलाओं के लिए दस संसाधनों का सुझाव दिया जा सकता है। तकनीकी सहायता जो श्रम बचाने वाले साधन प्रदान करे जो महिलाओं के रोजना के भारी कार्यों को हल्का करे, प्राथमिक सामुदायिक सुविधायें, लड़कियों को स्कूल जाने तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना, ऋण की सुविधाएँ, अधिकारों की वैधानिक सुरक्षा, स्वैच्छिक संस्थायें तथा महिलाओं को विविध स्तरों पर स्थापित करने के कार्यक्रम।

अतः इस प्रकार हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए एक अलग प्रकार की योजना एवं विधि की आवश्यकता है अपेक्षाकृत शहरी महिलाओं के। इसके साथ ही हमें इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि वैधानिक उपायों से स्त्रियों की स्थिति एवं उनकी दशा में पूर्णरूप से सुधार नहीं किया जा सकता।

सारिणी संख्या 4.1

उत्तरदात्रियों की आयु और शिक्षा सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	शिक्षा	20–25 वर्ष		25–30 वर्ष		30–35 वर्ष		35–40 वर्ष		इससे अधिक		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राइमरी	25	12.5	10	5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	50	25
2	जूनियर हाई स्कूल	15	7.5	10	5	15	7.5	5	2.5	5	2.5	50	25
3	हाईस्कूल	4	2	8	4	13	6.5	11	5.5	4	2	40	20
4	इण्टरमीडिएट	10	5	5	2.5	5	2.5	6	3	4	2	30	15
5	स्नातक	5	2.5	5	2.5	0	0	0	0	0	0	10	5
6	परास्नातक	5	2.5	4	2	1	0.5	0	0	0	0	10	5
7	तकनीकी	2	1	6	3	2	1	0	0	0	0	10	5
	योग	66	33	48	24	41	20.5	27	13.5	18	9	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 4.1 में उत्तरदात्रियों की आयु और शिक्षा के साथ उनके सम्बन्ध को जानने का प्रयास किया गया है। शिक्षा को प्राइमरी, मिडिल (जू0हा0) हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक और तकनीकी में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार आयु को 20–25, 25–30, 30–35, 35–40 एवं 40 से अधिक आयुवर्ग में विभाजित किया गया है। कुल 200 उत्तरदात्रियों में प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त उत्तदात्रियों की संख्या 50 (25 प्रतिशत) है। इन 50 उत्तरदात्रियों में 20–25 आयुवर्ग की 25 (12.5 प्रतिशत), 25–30 आयुवर्ग की 10 (5 प्रतिशत), 30–35 आयुवर्ग की 5 (2.5 प्रतिशत), 35–40 आयुवर्ग की 5 (2.5 प्रतिशत) एवं 40 से अधिक आयुवर्ग की 5 (2.5 प्रतिशत) उत्तरदात्री सम्मिलित हैं। मिडिल अर्थात् जू0हा0 तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 50 (25 प्रतिशत) है। इन 50 उत्तरदात्रियों में 20–25 आयुवर्ग की 15 (7.5) प्रतिशत), 25–30 आयुवर्ग की 10 (5 प्रतिशत), 30–35 आयुवर्ग की 15 (7.5 प्रतिशत), 35–40 आयुवर्ग की 5 (2.5 प्रतिशत) एवं 40 से अधिक आयुवर्ग की 5 (2.5 प्रतिशत) उत्तरदात्री सर्वेक्षण में प्राप्त हुईं। हाईस्कूल तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या की संख्या 40 (20 प्रतिशत) है। इन 40 उत्तरदात्रियों में 4 (2 प्रतिशत), 20–25 आयुवर्ग की, 8 (4 प्रतिशत) 25–30 आयुवर्ग की, 13 (6.5 प्रतिशत) 30–35 आयुवर्ग की, 11 (5.5 प्रतिशत) 35–40 आयुवर्ग की एवं 4 (2 प्रतिशत) 40 से अधिक आयुवर्ग की हैं। इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 30 (15 प्रतिशत) है। इन 30 उत्तरदात्रियों में 10 (5 प्रतिशत) 20–25 आयुवर्गकी, 5 (2.5 प्रतिशत) 25–30 आयुवर्ग की, 5 (2.5 प्रतिशत) 30–35 आयुवर्ग की, 6 (3 प्रतिशत) 35–40 आयुवर्ग की, 4 (2 प्रतिशत) 40 से अधिक आयुवर्ग की हैं। स्नातक तक शिखा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 10 (5 प्रतिशत) है। इन 10 उत्तरदात्रियों में 5 (2.5 प्रतिशत) 20–25 आयुवर्ग की, 5 (2.5 प्रतिशत) 25–30 आयुवर्ग की हैं। परास्नातक तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 10 (5 प्रतिशत) है। इन 10 उत्तरदात्रियों में 5 (2.5 प्रतिशत) 20–25 आयुवर्ग की, 4 (2 प्रतिशत) 25–30 आयुवर्ग की, 1 (0.5 प्रतिशत) 30–35 आयुवर्ग की हैं। इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 10 (5 प्रतिशत) है। इन 10 उत्तरदात्रियों में 2 (1 प्रतिशत) 20–25 आयुवर्ग की, 6 (3 प्रतिशत) 25–30 आयुवर्ग की एवं 2 (1 प्रतिशत) 30–35 आयुवर्ग की हैं।

सारिणी संख्या 4.2

उत्तरदात्रियों की आयु और जाति सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	आयु	चमार		धोबी		खटिक		भंगी		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	20–25	10	5	5	2.5	10	5	5	2.5	0	0	30	15
2	25–30	20	10	15	7.5	10	5	0	0	5	2.5	50	25
3	30–35	15	7.5	20	10	15	7.5	0	0	0	0	50	25
4	35–40	5	2.5	10	5	0	0	10	5	5	2.5	30	15
5	इससे अधिक	15	7.5	5	2.5	5	2.5	10	5	5	2.5	40	20
	योग	65	32.5	55	27.5	40	20	25	12.5	15	7.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 4.2 में उत्तरदात्रियों की आयु और जाति में सम्बन्ध को जानने का प्रयास किया गया है। आयु को पाँच भागों में वर्गीकृत किया गया है। जातियों में चमार, धोबी, खटिक, भंगी एवं अन्य अनुसूचित जाति की महिलाओं को लिया गया है। 20–25 आयुवर्ग की उत्तरदात्रियों की संख्या 30 (15 प्रतिशत) है। इन 30 उत्तरदात्रियों में 10 (5 प्रतिशत) चमार जाति, 5 (2.5 प्रतिशत) धोबी, 10 (5 प्रतिशत) खटिक एवं 5 (2.5 प्रतिशत) भंगी जाति की उत्तरदात्री शामिल हैं। 25–30 आयुवर्ग की उत्तरदात्रियों की संख्या 50 (25 प्रतिशत) है। इन 50 उत्तरदात्रियों में 20 (10 प्रतिशत) चमार जाति, 15 (7.5 प्रतिशत) धोबी जाति, 10 (5 प्रतिशत) खटिक जाति एवं 5 (2.5 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की उत्तरदात्री शामिल हैं। 30–35 आयुवर्ग की उत्तरदात्रियों की संख्या 50 (25 प्रतिशत) है। इन 50 उत्तरदात्रियों में 15 (7.5 प्रतिशत) चमारजाति, 20 (10 प्रतिशत) धोबी जाति एवं 15 (7.5 प्रतिशत) खटिक जाति की महिलाएँ सम्मिलित हैं। 35–40 आयुवर्ग की उत्तरदात्रियों की संख्या 30 (15 प्रतिशत) है। इन 30 उत्तरदात्रियों में 5 (2.5 प्रतिशत) चमार जाति, 10 (5 प्रतिशत) धोबी जाति, 10 (5 प्रतिशत) भंगी जाति एवं 5 (2.5 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियाँ शामिल हैं। 40 से अधिक उत्तरदात्रियों की संख्या 40 (20 प्रतिशत) है। इन 40 उत्तरदात्रियों में 15 (7.5 प्रतिशत) चमार जाति, 5 (2.5 प्रतिशत) धोबी जाति, 5 (2.5 प्रतिशत) खटिक जाति, 10 (5 प्रतिशत) भंगी जाति एवं 5 (2.5 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियाँ सर्वेक्षण में पाई गईं।

सारिणी संख्या 4.3

उत्तरदात्रियों की जाति और शिक्षा सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	जाति	प्राइमरी		जू0हाईस्कूल		हाईस्कूल		इण्टरमीडिएट		स्नातक		परास्नातक		तकनीकी		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	23	11.5	14	7	14	7	4	2	3	1.5	1	0.5	2	1	61	30.5
2	धोबी	5	2.5	5	2.5	3	1.5	4	2	2	1	1	0.5	1	0.5	21	10.5
3	खटिक	13	6.5	9	4.5	3	1.5	0	0	2	1	0	0	3	1.5	30	15
4	भंगी	25	12.5	10	5	8	4	8	4	2	1	0	0	2	1	55	27.5
5	अन्य	10	5	8	4	5	2.5	4	2	3	1.5	1	0.5	2	1	33	16.5
	योग	76	38	46	23	33	16.5	20	10	12	6	3	1.5	10	5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 4.3 में उत्तरदात्रियों की जाति और शिक्षा के साथ उनके संबंध को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा को प्राइमरी, जू0हा0, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक एवं तकनीकी आदि में विभाजित किया गया है। प्राइमरी तक शिक्षित उत्तरदात्रियों की संख्या 76 (38 प्रतिशत) है। इन 76 उत्तरदात्रियों में 23 (11.5 प्रतिशत) चमार जाति की, 5 (2.5 प्रतिशत) धोबी जाति की, 13 (6.5 प्रतिशत) खटिक जाति की, 25 (12.5 प्रतिशत) भंगी जाति की, 10 (5 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियाँ शामिल हैं। जू0हा0 तक शिक्षित उत्तरदात्रियों की संख्या 46 (23 प्रतिशत) है। इन 46 उत्तरदात्रियों में से 14 (7 प्रतिशत) चमार जाति, 5 (2.5 प्रतिशत) धोबी जाति, 9 (4.5 प्रतिशत) खटिक जाति, 10 (5 प्रतिशत) भंगी जाति एवं 8 (4 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियाँ हैं। हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 33 (16.5 प्रतिशत) है। इन 33 महिलाओं में 14 (7 प्रतिशत) चमार जाति, 3 (1.5 प्रतिशत) धोबी जाति, 3 (1.5 प्रतिशत) खटिक जाति, 8 (4 प्रतिशत) भंगी जाति एवं 5 (2.5 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की महिलाएँ हैं। इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 20 (10 प्रतिशत) है। इन 20 स्त्रियों में 4 (2 प्रतिशत) चमार जाति, 4 (2 प्रतिशत) धोबी जाति, 8 (4 प्रतिशत) भंगी जाति एवं 4 (2 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की महिलाएँ हैं। स्नातक तक शिक्षा प्राप्त स्त्रियों की संख्या 12 (6 प्रतिशत) है। इन 12 महिलाओं में 3 (1.5 प्रतिशत) चमार जाति, 2 (1 प्रतिशत) धोबी जाति, 2 (1 प्रतिशत) खटिक जाति, 2 (1 प्रतिशत) भंगी जाति एवं 3 (1.5 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की महिलाएँ हैं। परास्नातक तक शिक्षित उत्तरदात्रियों की संख्या 3 (1.5 प्रतिशत) है। इन तीन महिलाओं में 1 (0.5 प्रतिशत) चमार जाति, 1 (0.5 प्रतिशत) धोबी जाति, 1 (0.5 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की महिला है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 10 (5 प्रतिशत) है। इनमें 2 (1 प्रतिशत) चमार जाति, 1 (0.5 प्रतिशत) धोबी जाति, 3 (1.5 प्रतिशत) खटिक जाति, 2 (1 प्रतिशत) भंगी जाति एवं 2 (1 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की महिलाएँ हैं।

सारिणी संख्या 4:4

उत्तरदात्रियों की जाति और वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	जाति	विवाहित		अविवाहित		तलाकशुदा		विधवा		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	20	10	15	7.5	0	0	5	2.5	40	20
2	धोबी	30	15	15	7.5	5	2.5	10	5	60	30
3	खटिक	15	7.5	10	5	5	2.5	10	5	40	20
4	भंगी	20	10	10	5	0	0	10	5	40	20
5	अन्य	15	7.5	5	2.5	0	0	0	0	20	10
	योग	100	50	55	27.5	10	5	35	17.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 4.4 में उत्तरदात्रियों की जाति और वैवाहिक स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। कुल 200 उत्तरदात्रियों में से विवाहितों की संख्या 100 (50 प्रतिशत) है। इन 100 विवाहितों में से 20 (10 प्रतिशत) चमार जाति की, 30 (15 प्रतिशत) धोबी जाति की, 15 (7.5 प्रतिशत) खटिक जाति की, 20 (10 प्रतिशत) भंगी जाति की एवं 15 (7.5 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की महिलाएँ शामिल हैं। अविवाहितों की कुल संख्या 55 (27.5 प्रतिशत) है। इनमें 15 (7.5 प्रतिशत) चमार जाति की, 15 (7.5 प्रतिशत) धोबी जाति की, 10 (5 प्रतिशत) खटिक जाति की, 10 (5 प्रतिशत) भंगी जाति की एवं 5 (2.5 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की महिलाएँ हैं। तलाकशुदा उत्तरदात्रियों की संख्या 10 (5 प्रतिशत) है। इनमें 5 (2.5 प्रतिशत) धोबी जाति की एवं 5 (2.5 प्रतिशत) खटिक जाति की महिलाएँ हैं। चमार एवं भंगी जाति में इस तरह की कोई उत्तरदात्री नहीं है। विधवा उत्तरदात्रियों की संख्या 35 (17. 5 प्रतिशत) है। इनमें 5 (2.5 प्रतिशत) चमार जाति, 10 (5 प्रतिशत) धोबी जाति, 10 (5 प्रतिशत) खटिक जाति एवं 10 (5 प्रतिशत) भंगी जाति की महिलाएँ शामिल हैं।

सारिणी संख्या 4.5

उत्तरदात्रियों की जाति एवं संयुक्त परिवार तथा एकांकी परिवार सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	जाति	संयुक्त परिवार		एकांकी परिवार		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	50	25	20	10	70	35
2	धोबी	30	15	20	10	50	25
3	खटिक	25	12.5	15	7.5	40	20
4	भंगी	7	3.5	3	1.5	10	5
5	अन्य	20	10	10	5	30	15
	योग	132	66	68	34	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 4.5 में उत्तरदात्रियों की जाति और परिवार के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। चमार जाति के उत्तरदात्रियों में संयुक्त परिवारों की संख्या 50 (25 प्रतिशत) एवं एकाकी परिवारों की संख्या 20 (10 प्रतिशत) पायी गयी। धोबी जाति में संयुक्त परिवारों की संख्या 30 (15 प्रतिशत) एवं एकाकी परिवारों की संख्या 20 (10 प्रतिशत) पायी गयी। खटिक जाति में संयुक्त परिवार 25 (12.5 प्रतिशत) एवं एकाकी परिवार 15 (7.5 प्रतिशत) पाये गये। भंगी जाति में संयुक्त परिवार 7 (3.5 प्रतिशत) एवं एकाकी परिवार 3 (1.5 प्रतिशत) मिले। इसी प्रकार अन्य अनुसूचित जातियों में संयुक्त परिवारों की संख्या 20 (10 प्रतिशत) एवं एकाकी परिवारों की संख्या 10 (5 प्रतिशत) पायी गयी। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों में जिनका सर्वेक्षण किया गया है, उनमें संयुक्त परिवार काफी मिले। परन्तु इन संयुक्त परिवारों में पीढ़ियों की गहराई का अभाव देखने को मिलता है। इनके यहाँ जो संयुक्त परिवार देखने को मिले वे या तो समान पीढ़ी वाले थे या ज्यादा से ज्यादा एक से अधिक पीढ़ी के थे।

सारिणी संख्या 4.6

उत्तरदात्रियों की जाति और कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित विवरण

क्र0 सं0	जाति	डाक्टर		इंजीनियर		नर्स		अध्यापक		चपरासी		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	3	1.5	3	1.5	10	5	15	7.5	10	5	1	0.5	42	21
2	धोबी	4	2	4	2	10	5	5	2.5	30	15	7	3.5	60	30
3	खटिक	5	2.5	5	2.5	10	5	10	5	20	10	0	0	50	25
4	भंगी	4	2	2	1	1	0.5	2	1	20	10	5	2.5	34	17
5	अन्य	4	2	3	1.5	0	0	1	0.5	6	3	0	0	14	7
	योग	20	10	17	8.5	31	15.5	33	16.5	86	43	13	6.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 4.6 में उत्तरदात्रियों की जाति और उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित विवरण को जानने का प्रयास किया गया है। चमार जाति की कुल 42 (21 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में 3 (1.5 प्रतिशत) डाक्टर, 3 (1.5 प्रतिशत) इंजीनियर, 10 (5 प्रतिशत) नर्स, 15 (7.5 प्रतिशत) अध्यापक, 10 (5 प्रतिशत) चपरासी एवं 1 (0.5 प्रतिशत) अन्य पदों पर आसीन हैं। धोबी जाति की कुल 60 (30 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में 4 (2 प्रतिशत) डाक्टर, 4 (2 प्रतिशत) इंजीनियर, 10 (5 प्रतिशत) नर्स, 5 (2.5 प्रतिशत) अध्यापक, 30 (15 प्रतिशत) चपरासी एवं 7 (3.5 प्रतिशत) अन्य पदों पर कार्यरत हैं। खटिक जाति की कुल 50 (25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में से 5 (2.5 प्रतिशत) डाक्टर, 5 (2.5 प्रतिशत) इंजीनियर, 10 (5 प्रतिशत) नर्स, 10 (5 प्रतिशत) अध्यापक एवं 20 (10 प्रतिशत) अन्य पदों पर कार्यरत हैं। भंगी जाति की 34 उत्तरदात्रियों में से 4 (2 प्रतिशत) डाक्टर, 2 (1 प्रतिशत) इंजीनियर, 1 (0.5 प्रतिशत) नर्स, 2 (1 प्रतिशत) अध्यापक, 20 (10 प्रतिशत) चपरासी एवं 5 (2.5 प्रतिशत) अन्य पदों पर कार्यरत हैं। अन्य 14 (7 प्रतिशत) अनुसूचित जाति में से 4 (2 प्रतिशत) डाक्टर, 3 (1.5 प्रतिशत) इंजीनियर, 1 (0.5 प्रतिशत) अध्यापक एवं 6 (3 प्रतिशत) चपरासी के पदों पर कार्यरत हैं।

सारिणी संख्या 4.7

उत्तरदात्रियों की जाति एवं मकान में रहने सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	जाति	सरकारी मकान में		निजी मकान में		किराये के मकान में		पैतृक मकान में		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	15	7.5	10	5	15	7.5	20	10	60	30
2	धोबी	5	2.5	10	5	10	5	15	7.5	40	20
3	खटिक	10	5	5	2.5	5	2.5	20	10	40	20
4	भंगी	15	7.5	0	0	15	7.5	10	5	40	20
5	अन्य	0	0	0	0	10	5	10	5	20	10
	योग	45	22.5	25	12.5	55	27.5	75	37.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 4.7 में उत्तरदात्रियों की जाति और मकान के साथ उनके परस्पर सम्बन्धों को जानने का प्रयास किया गया है। विश्लेषण में चमार, धोबी, खटिक, भंगी व अन्य जातियों को लिया गया है। इसी प्रकार मकान को सरकारी मकान, निजी मकान, किराये के मकान एवं पैतृक मकान की श्रेणी में विभाजित किया गया है। कुल 200 उत्तरदात्रियों में चमार जाति की उत्तरदात्रियों की संख्या 60 (30 प्रतिशत) है। इन 60 उत्तरदात्रियों में सरकारी मकानों में रहने वाली 15 (7.5 प्रतिशत), निजी मकानों में रहने वाली 10 (5 प्रतिशत), किराये के मकानों में रहने वाली 15 (7.5 प्रतिशत) तथा पैतृक मकानों में रहने वाली 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्री सम्मिलित हैं। धोबी जाति के उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 40 (20 प्रतिशत) है। इन 40 उत्तरदात्रियों में सरकारी मकानों में 5 (2.5 प्रतिशत), निजी मकानों में 10 (5 प्रतिशत), किराये के मकानों में 10 (5 प्रतिशत) एवं पैतृक मकानों में 15 (7.5 प्रतिशत) रहने वाली उत्तरदात्री सम्मिलित हैं। खटिक जाति की उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 40 (20 प्रतिशत) है। इन 40 उत्तरदात्रियों में सरकारी मकानों में रहने वाली 10 (5 प्रतिशत), निजी मकान में रहने वाली 5 (2.5 प्रतिशत), किराये के मकान में रहने वाली 5 (2.5 प्रतिशत), पैतृक मकान में रहने वाली 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ हैं। भंगी जाति की 40 (20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ हैं। इन 40 उत्तरदात्रियों में 15 (7.5 प्रतिशत) सरकारी मकानों में, 15 (7.5 प्रतिशत) किराये के मकानों में एवं 10 (5 प्रतिशत) पैतृक मकानों में रहने वाली उत्तरदात्री सर्वेक्षण में प्राप्त हुईं। अन्य अनुसूचित जातियों की कुल 20 उत्तरदात्रियाँ मिली। इन 20 उत्तरदात्रियों में सरकारी मकानों एवं निजी मकानों में रहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या शून्य रही तथा किराये के मकान में रहने वाली 10 (5 प्रतिशत), पैतृक मकान में रहने वाली 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ प्राप्त हुईं। उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से यह मालूम पड़ता है कि चमार एवं भंगी जाति की पैतृक मकान में रहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक है।

सारिणी संख्या 4.8

उत्तरदात्रियों की जाति और मकान के स्वरूप सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	जाति	कच्चा		पक्का		अर्द्ध पक्का		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	10	5	5	2.5	30	15	45	22.5
2	धोबी	20	10	10	5	25	12.5	55	27.5
3	खटिक	10	5	5	2.5	25	12.5	40	20
4	भंगी	10	5	5	2.5	25	12.5	40	20
5	अन्य	10	5	5	2.5	5	2.5	20	10
	योग	60	30	30	15	110	55	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 4.8 में उत्तरदात्रियों की जाति और उनके मकान के स्वरूप सम्बन्धी विवरण को जानने का प्रयास किया गया है। कुल 200 उत्तरदात्रियों में 60 (30 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के मकान कच्चे पाये गये। इन 60 उत्तरदात्रियों में 10 (5 प्रतिशत) चमार जाति की, 20 (10 प्रतिशत) धोबी जाति की, 10 (5 प्रतिशत) खटिक जाति की, 10 (5 प्रतिशत) भंगी जाति की एवं 10 (5 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियाँ सम्मिलित हैं। 30 (15 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के मकान पक्के पाये गये। इन 30 उत्तरदात्रियों में 5 (2.5 प्रतिशत) चमार जाति, 10 (5 प्रतिशत) धोबी जाति, 5 (2.5 प्रतिशत) खटिक जाति, 5 (2.5 प्रतिशत) भंगी जाति एवं 5 (2.5 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियाँ सम्मिलित हैं। जिन उत्तरदात्रियों के मकान अर्द्ध पक्के पाये गये उनकी संख्या 110 (55 प्रतिशत) है। इन 110 उत्तरदात्रियों में 30 (15 प्रतिशत) चमार जाति की, 25 (12.5 प्रतिशत) धोबी जाति की, 25 (12.5 प्रतिशत) खटिक जाति की, 25 (12.5 प्रतिशत) भंगी जाति की एवं 5 (2.5 प्रतिशत) अन्य अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियाँ शामिल हैं।

सारिणी संख्या 4.9

उत्तरदात्रियों की जाति एवं पारिवारिक स्तर सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	जाति	उच्च स्तर		मध्य स्तर		सामान्य स्तर		निम्न स्तर		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	25	12.5	15	7.5	10	5	10	5	60	30
2	धोबी	15	7.5	10	5	15	7.5	10	5	50	25
3	खटिक	20	10	10	5	5	2.5	5	2.5	40	20
4	भंगी	10	5	5	2.5	10	5	5	2.5	30	15
5	अन्य	0	0	0	0	10	5	10	5	20	10
	योग	70	35	40	20	50	25	40	20	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 4.9 में उत्तरदात्रियों की जाति और उनके पारिवारिक स्तर को जानने का प्रयास किया गया है। पारिवारिक स्तर को उच्च स्तर, मध्य स्तर, सामान्य स्तर एवं निम्न स्तर में विभाजित किया गया है। कुल 200 उत्तरदात्रियों में चमार जाति की संख्या 60 (30 प्रतिशत) है। इन 60 उत्तरदात्रियों में 25 (12.5 प्रतिशत) का पारिवारिक स्तर उच्च, 15 (7.5 प्रतिशत) का पारिवारिक स्तर मध्य, 10 (5 प्रतिशत) पारिवारिक स्तर सामान्य एवं 5 (2.5 प्रतिशत) का पारिवारिक स्तर निम्न है। धोबी जाति की उत्तरदात्रियों की संख्या 50 (25 प्रतिशत) है। इन 50 उत्तरदात्रियों में 15 (7.5 प्रतिशत) का पारिवारिक स्तर उच्च, 10 (5 प्रतिशत) का पारिवारिक स्तर मध्य, 15 (7.5 प्रतिशत) का पारिवारिक स्तर सामान्य एवं 10 (5 प्रतिशत) का पारिवारिक स्तर निम्न है। खटिक जाति की उत्तरदात्रियों की संख्या 40 (20 प्रतिशत) है। इन 40 उत्तरदात्रियों में 20 (10 प्रतिशत) का पारिवारिक स्तर उच्च, 10 (5 प्रतिशत) का मध्य, 5 (2.5 प्रतिशत) का सामान्य एवं 5 (2.5 प्रतिशत) का निम्न है। भंगी जाति की उत्तरदात्रियों की संख्या 30 (15 प्रतिशत) है। इन 30 उत्तरदात्रियों में 10 (5 प्रतिशत) का पारिवारिक स्तर उच्च, 5 (2.5 प्रतिशत) का मध्य, 10 (5 प्रतिशत) का सामान्य एवं 5 (2.5 प्रतिशत) का निम्न है। अन्य उत्तरदात्रियों की संख्या 20 (10 प्रतिशत) है। इन 20 उत्तरदात्रियों में 10 (5 प्रतिशत) का पारिवारिक स्तर सामान्य एवं 10 (5 प्रतिशत) का निम्न है।

अध्याय पंचम

सरकारी सेवा और आर्थिक, राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन

अध्याय पंचम
सरकारी सेवा और आर्थिक, राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन

सभी युगों में किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का मुख्य मापदण्ड नारी की स्थिति ही रही है। नारी की स्थिति में होने वाले परिवर्तन प्रत्येक युग के समाज व्यवस्थाकारों के लिए चिन्तन का विषय रहे हैं। धर्मग्रन्थों का अध्ययन करने पर नारी के सम्बन्ध में बहुधा परस्पर विरोधी बातें मिलती है। देशकाल तथा स्वभाव के अनुरुप नारियाँ विभिन्न प्रवृत्तियों में संलग्न रही हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रशस्त एवं अप्रशस्त कार्यों में संलग्न नारियों का वर्णन किया गया है। धर्म ग्रन्थों के आधार पर गोपाल राव ने बताया कि स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त थे तथा वे स्वतन्त्र थीं। स्त्रियों को उपनयन का अधिकार था, वे यज्ञोपवीत धारण करती थीं। बालकों के ही समान कन्याओं के उपनयन संस्कार का प्राविधान था ताकि उन्हे वेदाध्ययन की दीक्षा दी जा सके। वास्तव में स्त्रियों की शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण माना जाता था कि अथर्ववेद मे जोर देकर कहा गया है कि विवाहिता जीवन में स्त्रियों की सफलता ब्रह्मचर्य की अवधि में प्रदत्त समुचित प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। अनेक स्त्रियों ने शिक्षकों, दृष्टाओं, दार्शनिकों, कवियित्रियों एवं चिन्तकों के रूप में ख्याति अर्जित की। सर्वानुक्रमणिका के अनुसार ऋग्वेद के श्लोकों अथवा ऋचाओं की रचना करने वालों में बीस स्त्रियों के नाम शामिल हैं।

प्रो० ए०एस० अल्टेकर के अनुसार "स्त्री स्वयं अपने अधिकार से रानी या संरक्षक नहीं बन सकतीं थीं। स्त्री को जुएँ में दांव पर भी लगाया जा सकता था, किन्तु समग्र रूप से विचार करने पर परवर्ती काल की तुलना में प्रारम्भिक वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक थी। समाज स्त्रियों को सम्मान देता था, उनका ध्यान रखता था। सामाजिक, राजनीतिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में उन्हें पर्याप्त स्वमन्त्रता थी।" धर्म के क्षेत्र में भी उन्हें पुरुषों के साथ पूरी समानता प्राप्त थी।"[1]

स्मृतिकाल में स्त्री पुरुष के समकक्ष नहीं रह गई। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री पराधीन हो गई। "मनु ने नियोग, विधवा-विवाह तथा अर्न्तजातीय विवाह का अनुमोदन किया। कन्या के लिए उसने उपनयन संस्कार को वर्जित कर दिया गया।"[2] फलतः वह शिक्षा अर्जित करने के अधिकार से वंचित हो गई। उसे न धर्मग्रन्थों के अध्ययन का अधिकार रहा, न वह अब अविवाहित ही रह सकती थी।

---

1. अल्टेकर, ए०एस०; दि पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू सिवलाइजेशन, पृ० 339।
2. मनुस्मृति, 67

मनुस्मृति में ''ब्रह्मचारिणी'' का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वस्तुतः मनु ने स्त्री को जीवन के किसी भी भाग में कोई स्वतन्त्रता नहीं दी।''[1] मनु के अनुसार बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्वावस्था में पुत्र उसका रक्षक है। स्त्रियों पर अनेक ऐसे प्रतिबन्ध आरोपित किए गए जिनसे पुरुष मुक्त थे। भारतीय सामाजिक इतिहास के अध्येताओं ने इसके कारणों की खोजबीन करने का प्रयास किया है।

कुछ विद्वानों के अनुसार यह उपनिषदीय, बौद्ध तथा जैन तपश्चर्या के प्रभाव के विरुद्व प्रतिक्रिया स्वरूप था। अनेक युवा स्त्रियों ने अपने परिवारों को त्याग दिया और बौद्व तथा जैन मठों में शामिल हो गयीं। इनमें से कुछ भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों का जीवन जिस प्रकार का उसने जीवन की तापसिक शैली तथा असंगति के प्रति घृणा को जन्म दिया। आर्यों की सत्ता के सुदृढ़ होने के साथ शासित जनों में अनार्यों की संख्या काफी अधिक हो गयी। वास्तव में ये भारी बहुसंख्या में थे। शनैः शनैः सभी स्त्रियाँ चाहे वे आर्य हों या अनार्य हों, वैदिक अध्ययन तथा धार्मिक कर्तव्यों से वंचित हो गयीं। जटिल अनुष्ठानों के लिए दस से बारह वर्षो तक का प्रशिक्षण आवश्यक था जो कि आर्य स्त्री के लिए भी कठिन था। शनैः शनैः बालिकाओं के लिए उपनयन मात्र औपचारिकता बन कर रह गया। शिक्षा लम्बे समय के लिए ग्रहण से ग्रस्त हो गयी। शिक्षा के अभाव में ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी तक आते–आते कन्याओं का अल्पायु में विवाह होने लगा। नारी स्वतन्त्र नहीं रह गयी। उसे अनेक धार्मिक-सामाजिक जंजीरों में जकड़ दिया गया। वह अधिकाधिक पर-निर्भर या पराश्रित होती गयी, वर्जनाओं से लदती चली गयी और सामाजिक दृष्टि से इतनी पराधीन हो गयी कि व्यावहारिक रूप से उन्हें ''द्वितीय श्रेणी का मानक'' कहा जा सकता है। बौद्व काल से पहले ही उनकी स्वतन्त्रता को सीमित करने वाले विधि–विधान निर्मित हो गये। सांसारिकता में लिप्त करने वाली मानकर उन्हें तिरस्करणीय समझा जाने लगा।[2]

राजनीतिक दशाओं का भी स्त्रियों की प्रस्थिति पर प्रभाव पड़ा। प्रो0 ए0एस0 अल्टेकर के अनुसार ई0पू0 300 से ई0 सन् 300 के बीच यूनानियों, शकों तथा अन्य जातियों के आक्रमण हुए और फिर कुषाणों के राजनीतिक उथल-पुथल व युद्धों के कारण होने वाली नृशंसताओं और समृद्धि के ह्रास के फलस्वरूप समाज में अवसाद व्याप्त हो गया। जिस प्रकार पहले उपनिषदों तथा बौद्ध एवं जैन धर्म द्वारा वैराग्य तथा संन्यास का प्रचार किया गया था उसी प्रकार पुनः इनका प्रचार आरम्भ हुआ। इन्होनें विधवाओं की प्रस्थिति को प्रभवित किया। नियोग तथा विधवा से घर पर तापसिक जीवन व्यतीत करने

---

1. मनुस्मृति 5, 147, 148.
2. श्री, देवी; ए सेन्चुरी ऑफ इण्डियन वूमेनहुड।

के लिए कहा जाने लगा। फलतः निःसन्तान विधवाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई। सन् 8वीं शताब्दी के लगभग विधवाओं के मुण्डन का भी प्रचलन हो गया।

मध्य युग में अनेक स्त्रियों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर अपनी छाप अंकित की है। 13वीं शताब्दी में रजिया ने शासन किया। गुलबदन बेगम ने हुमायूँनामा की रचना की। मुमताज महल एक सुसंस्कृत नारी थी। जेबुनिसा बेगम विख्यात विदुषी थी। हिन्दुओं में भी इस काल में अनेक विख्यात स्त्रियाँ हुई। रूपमती और पदमावती सुसंस्कृत स्त्रियाँ थीं। रुद्रामा देवी 13वीं शताब्दी में काकछतीय वंश में सफल शासिका हुई और उसने आन्ध्र प्रदेश में वारंगल (ओरुगालन) पर शासन किया। मोल्ला का तेलगू साहित्य में विशिष्ट योगदान है।[1] 14वीं शताब्दी में लक्ष्मी देवी ने विधि विषयक ग्रन्थ विविध चन्द्र का प्रणयन दिया।[2] राजपूत स्त्रियाँ अपनी वीरता, साहस तथा त्याग बलिदान के लिए विख्यात थीं।

प्रो0 ए0एस0 अल्टेकर के शब्दों में ई0पू0 200 से सन् 1800 तक, 2000 वर्षों तक स्त्रियों की दशा निरन्तर दयनीय होती चली गयी। यद्यपि माता-पिता उसका दुलार करते थे, पति उसे प्रेम करता था, बच्चे उसका सम्मान करते थे परन्तु सती के पुर्नप्रचलन, पुर्नविवाह के निषेध, पर्दा प्रथा के प्रसार और बहुविवाह के व्यापक प्रचलन ने उसकी स्थिति को बहुत बुरा बना दिया। निःसन्देह समाज इस बात पर जोर देता था कि उस पर समुचित ध्यान दिया जाए किन्तु उसकी प्रकृति एवं योग्यता के सम्बन्ध में अत्यन्त निर्दयतापूर्ण एवं कठोर अन्यायपूर्ण टीका-टिप्पणी करने की पनपती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। यह समाज पति को विवाह-विषयक शपथ का स्पष्टरूपेण उल्लंघन करने की अनुमति प्रदान करना था, परन्तु उसका आग्रह था कि पत्नी उस शपथ का अनुसरण अवश्य करे भले ही उसका पति नैतिक रूप से पतित ही क्यों न हो। इस प्रकार प्रारम्भिक वैदिक काल और 19वीं शताब्दी के बीच स्त्रियों की प्रस्थिति में भारी अन्तर आ गया। मनु द्वारा प्रतिपादित द्वैध मानदण्ड 1950 तक प्रचलित रहे।

प्राचीन भारतीय साहित्य का विश्लेषण करें तो प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों की भागीदारी के विवरण मिलते हैं। उत्तर वैदिक युग में नारी की स्थिति दयनीय हो चली थी। विशेषकर धार्मिक एवं बौद्विक दोनों ही क्षेत्रों में उसके अधिकारों पर तो कुठाराघात होने लगा था किन्तु कुछ ऐसे साहित्यिक तथा पुरा-अभिलेखिक प्रमाण उपलब्ध हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं कि अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में भी स्त्रियों की पुरुषों के समान ही भागीदारी थी।

---

1. कलकत्ता रिव्यू , जुलाई से दिसम्बर 1923, पृ0 449
2. चट्टोपाध्याय एवं श्रीमती देवी कमला, वीमेन इन मार्डन इण्डिया, पृ0 490

प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था भूमि पर आधारित थी। वैदिक साहित्य में कृषि को श्रेष्ठ कहा गया है।[1] कृषि से वित्त, पशुओं से समृद्व घर तथा पत्नी की प्राप्ति सम्भव कही गई है। वैदिक युग से ही स्त्रियाँ कृषि कार्य में पुरुषों का सहयोग करती थीं। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के पश्चात् उद्योगों की भूमिका अहम् थी। स्त्री धन पर पत्नी का पूर्ण अधिकार प्राप्त था और स्त्री धन का उपयोग पति केवल आपात स्थिति में ही कर सकता था। विषम परिस्थितयों में स्त्री को धनार्जन करने की स्वतन्त्रता भी थी। बिना व्यवस्था किए पति के परदेस चले जाने पर पत्नी को उचित शिल्प के माध्यम से जीवन यापन की अनुमति मनु ने दी थी।[2] आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता के लिए स्त्रियाँ विभिन्न जीविका अपनाती थी और समाज द्वारा इस पर कोई प्रतिबन्ध नही था। विदुषी स्त्रियाँ आचार्य बनकर समाज मे उच्च स्थान प्राप्त कर सकती थीं और विषम-परिस्थितियों में सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती थीं।[3] गणिकाओं का यद्यपि समाज में उच्च स्थान न था परन्तु उन्हें हेय दृष्टि से भी नहीं देखा जाता था और वे स्वतन्त्र रूप से अपनी जीविका चलाती थीं। अभिलेखों में वर्णित स्त्री सैनिकों से उनके सैन्य आजीविका की कल्पना की जा सकती है। मूर्तिकला में राजा-रानियों की मूर्तियों के साथ अथवा अन्य कुलीन स्त्रियों के साथ परिचारिकायें दिखाई देती हैं। वे निम्न वर्ग की स्त्रियाँ होती थीं जो अपने जीवन-यापन के लिए राजकुलों में सेवा कार्य करती थीं। स्त्रियों की जीविका को समाज में विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला होगा। उच्च एवं मध्य वर्ग की स्त्रियों के लिए केवल अध्ययन कार्य ही सम्माननीय था। अन्य जीविका अपनाने वाली स्त्रियों की गणना मर्यादेत्तर नारियों के अर्न्तगत होती थी। कन्यायें अपने पिता के व्यवसाय में सहायता करती थीं। दासी, धात्री, गणिका, स्त्री, गुप्तचर, शैलषी, पाशु, वैश्या, नटी, गोपी, किराती, शबरी, नर्तकी जैसी स्त्रियों के निर्देशों से स्त्रियों के जीविका चलाने की कल्पना की जा सकती है।

शनैः शनैः स्त्रियों की प्रस्थितियों में परिवर्तन होने लगा। राज्यशासन में परामर्श एवं सहयोग के लिए नीतिशास्त्र का अनुशीलन आवश्यक होता है। इसीलिए राजनीतिक शिक्षा राजकुमारियों एवं सामंत कुमारियों की शिक्षा का प्रमुख अंग थीं।[4] प्राचीन काल से ही रानियाँ राजनीति में अपने पतियों को सक्रिय सहयोग देती आ रही थीं, अनेक विधवा रानियों ने शासन कार्य भार स्वयं संभाला था। काश्मीर के शासक क्षेमगुप्त (950 ई0 से 958 ई0) की पत्नी दिद्दा ने अपने पति को शासन चलाने में मदद की थी। पति की मृत्यु के बाद सारा शासन दिद्दा ने बड़े ही साहस से संचालन किया। राजपुताना के

---

1. ऋग्वेद, 10, 34
2. मनुस्मृति, 9/75
3. कामसूत्र 1/3/33
4. नवसाहसांक चरित, 4/59, पृ063

सांभर के चौहान मुखिया की पत्नी सोमलादेवी के सिक्के प्राप्त हुए है।[1] दक्षिण भारत का सूडि का अभिलेख जिसकी तिथि 1048 ई0 सदी है, मे कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठम् की रानी लक्ष्मी देवी का उल्लेख है जिसने सम्राट के समान ही कल्याणी में शासन किया था।[2]

राजनीति का क्षेत्र स्त्रियों से अछूता नहीं था, परन्तु राजतन्त्रीय व्यवस्था में सामान्य वर्ग की स्त्रियों को इसमें प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं था। केवल राज-परिवारों की स्त्रियाँ ही इसमें भाग लेती थीं। बाल्यावस्था से ही राजकुमारों के सदृश राजकुमारियों को राजनीति की पूर्ण शिक्षा दी जाती थी, तभी वे शासन कार्यभार सम्हालने में समर्थता प्राप्त करती थीं। सातवीं सदी में उत्तर भारत के दो स्त्री राज्यों का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया है। इनमें से एक पूर्व की ओर तथा दूसरा पश्चिम की ओर था जिन्हे "पूर्वी स्त्री राज्य" तथा "पश्चिम स्त्रियों का देश" कहा जाता था। इन राज्यों मे प्रत्येक की अपनी सरकार थी। राज्य संचालन में स्त्रियों ने बड़े साहस का परिचय दिया। कभी-कभी प्रजा भी रानियों को शासक नियुक्त करती थी।

स्त्रियों का राजनीति में रुचि रखने तथा शासन सूत्र पकड़ने की घटनायें अत्यन्त प्राचीन है। गुप्तकाल में नारियाँ शासन कार्य में सहयोग देती थीं। चन्द्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर महादेवी कुमार देवी के चित्र का अंकन इस बात का प्रतीक है। इसी प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपने पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के निधन पर अपने पुत्र प्रवरसेन द्वितीय की अल्पवयस्कता के कारण संरक्षिका के रूप में राज्य किया था। इस्लाम प्रभाव के पूर्व तक भारतीय शासन में स्त्रियों का प्रभाव बहुत अधिक था। रानियाँ राज्य संचालन ही नहीं करती थी वरन् युद्ध में भी वीरता का प्रदर्शन करती थीं। 8वीं शती में दाहिर की बहिन रानी बाई ने अरब ज़नरल मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध किया था और पति की युद्ध क्षेत्र में वीरगति पा जाने के पश्चात् पराजित होने की आशंका से अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। सामान्य वर्ग की स्त्रियाँ जो कि सम्भवतः सैनिक होती थीं युद्ध क्षेत्र में जाती थीं इनकी पुष्टि खजुराहों की मूर्तिकला से होती है। विश्वनाथ मंदिर के बायें ब्राहम भाग में उत्कीर्ण एक दृश्य में एक स्त्री शस्त्रों से सुसज्जित दिखाई दे रही है। सम्भवतः वह पुरुष के साथ युद्ध क्षेत्र में जा रही है। एक अन्य स्त्री बाएँ हाथ में बड़ी सी तलवार लिए खड़ी है और दाहिने हाथ में तलवार का ऊपरी भाग पकड़े है। यह दृश्य दूल्हादेव मंदिर के पिछले बाह्य भाग में उत्कीर्ण है। इससे स्पष्ट होता है राजाओं के यहाँ स्त्रियों की सैनिक टुकड़ियाँ भी रखते थे जो निश्चित

---

1. क्वाइस ऑफ मेडीवल इंडिया, पृ0 49, प्लेट 6-10
2. ए0 इ0, जिल्द, 15/102, पंक्तियाँ 12-22

रूप से आपत्तिकाल में सहयोग देती थीं। भोज का ग्वालियर अभिलेख भी स्त्री सैनिक टुकड़ी की पुष्टि करता है।

शनैः शनैः समय बदलने के साथ–साथ महिलाओं की अभिरुचि में भी परिवर्तन आया एवं वह विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने हेतु आगे आयी। परिणामतः विभिन्न क्षेत्रों में महिलायें सफल रही हैं। महिलाओं ने विभिन्न महिलाओं को अपना 'रोल मॉडल' माना। चाहे वह खेल से सम्बन्धित हो, राजनीतिक अथवा सिने जगत, विज्ञान इत्यादि से सभी ने अपनी अलग-अलग भूमिका निभाई हैं। आज हमारे समाज की स्थिति यह है कि महिलायें सक्षम होते हुए भी सशक्त नहीं हैं। उच्च मध्यम वर्ग की नौकरी करने वाली महिलाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष बचे समाज की हर महिला अपने विवेक के अनुरूप कोई फैसला लेने के लिए स्वतन्त्र नही है। उसे अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पुरुषों पर आश्रित होना पड़ता है। पुरुष की अधिनायकवादी मानसिकता के कारण महिलायें प्रताड़ना की शिकार होती रहती हैं। जो महिलायें अपने घर की चहारदीवारी लांघ कर समाज में अपनी जगह बनाना चाहती हैं उनको अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार के कड़ुवे घूँट हमेशा पीने पड़ते हैं। हमारे समाज में महिलायें जिन परिस्थितियों से संघर्ष कर रही हैं उसमें यदि समय रहते बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले समय में स्थिति बेहद विकट हो जायेगी। आरक्षण विधेयक जितनी जल्दी हो सके सर्वानुमति से पारित कर दिया जाना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक सामाजिक स्तर पर विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में आरक्षण व्यवस्था शीघ्रता से लागू की गयी है। महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक इत्यादि क्षेत्रों में प्रशंसनीय उपलब्धि अर्जित की है।

बदलते दौर में आवश्यकता इस बात की है कि स्त्रियों की प्रगति में पुरुष भी अपनी सराहनीय भूमिका निभायें। महिलाओं को समग्र विकास के लिए प्रेरित करें। महिलाओं को अर्थहीन मूल्यों, पुरानी मान्यताओं, सामाजिक कुरीतियों और दुर्बलताओं को दूर हटाने में मदद करें। नब्बे के दशक से आर्थिक मामलों में महिलाओं की भागीदारी का समाज में सीधा प्रभाव पड़ा है और महिलाओं की भूमिका में बदलाव आया है। इंटरनेट ने उन्हें घर बैठे रोजगार के अवसर प्रदान किए। आज वे अचार से लेकर कुटीर उद्योग तक घर से सफलतापूर्वक चला रही हैं। यानि आर्थिक स्तर पर उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। आमतौर पर वित्त व्यापार, आर्थिक लेन–देन, विज्ञान आदि क्षेत्र पुरुष प्रधान माने जाते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है। महिलायें सरकारी सेवा से लेकर विभिन्न क्षेत्रों तक अपना सफर तय कर रही हैं।

भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका सभी स्थितियों एवं क्षेत्रों में एक जैसी समान नहीं रही है। स्वतन्त्रता के बाद स्त्रियों पर किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि स्त्रियाँ अपने प्रति सजग हुई हैं। अब वे मात्र शोषण के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाती बल्कि उनका प्रतिकार एवं विरोध भी करती हैं। सरकारी सेवा में महिलाओं की संख्या विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा, समाज कल्याण, पशुपालन, नियोजन एवं विकास, ग्राम पंचायत, आबकारी, बिक्रीकर इत्यादि में सफलता पूर्वक अपना कार्य कर रही हैं। आज वह अपने पैरों पर खड़ी समाज की बागडोर अपने हाथों में लिए हैं। आज वह पुरुषों से कन्धे से कन्धा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी से कार्य करने में सक्षम हैं।

सारिणी संख्या 5.1

उत्तरदात्रियों की जाति एवं मासिक आय सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	जाति	2 से 3 हजार		4 से 5 हजार		6 से 7 हजार		8 से 9 हजार		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	50	25	10	5	6	3	4	2	70	35
2	धोबी	30	15	10	5	5	2.5	5	2.5	50	25
3	खटिक	15	7.5	2	1	2	1	1	0.5	20	10
4	भंगी	10	5	5	2.5	3	1.5	2	1	20	10
5	अन्य	15	7.5	5	2.5	10	5	10	5	40	20
	योग	120	60	32	16	26	13	22	11	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 5.1 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं मासिक आय से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत किया गया है। विश्लेषण में चमार, धोबी, खटिक, भंगी व अन्य अनुसूचित जातियों को लिया गया है तथा आय को 2 से 3 हजार, 4 से 5 हजार, 6 से 7 एवं 8 से 9 हजार की श्रेणी में विभाजित कर विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तुत सारणी में चमार जाति की कुल 70 उत्तरदात्रियाँ हैं जिनमें 50 (25 प्रतिशत) 2 से 3 हजार मासिक आय श्रेणी की, 10 (5 प्रतिशत) 4 से 5 हजार वाली, 6 (3 प्रतिशत) 6 से 7 हजार वाली, 4 (2 प्रतिशत) 8 से 9 हजार मासिक आय वाली उत्तरदात्रियाँ पायी गयीं। धोबी जाति की कुल 50 उत्तरदात्रियों में 30 (15 प्रतिशत) 2 से 3 हजार वाली, 10 (5 प्रतिशत) 4 से 5 हजार वाली, 5 (2.5 प्रतिशत) 6 से 7 हजार वाली एवं 5 (2.5 प्रतिशत) 4 से 5 हजार वाली, 5 (2.5 प्रतिशत) 6 से 7 हजार वाली एवं 5 (2.5 प्रतिशत) 8 से 9 हजार मासिक आय वाली उत्तरदात्रियाँ मिलीं।

खटिक जाति की कुल 20 उत्तरदात्रियों में से 15 (7.5 प्रतिशत) 2 से 3 हजार मासिक आय श्रेणी की, 2 (1 प्रतिशत) 4 से 5 हजार मासिक आय वाली, 2 (1 प्रतिशत) 6 से 7 हजार वाली एवं 1 (0.5 प्रतिशत) 8 से 9 हजार मासिक आय श्रेणी वाली उत्तरदात्रियाँ प्राप्त हुई।

भंगी जाति की कुल 20 उत्तरदात्रियाँ मिली, जिनमें 10 (5 प्रतिशत) 2 से 3 हजार मासिक आय वाली, 5 (2.5 प्रतिशत) 4 से 5 हजार वाली, 3 (1.5 प्रतिशत) 6 से 7 हजार वाली तथा 2 (1 प्रतिशत) 8 से 9 हजार मासिक आय श्रेणी वाली उत्तरदात्रियाँ मिलीं।

अन्य अनुसूचित जाति की कुल 40 उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें 15 (7.5 प्रतिशत) 2 से 3 हजार मासिक आय वाली, 5 (2.5 प्रतिशत) 4 से 5 हजार वाली, 10 (5 प्रतिशत) 6 से 7 हजार मासिक आय वाली और 10 (5 प्रतिशत) 8 से 9 हजार मासिक आय श्रेणी वाली उत्तरदात्रियाँ प्राप्त हुई।

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.1 के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि 2 से 3 हजार रूपये मासिक आय वाली चमार जाति की महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है।

सारिणी संख्या 5.2

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	स्त्रियों की स्थिति	अच्छी		खराब		सामान्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राइमरी	30	15	10	5	15	7.5	55	27.5
2	जू0हाईस्कूल	20	10	14	7	11	5.5	45	22.5
3	हाईस्कूल	23	11.5	2	1	10	5	35	17.5
4	इण्टरमीडिएट	10	5	4	2	6	3	20	10
5	स्नातक	5	2.5	2	1	3	1.5	10	5
6	परास्नातक	3	1.5	1	0.5	1	0.5	5	2.5
7	तकनीकी	15	7.5	10	5	5	2.5	30	15
	योग	106	53	43	21.5	51	25.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 5.2 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं घर में उनकी स्थिति से सम्बन्धित जानकारी का विवरण दिया गया है।

प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त कुल 55 उत्तरदात्रियाँ मिली जिसमें 30 (15 प्रतिशत) की स्थिति अच्छी, 10 (5 प्रतिशत) की खराब एवं 15 (7.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों की स्थिति सामान्य मिली।

जू0हा0 तक शिक्षा प्राप्त कुल 45 उत्तरदात्रियों में 20 (10 प्रतिशत) की स्थिति अच्छी, 14 (7 प्रतिशत) की खराब एवं 11 (5.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों की घर में उनकी स्थिति सामान्य मिली।

हाईस्कूल तक शिक्षा वाली कुल 35 (17.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 23 (11.5 प्रतिशत) की स्थिति अच्छी, 2 (1 प्रतिशत) की खराब एवं 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों की स्थिति सामान्य रही।

इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त कुल 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 10 (5 प्रतिशत) की स्थिति अच्छी, 4 (2 प्रतिशत) की स्थिति खराब एवं 6 (3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों की स्थिति सामान्य मिली।

स्नातक तक शिक्षा प्राप्त कुल 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 5 (2.5 प्रतिशत) की स्थिति अच्छी, 2 (1 प्रतिशत) की स्थिति खराब एवं 3 (1.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों की स्थिति सामान्य मिली।

परास्नातक तक शिक्षा प्राप्त कुल 5 (2.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 3 (1.5 प्रतिशत) की स्थिति अच्छी, 1 (0.5 प्रतिशत) की स्थिति खराब एवं 1 (0.5 प्रतिशत) उत्तरदात्री की स्थिति सामान्य मिली।

तकनीकी तक शिक्षा प्राप्त कुल 30 (15 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 15 (7.5 प्रतिशत) की स्थिति अच्छी, 10 (5 प्रतिशत) की स्थिति खराब एवं 5 (2.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों की स्थिति सामान्य मिली।

इस सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त महिला उत्तरदात्रियों की स्थिति का प्रतिशत सर्वाधिक रहा।

सारिणी संख्या 5.3

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं परिजनों के साथ रहने सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	शिक्षा	सास–ससुर के साथ		माता–पिता के साथ		अन्य के साथ		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राइमरी	6	3	3	1.5	1	0.5	10	5
2	जू0हाईस्कूल	10	5	7	3.5	3	1.5	20	10
3	हाईस्कूल	10	5	5	2.5	5	2.5	20	10
4	इण्टरमीडिएट	20	10	10	5	10	5	40	20
5	स्नातक	25	12.5	20	10	15	7.5	60	30
6	परास्नातक	13	6.5	10	5	7	3.5	30	15
7	तकनीकी	10	5	6	3	4	2	20	10
	योग	94	47	61	30.5	45	22.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 5.3 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं उनका परिजनों के साथ रहने के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कुल 10 उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 6 (3 प्रतिशत) सास–ससुर के साथ, 3 (1.5 प्रतिशत) माता–पिता के साथ एवं 1 (0.5 प्रतिशत) अन्य (मित्र, सहयोगियों, अन्य रिश्तेदारों या विधवा उत्तरदात्रियाँ) के साथ रहने वाली उत्तरदात्रियाँ पायी गयीं।

जू0हा0 स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कुल 20 उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 10 (5 प्रतिशत) सास–ससुर के साथ, 7 (3.5 प्रतिशत) माता–पिता के साथ एवं 3 (1.5 प्रतिशत) अन्य के साथ रहने वाली उत्तरदात्रियाँ पायी गयीं।

हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 20 रही जिनमें 10 (5 प्रतिशत) सास–ससुर के साथ, 5 (2.5 प्रतिशत) माता–पिता के साथ एवं 5 (2.5 प्रतिशत) अन्य के साथ रहने वाली उत्तरदात्रियाँ पायी गयीं।

इण्टरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 40 रही जिनमें 20 (10 प्रतिशत) सास–ससुर के साथ, 10 (5 प्रतिशत) माता–पिता के साथ एवं 10 (5 प्रतिशत) अन्य के साथ रहना पसन्द करती हैं।

स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 60 रही जिनमें 25 (12.5 प्रतिशत) सास–ससुर के साथ, 20 (10 प्रतिशत) माता–पिता के साथ एवं 15 (7.5 प्रतिशत) अन्य के साथ रहना पसन्द करती हैं।

परास्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 30 रही जिनमें 13 (6.5 प्रतिशत) सास–ससुर के साथ, 10 (5 प्रतिशत) माता–पिता के साथ एवं 7 (3.5 प्रतिशत) अन्य के साथ रहना पसन्द करती हैं।

तकनीकी शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 20 रही जिनमें 10 (5 प्रतिशत) सास–ससुर के साथ, 6 (3 प्रतिशत) माता–पिता के साथ एवं 4 (2 प्रतिशत) अन्य के साथ रहने वाली उत्तरदात्रियाँ मिलीं।

सारिणी संख्या 5.4

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं परिवार के सादस्यों का उनके प्रति दृष्टिकोण

क्र0 सं0	शिक्षा	सम्मान की दृष्टि से		सहानुभूति की दृष्टि से		गर्व की दृष्टि से		दया की दृष्टि से		जलन की दृष्टि से		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राइमरी	20	10	4	2	10	5	8	4	8	4	50	25
2	जू0हाईस्कूल	40	20	10	5	5	2.5	3	1.5	2	1	60	30
3	हाईस्कूल	20	10	10	5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	45	22.5
4	इण्टरमीडिएट	8	4	2	1	3	1.5	4	2	3	1.5	20	10
5	स्नातक	2	1	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0	5	2.5
6	परास्नातक	2	1	2	1	1	0.5	0	0	0	0	5	2.5
7	तकनीकी	10	5	0	0	5	2.5	0	0	0	0	15	7.5
	योग	102	51	29	14.5	30	15	21	10.5	18	9	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 5.4 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं परिवार के बूढ़े, बुजुर्गों का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 50 रही जिनमें 20 (10 प्रतिशत) को सम्मान की दृष्टि से, 4 (2 प्रतिशत) को सहानुभूति की दृष्टि से, 10 (5 प्रतिशत) को गर्व की दृष्टि से, 8 (4 प्रतिशत) को दया की दृष्टि से एवं 8 (4 प्रतिशत) को उनके घर के सदस्यों द्वारा जलन की दृष्टि से देखा जाता है।

जू0हा0 स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 60 रही जिनमें 40 (20 प्रतिशत) को सम्मान की दृष्टि से, 10 (5 प्रतिशत) को सहानुभूति की दृष्टि से, 5 (2.5 प्रतिशत) को गर्व की दृष्टि से, 3 (1.5 प्रतिशत) को दया की दृष्टि से एवं 2 (1 प्रतिशत) को उनके घर के सदस्यों द्वारा जलन की दृष्टि से देखा जाता है।

हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 45 रही जिनमें 20 (10 प्रतिशत) को सम्मान की दृष्टि से, 10 (5 प्रतिशत) को सहानुभूति की दृष्टि से, 5 (2.5 प्रतिशत) को गर्व की दृष्टि से, 5 (2.5 प्रतिशत) को दया की दृष्टि से एवं 5 (2 प्रतिशत) को जलन की दृष्टि से देखते हैं।

इण्टरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 20 रही जिनमें 8 (4 प्रतिशत) को सम्मान की दृष्टि से, 2 (1 प्रतिशत) को सहानुभूति की दृष्टि से, 3 (1.5 प्रतिशत) को गर्व की दृष्टि से, 4 (2 प्रतिशत) को दया की दृष्टि से एवं 3 (1.5 प्रतिशत) को जलन की दृष्टि से देखते हैं।

स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कुल 5 उत्तरदात्रियाँ मिली जिनमें 2 (1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों को उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा सम्मान की दृष्टि से, 1 (0.5 प्रतिशत) को सहानुभूति की दृष्टि से, 1 (0.5 प्रतिशत) को गर्व की दृष्टि से एवं 1 (0.5 प्रतिशत) को दया की दृष्टि से देखा जाता है।

परास्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कुल 5 उत्तरदात्रियाँ मिली जिनमें 2 (1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों को उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा सम्मान की दृष्टि से, 2 (1 प्रतिशत) को सहानुभूति की दृष्टि से, 1 (0.5 प्रतिशत) को गर्व की दृष्टि से देखा जाता है।

तकनीकी शिक्षा प्राप्त कुल 15 उत्तरदात्रियाँ मिली जिनमें से 10 (5 प्रतिशत) को उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा सम्मान की दृष्टि से एवं 5 (2.5 प्रतिशत) को गर्व की दृष्टि से देखा जाता है।

सारिणी संख्या 5.5

उत्तरदात्रियों की जाति एवं राजनीतिक विषयक दृष्टिकोण

क्र0 सं0	जाति	रुचि रखते हैं		रुचि नहीं रखते हैं		सामान्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	45	22.5	10	5	8	4	63	31.5
2	धोबी	30	15	15	7.5	8	4	53	26.5
3	खटिक	25	12.5	15	7.5	9	4.5	49	24.5
4	भंगी	15	7.5	5	2.5	3	1.5	23	11.5
5	अन्य	2	1	8	4	2	1	12	6
	योग	117	58.5	53	26.5	30	15	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 5.5 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं उनके राजनीतिक विषयक दृष्टिकोण का विवरण प्रस्तुत किया गया है। विश्लेषण में चमार, धोबी, खटिक, भंगी एवं अन्य अनुसूचित जातियों को लिया गया है तथा राजनीतिक विषयक दृष्टिकोण को तीन श्रेणियों में विभाजित करके विश्लेषण किया गया है जो इस प्रकार है – रुचि रखते हैं, रुचि नहीं रखते एवं सामान्य श्रेणी।

चमार जाति की कुल 63 उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 45 (22.5 प्रतिशत) राजनीतिक विषय पर रुचि रखती हैं, 10 (5 प्रतिशत) नहीं रखतीं एवं 8 (4 प्रतिशत) सामान्य दृष्टिकोण वाली पायी गयीं।

धोबी जाति की कुल 53 उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 30 (15 प्रतिशत) राजनीतिक विषय पर रुचि रखती हैं, 15 (7.5 प्रतिशत) नहीं रखतीं एवं 8 (4 प्रतिशत) सामान्य दृष्टिकोण वाली पायी गयीं।

खटिक जाति की कुल 49 उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 25 (12.5 प्रतिशत) राजनीतिक विषय पर रुचि रखती हैं, 15 (7.5 प्रतिशत) नहीं रखतीं एवं 9 (4.5 प्रतिशत) सामान्य दृष्टिकोण अपनाती हैं।

भंगी जाति की कुल 23 उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 15 (7.5 प्रतिशत) राजनीतिक विषय पर रुचि रखती हैं, 5 (2.5 प्रतिशत) नहीं रखतीं एवं 3 (1.5 प्रतिशत) सामान्य दृष्टिकोण प्रदर्शित करती हैं।

अन्य अनुसूचित जाति की कुल 12 उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 2 (1 प्रतिशत) राजनीतिक विषय में रुचि रखने वाली, 8 (4 प्रतिशत) नहीं रखने वाली एवं 2 (1 प्रतिशत) सामान्य दृष्टिकोण रखने वाली पायी गयीं।

सारिणी संख्या 5.6

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं मित्रवत मदद सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	शिक्षा	पारिवारिक सदस्य		निकट सम्बन्धी		दूर के रिश्ते		मित्र या अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राइमरी	30	15	15	7.5	10	5	5	2.5	60	30
2	जू0हाईस्कूल	28	14	10	5	10	5	2	1	50	25
3	हाईस्कूल	25	12.5	8	4	5	2.5	2	1	40	20
4	इण्टरमीडिएट	14	7	5	2.5	0	0	1	0.5	20	10
5	स्नातक	6	3	2	1	1	0.5	1	0.5	10	5
6	परास्नातक	5	2.5	2	1	1	0.5	2	1	10	5
7	तकनीकी	5	2.5	2	1	1	0.5	2	1	10	5
	योग	113	56.5	44	22	28	14	15	7.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 5.6 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं उनको मिलने वाली मदद सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है।

प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कुल 60 (30 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 30 (15 प्रतिशत) को पारिवारिक सदस्यों द्वारा, 15 (7.5 प्रतिशत) निकट सम्बन्धियों से, 10 (5 प्रतिशत) को दूर के रिश्तेदारों से एवं 5 (2.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों को मित्र या अन्य लोगों से मदद मिलती है।

जू0हा0 स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कुल 50 (25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 28 (14 प्रतिशत) को पारिवारिक सदस्यों द्वारा, 10 (5 प्रतिशत) निकट सम्बन्धियों से, 10 (5 प्रतिशत) को दूर के रिश्तेदारों से एवं 2 (1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों की मित्र या अन्य लोग मदद करते हैं।

हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कुल 40 (20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 25 (12.5 प्रतिशत) को पारिवारिक सदस्यों द्वारा, 8 (4 प्रतिशत) निकट सम्बन्धियों से, 5 (2.5 प्रतिशत) को दूर के रिश्तेदारों से एवं 2 (1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों को मित्र या अन्य लोग मदद करते हैं।

इण्टरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कुल 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 14 (7 प्रतिशत) को पारिवारिक सदस्यों द्वारा, 5 (2.5 प्रतिशत) निकट सम्बन्धियों से, 1 (0.5 प्रतिशत) को मित्र व अन्य सदस्यों द्वारा मदद मिलती है।

स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कुल 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 6 (3 प्रतिशत) को पारिवारिक सदस्यों द्वारा, 2 (1 प्रतिशत) निकट सम्बन्धियों से, 1 (0.5 प्रतिशत) को दूर के रिश्तेदार एवं 1 (0.5 प्रतिशत) को मित्र या अन्य लोग मदद करते हैं।

परास्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कुल 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 5 (2.5 प्रतिशत) को पारिवारिक सदस्यों द्वारा, 2 (1 प्रतिशत) निकट सम्बन्धियों से, 1 (0.5 प्रतिशत) को दूर के रिश्तेदार एवं 2 (1 प्रतिशत) को मित्र या अन्य लोग मदद करते हैं।

तकनीकी स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कुल 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 5 (2.5 प्रतिशत) को पारिवारिक सदस्यों द्वारा, 2 (1 प्रतिशत) निकट सम्बन्धियों से, 1 (0.5 प्रतिशत) को दूर के रिश्तेदार एवं 2 (1 प्रतिशत) को मित्र या अन्य लोग मदद करते हैं।

सारिणी संख्या 5.7
उत्तरदात्रियों की जाति एवं जाति विषयक दृष्टिकोण

क्र0 सं0	जाति	जाति प्रथा सुदृढ़ है		जाति प्रथा कमजोर हुई है		नहीं मालूम		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	15	7.5	5	2.5	10	5	30	15
2	धोबी	10	5	8	4	2	1	20	10
3	खटिक	25	12.5	20	10	15	7.5	60	30
4	भंगी	15	7.5	10	5	5	2.5	30	15
5	अन्य	25	12.5	20	10	15	7.5	60	30
	योग	90	45	63	31.5	47	23.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 5.7 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं जाति विषयक उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया हैं। चमार जाति की 30 (15 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 15 (7.5 प्रतिशत) का कहना है कि जाति प्रथा सुदृढ़ है, 5 (2.5 प्रतिशत) का कहना है कि जाति प्रथा कमजोर हुई है जबकि 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ इसके प्रति अनभिज्ञता जाहिर करती हैं। धोबी जाति की 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में से 10 (5 प्रतिशत) जाति प्रथा को सुदृढ़, 8 (4 प्रतिशत) कमजोर एवं 2 (1 प्रतिशत) इसके प्रति कुछ भी बताने में असमर्थता व्यक्त करती हैं। खटिक जाति की 60 (30 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में से 25 (12.5 प्रतिशत) जाति प्रथा को सुदृढ़, 20 (10 प्रतिशत) कमजोर मानती हैं जबकि 15 (7.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों ने जाति के प्रति अनभिज्ञता प्रदर्शित की। भंगी जाति की 30 (15 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में से 15 (7.5 प्रतिशत) जाति प्रथा को सुदृढ़, 10 (5 प्रतिशत) कमजोर मानती हैं जबकि 5 (2.5 प्रतिशत) जाति के बारे में कुछ भी कहने से मना किया। अन्य अनुसूचित जातियों की उत्तरदात्रियों की संख्या 60 (30 प्रतिशत) है। इन 60 उत्तरदात्रियों में से 25 (12.5) जाति प्रथा को सुदृढ़, 20 (10 प्रतिशत) कमजोर मानती हैं जबकि 15 (7.5 प्रतिशत) ने जाति प्रथा के प्रति अनभिज्ञता जाहिर की।

सारिणी संख्या 5.8

उत्तरदात्रियों की जाति एवं घरेलू बजट सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	जाति	कम खर्च करके		बचत करके		इच्छाओं को दबाकर		संतुलन बनाकर		बैंक खाता खोलकर		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	20	10	20	10	10	5	10	5	10	5	70	35
2	धोबी	15	7.5	15	7.5	5	2.5	10	5	5	2.5	50	25
3	खटिक	5	2.5	10	5	0	0	5	2.5	10	5	30	15
4	भंगी	5	2.5	5	2.5	10	5	0	0	0	0	20	10
5	अन्य	10	5	12	6	0	0	0	0	8	4	30	15
	योग	55	27.5	62	31	25	12.5	25	12.5	33	16.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 5.8 के अन्तर्गत उत्तरदात्रियों की जाति एवं घरेलू बजट सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

चमार जाति की कुल 70 (35 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ घरेलू खर्च कम करके, 20 (10 प्रतिशत) बचत करके, 10 (5 प्रतिशत) अपनी इच्छाओ को दबाकर, 10 (5 प्रतिशत) संतुलन बनाकर तथा 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ बैंक में खाता खोलकर अपनी आय का प्रयोग करती हैं।

खटिक जाति की कुल 50 (25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 15 (7.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ घरेलू खर्च कम करके, 15 (7.5 प्रतिशत) बचत करके, 10 (5 प्रतिशत) अपनी इच्छाओ को दबाकर, 5 (2.5 प्रतिशत) संतुलन बनाकर तथा 5 (2.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ बैंक में खाता खोलकर अपनी आय का प्रयोग करती हैं।

भंगी जाति की कुल 30 (15 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 5 (2.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ घरेलू खर्च कम करके, 10 (5 प्रतिशत) बचत करके, 5 (25 प्रतिशत) अपनी संतुलन बनाकर एवं 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ बैंक में खाता खोलकर अपनी आय का उपयोग सम्बन्धी विवरण दिया।

धोबी जाति की कुल 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 5 (2.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ घरेलू खर्च कम करके, 5 (2.5 प्रतिशत) बचत करके, एवं 10 (5 प्रतिशत) अपनी इच्छाओं को सीमित करके घरेलू बजट बनाने या संतुलित करने वाली उत्तरदात्रियाँ मिलीं।

अन्य अनुसूचित जाति की 30 (15 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 10 (5 प्रतिशत) कम खर्च करके, 12 (6 प्रतिशत) बचत करके एवं 8 (4 प्रतिशत) बैंक में खाता खोलकर बचत करने वाली उत्तरदात्रियाँ मिलीं।

इस सारिणी का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि हर तरह से बचत करने में चमार जाति की उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक है।

सारिणी संख्या 5.9

उत्तरदात्रियों की जाति एवं प्रेरणा स्रोत सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	जाति	माता–पिता		गुरूजन		भाई–बहन		चाचा–चाची		स्वयं को		किसी को नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	20	10	8	4	8	4	5	2.5	2	1	2	1	45	22.5
2	धोबी	15	7.5	10	5	8	4	5	2.5	5	2.5	2	1	45	22.5
3	खटिक	10	5	10	5	10	5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	45	22.5
4	भंगी	15	7.5	5	2.5	5	2.5	10	5	5	2.5	5	2.5	45	22.5
5	अन्य	5	2.5	5	2.5	0	0	0	0	5	2.5	5	2.5	20	10
	योग	65	32.5	38	19	31	15.5	25	12.5	22	11	19	9.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 5.9 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं प्रेरणा स्रोत सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

चमार जाति की 45 (22.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ प्राप्त हुई। इनमें से 20 (10 प्रतिशत) को उनकी सफलता के लिये माता–पिता से, 8 (4 प्रतिशत) को गुरूजनों से, 8 (4 प्रतिशत) को भाई–बहनों से, 5 (2.5 प्रतिशत) को चाचा–चाची से, 2 (1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ स्वयं को प्रेरणा स्रोत मानती हैं तथा 2 (1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ किसी को भी अपनी सफलता का प्रेरणा स्रोत नहीं मानतीं।

धोबी जाति की कुल 45 (22.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 15 (7.5 प्रतिशत) अपनी सफलता के लिये अपने माता–पिता से, 10 (5 प्रतिशत) अपने गुरूजनों से, 8 (4 प्रतिशत) अपने भाई–बहनों से, 5 (2.5 प्रतिशत) अपने चाचा–चाची से एवं 5 (2.5 प्रतिशत) स्वयं से प्रेरणा प्राप्त करती हैं तथा 2 (1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ किसी को भी अपना प्रेरणा स्रोत नहीं मानतीं।

खटिक जाति की 45 (22.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 10 (5 प्रतिशत) अपनी सफलता का श्रेय माता–पिता को, 10 (5 प्रतिशत) गुरूजनों को, 10 (5 प्रतिशत) भाई–बहनों को, 5 (2.5 प्रतिशत) चाचा–चाची को एवं 5 (2.5 प्रतिशत) स्वयं को अपनी सफलता का श्रेय देती हैं तथा 5 (2.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ किसी को भी अपनी सफलता का श्रेय नहीं देतीं।

भंगी जाति की कुल 45 (22.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में से 15 (7.5 प्रतिशत) माता–पिता से, 5 (2.5 प्रतिशत) गुरूजनों से, 5 (2.5 प्रतिशत) भाई–बहनों से, 10 (5 प्रतिशत) चाचा–चाची से एवं 5 (2.5 प्रतिशत) स्वयं को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानती हैं तथा 5 (2.5 प्रतिशत) किसी को अपनी प्रेरणा का स्रोत नहीं मानतीं।

अन्य अनुसूचित जाति की कुल 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 5 (2.5 प्रतिशत) माता–पिता को, 5 (2.5 प्रतिशत) गुरूजनों को, 5 (2.5 प्रतिशत) स्वयं को अपनी सफलता का प्रेरणा स्रोत मानती हैं जबकि 5 (2.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ किसी को भी अपना प्रेरणा स्रोत नहीं मानतीं।

अध्याय षष्टम

अनुसूचित जाति की सेवारत महिलाओं की समस्याएँ एवं निराकरण

अध्याय षष्टम
अनुसूचित जाति की सेवारत महिलाओंकी समस्यायें एवं निराकरण

भारतीय समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं में से अस्पृश्यता भी एक प्रमुख समस्या है। भारत में वर्तमान अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या जिन्हें अस्पृश्य माना जा रहा है 3.8 करोड़ से अधिक है। इस देश में इन करोड़ों व्यक्तियों को अस्पृश्यता के नाम पर मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया है और निम्न जीवन स्तर बिताने के लिए बाध्य क़िया गया है। इन लोगों पर सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक निर्योग्यतायें लाद दी गई जिनकी वजह से इन्हें जीवन की सब प्रकार की सुख-सुविधाओं से वंचित करना पड़ा। वास्तव मे अस्पृश्यता हिन्दुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक बहुत बड़ा कलंक है।

अस्पृश्यता उस परम्परागत मनोभाव तथा व्यवहार प्रतिमान का द्योतक है जिसके अनुसार पंचम वर्ण के सदस्य अछूत या न छूने योग्य हैं और इसलिए उनसे एक सामाजिक दूरी बनाए रखना न केवल उच्च जातियों का कार्य है अपितु अस्पृश्य जातियों का भी कर्तव्य है कि वे उच्च जातियों से दूर रहें और उन्हें न छुए। 'अस्पृश्यता' नाम से ही स्पष्ट है कि यह छुआछूत की भावना भेदभाव पर आधारित है। यह भेदभाव लोगों के व्यवहारों में प्रकट होता है। यह माना जाता था कि पंचम वर्ण के लोग निकृष्ट व अपवित्र होते हैं। डॉ0 जी0एस0 धुरिये ने अपनी पुस्तक 'जाति वर्ग और व्यवसाय' में यह बताया कि उस समय यह विश्वास अवश्य प्रचलित था कि यज्ञ के स्थान में शूद्र को नहीं आने देना चाहिए। आपकी मान्यता यह है कि उत्तर वैदिक काल में चारों वर्ग एक-दूसरें से अलग हो गये थे और छुआछूत से सम्बन्धित प्रतिबन्ध केवल चाण्डालों या अन्त्यजों पर ही नहीं बल्कि पूरे शूद्र वर्ग पर लागू किए जा चुके थे। जैन एवं बौद्व धर्म के प्रभाव के फलस्वरूप इस समय शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार लाने का प्रयास किया गया।

अस्पृश्यता केवल जन्म से ही उत्पन्न नहीं होती है। इसके उद्गम के कई स्रोत हैं। अस्पृश्यता सम्बन्धी जो विधान बने थे वे किसी जाति-सम्बन्धी विद्वेष के प्रतिफल नहीं थे प्रत्युत उनके पीछे मनोवैज्ञानिक या धार्मिक धारणायें एवं स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचार थें जो मोक्ष के लिए परम आवश्यक माने गये थे क्योंकि मोक्ष के लिए शरीर एवं मन से पवित्र एवं स्वच्छ होना अनिवार्य था। प्राचीन काल में बहुत से व्यवसाय वंशानुक्रमिक थे। अतः क्रमशः यह विचार ही घर करता चला गया कि वे लोग जो

ऐसी जाति के होते हैं जो गंदा व्यवसाय करती है, जन्म से ही अस्पृश्य हैं।

प्राचीन धर्म सूत्रों ने केवल चाण्डाल को ही अस्पृश्य माना है। मनु ने केवल चाण्डाल को गाँव के बाहर शमशान में रखने को कहा है।[1] अतः मनु के मत से केवल चाण्डाल ही अस्पृश्य है किन्तु कालान्तर में अस्पृश्यता ने कुछ जातियों को भी स्पर्श कर लिया। कुछ कट्टर स्मृतिकारों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि शूद्र के स्पर्श से द्विज को स्नान कर लेना चाहिए।

दलितों (शूद्रों) पर ब्राह्मण काल या उत्तर वैदिक काल से ही अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध थे। उन्हें यज्ञशाला में जाने की अनुमति नहीं थी। कौटिल्य (300-400 ई0पू0) ने मौर्य युग में उन्हें इतना निम्न माना कि वह इनसे बचने की सलाह देते थे। मुस्लिम काल में पूना, मद्रास, मैसूर आदि स्थानों में शूद्रों पर कुछ प्रतिबन्ध लागू थे जैसे कि वे सूर्यास्त के बाद नगरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी छाया उच्च जातियों को अपवित्र कर सकती थी। ब्रिटिश काल की अवधि में भी 20 वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश निषेध था। ग्रामों में उनके लिए पृथक कुएँ थे। उनके प्रवेश के सन्दर्भ में महात्मा गाँधी ने 1933 में लिखा था कि मंदिर प्रवेश ही एक ऐसा आध्यात्मिक कार्य है जो 'अस्पृश्यों' की स्वतन्त्रता का सन्देश होगा और उन्हें आश्वस्त करेगा कि वे ईश्वर के सामने जाति से बाहर नहीं हैं।

'अनुसूचित जाति' शब्द साइमन कमीशन द्वारा 1935 में प्रयोग किया गया था जो कि अस्पृश्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदिकालीन भारत में इन्हे 'भग्न पुरुष' (Broken men) या 'बाह्य जाति' (Out Castes) माना जाता था। अंग्रेज उन्हें 'दलित वर्ग' (Depressed Class) कहते थे। 1931 की जनगणना में उन्हें बाहरी जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। महात्मा गाँधी ने उन्हे 'हरिजन' (ईश्वर के बालक) की संज्ञा से पुकारा। अस्पृश्य जाति में शिक्षित लोगों ने इस नामकरण को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे सोचते थे कि 'हरि के जन' कहकर असमानता को जन्म देने वाली व्यवस्था को समाप्त करने की अपेक्षा उनकी दशा में सुधार लाने के प्रयत्न किए जा रहे थे।

साइमन कमीशन ने किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए 13 आधार बताये हैं। इनमें से कुछ आधार निम्नवत् हैं :–

1. क्या वह जाति उच्च जाति को अपने स्पर्श या निकटता से अपवित्र करती है ?
2. क्या वह जाति मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती ?

---

1. हट्टन, जे0 एच0; भारत में जाति प्रथा, 1983, अनुवादक मंगलनाथ सिंह पृ0 198–199।

3. क्या वह जाति स्कूलों, कुओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग से वंचित की जाती है ?

4. क्या उस जाति के लिए ब्राह्मण पुरोहित का कार्य कर सकते है ?

5. क्या उस जाति के लिए धोबी, दर्जी, नाई, कहार आदि कार्य कर सकते हैं ?

6. क्या वह ऐसी जाति है जिसके हाथ से हिन्दू पानी ले सकता है ?

7. क्या उस जाति का शिक्षित व्यक्ति सामान्य सामाजिक आदान-प्रदान में उच्च जाति के व्यक्ति के द्वारा समान समझा जाएगा ?

8. क्या वह जाति अपने ही अज्ञान, अशिक्षा व गरीबी के कारण 'दलित' है और क्या इनके (अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी) न होने से वह सामाजिक रूप से निर्योग्य नहीं हो सकती ?

9. क्या वह जाति अपने व्यवसाय के कारण 'दलित' मानी जाती है ?

अस्पृश्य जातियों के नामकरण के सम्बन्ध में शुरू से काफी विवाद रहा है। इन्हें अछूत, दलित, बाहरी जातियाँ, हरिजन एवं अनुसूचित जाति आदि नामों से सम्बोधित किया जाता रहा है। इनकी आर्थिक स्थिति के अत्यन्त दयनीय होने के कारण इनके लिए 'अछूत' शब्द के स्थान पर 'दलित वर्ग' शब्द का प्रयोग किया गया। आर्य समाज की मान्यता थी कि यह वर्ग अछूत न होकर दलित है क्योंकि समाज ने इन्हें दबाकर और सब प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा है। इनकी निम्न दशा के लिए ये स्वयं उत्तरदायी नहीं हैं बल्कि समाज उत्तरदायी है। सन् 1931 की जनगणना के पूर्व तक इनके लिए 'दलित' शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। इस जनगणना के समय जनगणना अधीक्षक ने 'दलित' शब्द के स्थान पर 'बाहरी जातियाँ' शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द के प्रयोग का कारण यह था कि इन जातियों का भारतीय सामाजिक संरचना में कोई स्थान नहीं था। सन् 1935 के विधान में इन लोगों को कुछ विशेष सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से एक अनुसूची तैयार की गई जिसमें विभिन्न अस्पृश्य जातियों को सम्मिलित किया गया। इस अनुसूची के आधार पर वैधानिक दृष्टिकोण से इन जातियों के लिए 'अनुसूचित जाति' शब्द को काम में लिया गया। इनके लिए तैयार की गई सूची में जिन अस्पृश्य जातियों को रखा गया, उन्हें अनुसूचित जातियाँ कहा गया। इन्हीं लोगों को 'दलित' माना जाता रहा है। अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ प्रमुख जातियाँ हैं चुहड़ा, भंगी, चमार, डोम, पासी, रैगर, मोची, राजवंसी, दोसड़, शानन, धियान, पेरेयां तथा कोरी।

1935 में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 277 थी और जनसंख्या 5.01 करोड़ थी। 1981 में उनकी जनसंख्या 10.475 करोड़ हो गई जो कि 1991 में बढ़कर 10.623 करोड़ हो गई (The Hindustan Times April 12, 1991)। 1981 में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या समूचे देश की 15.7

प्रतिशत थी जो कि 1991 में बढ़कर 16.73 प्रतिशत हो गई (Census Report, Paper 1 of 1992)। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 22.3 प्रतिशत, पूर्वी बंगाल में 11.4 प्रतिशत, बिहार में 9.6 प्रतिशत, तमिलनाडु में 8.5 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 7.6 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 7.0 प्रतिशत, राजस्थान में 5.6 प्रतिशत, कर्नाटक में 5.3 प्रतिशत, पंजाब में 4.3 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 4.3 प्रतिशत थी। इस प्रकार अनुसूचित जाति का दो तिहाई (66.4 प्रतिशत) हिस्सा केवल 6 राज्यों में रहता है। समूचे देश में अन्य जातियों की अपेक्षा 1981- 91 की अवधि में अनुसूचित जातियों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्वि हुई है। इस शताब्दी में समस्त जनसंख्या में 23.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी किन्तु अनुसूचित जातियों में यह वृद्वि 30 प्रतिशत थी। लगभग 48 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा कृषि मजदूर, साझीदार के रूप में या सीमान्त कृषक के रूप में काम करते हैं। लगभग वे सभी व्यक्ति जो सफाई करने, मैला ढ़ोने, चमड़ा कमाने के काम में लगे होते हैं अनुसूचित जाति में सम्मिलित होते हैं। कार्य/व्यवसाय के अर्थ में 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों की कुल जनसंख्या 1,047 लाख में से 441.8 लाख (44.2 प्रतिशत) मजदूर श्रेणी के हैं। इनमें से 53.8 प्रतिशत चमड़े का कार्य करते हैं, 12.4 प्रतिशत रस्सी व टोकरी बनाने का, 4.6 प्रतिशत धोबी का, 3.7 प्रतिशत भंगी का, 1.3 प्रतिशत शिल्पी का, 1.3 प्रतिशत फल व सब्जी बेचने वाले, 0.9 प्रतिशत जूता बनाने वाले, 0.4 प्रतिशत शराब बनाने वाले, 0.3 प्रतिशत ढोल बजाने वाले, 0.1 प्रतिशत बढ़ई व लोहार तथा 1.3 प्रतिशत अन्य छोटे कार्यों में लगे हैं। लगभग दो तिहाई बन्धुवा मजदूर अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जाति के लोगों में शिक्षा बहुत कम है। 1981 में ये लोग केवल 21.4 प्रतिशत औसत रूप में शिक्षित थे, जबकि भारत में शिक्षितों का प्रतिशत 41.3 प्रतिशत था। इनमें से अधिकतर गरीबी की रेखा से भी नीचे रहते हैं और आर्थिक तथा सामाजिक शोषण के शिकार होते हैं। सिद्धान्त रूप में अस्पृश्यता भले ही समाप्त हो गई हो लेकिन व्यवहार रूप में ये लोग आज भी भेदभाव के शिकार हैं। मैला सफाई व्यवसाय के कारण हरिजनों के बहिष्कार के सन्दर्भ में महात्मा गाँधी जी ने कहा कि पैतृक व्यवसाय स्वाभाविक व्यवस्था हो सकती है लेकिन आदर्श प्रचलन नहीं। उन्होंने कहा कि यह आदर्श आधुनिक समाज के प्रजातान्त्रिक आदर्शों के अनुकूल भी नहीं है। उन्होंने व्यावसायिक गतशीलता की सीमाओं का भी सन्दर्भ दिया। इस कथन की प्रतिक्रिया स्वरूप डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने व्यंग्यात्मक रूप में कहा, "एक मेहतर को यह बताने का क्या लाभ है कि एक ब्राह्मण भी मेहतर का काम करने को तैयार है जबकि यह स्पष्ट है कि भले ही ब्राह्मण सफाई का काम करे वह उन निर्योग्यताओं का शिकार कभी नहीं हो सकता है जो कि जन्मजात मेहतर को भोगनी पड़ती है।" भारत

में व्यक्ति उच्च या निम्न प्रस्थिति अपने जन्म से प्राप्त करता है, न कि कार्य से। अतः मेहतरों के झूठे अभिमान के समक्ष निवेदन करना या उन्हें प्रेरित करना और बताना कि सफाई करने का कार्य आदर्श कार्य है और उन्हें शर्मिन्दा नहीं होना चाहिए। बाह्य जातियों के विरुद्व लगाए गए कुछ निषेध इस प्रकार थे :–

1. आदि द्रविड़ सोने-चाँदी के आभूषण नहीं पहनेंगे।
2. पुरुषों को घुटने से नीचे तथा कूल्हों (कमर) से ऊपर वस्त्र धारण करने की अनुमति नही होगी।
3. पुरुष कोट, कमीज या बनियान नहीं पहनेंगे।
4. आदि द्रविड़ को अपने बाल कटाने की अनुमति नहीं होगी।
5. आदि द्रविड़ को घरों में मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार का बर्तन प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
6. उनकी स्त्रियाँ अपने शरीर का ऊपरी भाग नहीं ढकेंगी।
7. उनकी स्त्रियों को फूल या मेंहदी के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।
8. पुरुषों को धूप या वर्षा से अपने शरीर को बचाने के लिए छाता प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी और न ही उन्हें चप्पल आदि पहनने की अनुमति होगी।

डॉ0 डी0एन0 मजूमदार ने 1940 की अवधि में दलित जातियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि ये जातियाँ सब राज्यों में दलित नहीं हैं। एक ही जाति एक क्षेत्र में दलित हो सकती हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में सामाजिक व राजनैतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित नहीं भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में एक ही जाति के अधिकार व सामाजिक निर्योग्यतायें आस-पास के जिलों में भी अलग–अलग होती हैं। जहाँ दलित जाति के सदस्यों की संख्या कम होती है वहाँ निर्योग्यताओं में कठोरता है और जहाँ संख्या की दृष्टि से वे बलवान होते हैं वहाँ निर्योग्यतायें शिथिल होती जाती हैं।

आज भी अस्पृश्यों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं हुआ है। जहाँ कहीं राजकीय विभागों व विभिन्न राज्य समर्थित एजेन्सियों द्वारा उनकी दशा सुधारने के उपाय एवं कल्याण कार्य प्रारम्भ किए गए हैं वहीं समाज के शत्रुओं द्वारा सामाजिक तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गई है (राय बर्मन, 1977)। उदाहरणार्थ कुछ स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को पृथक कर दिया जाता है और एक ही कक्षा में पृथक बेंचों या कोने में बैठाया जाता है। कुछ समय पूर्व एक राज्य के एक सरकारी विभाग के प्रधान द्वारा एक सूचना जारी की गई कि दो अक्टूबर को उस विभाग के अनुसूचित जाति

के सदस्यों एवं विभाग के अन्य कर्मचारियों के लिए एक सहभोज की व्यवस्था की जाए। सहभोज की व्यवस्था निःसन्देह की गई लेकिन उच्च जाति के कर्मचारियों ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों से कहा कि क्योंकि यह एक विशिष्ट अवसर था। अतः वे उन्हें पहले भोजन परोसना चाहेंगे। जब अनुसूचित जाति के लोग भोजन कर चुके तो उनसे कहा गया कि वे आराम करें और शेष लोग स्वयं सेवा करके भोजन कर लेंगे। एक दूसरे राज्य में एक छात्रावास में अनुसूचित जाति तथा शेष हिन्दू जाति के छात्र एक साथ रहते थे किन्तु उन्हें पृथक कमरे देकर पृथक कर दिया गया। शेष छात्रों के भोजन पात्र कर्मचारियों द्वारा साफ किए जाते थे लेकिन अनुसूचित जाति के छात्रों को अपने बर्तन स्वयं साफ करने पड़ते थे। सन् 1989 में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं द्वारा सामान्य मैस में भोजन करने के विषय पर एक हड़ताल हुई। यह स्थिति कुछ भी नहीं है अगर इसकी तुलना कई राज्यों में अनुसूचित जातियों के कृषि श्रमिकों और उनकी पत्नियों के साथ अपमानजनक शोषक व्यवहार से की जाए। बिहार में अपने 'शोषकों' को दण्डित करने के उद्देश्य से उच्च व निम्न जाति के हिन्दुओं द्वारा पृथक-पृथक सेनाओं का गठन किया गया है। कुछ वर्ष पूर्व ही बिहार में हुए नरसंहार वर्तमान स्थिति की ओर संकेत करने के लिए काफी हैं।

बिहार के लोगों का हजिनों के प्रति दृष्टिकोण का आभास सिन्हा और सिन्हा द्वारा पटना विश्वविद्यालय के 200 छात्रों द्वारा किए गए एक जैसे उत्तरों से होता है। कुल छात्रों में से 68.0 प्रतिशत ने चमार, डोम व भंगियों को पिछड़ा हुआ बताया। 56.0 प्रतिशत ने उन्हें (चालाक) कुटिल बताया। 54.0 प्रतिशत ने अर्कमण्य, 52.5 प्रतिशत ने शरीर से अस्वच्छ, 52.0 प्रतिशत ने शराबी और 47.5 प्रतिशत ने उन्हें कुरूप बताया।[1] ऐसे ही दृष्टिकोणों के कारण यह कहा गया है कि जब तक अनुसूचित जाति के लोगों पर विशेष ध्यान न दिया जायेगा तथा उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति को ऊँचा न उठाया जायेगा तब तक ये लोग राष्ट्र द्वारा उपलब्ध सामान्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते। महात्मा गाँधी जी का भी मत यही था कि जब तक हम हरिजनों को अपने भाइयों जैसा नहीं मानते तब तक हम विश्व बन्धुत्व की बात नहीं कर सकते। अश्पृश्यता समाप्त करने के लिये चलाया जाने वाला सम्पूर्ण आन्दोलन इसी विश्व बन्धुत्व की सीपना के लिये एक आन्दोलन है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। दलित के प्रति गहरी संवेदनशीलता के लिए चर्चित रहे अवकाश प्राप्त आई0ए0एस0 अधिकारी के0वी0 सक्सेना द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यह रिपोर्ट सरकारी भाषा की उलझन से परे बड़े दो टूक शब्दों में बातों को रखती है। अनुसूचित जातियों के पक्ष में बने कानूनों के बेअसर रहने के कारण की ओर इशारा करते हुए यह रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर

1. सिन्हा और सिन्हा, सोशल फोर्सेज,1967।

बयान करती है। कुल मिलाकर रिपोर्ट के तथ्यों एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हाशिये पर जी रही दलितों के प्रति समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों का नजरिया लोकतन्त्र समता और न्याय आदि के तमाम ढोल-बाजे के बावजूद नहीं बदला है। यह सूचना अत्यन्त कष्टदायक लग सकती है पर दलितों के मामले में अगड़े पिछड़े सब एक हैं।[1]

अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यतायें एवं समस्यायें

भारत में अस्पृश्य जातियाँ एक लम्बे समय तक अत्यधिक अमानवीय शोषण का शिकार रही हैं। 20वीं शताब्दी के आरम्भिक काल से किए गए सुधार प्रयत्नों और स्वतन्त्रता के पश्चात् बने सामाजिक विधानों के फलस्वरूप आज इन समस्याओं को काफी सीमा तक कम कर दिया गया है लेकिन व्यावहारिक रूप से आज भी ये निर्योग्यतायें हमारे सामाजिक जीवन के लिए एक समस्या बनी हुयी हैं। अधिकांश स्मृतियों, पुराणों और तथा कथित धर्मशास्त्रों में अस्पृश्यों की जिन निर्योग्यताओं का उल्लेख है उन्हें साधारण तौर पर चार भागों में विभाजित किया जा सकता है– सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक।

अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यताओं के बारे में श्री के0एम0 पणिक्कर का कथन है कि "जाति प्रथा जब अपनी यौवनावस्था में थी तब इस पंचम वर्ण की दशा कई प्रकार से दासता से भी बुरी थी ... दास केवल एक व्यक्ति के ही अधीन होता था किन्तु अछूतों के परिवारों पर तो गाँव भर की दासता का भार होता था।"[2] अस्पृश्य जातियों को न केवल समाज में निम्न स्थिति प्राप्त होती थी, बल्कि उन पर वे सभी नियन्त्रण लगा दिए गए जिससे वे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सवर्णों से किसी भी प्रकार का सम्पर्क स्थापित न कर सकें। अछूतों की छाया को भी अपवित्र मान लिया गया और सार्वजनिक स्थानों, मार्गों का उपयोग करने से उन्हें वंचित कर दिया गया। मनुस्मृति में कहा गया है कि "चाण्डालों अथवा अछूतों का विवाह और सम्पर्क अपने बराबर वालों के साथ ही हो तथा रात्रि के समय इन्हें गाँव अथवा नगर में विचरण करने का अधिकार न दिया जाए।"[3] अस्पृश्यों को ऐसी सभी वस्तुओं का उपयोग करने से मना किया गया जिसका उपयोग सवर्णों द्वारा किया जाता था। दक्षिण भारत में कमर से ऊपर वस्त्र धारण करने का अधिकार केवल द्विज जातियों को ही था। वस्त्राभूषणों के धारण

---

1. दैनिक जागरण, 25 नवम्बर 2005 "समसुजान अमर"।
2. हट्टन, जे0ए0; कास्ट इन इण्डिया, 1983, पृ0 194।
3. मनुस्मृति, 10/25।

पर प्रतिबन्ध के अलावा भाषा पर भी प्रतिबन्ध था। ऐसे प्रतिबन्ध मालावार के कुछ भागों में सम्भवतः अभी तक चले आ रहे हैं। पहले तो ऐसे प्रतिबन्ध और भी कठोर थे। सार्वजनिक कुओं, तालाबों का उपयोग करना भी उनके लिए अक्षम्य अपराध माना जाता था। इस निर्योग्यता की चरमसीमा मनुस्मृति के इस कथन से स्पष्ट होती है कि "मृत व्यक्ति के वस्त्र अथवा पुराने चीथड़े ही इनके कपड़े, मिट्टी के टूटे हुए टुकड़े इनके बर्तन हों। ये लोग लोहे के आभूषण पहने और रात दिन भ्रमण करते रहें।"[1] अछूतों को नहीं बल्कि सम्पूर्ण शूद्र वर्ण को वेदाध्ययन करने का आदेश नहीं था। विधाता ने गायत्री से ब्राह्मण को निर्मित किया, त्रिष्टुप से राजन्य (क्षत्रिय) को, जगती से वैश्य को किन्तु उसने शूद्र को किसी भी छन्द से निर्मित नहीं किया। अतः शूद्र उपनयन संस्कार के लिए अयोग्य हैं।"[2] उपनयन के उपरान्त वेदाध्ययन होता था और वेद केवल तीन वर्णों के उपनयन की चर्चा करते हैं। शूद्रों के लिए वेदाध्ययन तो मना ही था उसके समीप जाना भी मना था।" दक्षिण भारत में नागपट्म, कुम्मकोणम्, तिन्नेवेलि, कोकनाड, वेजवाडा और नरसापुर के जिन स्कूलों में हरिजन बच्चों को नाम मात्र का भी प्रवेश दिया गया वहाँ सवर्ण हिन्दुओं के बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में अभी हरिजनों के लिए विशेष स्कूलों के प्रबन्ध की आवश्यकता है क्योंकि उच्च जातियों को इनके साथ अपने बच्चे पढ़ाने के लिए राजी करना सम्भव नही है। अछूतों की सबसे बड़ी विषम समस्या तो यही थी कि सभी अछूतों को भी समान सामाजिक स्तर प्राप्त नहीं था। श्री के0एम0 पणिक्कर का कथन है कि "विचित्र बात यह है कि स्वयं अछूतों के भीतर एक पृथक जाति के समान संगठन था। सवर्ण हिन्दुओं के समान उनमें भी उच्च और निम्न स्थिति वाली उपजातियों का संस्तरण था जो एक-दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करती थी।"[3] एक मोची, एक धोबी को एक धोबी, एक मेहतर को कभी नहीं छूता है। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि दक्षिण भारत में ऐसे भी स्थान है जहाँ न केवल ब्राह्मण लोग ही अछूतों के स्पर्श से बचने की कोशिश करते हैं बल्कि अछूत लोग भी ब्राह्मणों के पास जाना या उन्हें देखना अच्छा नहीं समझते। सामाजिक निर्योग्यता का यह एक अनोखा रूप है। अस्पृश्य जातियों को अपने पेशों को छोड़कर ऊँची जातियों के पेशों को अपनाने की कोई स्वतन्त्रता नहीं थी। अछूतों के लिए वे व्यवसाय ही छोड़ दिए गए जो निकृष्टतम और सभी के द्वारा त्याज्य थे। सवर्णों द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों को करने की अछूत कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं धार्मिक रूप से उन्हें यह विश्वास भी दिलाया गया कि जो अछूत अपने परम्परागत व्यवसाय को छोड़कर अन्य कार्य

---

1. वशिष्ट, 18/13।
2. पणिक्कर, के0एम0; हिन्दू सोसायटी एट क्रास रोड, 1956, पृ0 27–28।
3. मजूमदार, डी0एन0; रेसेस एण्ड कल्चर ऑफ इण्डिया, 1958, पृ0 288।

करेगा उसे आगामी जन्म में इससे भी निम्न योनि प्राप्त होगी। इसी विश्वास ने अछूतों की आर्थिक स्थिति को निम्नतम बनाये रखा। अस्पृश्य जातियों को भूमि का अधिकार तथा धन-संग्रह की आज्ञा प्रदान नहीं की गई। मनुस्मृति में बतलाया गया है कि "अस्पृश्य व्यक्ति को धन संचय कदापि नहीं करना चाहिए चाहे वह ऐसा करने में समर्थ ही क्यो न हो क्योंकि धन संचय करके रखने वाला शुद्र ब्राह्मणों को पीड़ा पहुँचाता है।"[1] जमींदारी प्रथा के समाप्त होने से पूर्व इनसे गुलामों की तरह बेगार ली जाती थी। श्री के0एम0 पणिक्कर ने उचित ही कहा है कि उस समय जब अस्पृश्यता की धारणा अपने परम्परात्मक रूप में कार्य कर रही थी अस्पृश्यों की स्थिति गुलामों से भी गई बीती थी। प्रत्येक व्यक्ति का पृथक-पृथक गुलाम न होकर प्रत्येक गाँव में उनकी सेवा करने के लिए अनेक अस्पृश्य परिवार होते थे जो कि सामुदायिक गुलामी का द्योतक है।"[2]

अस्पृश्यों की आर्थिक निर्योग्यता का इससे अधिक विषम रूप और क्या हो सकता है कि उनके द्वारा की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं के बदले उनको मिलने वाला प्रतिफल इतना भी नहीं था कि वे आधा पेट भोजन कर सकें। एक ओर तो मानव ने ही दूसरे मानव को अपनी विष्ठा तक उठाने के लिए बाध्य कर दिया। मनुस्मृति में बताया गया है कि शूद्र अपने स्वामी द्वारा छोड़े गये पुराने वस्त्र, छाता, चप्पलें, चटाइयां आदि प्रयोग में लाते थे और स्वामी द्वारा त्यग्त उच्छिष्ठ भोजन करता था।"[3] मानव के सम्पूर्ण इतिहास में आर्थिक शोषण का इतना विषम रूप सम्भवतः कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हममें से आज भी कुछ व्यक्ति इस व्यवस्था को दैविक और अलौकिक मानकर ईश्वरीय महानता का अपमान करते हैं।

अस्पृश्यता का सम्बन्ध अपवित्रता की धारणा से जोड़कर अछूतों पर मंदिरों और पवित्र स्थानों पर जाने पर कठोर प्रतिबन्ध लगाये गये थे। मंदिरो में उनके लिए दूरियाँ निश्चित थीं। मालावार के गुरुवयूर मंदिर में उसके पर्दे वाली दीवार से 325 फीट के घेरे में ईलवन या तीयन का प्रवेश निषिद्व है। इस दीवार की प्रत्येक बाहु 350 फुट लम्बी है और मंदिर उस घेरे के मध्य मे है। अस्पृश्य वेकम में मंदिर के घेरने वाली सार्वजनिक सड़क पर नहीं चल सकते थे। "हिन्दू" नामक दैनिक समाचार पत्र ने अपने 24 दिसम्बर 1932 में लिखा है कि जिले में एक अदर्शनियों का वर्ग है जिसका नाम पुराद वण्णान है। दिन में इन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है क्योंकि इनको देख लेने मात्र से छूत मानते हैं। ये दूसरे हरिजनों के कपड़े धोते हैं, ये मध्य रात्रि से सबेरे तक काम करते हैं। संस्कार का

---

1. पणिक्कर,, के0एम0; हिन्दू समाज निर्णय के द्वार पर, 1956, पृ0 29-30।
2. 4.हट्टन, जे0एच0; भारत में जाति प्रथा, 1983, पृ0 78, 192।
3. 5.हट्टन, जे0एच0; भारत में जाति प्रथा, 1983, पृ0 193।

सम्बन्ध वास्तव में शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है और अछूतों को इन संस्कारों से भी वंचित किया गया कि वे अशौच की स्थिति में बने रहें। जैसा कि मनु ने लिखा है कि शूद्र प्याज, लहसुन खाये तो कोई पाप नहीं है, वह संस्कारों के योग्य नहीं हैं। उन्हें न तो धर्म पालन का कोई अधिकार है। यह विश्वास किया गया कि अस्पृश्य जातियाँ जन्म से अपवित्र हैं। इस कारण उन्हें शुद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन्हीं आधारों पर इन्हें संस्कारों से वंचित कर दिया गया।

राजनीतिक क्षेत्र में भी अस्पृश्यों को समस्त अधिकारों से वंचित किया गया। इसका कारण हिन्दू धर्मशास्त्र तथा स्मृतियाँ हैं जिन्होंने निर्ममतापूर्वक अछूत कही जाने वाली जातियों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। अस्पृश्य जातियों को शासन के कार्य में हस्तक्षेप करने, किसी प्रकार का सुझाव देने, सार्वजनिक सेवाओं के लिए नौकरी पाने अथवा राजनैतिक सुरक्षा पाने का भी अधिकार नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अछूत को कोई भी सवर्ण अपनी इच्छा से अपमानित कर सकता अथवा पीट सकता था। अछूतों को व्यावहारिक रूप से कोई ऐसी सुरक्षा प्राप्त नहीं थी जिसके आधार पर ऐसे व्यवहारों का विरोध कर सकें। ये निर्योग्यतायें वर्तमान स्थिति से सम्बद्ध न होकर मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्थाओं से अधिक सम्बन्धित रही हैं। अस्पृश्यों की समस्या मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक है न कि धार्मिक और राजनैतिक। अछूतों को अनेक विश्वासों और आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से इस सीमा तक वंचित कर दिया गया कि उनकी राजनीतिक चेतना तो स्वयं ही कुंठित हो गयी। अछूत स्वयं भी अपने जीवन को अपवित्र मानकर अपने को असहाय समझने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दू समाज का अंग होते हुए भी अछूतों को अहिन्दू समझा जाने लगा। लाखों अछूतों ने इस्लाम और ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। आर्थिक असमानता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गयी। अशिक्षा का साम्राज्य हो गया, जातिगत मान्यताओं के आधार पर परस्पर विरोधी समूहों का निर्माण हुआ, राजनीतिक एकता समाप्त हो गयी और एक ऐसे विशाल जनसमूह का निर्माण हो गया जो चेतना, उत्साह और विवेक से हीन था। समाज के सड़े-गले रूप में सुधार करने का जब भी कभी भी कोई प्रयत्न किया गया तब धर्म और हिन्दुत्व के नाम पर उसे निर्दयतापूर्वक दबा दिया गया।

अनुसूचित जातियों के उद्‌भव, जातीय संस्करण में इनकी प्रस्थिति निम्न होने के कारण उन्हें न केवल गाँव से पृथक कर दिया गया था अपितु उनके लिए ऐसे कर्तव्यों तथा अवलाभों को निर्धारित कर दिया गया जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि वे मानवता के अधम उदाहरण हैं। राजाराम मोहनराय तथा रवीन्द्र नाथ टैगोर जैसे भारतीयों ने ऐसे आन्दोलनों का सूत्रपात किया जिनका उद्‌देश्य धर्म की उदारता तथा मानवमात्र के भ्रातृत्व को क्रियान्वित करना था।

भारतीय नारीवादी संघर्षों को जब हम देखते हैं तो हमें मध्यवर्गीय स्त्रियों एवं निम्न वर्ग की स्त्रियों के संघर्षों में एक अन्तर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मध्यवर्गीय स्त्रियों के संघर्ष का दायरा अपने साथ होने वाले भेदभावों को दूर करने तक सीमित था जबकि निम्नवर्गीय मजदूर स्त्री, पुरुष मजदूर के साथ मिलकर मजदूरी की दर सुधारने, काम के घंटे कम करने, अवकाश की सुविधा, आवास और स्वास्थ सेवाओं का प्रावधान, काम की परिस्थितियाँ सुधारने आदि के लिए संघर्ष कर रही थीं। पारम्परिक अफ्रीकी समाजों में स्त्रियाँ खेती करती थीं और पुरुष शिकार किया करते थे। एम0 प्रभावती, प्रभा मुथल, सुशीला मूले, आशा थोराट, अरुणा लोखडे, कौशल्या नोडेश्वर आदि के तर्क है कि देश के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दलित स्त्रियों को अलग-अलग प्रकार की बाधाओं से गुजरना पड़ता है। दलित स्त्री समाज के आखिरी हाशिये पर है। दलित (अनुसूचित जाति की) स्त्री को कमजोर सामाजिक और आर्थिक स्थिति की वजह से भी दमित होना पड़ता है। सन् 1909 में जब अलग-अलग धर्मावलंबियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की कानूनी व्यवस्था की गई, दलित जनसंख्या का मुद्दा राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो गया। 1911 में एक कांग्रेसी नेता एन0जी0 चंद्रावरकर जो उस समय राष्ट्रीय सामाजिक कान्फ्रेंस के अध्यक्ष थे तथा 1900 में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, ने ब्राह्मणो से अपील की कि वे 'अछूत उत्थान कार्यक्रम' प्रारम्भ करें।

सारिणी संख्या 6.1

उत्तरदात्रियों की उम्र एवं अवकाश के उपयोग सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	उम्र	रोजगार सम्बन्धी किताब पढ़कर		समाचार देखकर		घरेलू काम करके		आफिस का काम करके		सहेलियों के साथ समय बिताकर		परिवार की देखभाल करके		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	20–25	5	2.5	5	2.5	20	10	0	0	10	5	20	10	60	30
2	25–30	3	1.5	2	1	8	4	2	1	3	1.5	22	11	40	20
3	30–35	0	0	2	1	13	6.5	1	0.5	2	1	12	6	30	15
4	35–40	0	0	3	1.5	7	3.5	3	1.5	11	5.5	16	8	40	20
5	इससे अधिक	0	0	7	3.5	23	11.5	0	0	0	0	0	0	30	15
	योग	8	4	19	9.5	71	35.5	6	3	26	13	70	35	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.1 में उत्तरदात्रियों की उम्र एवं अवकाश के समय का उपयोग सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया गया है। कुल 200 उत्तरदात्रियों का सर्वेक्षण किया गया है।

20 से 25 आयु वर्ग की कुल 60 (30 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिसमें से 5 (2.5 प्रतिशत) रोजगार परक पुस्तकें पढ़कर, 5 (2.5 प्रतिशत) समाचार देखकर, 20 (10 प्रतिशत) घरेलू काम करके, 10 (5 प्रतिशत) सहेलियों के साथ समय व्यतीत कर, 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ परिवार की देखभाल करके अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करती हैं।

25–30 आयु वर्ग की कुल 40 (20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 3 (1.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ रोजगार परक किताबे पढ़कर, 2 (1 प्रतिशत) समाचार देखकर, 8 (4 प्रतिशत) घरेलू काम करके, 2 (1 प्रतिशत) आफिस का काम करके, 3 (1.5 प्रतिशत) सहेलियों के साथ मौज मस्ती करके, 22 (11 प्रतिशत) परिवार की देखभाल करके अपना अवकाश व्यतीत करती हैं।

30 से 35 आयु वर्ग की कुल 30 (15 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 2 (1 प्रतिशत) समाचार देखने में, 13 (6.5 प्रतिशत) घरेलू काम करने में, 1 (0.5 प्रतिशत) आफिस का काम करने में, 2 (1 प्रतिशत) सहेलियों के साथ मौज मस्ती में, 12 (6 प्रतिशत) परिवार की देखभाल में अपने अवकाश के समय को व्यतीत करती हैं।

35–40 आयु वर्ग की कुल 40(20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 3 (1.5 प्रतिशत) समाचार देखकर, 7 (3.5 प्रतिशत) घरेलूकाम करके, 3 (1.5 प्रतिशत) आफिस का काम करके, 11 (5.5 प्रतिशत) सहेलियों के साथ एवं 16 (8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ परिवार की देखभाल करने में अपने अवकाश का सदुपयोग करती हैं।

40 से अधिक आयु वर्ग की उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 30 रही जिनमें से 7 (3.5 प्रतिशत) समाचार देखना, 23 (11.5 प्रतिशत) घरेलू काम करना पसन्द करती हैं।

इस सारिणी का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि घरेलू काम करके तथा परिवार की देखभाल करके अवकाश का सदुपयोग सर्वाधिक उत्तरदात्रियाँ करती हैं।

सारिणी संख्या 6.2

उत्तरदात्रियों की जाति एवं नौकरी से पहले काम करने सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	जाति	बच्चों की देखभाल		घरेलू कार्य संभालता		पार्ट टाइम जॉब		अन्य कोई कार्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	7	3.5	13	6.5	11	5.5	9	4.5	40	20
2	धोबी	9	4.5	31	15.5	23	11.5	7	3.5	70	35
3	खटिक	6	3	24	12	3	1.5	7	3.5	40	20
4	भंगी	3	1.5	12	6	3	1.5	2	1	20	10
5	अन्य	7	3.5	7	3.5	9	4.5	7	3.5	30	15
	योग	32	16	87	43.5	49	24.5	32	16	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.2 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं उनके नौकरी से पहले काम करने का विवरण प्रस्तुत किया है।

कुल 200 उत्तरदात्रियों में से चमार जाति की 40 (20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 7 (3.5 प्रतिशत) नौकरी से पहले बच्चों की देखभाल करने में, 13 (6.5 प्रतिशत) घरेलू कार्य संभालने में, 11 (5.5 प्रतिशत) पार्ट टाइम जॉब करने में और 9 (4.5 प्रतिशत) अन्य कोई कार्य करने में लगी हुई थीं।

धोबी जाति की 70 (35 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 9 (4.5 प्रतिशत) नौकरी से पहले बच्चों की देखभाल, 31 (15.5 प्रतिशत) घरेलू कार्य संभालने का, 23 (11.5 प्रतिशत) पार्ट टाइम जॉब करने का, 7 (3.5 प्रतिशत) अन्य कार्य करने में लगी थीं।

खटिक जाति की 40 उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 6 (3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ नौकरी से पहले बच्चों की देखभाल करना, 24 (12 प्रतिशत) घरेलू कार्य करना, 3 (1.5 प्रतिशत) पार्ट टाइम जॉब करना, 7 (3.5 प्रतिशत) अन्य कोई कार्य करना पसन्द करती थीं।

भंगी जाति की कुल 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में से 3 (1.5 प्रतिशत) नौकरी से पहले बच्चों की देखभाल करना, 12 (6 प्रतिशत) घरेलू कार्य करना, 3 (1.5 प्रतिशत) पार्ट टाइम जॉब करना और 2 (1 प्रतिशत) अन्य कोई कार्य करना पसन्द करती थीं।

अन्य अनुसूचित जाति की कुल 30 उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 7 (3.5 प्रतिशत) घरेलू कार्य करना, 9 (4.5 प्रतिशत) पार्ट टाइम जॉब करना एवं 7 (3.5 प्रतिशत) अन्य कोई कार्य करना पसन्द करती थीं।

उपर्युक्त सारिणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि धोबी जाति की घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है।

सारिणी संख्या 6.3

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं गृहणी और नौकरी में तालमेल सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	शिक्षा	हाँ		नहीं		मालूम नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राइमरी	33	16.5	27	13.5	10	5	70	35
2	जू0हा0	38	19	7	3.5	5	2.5	50	25
3	हाईस्कूल	23	11.5	7	3.5	0	0	30	15
4	इण्टरमीडिएट	17	8.5	3	1.5	0	0	20	10
5	स्नातक	7	3.5	5	2.5	3	1.5	15	7.5
6	स्नातक	3	1.5	7	3.5	0	0	10	5
7	स्नातक	3	1.5	2	1	0	0	5	2.5
	योग	124	62	58	29	18	9	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.3 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं गृहस्थी और नौकरी में तालमेल सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 70 (35 प्रतिशत) है। इसमें 33 (16.5 प्रतिशत) ये मानती हैं कि गृहणी और नौकरी में उनका तालमेल ठीक है। 27 (13.5 प्रतिशत) का मानना है कि गृहणी और नौकरी में उनका तालमेल ठीक नहीं है। 10 (5 प्रतिशत) गृहणी व नौकरी में सामंजस्य सम्बन्धी अनभिज्ञता जाहिर की। जू0हा0 तक शिक्षा प्राप्त 50 (25 प्रतिशात) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें 38 (19 प्रतिशत) गृहणी व नौकरी में तालमेल ठीक, 7 (3.5 प्रतिशत) गृहणी व नौकरी में तालमेल को ठीक नहीं मानती जबकि 5 (2.5 प्रतिशत) हाँ या नहीं में उत्तर बताने में असमर्थता व्यक्त की। हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 30 (15 प्रतिशत) है। इसमें 23 (11.5 प्रतिशत) गृहणी व नौकरी के रूप में अपनी भूमिका को सामंजस्यपूर्ण बताती हैं। 7 (3.5 प्रतिशत) गृहणी व नौकरी के रूप में अपनी भूमिका को असमंजस्यपूर्ण बताती हैं। इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 20 (10 प्रतिशत) है। इसमें 17 (8.5 प्रतिशत) गृहणी व नौकरी के रूप में अपनी भूमिका को सामंजस्यपूर्ण बताती हैं जबकि 3 (1.5 प्रतिशत) गृहणी व नौकरी के रूप में अपनी भूमिका को असमंजस्यपूर्ण बताया। स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 15 (7.5 प्रतिशत) है। इनमें 7 (3.5 प्रतिशत) गृहणी व नौकरी के रूप में अपनी भूमिका को सामंजस्यपूर्ण बताया। 5 (2.5 प्रतिशत) असमंजस्यपूर्ण बताया जबकि 3 (1.5 प्रतिशत) ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। परास्नातक तक की शिक्षा प्राप्त 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 3 (1.5 प्रतिशत) गृहणी व नौकरी के रूप में अपनी भूमिका को सामंजस्यपूर्ण और 7 (3.5 प्रतिशत) असमंजस्यपूर्ण बताया। तकनीकी शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 5 (2.5 प्रतिशत) है। इसमें 3 (1.5 प्रतिशत) गृहणी व नौकरी के रूप में अपनी भूमिका से संतुष्ट हैं जबकि 2 (1 प्रतिशत) गृहणी व नौकरी के रूप में अपनी भूमिका से असंतुष्ट हैं।

सारिणी संख्या 6.4

उत्तरदात्रियों की जाति एवं नौकरी हेतु संघर्ष सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	जाति	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	13	6.5	37	18.5	50	25
2	धोबी	13	6.5	17	8.5	30	15
3	खटिक	18	9	12	6	30	15
4	भंगी	15	7.5	35	17.5	50	25
5	अन्य	17	8.5	23	11.5	40	20
	योग	76	38	124	62	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.4 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं नौकरी हेतु संघर्ष सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

कुल 200 उत्तरदात्रियों में चमार जाति की 50 (25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 13 (6.5 प्रतिशत) को नौकरी हेतु संघर्ष करना पड़ा और 37 (18 प्रतिशत) का कहना है कि नौकरी हेतु उन्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा।

धोबी जाति की कुल 30 (15 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिली। इनमें से 13 (6.5 प्रतिशत) नौकरी हेतु संघर्ष किया तथा 17 (8.5 प्रतिशत) को नौकरी हेतु संघर्ष नहीं करना पड़ा।

खटिक जाति की 30 (15 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में 18 (9 प्रतिशत) का कहना है कि नौकरी हेतु संघर्ष करना पड़ा तथा 12 (6 प्रतिशत) के अनुसार नौकरी हेतु संघर्ष नहीं करना पड़ा।

भंगी जाति की 50 उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 15 (7.5 प्रतिशत) के अनुसार नौकरी हेतु संघर्ष करना पड़ा और 35 (17 प्रतिशत) के अनुसार नौकरी हेतु संघर्ष नहीं करना पड़ा।

अन्य अनुसूचित जाति की 40 (20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 17 (8.5 प्रतिशत) नौकरी हेतु संघर्ष के लिए हाँ कहतीं हैं जबकि 23 (11.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ नहीं कहती हैं।

सारिणी संख्या 6.5

उत्तरदात्रियों की जाति एवं उनके साथ होने वाले बुरे व्यवहार सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	जाति	गन्दे गाने गाकर		स्पर्श करके		चिकोटी काटकर		शारीरिक सम्बन्ध		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	22	11	4	2	4	2	20	10	50	25
2	धोबी	19	9.5	6	3	1	0.5	24	12	50	25
3	खटिक	20	10	5	2.5	0	0	15	7.5	40	20
4	भंगी	27	13.5	1	0.5	0	0	12	6	40	20
5	अन्य	7	3.5	1	0.5	2	1	10	5	20	10
	योग	95	47.5	17	8.5	7	3.5	81	40.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.5 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं उनके साथ होने वाले बुरे व्यवहार सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया गया है। कुल 200 अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियों का सर्वेक्षण किया गया है।

चमार जाति की कुल 50 (25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें 22 (11 प्रतिशत) को गन्दे गाने जैसा, 4 (2 प्रतिशत) को स्पर्श करने, 4 (2 प्रतिशत) को चिकोटी काटने एवं 20 (10 प्रतिशत) को शारीरिक सम्बन्ध बनाने जैसे प्रस्ताव का सामना करना पड़ा।

धोबी जाति की 50 (25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ सर्वेक्षण में प्राप्त हुईं जिनमें से 19 (9.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों को गन्दे गाने, 6 (3 प्रतिशत) को बुरी भावना से स्पर्श करने, 1 (0.5 प्रतिशत) को चिकोटी काटने और 24 (12 प्रतिशत) को शारीरिक सम्बन्ध बनाने जैसे बुरे बर्ताव का सामना करना पडा।

खटिक जाति की 40 (20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 20 (10 प्रतिशत) गन्दे गानों से, 5 (2.5 प्रतिशत) अश्लील ढंग से स्पर्श करने और 15 (7.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ शारीरिक सम्बन्ध बनाने जैसे बुरे बर्ताव से व्यथित पायी गईं।

भंगी जाति की कुल 40 (20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में से 27 (13.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ गन्दे गाने, 1 (0.5 प्रतिशत) स्पर्श करने और 12 (6 प्रतिशत) शारीरिक सम्बन्धों जैसे बुरे सामाजिक बर्ताव से परेशान दिखीं।

अन्य अनुसूचित जाति की कुल 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 7 (3.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ गन्दे गानों जैसे, 1 (0.5 प्रतिशत) स्पर्श करने जैसे, 2 (1 प्रतिशत) चिकोटी काटने जैसे एवं 10 (5 प्रतिशत) शारीरिक सम्बन्ध बनाने जैसे बुरे बर्ताव का सामना किया।

सारिणी संख्या 6.6

उत्तरदात्रियों की उम्र एवं अश्लील हरकत करने वालों के खिलाफ विचार सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्र0 सं0	उम्र	घर में शिकायत की		रिपोर्ट दर्ज करायी		चुपचाप सहन किया		कुछ नहीं किया		थप्पड़ मारा		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	20–25	3	1.5	2	1	10	5	23	11.5	2	1	40	20
2	25–30	7	3.5	3	1.5	20	10	17	8.5	13	6.5	60	30
3	30–35	18	9	12	6	1	0.5	1	0.5	8	4	40	20
4	35–40	23	11.5	7	3.5	7	3.5	3	1.5	10	5	50	25
5	इससे अधिक	7	3.5	2	1	0	0	0	0	1	0.5	10	5
	योग	58	29	26	13	38	19	44	22	34	17	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.6 में उत्तरदात्रियों की उम्र एवं उनके साथ होने वाली अश्लील हरकतों के खिलाफ विचार सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है।

कुल 200 उत्तरदात्रियों पर सर्वेक्षण किया गया। 20–25 आयु वर्ग की कुल 40 (20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 3 (1.5 प्रतिशत) अपने साथ हुई अश्लील हरकत की शिकायत घर में करती हैं। 2 (1 प्रतिशत) रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। 10 (5 प्रतिशत) चुपचाप रह जाती हैं। 23 (11.5 प्रतिशत) कुछ नहीं करतीं एवं 2 (1 प्रतिशत) जवाब में थप्पड़ मारती हैं।

25 से 30 आयु वर्ग की 60 (30 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ रहीं जिनमें 7 (3.5 प्रतिशत) ने घर में शिकायत की, 3 (1.5 प्रतिशत) ने रिपोर्ट दर्ज करायी, 20 (10 प्रतिशत) चुपचाप रह गयीं, 17 (8.5 प्रतिशत) ने कुछ नहीं किया जबकि 13 (6.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों ने थप्पड़ मारा।

30–35 आयु वर्ग की कुल 40 (20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 18 (9 प्रतिशत) अपने साथ हुई अश्लील हरकत की शिकायत घर में करती है, 12 (6 प्रतिशत) रिपोर्ट दर्ज कराती हैं, 1 (0.5 प्रतिशत) चुपचाप रह जाती हैं, 1 (0.5 प्रतिशत) कुछ नहीं करतीं और 8 (4 प्रतिशत) थप्पड़ मारना पसन्द करती हैं।

35 से 40 आयु वर्ग की 50 (25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं इनमें से 23 (11.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ अपने साथ हुई अश्लील हरकत की शिकायत घर में करती हैं, 7 (3.5 प्रतिशत) रिपोर्ट दर्ज कराती हैं, 7 (3.5 प्रतिशत) चुपचाप रह गयीं, 3 (1.5 प्रतिशत) ने कुछ नहीं किया एवं 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों ने जवाब में थप्पड़ मारा।

40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 7 (3.5 प्रतिशत) ने अपने साथ हुई अश्लील हरकत की शिकायत घर में की, 2 (1 प्रतिशत) ने रिपोर्ट दर्ज करायी, 1 (0.5 प्रतिशत) ने जवाब में थप्पड़ मारा।

सारिणी संख्या 6.7

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं उनका सहकर्मियों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्र0सं0	शिक्षा	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राइमरी	30	15	10	5	40	20
2	जू0हा0	18	9	12	6	30	15
3	हाईस्कूल	17	8.5	13	6.5	30	15
4	इण्टरमीडिएट	13	6.5	7	3.5	20	10
5	स्नातक	23	11.5	9	4.5	32	16
6	परास्नातक	16	8	12	6	28	14
7	तकनीकी	15	7.5	5	2.5	20	10
	योग	132	66	68	34	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.7 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं उनका सहकर्मियों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने सम्बन्धी दृष्किोण का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

कुल 200 उत्तरदात्रियों में से प्राइमरी स्तर तक की शिक्षित उत्तरदात्रियों की संख्या 40 (20 प्रतिशत) रही। इनमें से 30 (15 प्रतिशत) दोस्ताना सम्बन्ध रखने के पक्ष में एवं 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ सहकर्मियों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने के विपक्ष में हैं।

जू0हा0 स्कूल तक शिक्षित उत्तरदात्रियों की संख्या 30 (15 प्रतिशत) रही। इनमें से 18 (9 प्रतिशत) सहकर्मियों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने के लिये "हाँ" कहती हैं और 12 (6 प्रतिशत) "नहीं" कहती पायी गयीं।

हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 30 (15 प्रतिशत) मिलीं। इनमें से 17 (8.5 प्रतिशत) सहकर्मियों से दोस्ताना सम्बन्ध रखना उचित एवं 13 (6.5 प्रतिशत) अनुचित समझती हैं।

कुल उत्तरदात्रियों में से इण्टरमीडिएट तक शिक्षित 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 13 (6.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ सहकर्मियों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने के लिए 'हाँ" कहती हैं और 7 (3.5 प्रतिशत) "नहीं" कहती हैं।

स्नातक स्तर की कुल उत्तरदात्रियाँ 32 रहीं। इनमें से 23 (11.5 प्रतिशत) सहकर्मियों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने के लिए "हाँ" एवं 9 (4.5 प्रतिशत) "नहीं" कहती हैं।

परास्नातक स्तर तक की शिक्षित उत्तरदात्रियाँ 28 (14 प्रतिशत) रहीं। इनमें से 16 (8 प्रतिशत) सहकर्मियों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने के लिये "हाँ" कहती हैं और 12 (6 प्रतिशत) नहीं कहती हैं।

तकनीकी शिक्षा प्राप्त 20 (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में से 15 (7.5 प्रतिशत) सहकर्मियों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने के पक्ष में हैं तथा 5 (2.5 प्रतिशत) पक्ष में नहीं हैं।

इस प्रकार सारिणी के विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि सहकर्मियों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने को ज्यादातर उत्तरदात्रियाँ उचित मानती हैं।

सारिणी संख्या 6.8

उत्तरदात्रियों की उम्र और नारी स्वतन्त्रता सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	उम्र	हाँ बिल्कुल		कुछ हद तक		बिल्कुल नहीं		कभी–कभी		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	20–25	27	13.5	7	3.5	10	5	6	3	50	25
2	25–30	18	9	17	8.5	6	3	2	1	43	21.5
3	30–35	16	8	9	4.5	12	6	10	5	47	23.5
4	35–40	7	3.5	13	6.5	15	7.5	5	2.5	40	20
5	इससे अधिक	2	1	3	1.5	9	4.5	6	3	20	10
	योग	70	35	49	24.5	52	26	29	14.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.8 में उत्तरदात्रियों की उम्र एवं नारी स्वतन्त्रता सम्बन्धी दृष्टिकोण का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

नारी स्वतन्त्रता सम्बन्धी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिये कुल 200 उत्तरदात्रियों पर सर्वेक्षण किया गया। इन कुल 200 उत्तरदात्रियों में से 20–25 आयु वर्ग की उत्तरदात्रियों की संख्या 50 (25 प्रतिशत) रही। इनमें से 27 (13.5 प्रतिशत) नारी स्वतन्त्रता को सही मानती हैं जबकि 7 (3.5 प्रतिशत) कुछ हद तक सही, 10 (5 प्रतिशत) बिल्कुल नहीं एवं 6 (3 प्रतिशत) नारी स्वतन्त्रता को कभी–कभी ही सही मानती हैं।

25–30 आयु वर्ग की कुल 43 (21.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें 18 (9 प्रतिशत) नारी स्वतन्त्रता के लिये "हाँ" कहती हैं जबकि 17 (8.5 प्रतिशत) कुछ हद तक, 6 (3 प्रतिशत) बिल्कुल नहीं और 2 (1 प्रतिशत) कभी–कभी सही मानती हैं।

30–35 आयु वर्ग की कुल 47 (23.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 16 (8 प्रतिशत) नारी स्वतन्त्रता को सही, 9 (4.5 प्रतिशत) कुछ हद तक सही, 12 (6 प्रतिशत) बिल्कुल नहीं एवं 10 (5 प्रतिशत) कभी–कभी ही सही मानती हैं।

35–40 आयु वर्ग की कुल 40 (20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में से 7 (3.5 प्रतिशत) नारी स्वतन्त्रता के लिये "हाँ" कहती हैं जबकि 13 (6.5 प्रतिशत) कुछ हद तक सही मानती हैं। 15 (7.5 प्रतिशत) बिल्कुल सही नहीं एवं 5 (2.5 प्रतिशत) कभी–कभी स्वतन्त्रता को सही मानती हैं।

40 वर्ष से अधिक आयु की कुल उत्तरदात्रियाँ 20 (10 प्रतिशत) रहीं। इनमें से 2 (1 प्रतिशत) नारी स्वतन्त्रता को जरूरी, 3 (1.5 प्रतिशत) कुछ हद तक जरूरी, 9 (4.5 प्रतिशत) बिल्कुल नहीं और 6 (3 प्रतिशत) कभी–कभी जरूरी मानती हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 20–25 वर्ष एवं 25–30 आयु वर्ग की अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियाँ नारी स्वतन्त्रता को पूरी तरह उचित मानती हैं।

सारिणी संख्या 6.9

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं तनाव पूर्ण परिस्थितियों से निपटने सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	शिक्षा	खुश होकर		रो करके		चुपचाप रहकर		हस करके		कुछ नहीं करती		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राइमरी	8	4	7	3.5	3	1.5	6	3	6	3	30	15
2	जू0हा0	3	1.5	4	2	3	1.5	7	3.5	3	1.5	20	10
3	हाईस्कूल	12	6	8	4	17	8.5	7	3.5	6	3	50	25
4	इण्टरमीडिएट	30	15	3	1.5	7	3.5	10	5	10	5	60	30
5	स्नातक	4	2	2	1	2	1	6	3	6	3	20	10
6	परास्नातक	3	1.5	3	1.5	4	2	5	2.5	0	0	15	7.5
7	तकनीकी	1	0.5	0	0	0	0	4	2	0	0	5	2.5
	योग	61	30.5	27	13.5	36	18	45	22.5	31	15.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.9 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है।

कुल 200 उत्तरदात्रियों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से प्राइमरी स्तर तक की शिक्षित उत्तरदात्रियों की संख्या 30 (15 प्रतिशत) रही। इनमें 8 (4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना खुश होकर, 7 (3.5 प्रतिशत) रो करके, 3 (1.5 प्रतिशत) चुपचाप रहकर, 6 (3 प्रतिशत) हसकर और 6 (3 प्रतिशत) कुछ न करके सामना करती हैं।

जू0हा0 स्कूल तक शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या 20 (10 प्रतिशत) रही। इनमें से 3 (1.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना खुश होकर, 4 (2 प्रतिशत) रो करके, 3 (1.5 प्रतिशत) चुपचाप रहकर, 7 (3.5 प्रतिशत) हसकर और 3 (1.5 प्रतिशत) कुछ नहीं करके सामना करती हैं।

हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कुल 50 (25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में से 12 (6 प्रतिशत) तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना खुश होकर, 8 (4 प्रतिशत) रो करके, 17 (8.5 प्रतिशत) चुपचाप रहकर, 7 (3.5 प्रतिशत) हसकर एवं 6 (3 प्रतिशत) कुछ नहीं करके करती हैं।

इण्टरमीडिएट स्तर की कुल शिक्षित 60 उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें 30 (15 प्रतिशत) तनावपूर्ण परिस्थितियों का खुश होकर सामना करती हैं, 3 (1.5 प्रतिशत) रो करके, 7 (3.5 प्रतिशत) चुपचाप रहकर, 10 (5 प्रतिशत) हसकर एवं 10 (5 प्रतिशत) कोई प्रतिक्रिया न करके सामना करती हैं।

स्नातक स्तर तक की शिक्षित उत्तरात्रियों की संख्या 20 (10 प्रतिशत) रही। इनमें से 4 (2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ तनावपूर्ण परिस्थितियों में खुश रहकर सामना करना पसन्द करती हैं जबकि 2 (1 प्रतिशत) दुखी होकर, 2 (1 प्रतिशत) चुपचाप रहकर, 6 (3 प्रतिशत) हस कर एवं 6 (3 प्रतिशत) कुछ प्रत्युत्तर न देकर सामना करना पसन्द करती हैं।

परास्नातक स्तर तक शिक्षित उत्तरदात्रियों की संख्या 15 (7.5 प्रतिशत) रही। इनमें से 3 (1.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी खुश रहकर सामना करती हैं जबकि 3 (1.5 प्रतिशत) दुखी होकर, 4 (2 प्रतिशत) चुपचाप रहकर, 5 (2.5 प्रतिशत) हसकर तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पसन्द करती हैं।

तकनीकी स्तर की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की कुल संख्या 5 (2.5 प्रतिशत रही। इनमें से 1 (0.5 प्रतिशत) ने तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना खुश रहकर, 4 (2 प्रतिशत) ने हस कर किया।

सारिणी संख्या 6.10

उत्तरदात्रियों की उम्र एवं महिलाओं का अपनी देखरेख के प्रति दृष्टिकोण सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	उम्र	हाँ		नहीं		कभी–कभी		विशेष अवसर पर		बिल्कुल नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	20–25	33	16.5	7	3.5	9	4.5	21	10.5	0	0	70	35
2	25–30	17	8.5	3	1.5	13	6.5	22	11	0	0	55	27.5
3	30–35	21	10.5	4	2	7	3.5	13	6.5	5	2.5	50	25
4	35–40	3	1.5	1	0.5	1	0.5	9	4.5	1	0.5	15	7.5
5	इससे अधिक	2	1	0	0	2	1	3	1.5	3	1.5	10	5
	योग	76	38	15	7.5	32	16	68	34	9	4.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.10 में उत्तरदात्रियों की उम्र एवं महिलाओं का अपनी देखरेख के प्रति दृष्टिकोण सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है।

कुल 200 उत्तरदात्रियों में सर्वेक्षण किया गया जिनमें से 20–25 आयु वर्ग की 70 (35 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 33 (16.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ अपनी देखभाल करती हैं, 7 (3.5 प्रतिशत) नहीं करतीं, 9 (4.5 प्रतिशत) कभी–कभी एवं 21 (10.5 प्रतिशत) विशेष अवसर पर ही करती हैं।

25–30 आयु वर्ग की कुल 55 (27.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 17 (8.5 प्रतिशत) अपनी देखभाल करती हैं, 3 (1.5 प्रतिशत) नहीं करतीं, 13 (6.5 प्रतिशत) कभी–कभी एवं 22 (11 प्रतिशत) सिर्फ विशेष अवसर पर ही अपनी देखभाल करती हैं।

30–35 आयु वर्ग की कुल 50 (25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में से 21 (10.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ अपनी देखरेख करना पसन्द करती हैं जबकि 4 (2 प्रतिशत) नहीं करतीं, 7 (3.5 प्रतिशत) कभी–कभी, 13 (6.5 प्रतिशत) विशेष अवसर पर एवं 5 (2.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ तो बिल्कुल भी देखरेख न करने वाली रहीं।

35–40 आयु वर्ग की 15 (7.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ रहीं जिनमें से 3 (1.5 प्रतिशत) अपनी देखरेख करती हैं। 1 (0.5 प्रतिशत) नहीं करती, 1 (0.5 प्रतिशत) कभी–कभी, 9 (4.5 प्रतिशत) विशेष अवसरों पर एवं 1 (0.5 प्रतिशत) बिल्कुल देखरेख नहीं करती।

40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की 10 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं। इनमें से 2 (1 प्रतिशत) अपनी देखरेख करती हैं, 2 (1 प्रतिशत) कभी–कभी, 3 (1.5 प्रतिशत) विशेष अवसरों पर एवं 3 (1.5 प्रतिशत) बिल्कुल ही देखरेख नहीं करतीं।

इस सारिणी के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि 20–25 आयु वर्ग की उन कामकाजी महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रही जो अपनी देखरेख करना पसन्द करती हैं।

सारिणी संख्या 6.11

उत्तरदात्रियों की जाति एवं नौकरी में आरक्षण सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्र0 सं0	जाति	हाँ बहुत हद तक		नौकरी में खास मदद नहीं		कह नहीं सक़ती		सरकारी नौकरी मिलती है गैर सरकारी नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	चमार	38	19	2	1	3	1.5	7	3.5	50	25
2	धोबी	17	8.5	3	1.5	3	1.5	17	8.5	40	20
3	खटिक	23	11.5	12	6	9	4.5	6	3	50	25
4	भंगी	13	6.5	7	3.5	3	1.5	7	3.5	30	15
5	अन्य	13	6.5	2	1	5	2.5	10	5	30	15
	योग	104	52	26	13	23	11.5	47	23.5	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.11 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं नौकरी में आरक्षण सम्बन्धी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है।

कुल 200 उत्तरदात्रियों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें चमार जाति की कुल 50 (25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 38 (19 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि नौकरी में आरक्षण से बहुत हद तक मदद मिलती है जबकि 2 (1 प्रतिशत) मानती हैं कि नौकरी में खास मदद नहीं मिलती, 3 (1.5 प्रतिशत) इस पर कुछ नहीं कह सकीं जबकि 7 (3.5 प्रतिशत) का कहना है कि सरकारी तो मिलती है पर गैर सरकारी नहीं।

धोबी जाति की 40 (20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 17 (8.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ नौकरी में आरक्षण को बहुत हद तक मददगार मानती हैं जबकि 3 (1.5 प्रतिशत) नहीं मानतीं, 3 (1.5 प्रतिशत) कुछ न कह सकीं एवं 17 (8.5 प्रतिशत) मानतीं हैं कि सरकारी नौकरी में आरक्षण लाभदायक है जबकि गैर सरकारी में नहीं।

खटिक जाति की कुल 50 (25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 23 (11.5 प्रतिशत) नौकरी में आरक्षण की मदद के लिये "हाँ" कहती हैं। 12 (6 प्रतिशत) "नहीं", 9 (4.5 प्रतिशत) कुछ न कह सकीं एवं 6 (3 प्रतिशत) सिर्फ सरकारी नौकरियों में मददगार मानती हैं गैर सरकारी में नहीं।

भंगी जाति की कुल 30 (15 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में से 13 (6.5 प्रतिशत) नौकरी में आरक्षण को मददगार मानती हैं। 7 (3.5 प्रतिशत) खास नहीं मानतीं, 3 (1.5 प्रतिशत) इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहतीं एवं 7 (3.5 प्रतिशत) सरकारी नौकरी में मददगार मानती हैं जबकि गैर सरकारी में नहीं।

अन्य जाति की 30 (15 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ मिलीं जिनमें से 13 (6.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ नौकरी में आरक्षण को बहुत हद तक मददगार मानती हैं। 2 (1 प्रतिशत) खास मददगार नहीं मानतीं। 5 (2.5 प्रतिशत) कुछ नहीं कह सकीं एवं 10 (5 प्रतिशत) सिर्फ सरकारी नौकरियों में मददगार मानती हैं गैर सरकारी में नहीं।

अध्याय सप्तम

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय सप्तम
निष्कर्ष एवं सुझाव

'अनुसूचित जाति' एक संवैधानिक शब्दावली है जिसका प्रयोग उन समुदायों के लिये किया जाता है जो हिन्दू समाज की संरचना में निम्नतर स्थान रखते हैं। निम्नतर स्थान का आधार इन जातियों के उस परम्परागत कार्य से जुड़ा हुआ है जिसे हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत अपवित्र माना गया है। पहली बार 'अनुसूचित' संबोधन पद का प्रयोग साइमन कमीशन ने किया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में इस पद को प्रतिस्थापित किया गया। आजादी के बाद भारत के संविधान में इस कोटि के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से इस शब्द को यथावत रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 366 (24) में स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति से अभिप्राय ऐसी जातियों या जातियों के भाग से है, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियाँ समझी जाती हैं। अनुच्छेद 341 (1) के आधीन राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में और जहाँ वह राज्य है, वहाँ के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जातियों के भागों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियाँ समझी जायेंगी। कहीं–कहीं इन समुदायों के लिये बाह्य जातियाँ, अस्पृश्य जातियाँ, अंत्यज जातियाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। महात्मा गाँधी ने इन जातियों के लिये 'हरिजन' (ईश्वर की संतान) तथा डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने 'दलित वर्ग' शब्द का प्रयोग किया है।

प्राचीन हिन्दू सामाजिक कारणों से ये जातियाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ रहीं हैं और एक सामान्य जीवन की आधारभूत सुविधाओं से वंचित रही हैं। आजादी के बाद विकास के साथ सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए संविधान में इन समुदायों के लिये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्देद 46 में यह उल्लेखित है कि "राज्य समाज के कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिये विशेष प्रयास करेगा तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।" इस संवैधानिक प्रावधान के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के लिये नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों, विधानसभा व संसद में सीनों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

हिन्दू सामाजिक संगठन के ऐतिहासिक विकास क्रम का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्राचीनकाल के सामाजिक परिवेश में दलित महिलाओं का अस्तित्व अत्यन्त निम्न था जिसके कारण उनकी सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। मध्यकाल में जातिगत प्रतिबद्धता के कारण जाति संरचना में और भी कठोरता आयी जिससे उनका जीवन स्तर ऋणात्मक रूप से और भी प्रभावित हुआ। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् नारीवादी आन्दोलनों, उदारवादी दृष्टिकोणों तथा सरकार द्वारा मिलने वाले संवैधानिक संरक्षणों के कारण दलित महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों तथा भूमिकाओं में काफी परिवर्तन आया है। यद्यपि यह परिवर्तन दलित महिलाओं की दैनीय स्थिति व समस्याओं के संदर्भ में कोई मूलभूत सुधार नहीं कर पाया। वर्तमान समय में उन्हें समाज में फेली अनेक बुराईयों का सामना करना पड़ रहा है। पितृसत्तात्मक सोच, जातिगत भेद, निर्धनता, बाल विवाह, अन्ध विश्वास, नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति, अशिक्षा, पारिवारिक हिंसा, मानसिक व शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न आदि कारणों से उनकी समस्याएँ दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं जिससे अनेकों प्रकार की कुंठाओं, हीन भावनाओं व मानसिक विकारों से ग्रसित होकर न तो सामान्य जीवन व्यतीत कर पाती हैं और न ही अपने व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास कर पाती हैं।

किसी भी समाज में महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण उनके आर्थिक योगदान, राजनैतिक स्वतन्त्रता की सीमा तथा समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा के द्वारा किया जाता है। किन्तु आज के युग में उनकी प्रस्थिति को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उनके प्रति अपनाया जाने वाला सामाजिक दृष्टिकोण है जो समाज के सांस्कृतिक स्तर, धर्म, परम्परा और रीति-रिवाज आदि कारकों से बहुत हद तक प्रभावित होता है। ई0वी0 स्वनेडर के अनुसार "स्पष्ट रूप से परिवार में महिला की स्थिति में, परिवार के सामाजिक और आर्थिक स्तर के साथ-साथ परिवर्तन होता रहता है। उच्च स्तरों पर वह अपने परिवार में उच्च स्तर का जीवनयापन कर सकती है।"

सामाजिक मान्यताओं और मानसिकता का ही परिणाम है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने वाली संवैधानिक व्यवस्था के बावजूद इस क्रम में लाये गए तमाम कानून निष्प्रभावी ही साबित हुए हैं। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, बाल-विवाह से शिक्षा में कमी, बलात्कार, हमले, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर पुरुष का नियन्त्रण, घरेलू हिंसा, ससुराल में कमतर दर्जा, यौन उत्पीड़न, ताकत या स्वेच्छा से सम्पत्ति का हड़पना, पुलिस या अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा नजरंदाज किए जाने सरीखी बुराइयाँ आज भी विद्यमान है। महिलाओं की दशा-दिशा में सुधार लाने वाले कानून अमल में ही नहीं आ पाये हैं। महिलाओं को इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वजागरूक होना बहुत जरुरी है। इसके लिए निरन्तर प्रयास करने होंगे। इस क्रम में अच्छी बात यह है कि महिलायें अब अपना

तन्त्र मजबूत बनाने की कोशिशों में हैं जैसे पहले कभी देखने में नहीं आया था। एक-दूसरे की परस्पर मदद करके वे अपनी क्षमता का सही दोहन कर रही हैं।

बीसवीं सदी के दूसरे दशक की सक्रियता का एक परिणाम साइमन कमीशन से देश की प्रशासनिक व्यवस्था में दलितों के उचित हिस्से की मांग थी। उल्लेखनीय है कि ऑल इण्डिया वीमेन्स कान्फ्रेन्स ने स्त्रियों की शासन में भागीदारी की मांग की। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान स्त्री आन्दोलन की स्थिति फ्रांसीसी क्रान्ति के दौरान स्त्री आन्दोलन जैसी थी। तब भी एक ओर संभ्रान्त स्त्री अधिकारों की मांग कर रही थी दूसरी ओर गरीब मजदूर किसान औरतें रोटी की मांग कर रही थीं। इन दोनों वर्गों की औरतों में क्रान्ति के दौरान अपने वर्गों के हितों का संरक्षण किया।

जहाँ भी शिक्षा की भागीदारी कम है वहीं काम में भागीदारी अधिक है। 1981 की जनगणना के अनुसार सवर्ण स्त्रियों की उत्पादन के काम में भागीदारी 21.88 प्रतिशत थी जबकि अनुसूचित जाति में यह 29.08 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति में 38.78 प्रतिशत थी। यह भागीदारी मध्य महाराष्ट्र में थी। जाधव ने बताया कि अत्यधिक अनुसूचित जाति की स्त्रियाँ खेती तथा कृषि से जुड़े धंधों में काम करती हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें शिक्षा के अभाव में अन्य क्षेत्रों में काम नहीं मिलता। अशिक्षा की वजह से ये स्त्रियाँ शारीरिक श्रम ही करती हैं। घर एवं कृषि के अलावा ये फैक्ट्रियों में भी काम करती हैं। निर्माण के क्षेत्र में भी स्त्रियाँ सक्रिय हैं। मौसम के अनुसार इनके श्रम की मांग घटती–बढ़ती रहती है। समय परिवर्तन के बाद आज अनुसूचित जाति की स्त्रियों को शिक्षा की व्यवस्था है एवं आरक्षण की व्यवस्था भी है। शिक्षित स्त्रियाँ आज उस प्रत्येक पद पर हैं जहाँ पर पुरुष हैं। पुरुषों एवं स्त्रियों में बराबरी का दर्जा है। इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। ये अनुसूचित जाति की महिलायें सरकारी सेवाओं इत्यादि में कार्यरत हैं।

महिलाओं को सिर्फ घरेलू कामकाज और बच्चा पैदा करने वाली मशीन भर नहीं समझना चाहिए। हर तरह के मामलों में निर्णय करने का अधिकार महिलाओं को भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात महिलायें अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण यथार्थपरक रवैया अपनाकर करें। सही दिशा में छोटी-मोटी सफलता भी बहुत मायने रखती है। जब समाज किसी एक पहलू पर फोकस करेगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्या हल ही होगी। बदलते दौर में अपने पैरों पर खड़ी महिला को सफल माना जा सकता है। साथ ही कामकाजी महिला का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सशक्त होना भी आवश्यक है ताकि वह समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सके। केवल दफ्तर में खुद को साबित करना ही पर्याप्त नही है बल्कि घर से लेकर सामाजिक परिवेश तक भी महिलाओं को अपनी भूमिका गंभीरता से निभानी आनी चाहिए।

स्त्री असुरक्षा की भावना से मुक्त होकर अपनी पहचान बनायें तभी उसे कामयाबी मिल सकती है। स्त्रियों को महिला-दिवस अपनी आजादी के रूप में मनाना चाहिए। स्त्री जीवन में कभी अपना आत्मविश्वास न खोये और अपना आत्मसम्मान हर हाल में बनाये रखे।

भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार करीब 1380 करोड़ है जिन्हें अछूत माना जाता रहा है। इस देश में इन्हें छुआछूत के नाम पर मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया और इन्हें निम्न से निम्न जीवन बिताने के लिये मजबूर किया गया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय आयोग ने प्रतिवेदन निरन्तर अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अपराधों की संख्या में वृद्धि का विवरण देते रहे हैं। अधिकतर अनुसूचित जाति की स्त्रियाँ उच्च वर्ग के पुरुषों द्वारा किये गये बलात्कार का शिकार होती हैं। अनुसूचित जाति के पुरुषों का भी विभिन्न प्रकार से शोषण होता है। उनकी भूमि हड़प ली जाती है और उनका उपयोग बन्धुवा मजदूर की तरह किया जाता है। इसी सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति के0एस0 आनन्द कहते हैं कि संविधान में पर्याप्त और अन्य कानूनों के बावजूद यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि सामाजिक अन्याय और अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं कमजोर तबकों का शोषण जारी है।

अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिये "अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग" के रूप में एक कार्यव्यवस्था का निर्माण किया गया है। यह आयोग अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिये नीतियों एवं प्रकरणों पर कार्य हेतु सलाह कर समिति के रूप में गठित किया गया है। प्रथम अध्याय में हमने विभिन्न युगों में नारी की स्थिति, अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति, उनकी संख्या, उनके विरूद्ध किये गये अपराध, अनुसूचित जातियों को दिये जाने वाले संवैधानिक प्रावधान, उनके लिये चलाये गये सुधार एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में आये परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है।

द्वितीय अध्याय पद्धतिशास्त्र से सम्बन्धित है। इसमें सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण, अवलोकन, निदर्शन, साक्षात्कार, अनुसूची आदि का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही इस अध्याय में अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व, अध्ययन के उद्देश्य, उपकल्पनाओं एवं अध्ययन क्षेत्र आदि का भी विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है।

"सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन का अन्वेषण तथा प्रमाणीकरण करने की एक व्यवस्थित पद्वति है जिसका लक्ष्य ज्ञान का विस्तार, शोधन अथवा सत्यापन करना है, चाहे वह ज्ञान एक सिद्वान्त के निर्माण में अथवा कला को व्यवहार में लाने में सहायक हो।"

अनुसंधान का लक्ष्य वैज्ञानिक कार्य प्रणालियों द्वारा प्रश्नों के उत्तरों को खोजना हैं। इन कार्य प्रणालियों को इसलिए विकसित किया गया है ताकि संकलित सूचना विश्वसनीय, तर्कसंगत तथा वैषयिक हो। निःसंशय होने के लिए यह प्रत्याभूति नहीं दी जाती कि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता जो वास्तविक सूचना प्रस्तुत करता है वह तर्कसंगत, विश्वसनीय तथा निष्पक्ष होगी। परन्तु वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणालियों द्वारा संकलित सूचनायें अधिक विश्वसनीय तथा निष्पक्ष होती हैं। प्रत्येक अनुसंधान किसी प्रश्न अथवा समस्या को लेकर प्रारम्भ किया जाता है। अतः क्यों, कब, कैसे तथा कौन शब्दों को यदि हम अनुसंधान का प्राण कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

वर्तमान समय में अनेक प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक पद्वति द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सेलटिज एवं जहोदा तथा उनके सहयोगियों के अनुसार "अनुसंधान उत्तर खोजने की ओर प्रेरित होता है, यह उन्हें प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं भी प्राप्त कर सकता है। विशिष्ट रूप से आधुनिक विज्ञान विशेषकर सामाजिक विज्ञान एक अपरिष्कृत प्रक्रिया है।" अनुसंधान उत्तरों में परिशुद्धता की अभिवृद्धि के लिए कई प्रविधियों का विकास किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुसंधान का इस भौतिक जगत में अत्यधिक महत्व है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान का महत्व द्रुतगति से बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक युग में नये तथ्य तथा नये विचार अविष्कृत होते रहे हैं।

आज के वैज्ञानिक युग में प्रत्येक समस्यामूलक तथ्य की व्याख्या एवं परीक्षा वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। सामाजिक अनुसंधानों में तो इसका महत्व और भी अधिक है क्योंकि इनमें घटनायें व तथ्य बड़े विचित्र, परिवर्तनशील एवं जटिल प्रकृति के होते हैं। इन पद्वतियों के उपयोग न करने पर हमारे निष्कर्ष बड़े भ्रमपूर्वक हो जाते हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन में अर्द्व सहभागी निरीक्षण के माध्यम से व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया गया है। अनुसंधानकर्त्री ने स्वयं जाकर साक्षात्कार लिया है एवं झाँसी महानगर में सरकारी सेवा में कार्योजित स्थायी एवं अस्थायी 200 महिला उत्तरदातियों का साक्षात्कार लिया है। इससे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी मिली कि उन्हें किस-किस प्रकार की प्रताड़नायें झेलनी पड़ती हैं एवं साक्षात्कार अनुसूचियों के माध्यम से उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक भूमिकाओं का आंकलन किया गया।

यद्यपि देखा जाये तो अनुसूचित जाति की महिलाओं पर अनेकों शोध कार्य हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययनों में अनुसूचित जाति के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया है। डॉ0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने "महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका" नामक अपने अध्ययन में बताया कि महिलायें तभी सशक्त हो सकती हैं जबकि शिक्षा के माध्यम से उनमें जागरूकता लायी जाय। डॉ0 निरपेन्द्र कुमार सिन्हा ने 'पंचायती राज में महिलाओं की

सहभागिता' नामक अपने अध्ययन में यह बताया कि महिलाओं की पंचायती राज में सहभागिता मात्र कानून से सम्भव नहीं है। ए0आर0एन0 श्रीवास्तव ने अपने अध्ययन 'उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की वर्तमान स्थिति' में यह बताने का प्रयास किया कि जब तक जनमानस के विचारों व मनोवृत्तियों में अपेक्षित बदलाव नहीं आयेगा तब तक अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की समस्या का स्थायी समाधान सम्भव नहीं है। डॉ0 उमारानी गुप्ता ने अपने अध्ययन 'पंचायत राज एवं दलित महिलाएँ' में कहा कि दलित समुदाय के नेतृत्व के अभाव में पंचायत राज के माध्यम से ग्रामीण विकास का स्वप्न अधूरा ही रहेगा। प्रतिमा गोण्ड ने अपने अध्ययन में 'दलित महिलाओं की वर्तमान स्थिति' में कहा कि दलित महिलाओं की समस्याओं का समाधान तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह नहीं जोड़ा जाता। इसके लिये दलित महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने की आवश्यकता है। डॉ0 मीनाक्षी व्यास ने अपने अध्ययन 'मध्यम एवं निम्न वर्गीय स्त्रियों की पारिवारिक स्थिति' में बताया कि महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में लिंग सम्बन्धी अड़चनें दूर करना और लोकतंत्र में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी पर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

उपर्युक्त सभी अध्ययनों में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। परन्तु झाँसी नगर की कार्योजित अनुसूचित जाति की महिलाओं पर अभी तक कोई अध्ययन प्रकाश में नहीं आया। अतः शोधकर्त्री ने इस विषय को अपने अध्ययन का आधार बिन्दु बनाया है। यह अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि झाँसी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अपना एक पृथक स्थान रखता है।

तृतीय अध्याय में हमने झाँसी नगर की ऐतिहासिक पृष्ठीाूमि एवं वहाँ की अनुसूचित जातियों के बारे में चर्चा की है। भारत देश के बुन्देलखण्ड की गौरवमयी भूमि झाँसी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में 25:13 और 25.57 उत्तरी अक्षांश एवं 78.48 से 79.25 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। झाँसी नगर में औद्योगिक स्थानों की कमी के कारण अभी तक पिछड़ा रहा है। 2003 में इसे नगर निगम का दर्जा मिला है। झाँसी के पूर्व में उ0प्र0, हमीरपुर एवं महोबा, पश्चिम में मध्य प्रदेश के शिवपुरी व दतिया, उत्तर में उत्तर प्रदेश का जालौन एवं दक्षिण में ललितपुर जिला हैं। झाँसी ऐतिहासिक, साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्रता संग्राम की प्रथम दीपशिखा झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई जिनकी शौर्य गाथा का इतिहास साक्षी है, झाँसी की थीं। राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त, वृन्दावन लाल वर्मा आदि झाँसी के थे जिन्होंने हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ पर दो ही उद्योग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एवं बैद्यनाथ प्राणदा प्रमुख हैं।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार झाँसी जिले की कुल जनसंख्या 17,46,715 है जिसमें 9,34,118 पुरुष एवं 8,12,597 महिलायें सम्मिलित हैं। झाँसी में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 489763 है जिसमें 261406 पुरुष एवं 228357 महिलायें हैं। यहाँ पर तहसील – 05, विकासखण्ड – 08, न्यायपंचायत – 65, ग्रामसभा – 452, ग्रामों की संख्या – 760, नगर पालिका परिषद – 05, टाउनएरिया – 07 हैं। ग्रामीण जनसंख्या 1029164 तथा नगरीय जनसंख्या 717551 है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की जनसंख्या 550028 एवं स्त्रियों की जनसंख्या 479136 है तथा नगरीय क्षेत्रों में पुरुष की जनसंख्या 384090 एवं स्त्रियों की जनसंख्या 333461 है। जिले के कुल 985079 व्यक्ति साक्षर हैं जिसमें 633803 पुरुष एवं 351276 महिलायें हैं। पिछली जनगणना के सापेक्ष जनगणना में वृद्वि 319964 है जो कि 22.42 प्रतिशत है तथा साक्षरता वृद्वि 375510 है जो कि 61.60 प्रतिशत है।

झाँसी का इतिहास अति प्राचीन है। यहाँ पर सर्दी में सर्दी एवं गर्मी में गर्मी अधिक पड़ती है। जनपद झाँसी का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग किमी है जिसे दो पृथक-पृथक भौतिक इकाइयों मे बाँटा जा सकता है। उत्तर में निचला स्तर एवं उपजाऊ भूमि का भूभाग है और दक्षिण में पठारी भूभाग है। झाँसी महानगर में अनुसूचित जाति की महिलाओं ने अधिक उन्नति की है। समाज का एक भाग जो काफी उपेक्षित था जिसकी ओर किसी ने ध्यान नही दिया था। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति की महिलाओं ने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया और सरकारी सेवा की तरफ उन्मुख हुई। आज महिलायें हर क्षेत्र में हैं जो पुरुष आधिपत्य क्षेत्र था महिलायें आज वहाँ पर भी अपना परचम लहरा रही हैं।

नौकरी करते हुए महिलायें इस समाज में दोहरी भूमिका निभाती हैं। वह परिवार एवं आफिस में दोनों जगह एक सामन्जस्य बनाकर रहती हैं। नौकरी करते हुए वह अपने परिवार की सारी जरुरतों का ध्यान रखती हैं। नौकरी करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सारी परेशानियों के चलते वह मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीती हैं।

नौकरी करते समय वह आफिस में बॉस एवं सहकर्मियों के व्यवहार से थोड़ा डरते हुए कार्य करती हैं और कहीं-कहीं तो उन्हें उनसे अभद्र व्यवहार का डर रहता है। उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। बाहर ये आफिस से सम्बन्धित कार्य करती हैं तथा घर में ये पुनः अपने घर का कार्य करती हैं एवं बच्चों का पालन-पोषण करती हैं। इसी तरह ये दोहरी जिन्दगी जीती हैं।

झाँसी की अनुसूचित जाति की महिलाओं को कार्य के लिए घर से बाहर जाने पर उनमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है लेकिन इसके साथ-साथ उनकी सोच में परिवर्तन हुआ है। उनका रहन-सहन का स्तर बदला है। नौकरी करनें से इनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है। सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है। घर की चहारदीवारी से बाहर निकलने पर दूसरों से मेल-मिलाप या बातचीत करने से इनके

व्यक्तित्व में काफी बदलाव आया है। समाज में भी उन कामकाजी महिलाओं के प्रति बदलाव आया है जो दोहरी जिन्दगी जीने के बावजूद खुश है। वह कभी भी अपनी कोई परेशानी दर्शाती नहीं है। जब तक की वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान नहीं हो जाती। वह निरन्तर संघर्ष करती है एवं चुनौतीपूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं।

वास्तव में पूरे विश्व मे सभ्यता के विकास का इतिहास स्त्री के दमन शोषण का भी इतिहास रहा है परन्तु लिंग आधारित दमन, शोषण का इतिहास अदृश्य ही है। वर्तमान स्वरूप में स्त्री का अपने अधिकारों के लिए संघर्ष, आधुनिक राज्य की उपज है। इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन राज्यों में कई ठोस कदम उठाये गये परन्तु ये सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित रहे। इस दौरान स्त्रियों को स्थानीय, प्रांतीय तथा राष्ट्रीय सरकारो में कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे एवं उनके अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। जबकि एक ओर संभ्रांत वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गयी जिससे उनके सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति में क्रमबद्व परिवर्तन हमें देखने को मिलता है।

सभ्यता के विकास के साथ-साथ स्त्री के विकास एवं उनकी अवनति भी हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार एक ओर सिन्धु सभ्यता के विकास के समय उनकी स्थिति संभ्रान्त वर्गों में गिनी जाती थी एवं जहाँ इस सभ्यता में मातृसत्तात्मक सत्ता का विकास था वहीं दूसरी ओर वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है जहाँ इनसे राजनैतिक अधिकार एवं सम्पत्ति का अधिकार इनके हाथों से छिन गया तथा उपनयन संस्कार से वंचित कर दी गयी। महिलाओं की स्थिति में निरन्तर गिरावट के बावजूद आगे आने वाले समय में जैसे – मौर्य युग, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल में इनकी स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। उसी तरह आगे जब तुर्कों का आगमन हुआ तो उन्हें पर्दे में कैद कर दिया गया जिससे उनकी अवनति की एक और कड़ी जुड़ गयी जिससे उनकी शिक्षा व सामाजिक स्थिति और बदत्तर हो गयी। यही नहीं वरन् विभिन्न कालों के अलावा स्त्री के विकास में धर्म की भूमिका भी उल्लेखनीय है। विभिन्न धर्म नारी के लिए समय-समय पर बदलते रहे। इस बदलाव को यदि इन समाजों के आर्थिक इतिहास से जोड़कर देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक काल में धर्म का उद्देश्य समाज विशेष की पारिवारिक व्यवस्था को समाज की आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप बनाना ही था। अतः धार्मिक और सामाजिक सुधारकों के अलावा स्त्री विरोधी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध आमतौर पर आवाज नहीं उठी।

स्त्री की स्थिति में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसके लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी हैं जैसे– पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति, औद्योगीकरण, नगरीकरण, अर्न्तजातीय विवाह, विभिन्न संस्कृतियों का आपस में समायोजन, विभिन्न राष्ट्रीय आन्दोलन व प्रजातन्त्र शासन प्रणाली महिलाओं से

सम्बन्धित अधिकार जो उनके विकास के लिए उत्तरदायी कारक हैं। पश्चिमी संस्कृति एवं शिक्षा से प्रभावित इन युवा समाज सुधारकों का आदर्श परम्परागत संयुक्त परिवार न होकर एकल परिवार था। इसमें स्त्री को पढी-लिखी, सुसंस्कृत पत्नी और माँ की भूमिका में देखा गया। इन भूमिकाओं को आधुनिक अंदाज में निभाने के लिए पत्नी का शिक्षित होना आवश्यक था। इस शिक्षा का उद्देश्य परिवार व्यवस्था को नये परिवेश के अनुकूल बनाना था। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ये क्रान्तिकारी कदम थे तथा रूढ़िवादियों ने इनका खूब विरोध किया। स्त्री की स्थिति को समग्रता से देखने पर इन कदमों का दायरा सीमित लगता है। महात्मा ज्योतिबा फुले, पंडिता रामाबाई जैसे कुछ मुखर समाज सुधारकों को छोड़कर अधिकतर ने जाति व्यवस्था तथा लिंग असमानता को मान्यता देने वाले शास्त्रों को नहीं नकारा जो उस समय प्रचलित सामाजिक रूढ़िवाद की जड़ थे। फिर भी इन समाज सुधारकों के प्रयत्नों का तत्कालीन 'ऊँची जातियों' की स्त्रियों की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। औद्यौगीकरण के विकास के साथ-साथ स्त्रियों की दशा में सुधार देखा जा सकता है।

चतुर्थ अध्याय में हमने कार्योजित महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति और उसमें आये परिवर्तनों की चर्चा की है। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार और कार्यों के बीच अपने आपको समायोजित करना पड़ता है। समायोजन का अर्थ है एक प्रस्थिति से दूसरी प्रस्थिति पर चले जाना। भूमिकाओं का दूसरे के परिप्रेक्ष्य से अवलोकन तथा विविध भूमिकाओं को कुशलता तथा संतोषपूर्ण ढंग से निभाना पड़ता है। इस अध्याय में शोधकर्त्री ने उत्तरदात्रियों के विभिन्न पक्षों को लेकर उनका सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

सारिणी संख्या 4.1 में उत्तरदात्रियों की आयु और उनकी शिक्षा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस सारिणी के विश्लेषण में प्राइमरी एवं जू0हा0 स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही। सारिणी संख्या 4.2 उत्तरदात्रियों की आयु एवं जाति से सम्बन्धित है। इसमें 25–30 एवं 30–35 आयु वर्ग की उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही। सारिणी संख्या 4.3 उत्तरदात्रियों की जाति और शिक्षा से सम्बन्धित है। इस सारिणी के विश्लेषण से पाया गया कि चमार जाति की उत्तरदात्रियाँ सबसे ज्यादा शिक्षित हैं। सारिणी संख्या 4.4 उत्तरदात्रियों की जाति एवं उनकी वैवाहिक स्थिति से सम्बन्धित है। इस सारिणी में ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही जो विवाहित हैं। सारिणी संख्या 4.5 उत्तरदात्रियों की जाति एवं उनके पारिवारिक स्वरूप से सम्बन्धित हैं इसमें ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही जो संयुक्त परिवार से सम्बन्धित हैं। यद्यपि यह देखा गया है कि शहरों में एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा है परन्तु यहाँ पर संयुक्त परिवार अधिक पाये गये। इसका एक कारण यह भी है कि इन महिलाओं को बच्चो व घर की देखरेख के लिये घर के अन्य सदस्यों को अपने साथ रखना पड़ता है। स्पष्ट है कि ऐसे संयुक्त परिवारों में पीढ़ियों की गहराई का अभाव है। सारिणी संख्या

4.6 उत्तरदात्रियों की जाति एवं उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित है। इस सारिणी में ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही जो निम्न पदों यानि चपरासी के पदों पर कार्यरत हैं। सारिणी संख्या 4.7 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं आवास सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। इसमें ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक मिलीं जो अपने पति के मकान में अर्थात पैतृक मकान में रहती हैं। सरिणी संख्या 4.8 उत्तरदात्रियों की जाति एवं मकान के स्वरूप से सम्बन्धित है। इस सारिणी के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक है जिनके मकान अर्द्ध पक्के हैं। सारिणी संख्या 4.9 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं उनके पारिवारिक स्तर को प्रस्तुत किया गया है। इसमें 70 उत्तरदात्रियाँ जो विभिन्न अनुसूचित जातियों की है, ऐसी पायी गईं जिनका पारिवारिक स्तर उच्च है।

पंचम अध्याय में हमने सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं और उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति और उसमें आये परिवर्तनों का उल्लेख किया है। प्राचीन भारतीय साहितय का विश्लेषण करें तो प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों की भागीदारी के विवरण मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति दयनीय हो चली थी, विशेषकर धार्मिक एवं बौद्धिक दोनों ही क्षेत्रों में उसके अधिकारों पर तो कुठाराघात होने लगा था किन्तु कुछ ऐसे साहित्यिक तथा पुराअभिलेखिक प्रमाण उपलब्ध हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं कि अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ आर्थिक क्षेत्र में भी स्त्रियों की पुरुषों के समान ही भागीदारी थी। परम्परागत जाति व्यवस्था की बात करें तो प्रत्येक जाति का एक पेशा निश्चित होता था जिसके द्वारा वह जाति अपना जीविकोपार्जन करती थी। अनुसूचित जाति के पेशे अधिकतर निम्न वर्गीय थे जिन्हें समाज घृणा की नजरों से देखता था। शिक्षा के प्रसार व अन्य विकासात्मक प्रक्रियाओं के कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं में काफी बदलाव आया है। जिन महिलाओं का अध्ययन किया गया वे अब अपने परम्परागत व्यवसाय को पूरी तरह त्याग चुकी हैं। औद्योगीकरण के कारण विभिन्न जातियाँ अपने परम्परागत व्यवसाय को छोड़कर उद्योगों की ओर रुख किया है। जिन कामकाजी महिलाओं पर अध्ययन किया गया उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति और उनमें आये परिवर्तनों को निम्न सारिणियों द्वारा स्पष्ट किया गया है।

सारिणी संख्या 5.1 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं उनकी मासिक आय को दर्शाया गया है। इस सारिणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 2 से 3 हजार रूपये मासिक आय वाली उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक है। इस मासिक आय वर्ग में चमार, धोबी, खटिक, भंगी एवं अन्य अनुसूचित जाति की महिलाएँ शामिल हैं परन्तु इसमें चमार जाति की महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है।

सारिणी संख्या 5.2 में उत्तरदात्रियों की शैक्षिक स्थिति और घर में उनकी दशा का उल्लेख किया गया है। वैसे तो मेरी दृष्टि में सभी कार्योजित महिलाओं की स्थिति घरों में अच्छी है फिर भी

यदि संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाय तो अच्छी स्थिति वाली स्त्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। इसके पश्चात् सामान्य एवं कुछ स्त्रियों की दशा खराब स्थिति वाली हैं

सारिणी संख्या 5.3 उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं परिजनों के साथ रहने सम्बन्धी दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। इस सारिणी में ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही जो अपने सास–ससुर के साथ रहती हैं। इन 200 उत्तरदात्रियों में 60 उत्तरदात्री स्नातक तक की शिक्षा अर्जित किये हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पढ़ी–लिखी लड़कियाँ भी संयुक्त परिवार को अच्छा मानती हैं क्योंकि उनके बच्चों की देखरेख संयुक्त परिवार में ही सम्भव हैं ।

सारिणी संख्या 5.4 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं परिवार के सदस्यों का उनके प्रति क्या दृष्टिकोण है, इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। चूँकि सभी महिलाएँ परिवार की आर्थिक संवृद्धि में सहयोग देती हैं, इसलिये अधिकांश उत्तरदात्रियों का कहना है कि परिवार के सदस्य उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वर्तमान में तो धन की उपयोगिता और भी बढ़ गयी है। आज के भौतिकवादी युग में तो प्रत्येक चीज को धन से ही मापा जाता है। स्वाभाविक है कि जो स्त्रियाँ धनार्जन में सहयोग देंगी परिवार में उनकी स्थिति अच्छी व सम्मानपूर्वक होगी।

सारिणी संख्या 5.5 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं राजनीतिक विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। इस सारिणी में ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही जो राजनीति में रूचि रखती हैं। पहले राजनीति में अनुसूचित जातियों की सहभागिता शून्य थी। परन्तु पंचायती राज व्यवस्था व राजनीति में आरक्षण ने इनको आगे आने को प्रेरित किया। इसी का परिणाम है कि आज जो महिलाएँ सरकारी सेवा में कार्यरत हैं वे चाहती हैं कि उनकी जाति का भी कोई नेता हो जो उनकी समस्याओं को भली भाँति समझ सके। यद्यपि काफी कुछ ऐसी उत्तरदात्रियाँ भी मिलीं जिनका कहना है कि उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है।

सारिणी संख्या 5.6 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं मित्रवत् मदद सम्बन्धी विवरण को स्पष्ट किया गया है। इस सारिणी में ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही जो यह कहती हैं कि पारिवारिक सदस्य उनकी मित्र की भाँति मदद करते हैं। ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या सबसे कम रही जिनकी मदद मित्र के रूप में आफिस के सदस्य करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अभी भी अन्य जाति के लोग इनसे ज्यादा दोस्ती करना पसन्द नहीं करते।

सारिणी संख्या 5.7 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं जाति विषयक उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। इस सारिणी के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उन उत्तरदात्रियों की संख्या सबसे अधिक है जो यह कहती हैं कि जाति प्रथा अभी भी अपने सुदृढ़ रूप में विद्यमान है। यद्यपि ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या भी कम नहीं है जो यह कहती हैं कि जाति प्रथा कमजोर हुई है, उसमें कुछ लचीलापन

आया है, वह पहले की भाँति अब उतनी कठोर नहीं रही। जाति में अब पेशे निश्चित नहीं रहे। किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी व्यवसाय चुन सकता है जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले परम्परागत व्यवसाय को ही महत्व दिया जाता था।

सारिणी संख्या 5.8 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं घरेलू बजट सम्बन्धी विवरण को रखा गया है। सभी अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियाँ ये मानती हैं कि बचत करके घर के आर्थिक संतुलन को कायम रखा जा सकता है। जबकि काफी कुछ का कहना है कि कम खर्च करके परिवार को भली भाँति चलाया जा सकता है।

सारिणी संख्या 5.9 में उत्तररदात्रियों की जाति एवं प्रेरणा स्रोत सम्बन्धी विवरण को स्पष्ट किया गया है। माता–पिता बच्चे की प्रथम पुस्तकें हैं। स्वाभाविक है कि सभी उत्तरदात्रियाँ प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने माता–पिता को प्राथमिकता देती हैं। इस प्रकार इस अध्याय में अनुसूचित जातियों की विभिन्न मनोवृत्तियों को उजागर कर उनके विभिन्न दृष्टिकोणों को जानने का प्रयास किया गया है।

अधिकांश स्मृतियों, पुराणों तथाकथित धर्म शास्त्रों में अस्पृश्यों की जिन निर्योग्यताओं का उल्लेख है उन्हें साधारणतया चार भागों में विभाजित किया जा सकता है – सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक। भारत में अस्पृश्य जातियाँ एक लम्बे समय से अमानवीय शोषण का शिकार रही हैं। 20वीं शताब्दी के आरम्भिक काल से किए गए सुधार प्रयत्नों और स्वतन्त्रता के पश्चात् बने सामाजिक विधानों के फलस्वरूप आज इन समस्याओं को काफी सीमा तक कम कर दिया गया है। लेकिन व्यवहारिक रूप से आज भी ये निर्योग्यतायें हमारे सामाजिक जीवन के लिए एक समस्या बनी हुई हैं।

अस्पृश्य जातियों को न केवल समाज में निम्न स्थिति प्राप्त होती है बल्कि उन पर वे सभी नियन्त्रण लगा दिये गये जिससे वे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सवर्णों से किसी भी प्रकार का सम्पर्क स्थापित न कर सकें। मनुस्मृति में कहा गया है कि चाण्डालों व अछूतों का विवाह और सम्पर्क अपने बराबर वालों के साथ हो तथा रात्रि के समय इन्हें गाँव अथवा नगर में विचरण करने का अधिकार न दिया जाए। समाज में इन्हें हीन भावना से देखा जाता था एवं इनकी छाया सवर्णों पर पड़ना पाप समझा जाता था। इनको ऐसी सभी वस्तुओं का प्रयोग करने से मना किया गया था जिसका उपयोग सवर्णों द्वारा किया जाता था। दक्षिण भारत में कमर से ऊपर वस्त्र धारण करने का अधिकार केवल द्विज जातियों को ही था। वस्त्राभूषणों के धारण पर प्रतिबन्ध के अलावा विशिष्ट भाषा के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध था। अछूतों की सबसे बड़ी विषम समस्या तो यही थी कि सभी अछूतो को भी समान सामाजिक स्तर प्राप्त नहीं था। विचित्र बात यह है कि स्वयं अछूतों के भीतर एक पृथक जाति के समान संगठन था। सवर्ण हिन्दुओं के समान उनमें भी उच्च और निम्न स्थिति वाली उपजातियों का

संस्तरण था जो एक-दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करती थी। परन्तु आज आधुनिक युग में औद्योगीकरण, नगरीकरण, सार्वभौमीकरण एवं विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं के कारण अनुसूचित जाति में आमूलचूल परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। इस जाति की स्त्रियों को आगे आने का अवसर मिला है। परन्तु अभी भी इस जाति की अधिकांश स्त्रियों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।

महिलाओं को उपलब्ध अवसर बढ़ाने होंगे ताकि वे अर्थोपार्जन कर स्वावलंबी बन सकें। महिला सशक्तीकरण के लिए उनके स्वास्थ की समुचित देखभाल जरुरी है। समय आ गया है कि पितृसत्तात्मक मूल्य बदल दिए जाएँ और लोगों के इस तथ्य के प्रति जागरुक बनाया जाएँ कि राष्ट्र तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता जब तक की उसकी स्त्रियाँ स्वस्थ न हों। स्त्री-पुरुष समानता के द्वारा समस्त आर्थिक क्षेत्रों की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी तो केवल शुरुआत है और हमें काफी दूर जाना हैं। इस सद्प्रयास की सफलता के लिए हमें सभी स्तरों पर सतत् प्रयास करते रहना होगा। षष्टम अध्याय में हमने सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं की विभिन्न समस्याओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

सारिणी संख्या 6.1 में उत्तरदात्रियों की उम्र एवं अवकाश के उपयोग सम्बन्धी विवरण को स्पष्ट किया गया है। इस सारिणी में ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही जो अवकाश का उपयोग अपने परिवार की देखरेख में करती हैं। इससे स्पष्ट है कि अभी अनुसूचित जाति की स्त्रियाँ इतने ऊँचे पदों पर नहीं कार्यरत हैं कि वे अपने अवकाश को अन्य प्रगतिशील कार्यों या घूमने–फिरने में बिता सकें। वे अवकाश के दिनों में अपने घरों के कामों में ही लगी रहती हैं।

सारिणी संख्या 6.2 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं नौकरी से पहले काम करने सम्बन्धी विवरण को स्पष्ट किया गया है। अधिकांश उत्तरदात्रियाँ नौकरी से पहले अपने घरेलू कार्यों में ही व्यस्त थीं।

सारिणी संख्या 6.3 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं गृहणी व नौकरी में तालमेल सम्बन्धी विवरण को स्पष्ट किया गया है। इसमें ऐसी उत्तरदात्रियाँ अधिक रहीं जो यह कहती हैं कि गृहणी व नौकरी के रूप में उनकी भूमिका संतोषजनक है। जबकि काफी कुछ उत्तरदात्रियाँ ऐसी मिलीं जो गृहणी व नौकरी सम्बन्धी अपनी भूमिका से संतुष्ट नहीं हैं।

सारिणी संख्या 6.4 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं नौकरी हेतु संघर्ष सम्बन्धी विवरण को स्पष्ट किया गया है। इस सारिणी में ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही जो यह कहती हैं कि नौकरी हेतु उन्हें कोई विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ा।

सारिणी संख्या 6.5 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं कार्यस्थल में उनके साथ होने वाले बुरे व्यवहार को स्पष्ट किया गया है। इस सारिणी में ऐसी महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रही जो यह

कहती हैं कि लोग गन्दे गाने गाकर उन्हें परेशान करते हैं। इस सारिणी में ऐसी स्त्रियों की संख्या भी काफी है जो यह कहती हैं कि लोग उन्हें शारीरिक सम्बन्ध बनाने को भी प्रेरित करते हैं। यद्यपि देखा जाय तो सभी स्त्रियाँ किसी न किसी रूप में परेशान हैं।

सारिणी संख्या 6.6 में उत्तरदात्रियों की उम्र एवं अश्लील हरकत करने वालों के खिलाफ उनके विचारों को स्पष्ट किया गया है। इस सारिणी में ऐसी उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही जिन्होंने अपने साथ घटी घटना की शिकायत घर में की। कुछ स्त्रियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई जबकि कुछ ने अपने साथ घटी घटना का जवाब थप्पड़ से दिया।

सारिणी संख्या 6.7 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं उनका सहकर्मियों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने सम्बन्धी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। इस सारिणी के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि अधिकांश स्त्रियाँ अपने सहकर्मियों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध बनाने के पक्ष में हैं। स्नातक स्त्रियों की संख्या इसके विशेष पक्ष में है।

सारिणी संख्या 6.8 में उत्तरदात्रियों की उम्र एवं नारी स्वतन्त्रता सम्बन्धी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। अधिकांश स्त्रियाँ नारी स्वतन्त्रता की पक्षधर हैं। जबकि कुछ स्त्रियाँ कुछ हद तक नारी स्वतन्त्रता को सही मानती हैं जबकि कुछ कभी–कभी नारी स्वतन्त्रता को अच्छा मानती हैं। परन्तु इस सारिणी के विश्लेषण से पता चलता है कि अभी भी कुछ स्त्रियाँ नारी स्वतन्त्रता की विरोधी हैं।

सारिणी संख्या 6.9 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने सम्बन्धी दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। अधिकांश कामकाजी महिलाओं का कहना है कि वे तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना खुश होकर करती हैं और ऐसी परिस्थितियों को चुनौती के रूप में मानती हैं। जबकि कुछ स्त्रियाँ कहती हैं कि नौकरी के दौरान तो तनावपूर्ण परिस्थितियाँ स्वाभाविक हैं। अतः वे हसकर इनका सामना करती हैं।

सारिणी संख्या 6.10 में उत्तरदात्रियों की उम्र एवं महिलाओं का अपनी देखरेख के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। अधिकांश स्त्रियाँ अपनी देखरेख के प्रति सचेत रहती हैं जबकि कुछ स्त्रियों का कहना है कि वे विशेष अवसरों पर ही अपनी देखरेख के प्रति ध्यान देती हैं।

सारिणी संख्या 6.11 में उत्तरदात्रियों की जाति एवं नौकरी में आरक्षण सम्बन्धी दृष्टिकोण को दर्शाया गया हैं इस सारिणी से ज्ञात होता है कि अधिकांश स्त्रियाँ नौकरी में आरक्षण की पक्षधर हैं। जबकि कुछ स्त्रियों का कहना है कि सरकारी नौकरी तो आरक्षण के फलस्वरूप मिल जाती है परन्तु गैर सरकारी नौकरी नहीं मिलती।

21वीं सदी में भी असंख्य भारतीय परिवारों में लड़कियों की शिक्षा और रोजगार पर कम तवज्जो दी जाती है जबकि शादी और मातृत्व सर्वोच्च प्राथमिकता में रहते हैं। धार्मिक प्रभाव का सबसे

नकारात्मक पहलू यह है कि महिलायें एकल होने, निःसन्तान होने, विधवा या तलाकशुदा होने पर स्वयं को अपूर्ण मानने लगती हैं। उन्हें सम्पूर्ण बनने के लिए आज भी पुरुष की दरकार रहती है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि महिला की दशा-दिशा का निर्धारण घर में होता हैं। अगर वह खुशहाल और परिवार में सम्मानित पुत्री है तो उसे शिक्षा मिलती है और उसमें आत्मसम्मान का भाव अपने आप आ जाता है।

भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण है जहाँ माँ ने बगैर पति की सहायता से अपनी सन्तान की अकेले दम परवरिश की। अगर इतिहास ऐसी महिलाओं से भरा है तो ऐसे उदाहरण आधुनिक काल के वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी के दौर में भी कम नहीं हैं। यह स्थिति बताती है कि महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा अन्तर नहीं आया। भले ही उनकी जाति, धर्म, शिक्षा और सम्पन्नता का स्तर अलग-अलग क्यों न हो। "स्त्री जब एक बार गर्भवती होती है तो वह पूरी उम्र के लिए गर्भवती हो जाती है।" यानी की एक महिला जब पहली बार माँ बनती है तो वह अपने बच्चों से ऊपर किसी और चीज को देख भी नहीं पाती। महिलायें नौकरी पेशा होते हुए भी माँ की भूमिका का निर्वहन भली भाँति कर लेती हैं और वह अपनी इस भूमिका को निभाकर संतुष्ट हैं। महिलायें अपना दुख दर्द अपने पारिवारिक सदस्यों से कहती हैं। आज भी महिलायें घर की मुखिया नहीं हैं बल्कि उनके पति हैं। पति एवं पत्नी को मिलकर घर के मुखिया सम्बन्धी कार्य करने चाहिए जिससे महिला खुद के बारे में एक भूमिका बना सके।

आज भी महिलायें अपने पारिवारिक सदस्यों पर निर्भर रहती हैं। महिलायें अधिकतर संयुक्त परिवार में रहती हैं जिससे उन्हें परेशानी और संघर्ष से लड़ने की हिम्मत मिलती है। आफिस में साथ–साथ काम करने वाली महिला का किसी पुरुष सहकर्मी के साथ दोस्ती हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस क्रम में सवाल यह उठता है कि आप अपने सहकर्मियों से दोस्ताना सम्बन्ध बनाना चाहती है या नहीं ? यदि आपको लगता है कि आपका सहकर्मी सम्बन्ध बनाने लायक है उसकी रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ आपको रास आती है तो बेशक उससे सम्बन्ध बनाये। परन्तु अपनी समाओं का ध्यान रखें।

सुझाव

अगर आप कामकाजी है तो आपको अपने दफ्तर में अनेक समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं के लिए एक बात काफी मायने रखती है वह यह है कि कार्य के मामले में लोगों की आपसे अपेक्षायें क्या हैं। हालॉकि इसका कोई एक निश्चित मापदण्ड नहीं है फिर भी कुछ ऐसी सामान्य बातें जिन पर अमल करके आप आगे बढ़ सकती है। जिस कार्य की जिम्मेदारी आप पर है उसे समय सीमा के अन्दर पूरा करें अन्यथा कोई भी आपको पसन्द नहीं करेगा। फालतू की गपशप

से बाज आयें। आफिस की राजनीति के पचड़े में न फँसे। यदि आप इन बातों पर अमल करती हैं तो बेशक आपके बारे में सबकी राय अच्छी होगी। जब भी कोई सुझाव या सलाह दे तो उसे काटे नहीं अन्यथा लोग आपको कभी कोई सुझाव नहीं देंगे।

जिन देशों और क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष के जन्म एवं मृत्यु दर में अधिक फर्क नजर नहीं आता वहाँ स्त्रियों को समान सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए। भारत के अनेक हिस्सों में बेटियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। पढ़ाई-लिखाई और जीवन यापन की समान सुविधायें मिलने पर भी औरतों को ज्यादातर घर की चहारदीवारी में कैद करने की कोशिश की जाती है। उन्हें जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। विभिन्न दफ्तरों और बिजनेस घरानों में भी देखने पर हम पाते हैं कि जिम्मेदार पदों पर महिलाओं की संख्या कम होती है। लड़कियों को हर तरह की समानता हासिल होनी चाहिए और दफ्तरों में ऊँचे पदों पर उनकी प्रोन्नति होनी चाहिए।

घर परिवार की सम्पत्ति और लाभ में पुरुषों के अधिक दखल के कारण स्त्रियाँ असमानता की शिकार होती हैं। पारिवारिक स्नेह और मूल्य के नाम पर हर चाभी पुरुष के पास न होकर महिलाओं के पास होनी चाहिए। इसी प्रकार घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल, स्त्री-पुरुष दोनों को साथ मिलकर करना चाहिए। जिन परिवारों में महिलायें अपने परिवार के पुरुषों की तरह बाहर काम करती हैं वहाँ भी उनसे यह उपेक्षा रहती है कि वे घरेलू जिम्मेदारियों को तत्परता से निभाती रहें। ऐसे में परिवार के लोगों को उनका हाथ बँटाना चाहिए। महिलाओं को घरेलू हिंसा और शारीरिक अत्याचार का विरोध करना चाहिए। अगर हम अपने समाज में स्त्री-पुरुष सम्बन्धों में इन असमानताओं को दूर कर सकें तो एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकेगें। पिछले कुछ दशकों में लैंगिक असमानता थोड़ी कम हुई है मगर अभी एक ऐसे अभियान की जरूरत है जो इस असमानता को हमेशा के लिए खत्म कर सके।

आज महिलायें हर मोर्चे पर अग्रणी हैं। बहुत सी महिलायें ऐसी है जो कार्यालय और घर दोनों जगह की ही जिम्मेदारियाँ बखूबी संभालती हैं। इसलिए दोनों ही जगहों में कार्यरत महिलाओं को तनावमुक्त रहना जरूरी है तभी आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभा सकती हैं। घर और आफिस में अपनी जिम्मेदारियों को बाँटे। भले ही आप सुपर वुमन हो पर यह याद रखें कि आप भी एक नश्वर प्राणी हैं। आपको भी हर शख्स की तरह आराम की जरूरत है। कार्यालय में अपनी अतिरिक्त जिम्मेदारियों को अन्य सहकर्मियों पर डालें। इससे आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय निकाल सकेंगी। इसी तरह घर में पति व बच्चों को भी कुछ दायित्व सौंपे। ऐसा करने से पारिवारिक सदस्यों के बीच कर्तव्यबोध का विकास होगा और मिलकर काम करने से आपस में एक-दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। इन दोनों बातों में अमल करके आपको वांछित आराम मिल सकेगा साथ ही

अनावश्यक अपराधबोध और चिड़चिड़ापन से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक विश्वास जरूरी है। अपनी परेशानियों को परिवार के सदस्यों के समक्ष रखें। ऐसा करने से पारिवारिक सदस्य और आपके बीच भावनात्मक रिश्ता मजबूत होगा। परिजन आपकी परेशानी को समझेंगे और आपके संघर्ष और उससे लड़ने की आपकी हिम्मत की सराहना करेंगे। हर बुराई में कुछ न कुछ अच्छाई छिपी है। अगर आपको खुश रहने की कला आती है तो आप तनावपूर्ण स्थितियों का हँसकर सफलतापूर्वक सामना कर सकती हैं। हास्यरूपी ऊर्जा आपको जिन्दादिल बना सकती है। कभी भी स्वयं को उस स्थिति में न पहुँचने दे जहाँ पर आप खुद को लाचार समझें। एक महिला जो हर हालात में नियन्त्रण का हुनर जानती है वह कभी भी चिड़चिड़ापन का शिकार नहीं होती और न होना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन घर-परिवार के सदस्यों के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्तों की डोर मजबूत होगी। सच तो यह है कि आप दो भूमिकाओं को एक साथ निभा रही हैं। माँ की भूमिका एवं कामकाजी महिला की भूमिका। इसलिए महिलाओं को इन दोनों भूमिकाओं के बीच समुचित संतुलन स्थापित करना होगा तभी आप इन दोनों भूमिकाओं के साथ बेहतर ढंग से इन्साफ कर सकेगीं। संतुलन बनाने पर ही आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकती है। आर्थिक निर्भरता वर्तमान समय में स्त्रियों के लिए अति आवश्यक है। आज महिलाओं को यह नहीं समझना चाहिए कि यह संसार पुरुषों का है स्त्रियों को खुद अपना रास्ता बनाना चाहिए।

महिलाओं के लिए आरक्षण सम्बन्धी विधेयक जितनी जल्दी हो सके सर्वानुमति से पारित कर दिया जाना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दल जो कि विचारधारा के स्तर पर एक–दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते उनको भी महिला आरक्षण के मामले में एकजुट हो जाना चाहिए तभी महिलाओं को देश में समुचित सम्मान मिल सकता है। बदलते दौर में आवश्यकता इस बात की है कि स्त्रियों की प्रगति में पुरुष अपनी सराहनीय भूमिका निभायें। महिलाओं के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करें। यह कहावत सत्य है कि "जीवन फूलों की सेज नहीं है, काँटो के ऊपर ही जीवन का स्वर्णिम गुलाब पुष्पित और विकसित होता है।"

परिशिष्ट

संदर्भ ग्रन्थ सूची

साक्षात्कार अनुसूची

परिशिष्ट
संदर्भ ग्रन्थ सूची
(Bibliography)

1. Ahuja, Ram : Rights of Women : A feminist Perspective, Rawat Publications, Jaipur,1992.

2. Agarwal, Beena : A Field of One's Own, Women and Land Rights in South Asia, New Delhi, Cambridge University Press,1994.

3. Altekar, A.S. : The Position of Women in Hindu civilization, Motilal Banarasilal Varanasi, 1938.

4. Ambedkar, B.R. : Who were the Sudras? Thacker and co., Bombay, 1946.

5. Ambedkar, B.R. : The Untouchables, Amrit Book co., New Delhi,1948.

6. Bowle, John : A New Outline of world History, London, George Allen and Unwin Ltd. 1962.

7. Beteille, Andre : "The Harijans in India", in Caste- Old and New, Asia Publishing House, Bombay, 1969.

8. Basu, Aparna : "The Role of Women in India Struggle for freedom," in B.R. Nanda ed. Indian Women From Past to Modernity, New Delhi, Radaient Publications, P.16-40, 1976.

9. Basu, Aparna and Bharati, Ray : Women's Struggle : A History of all India Women's Confrence. 1990.

10. Beauvo de Simone : The Second Sex, Hind Pocket Books, New Delhi, P. 48-49, 1944.

11. Beanerjee, Nirmala : "Working Women in colonial Bengal," in Somgari and Vaid ed. PP. 274-293.

12. Basu, Amrita : Women's Movement in Global Perspective, New Delhi.

13. Chauhan, B.R. : "Scheduled Castes and Scheduled Tribes", Economic and Political Weekly, January 1969 PP. 257-263.

14. Chakravarty Renuka : "Communists in Indian Women's Movement," 1940-1950, People's Publishing House, New Delhi, P.224.

15. Carroll Foster. Theodore: Women Religion Development in the Third world, New York, 1983.

16. Cliff, Tony : Class Struggle and women's Liberation, 1984.

17. Chakravarty, Uma : Rewriting History, The life and Time of Pandita Rama Bai.

18. Chatterjee, Partha : "The Nationalist Resolution of the Women Question" PP. 234-253.

19. Das, T.K. and Others : "Women and Work in Indian Society, Discovery Publication House, Delhi, 1988.

20. Dolas, Avinash : Dalit Women and the Women's Movement in India in P.G. Jogdand ed. Op. Cit., P. 115.

21. Debal, K. and Roy Sinha : Women in Peasant Movements : Tebhaga Naxalite and After, 1992.

22. Feinstein, Karen : Working Women and Families, Sage Publication Baverly Hills, 1979.

23. Gandhi, M.K. : 'The Removel of Untouchability,' Navjivan Publishing House, Ahemdabad, 1954.

24. Ghurye, G.S. : Caste, Class and Occupation (Ninth chapter on Scheduled castes), Popular Book Depot, Bombay, 1961

25. Gould, Harold : The Hindu Caste System, Chanakya Publication, New Delhi 1987.

26. Gupta, Amit Kumar : "Women and Society," Criterian Publication, New Delhi, P. 170.

27. Hutton, J.H. : Cencus of India, P.485, 1931.

28. Hutton, J. H. : Caste in India; Its Nature, Function and Origin, Oxford University Press, Bombay 1961.

29. Jadhav,A.S : Dalit Among Dalits : Scheduled Castes and Scheduled Tribe Women, P.P.175-187.

30. Jain, P.C. and Others : Scheduled Caste Women, Rawat Prakashan, Jaipur.

31. Jogdand, P.G. : Dalit Women in India, Issues and Perspectives, Gyan Publishing House, New Delhi.

32. Kamat, A.K. : "Women's Education and Social Change in India", Social Scientist, Vol-5, No.1, PP.2-27, 1976.

33. Kabra, G. B. : Development of Weaker Sections, Inter-India Publication, New Delhi,1984.

34. Kumar, Radha : Family and Factory : Women in Bombay Textile Industry, in Krishnamurti ed. Op. cit. PP. 133-162.

35. Kumar, Kapil : Rural Women in Avadh, PP.337-369.

36. Myrdal and Klein : Women's Two Roles, Routledge London, 1968.

37. Mathur, Deepa : Women, Family and work, Rawat Publication, Jaipur, 1992.

38. Mies, Maria : Women the last colony, London, Zed Books, .1-26.

39. Mukherjee, Mukul : "Impacts of Modernization on Women's Occupation," PP. 180-198.

40. Oomen, T. K. : Strategy for Social change; A study of Untouchability, Economic and Political Weekly, June 22, 1968.

41. Prabhavati, M. : Issues of Dalit Women in Contemporary Indion Situation, PP. 81-92.

42. Sherring, M. A. : Hindu Tribes and Castes, London, 1872.

43. Savur, Manorama : "Women Liberation and Productive Activity." Social Scientist, Vol. 4, P. 9, 1975.

44. Sachchidanand : The Harijan Elite, Thomson Press,Faridabad, 1977.

45. Saffioti, I.B. : "Women in Class Society", New York, Monthly Review Press, 1978.

46. Sooza de, Alfred : "Women in Contemporary India and South Asia" Delhi, 1980.

47. Sharma, Arbind : "The Women in World Religions", Satguru Prakashan, Delhi, 1987.

48. Shardamani, K. : Progressive Land Legislation and Subordination of Women, Criterian Publication, , New Delhi, P.163.

49. Sarkar, Tanika : "Politics and Women in Bengal," PP. 231-241.

50. Siddiqui Hasan Muzibul : Women Education : A Research Approach, Ashish Publication, New Delhi, .P. 84.

51. Thapar, Romesh : Tribe, Caste and Religion in India, Mac-Millan, India, New Delhi, 1977.

52. Yurlova, E.S. : "Scheduled Castes in India," Patriot Publishers, New Delhi, 1990.

53. अल्टेकर, ए0एस0 : दि पोजीशन आफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ0 338,1962.

54. अय्यपन, ए0 : सोशल रिवोल्यूशन इन ए केरला विलेज, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1965.

55. आर्य, अलका : "औरतों के हिस्से की आपदा," जनसत्ता, 2001.

56. उपाध्याय, बी0एस0 : वीमेन इन ऋग्वेद, पृ0 130,1941.

57. उपाध्याय, बी0एस0 : वीमेन इन ऋग्वेद, पृ0 12, 2001.

58. श्रीदेवी, एस0 : ए सेन्चुरी आफ इण्डियन वीमेन हुड.

59. श्रीनिवास, एम0 एन0 : आधुनिक भारत मे सामाजिक परिवर्तन.

60. कपाड़िया, के0एम0 : भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार, पृ0 189,1963.

61. कपाड़िया, के0एम0 : सामाजिक परिवर्तन',अनुवादक यशदेव शल्य, आनन्द कश्यप, हरिश्चन्द्र उत्प्रेती, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी रचना केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, पृ0 209, 1968.

62. कपूर, प्रमिला : "कामकाजी भारतीय नारी-बदलते जीवन मूल्य और सामाजिक स्थिति," अनुवादक-रमेश नारायण तिवारी, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, पृ0 146,1976.

63. कपूर, प्रमिला : ''भारत में विवाह और कामकाजी महिलायें'' राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 313,1976.

64. कुप्पूस्वामी, बी0 : सोशल चेन्ज इन इण्डिया, कोणार्क पब्लिकेशन, प्रा0 लि0 नई दिल्ली, 1993.

65. काम्बले, जे0आर0 : राइज एण्ड अवेकनिंग आफ डिप्रेस्ड क्लासेज इन इण्डिया, पृ0 51-52.

66. काल टाड्स : ओपीनियन कोटेड इन वीमेन इन मार्डन इण्डिया, पृ0 3.

67. गोस्वामी कृष्णा : ''संत काव्य में नारी,'' शांति प्रकाशन, रोहतक, 1989.

68. चौधरी, धर्मपाल : ''विवाह की आयु में वृद्धि,'' समाज कल्याण, सितम्बर, पृ0 9, 1974.

69. चंचरीक, कन्हैयालाल : महात्मा ज्योतिबा फुले, पृ0 2.

70. चटोपाध्याय, कमलादेवी : वीमेन इन मार्डन इण्डिया, पृ0 490.

71. जैन, कोमलचन्द, : ''बौद्ध और आगामों में नारी जीवन, सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति, अमृतसर, 1967.

72. जैन, अरविंद : ''औरत होने की सजा'', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली.

73. देशमुख,, दुर्गाबाई : ''विकासोन्मुख समाज में महिलाओं की भूमिका,'' समाज कल्याण, फरवरी, 1975, पृ0 34.

74. दुबे0 एल0 एवं पटरीवाला, आर0 : स्ट्क्चरल एण्ड स्टेटजीज ; वीमेन वर्क एण्ड फैमिली सेज, नई दिल्ली, 1990.

75. पपोला, टी0एस0 : वीमेन वर्क्स इन एन अर्बन लेवर मार्केट : ए स्टडी आफ सैगरेशन एण्ड डिसक्रिमिनेशन इन एम्पलायमेंट इन लखनऊ, 1982.

76. पंचतन्त्र, मित्रभेद /207 : हिन्दू परिवार मीमांसा (लेखक : हरिदत्त वेदालंकार, पृ0–16) द्वारा उद्धृत.

77. बूर्रा, एन0 : आउट आफ साइट, आउट आफ माइण्ड ; वर्किंग गर्ल्स इन इंडिया, इंटरनेशनल लेबर रिब्यू, वाल्यूम 128, नं0 5, 1989.

78. भट्ट ई0 : ग्राउंड आफ वर्क, सेल्फ एम्प्लायड वीमेन्स एसोसियेशन्स, अहमदाबाद, 1989.

79. भट्टाचार्य सुकुमारी : "प्राचीन भारत : समाज और नारी," कलकत्ता कम्यूनिकेशन एण्ड महिला पब्लिकेशन, 1992.

80. मध्यानन्द स्वामी एण्ड मजूमदार : ग्रेट वीमेन आफ इण्डियाज, पृ0 393,1953.

81. मजूमदार, ए0के0 : एलीमेन्ट्स आफ इण्डियन, पृ0 6, 1972.

82. मजूमदार, डी0एन0 : रेसस एण्ड कल्चर आफ इण्डिया, बाम्बे, पृ0 327,1958.

83. लखनपाल, चंद्रावती : स्त्रियों की स्थिति, पृ0 25.

84. वरदप्पन, सरोजनी : "भारतीय महिलायें कल और आज," समाज कल्याण, जून–जुलाई 1976, पृ0 32-33.

85. श्यामला, पी0 : "बर्लिन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन",समाज कल्याण दिसम्बर, पृ0 11,1985.

86. शर्मा, रामशरण : शूद्रों का प्राचीन इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 175,1997.

87. शर्मा, के0एल0 : भारतीय समाज ;'स्त्रियों की प्रस्थिति एवं समता की खोज, पृ0 111.

88. शर्मा, के0एन0 : भारतीय समाज और संस्कृति, पृ0 262.

89. स्नाइडर, ई0वी0 : इण्डस्ट्रियल सोशियोलॉजी, मैक्ग्रा हिल न्यूयार्क पृ0 442,1955.

90. सारादामिनी, के0 : वुमेन वर्क एण्ड सोसाइटी, प्रोसीडिंग आफ द आई0 एस0 आई सिम्पोजियम, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता, 1985.

91. त्रिपाठी, शंभुरत्न : भारतीय समाज व संस्कृति, पृ0 326, 1963.

92. त्रिपाठी, शंभूरत्न : हिन्दू नारी का अतीत, वर्तमान और भविष्य, पृ0 331, 1963.

साक्षात्कार अनुसूची

"झाँसी महानगर की सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन"

शोध निर्देशक
डॉ0 एस0 एस0 गुप्ता
रीडर एवं विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग, पं0जे0एन0 कालेज बाँदा

शोधकर्त्री
अभिलाषा गुप्ता
एम0ए0 समाजशास्त्र

1. उत्तरदात्री का नाम .....

2. परिवार के मुखिया का नाम .....

3. आपकी उम्र क्या है ?

(1) 20 से 25 वर्ष (2) 25 से 30 वर्ष (3) 30 से 35 वर्ष
(4) 35 से 40 वर्ष (5) इससे अधिक

4. आपका धर्म कौन सा है?

(1) हिन्दू (2) मुस्लिम (3) सिख
(4) इसाई (5) जैन (6) अन्य

5. आपकी जाति क्या है ?

(1) सवर्ण (2) पिछड़ी (3) अनुसूचित जाति
(4) अनु0जनजाति (5) अन्य

6. आप अनुसूचित जाति में से कौन सी जाति से सम्बन्धित हैं ?

(1) चमार (2) धोबी (3) कोरी

(4) डोम (5) खटिक (6) भंगी

(7) अन्य

7. आपकी शिक्षा कहाँ तक है ?

(1) प्राइमरी (2) मिडिल (3) हाईस्कूल

(4) इण्टरमीडिएट (5) स्नातक (6) परास्नातक

(7) तकनीकी शिक्षा

8. आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है ?

(1) विवाहित (2) अविवाहित (3) तलाकशुदा

(4) विधवा

9. आपके परिवार का स्वरुप क्या है ?

(1) एकाकी परिवार (2) संयुक्त परिवार

9A. यदि संयुक्त परिवार है तो परिवार का संचालन कौन करता है ?

(1) ससुर (2) सास (3) जेठ

4) पति (5) स्वयं 6) अन्य

10. आप कहाँ रहती हैं ?

(1) नगर (2) ग्राम

11. आप किस क्षेत्र में कार्यरत हैं ?

(1) संगठित (सरकारी) (2) असंगठित (गैरसरकारी)

12. संगठित क्षेत्र के किस पद में कार्यरत हैं ?

(1) डॉक्टर (2) इंजीनियर (3) नर्स

(4) टीचर (5) चपरासी (6) अन्य

13. आप किस तरह के मकान में रहती हैं ?

(1) सरकारी मकान में (2) निजी मकान में (3) किराये के मकान में

(4) पैतृक मकान में

14. आपका मकान कैसा है ?

(1) कच्चा (2) पक्का (3) अर्द्ध पक्का

15. आपके घर में सदस्यों की संख्या कितनी है ?

(1) 2 से 4 तक (2) 5 से 6 तक (3) 7 से 10 तक

(4) इससे अधिक

16. क्या आपके घर के सभी सदस्य सर्विस करते है ? हाँ / नहीं

16A यदि हाँ तो कितने?

(1) 1 से 2 (2) 3 से 4 (3) 5 से 6

17. आपकी मासिक आय क्या है ?

(1) 1000 – 2000 (2) 2000 – 3000 (3) 3000 – 4000

(4) 4000 – 5000 (5) 5000 – 6000 (6) 6000 – 7000

(7) इससे अधिक

18. आपके परिवार का स्तर क्या है ?

(1) उच्च स्तर (2) मध्य स्तर (3) सामान्य स्तर

(4) निम्न स्तर

19. क्या आप अपने परिवार की मुखिया है ? हाँ / नहीं

19 A. यदि नही तो परिवार का मुखिया कौन है ?

(1) सास (2) ससुर (3) पति

(4) जेठ (5) अन्य कोई

20. सर्विस करने से पहले घर में आपकी कैसी स्थिति थी ?

(1) अच्छी (2) खराब (3) सामान्य

(4) ठीकठाक

21. क्या आप अकेली रहती हैं ? हाँ / नहीं

21 A. यदि हाँ तो किसके साथ रहती है ? –

(1) बच्चों के साथ (2) सास ससुर के साथ (3) माता–पिता के साथ

(4) किसी अन्य के साथ

22. आप अपना दुख दर्द अपने परिवार के किस सदस्य से कहती हैं ?

(1) माता-पिता से (2) भाई-बहन से (3) सास-ससुर से

(4) किसी मित्र से (5) पति से (6) किसी से नहीं

23. यदि आपके परिवार में बूढ़े बुजुर्ग है तो वह आपको कैसी दृष्टि से देखते हैं ?

(1) सम्मान की दृष्टि से (2) सहानुभूति की दृष्टि से (3) गर्व की दृष्टि से

(4) दया की दृष्टि से (5) जलन की दृष्टि से

24. शाम को आफिस से घर आने पर आप खाली समय का उपयोग कैसे करती है ?

(1) रोजगारपरक किताबें पढ़कर (2) समाचार, कार्यक्रम देखकर

(3) घरेलू काम करके (4) आफिस का काम करके

(5) सहेलियों के साथ मौज मस्ती करके (6) परिवार की देखभाल करके

25. सर्विस करने से पहले आप क्या काम करती थीं ?

(1) बच्चो की देखभाल (2) घरेलू कार्य संभालती थी

(3) पार्ट टाइम जॉब (4) कोई अन्य कार्य

26. आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानती हैं ?

(1) सर्विस (2) परिवार (3) समाज

(4) सर्विस एवं परिवार दोनों

27. क्या आप गृहस्थी से तालमेल बैठा पाती हैं ? हाँ/नहीं

28. कामकाजी महिला होने पर क्या माँ की भूमिका निभाने में अपने आपको संतुष्ट पाती हैं ? हाँ/नहीं

29. क्या आप अपने आफिस के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करती हैं ? हाँ/नहीं

30. क्या आप अपने परिवार के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों को समय दे पाती हैं ? हाँ/नहीं

31. क्या आप अपने बच्चों, पति और परिवार के अन्य सदस्यो को पर्याप्त समय दे पाती हैं ?

(1) हाँ (2) नहीं (3) जरूरत पड़ने पर

(4) कभी–कभी

31A. यदि हाँ तो कब –

31B. यदि नहीं तो क्या परिवार में समस्या उत्पन्न होती है ? हाँ/नहीं

32. क्या आप सेवारत होने के बाद भी घर को सजाने-संवारने का कार्य स्वयं करती हैं ? हाँ/नहीं

33. क्या सर्विस करने से पहले आपको संघर्ष करना पड़ा ? हाँ/नहीं

34. क्या आपके कोई मित्र, जानपहचान वाले या संबंधी आपकी मदद करते हैं ? हाँ/नहीं

34 A. यदि हाँ तो कौन ?

(1) पारिवारिक सदस्य (2) निकट संबंधी (3) दूर के रिश्ते

(4) कुछ मित्र

35. क्या आफिस में आपके साथ ऐसा कोई बुरा (अश्लील) बर्ताव इस वजह से हुआ कि आप अनुसूचित जाति की हैं ? हाँ/नहीं

35A. यदि हाँ तो किस तरह का बुरा (अश्लील) बर्ताव हुआ ?

(1) गंदे गाने (2) स्पर्श करने (3) चिकोटी काटंने

(4) शारीरिक संबंध (5) अप्य तरह ।

36. अश्लील हरकत करने वाले के खिलाफ आप क्या करती हैं ?

(1) घर में शिकायत की (2) रिपोर्ट दर्ज करायी (3) चुपचाप सह गई

(4) कुछ नहीं किया (5) थप्पड़ मारती हैं।

37 .आपके सहयोगी द्वारा जब गंदी हरकत की जाती है तो आपको कैसा लगता है ?

(1) अच्छा लगता है (2) गुस्सा लगती है (3) खराब लगता है

(4) मन मसोसकर रह जाती हैं (5) खुश होती हैं।

38. क्या पुरुष सहकर्मी ने आपको कभी शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला ? हाँ/नहीं

38A. यदि हाँ तो आपकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ा ?

(1) पूरी तरह टूट गई (2) आत्महत्या की सोची (3) नौकरी छोड़ने की सोची।

38B. यदि नहीं तो क्या आप उसे अच्छा समझती है? हाँ/नहीं

39. क्या आपको परिवार के सदस्यों का सहयोग मिला ? हाँ/नहीं

40. क्या तनख्वाह से आपकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है ? हाँ/नहीं

41. क्या आप अपने सहकर्मियों से दोस्ताना संबंध बनाना उचित समझती हैं ? हाँ/नहीं

41A. यदि हाँ तो क्यों ?

(1) आफीशियल कार्यों के कारण (2) आर्थिक मदद के कारण

(3) संकट के समय काम आने के कारण (4) मनोरंजन के कारण

41B. यदि नहीं तो क्यों ?

(1) समाज की वजह से (2) आरोप-प्रत्यारोप की वजह से

(3) यौन शोषण की वजह से (4) गलत इल्जाम लगाने की वजह से।

42. क्या कार्यालय में आपके सहयोगी कर्मचारी आपसे सम्मान एवं सहयोगात्मक रूप से पेश आते हैं ? हाँ/नहीं

43. आफिस के कार्यों का बोझ बढ़ने पर क्या आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि नकारात्मक गुणों का सामावेश हो जाता है ?

(1) हाँ (2) नहीं (3) कभी कभी

44. क्या आप मानती हैं कि सर्विस करने वाली हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी (आत्मनिर्भर) होती है ? हाँ/नहीं

45. क्या घरेलू महिलाओं की तुलना में कामकाजी महिलाएँ अधिक सफल हैं ?

(1) हाँ बिल्कुल (2) जरूरी नहीं (3) कुछ कह नहीं सकती

46. आप जिंदगी के प्रति क्या नजरिया रखती हैं ?

(1) आशाजनक (2) निराशाजनक

47. क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है ?

(1) हाँ (2) नहीं (3) कभी-कभी

48. क्या आप मानती हैं कि आज की हर नारी को अपने पैरों पर खड़ा होना जिंदगी का सबसे अहम पहलू बन चुका है ?

(1) हाँ (2) नहीं

49. क्या आप अपने नियमित घरेलू बजट के अनुसार घर चला लेती हैं ? हाँ/नहीं

49A. यदि हाँ तो कैसे ?

(1) कम खर्च करके (2) बचत करके (3) इच्छाओं को दबाकर

(4) संतुलन बनाकर (5) बैक खाता खोलकर

50. क्या आप मानती हैं कि नारी स्वतन्त्रता की एक सीमा होनी चाहिए ?

(1) हाँ, बिल्कुल (2) कुछ हद तक (3) बिल्कुल नहीं

51. आप कार्यालय में तनावपूर्ण परिस्थितियों से कैसे निपटती हैं ?

(1) खुश होकर (2) रोकर (3) चुपचाप रहकर

(4) हँसकर (5) कुछ नहीं करती

52. क्या आपके परिजन आपकी परेशानी, आपके संघर्ष और उससे लड़ने की हिम्मत की सराहना करते हैं ?

(1) हाँ (2) कभी-कभी (3) कभी नहीं

(4) हमेशा

53. आप अपनी सफलता, प्रेरणा एवं आत्मविश्वास बढ़ाने का श्रेय किसे देती हैं ?

(1) माता-पिता (2) गुरूजन (3) भाई-बहन

(4) दादा-दादी (5) स्वयं को (6) किसी को नहीं

54. आपको अपना मुकाम पाने पर कैसा महसूस होता है ?

(1) बहुत अच्छा (2) गर्व होता है (3) कुछ कह नहीं सकती

55 क्या आपने कभी अपने सिद्वान्तों से समझौता किया है ? हाँ/नहीं

56. क्या आप मानती हैं कि वर्तमान में भी महिलाओं का शारीरिक एवं मानसिक शोषण हो रहा है ?

हाँ/नहीं

57. क्या आप अपने आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ करना चाहेंगी ?

(1) हाँ (2) नहीं

58. क्या आप मानती हैं कि घर एवं आफिस के हर कार्य को अंजाम देना भी एक कला है ? हाँ/नहीं

59. क्या आप खुद को अन्य सभी से अलग समझती हैं ?

(1) हाँ (2) नहीं

60. क्या आप अपने सर्विस अनुभव के आधार पर कह सकती है कि महिलाओं के लिए नौकरी करना उचित है, या अनुचित ?

(1) हाँ (2) नहीं (3) कह नहीं सकती

61. क्या घर एवं आफिस के तमाम कामों की तरह आप अपनी देखरेख के प्रति अनुशासित रहती हैं ?

(1) हाँ (2) नहीं (3) कभी–कभी

(4) विशेष अवसर पर (5) बिल्कुल नहीं

62. क्या आप मानती हैं कि नौकरी को रिजर्व रखने की नीति से अनुसूचित जातियों को नौकरी मिल सकती है ?

(1) हाँ, बहुत हद तक (2) नौकरी में खास मदद नहीं

(3) कह नहीं सकती (4) नहीं, सरकारी नौकरी मिलती है, गैर सरकारी नही।

63. क्या आपने कभी किसी को अपना रोल माडल माना है ? हाँ/नहीं

63A. यदि हाँ तो किसे ?

(1) फिल्म स्टार (2) खिलाड़ी (3) विज्ञापन करने वाली महिलाओं

(4) समाजसेविकाओं (5) अन्य।

64. क्या आपकी नौकरी में पति ने कभी हस्तक्षेप किया ? हाँ/नहीं

65. क्या आपकी तरक्की से आप के पति/घरवाले खुश होते हैं ? हाँ/नहीं

66. यदि आप अपने पति से ऊँची नौकरी पर हैं तो क्या आपके पति हीन भावना से ग्रसित हैं?

हाँ/नहीं

67. क्या आपने अपने बच्चों को स्वावलम्बी बनाया है ? हाँ/नहीं

68. क्या आप अपने कार्य को सही समय पर पूरा करती हैं ? हाँ/नहीं

68A. यदि हाँ तो क्यों ?

(1) आप एक जिम्मेदार महिला हैं

(2) जिस नौकरी को कर रही हैं उसका काम तो करना पडेगा

(3) दोनो

(4) अन्य।

68B. यदि नहीं तो क्यों ?

69. क्या आप में और एक घरेलू महिला में कोई अन्तर है ? हाँ/नहीं

69A. यदि हाँ तो कैसा अन्तर है ? –

70. क्या आप अन्य कर्मचारियों से सहयोगपूर्ण रवैया अपनाती हैं ? हाँ/नहीं

71 .क्या आप अपने आफिस को नियन्त्रण करने में अपने बॉस का साथ देती हैं ? हाँ/नहीं

BUNDELKHAND UNIVERSITY
Central Library
Acc. No. 62757
Date.....
JHANSI